(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक : 6] नवम् विधान सभा के षष्ठम् सत्र का पन्द्रहवां दिवस [संख्या : 10

सोमवार

दिनांक 9 मार्च, 1992

राजस्थान विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

व्यवस्था

एक प्रश्न पर चार से ज्यादा अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को दो बातें कहनी हैं। परसों हमारे यहां 16 प्रश्न हुए थे। यद्यपि उनमें पांच-छः माननीय सदस्य अनुपस्थित थे। लोकसभा में भी पहले एक-दो सवाल ही आते थे लेकिन आजकल वहां 10-11 सवाल आते हैं और इसके लिए लोकसभा में सप्लीमेण्ट्री जिनके नाम क्लब किये हुए होते हैं उनके अलावा किसी को पूछने की अनुमति नहीं दी जाती है। मैं चाहता हूं कि हम भी कम से कम 10 सवाल, यह जो रिकार्ड आपने बना दिया है 10-11 का, तो उस रिकार्ड को मेनटेन करें। इसलिए मैं चार से ज्यादा सप्लीमेण्ट्री अलाऊ नहीं करूंगा। एक ही सवाल पूछ सकते हैं। एक-दो-तीन-चार नहीं। केवल एक सवाल।

जो मुख्य प्रश्न पूछने वाले हैं वह केवल दो सप्लीमेण्ट्री कर सकते हैं। बाकी एक सप्लीमेण्ट्री अलाऊ करूंगा और इस तरह से मैं चाहता हूं कि 10-11 सवाल हम लें और मुझे आशा है कि इसमें मुझे आप लोग को-आपरेट करेंगे। श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, को-आपरेट तो हम निश्चित रूप से करेंगे। पर आम तौर पर यह परम्परा रहनी चाहिए लेकिन एक्सेसपशनल कैसेज में····

श्री अध्यक्ष : अब इसके बारे में मैं निवेदन कर दूं। मैं भी एक सामान्य सदस्य हूं, जैसे आप हैं। लेकिन मुझे स्वतन्त्रतापूर्वक अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार नहीं है और अध्यक्ष के लिए मर्यादा यह है कि किसी विषय पर नहीं बोल सकता। आप सब बोल सकते हैं। मुझे केवल यही मर्यादा दी गयी है कि मेरे विवेक से इस हाउस को व्यवस्थापूर्वक चलाऊं, व्यवधान पैदा करने वालों को

(२)

(श्री अध्यक्ष)

रोकूं और प्रार्थना करू कि वह व्यवधान पैदा नहीं करें। इसलिए मेरे विवेक पर छोड़ दीजिए कि किस सवाल पर अधिक सप्लीमेण्ट्री करवायी जा सकती है, यह छोड़ दीजिए मेरे विवेक पर। यह मैंने पहले भी किया है, जब मुझे लगता है कि इस प्रश्न पर सरकार को यह बताना आवश्यक है कि सदन की मंशा क्या है? तो मैं अपने आप आपको अलाऊ कर दूंगा। लेकिन उस सवाल का निर्णय मेरे विवेक पर आपको छोड़ना पड़ेगा।

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री जोगेश्वर गर्ग..........अनुपस्थित
(प्रश्न संख्या 212, कृपया आगे देखिए)

श्री सांवरमल..............(अनुपस्थित
(प्रश्न संख्या 213, कृपया आगे देखिए)

श्री श्रीचंद कृपलानी.......अनुपस्थित
(प्रश्न संख्या 214, कृपया आगे देखिए)

श्री सालिगराम व श्री गोविन्द सिंह गुर्जर।

डार्क जोन क्षेत्र

215. **श्री सालिगराम** (बयाना) व **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या भू-जल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

1. राजस्थान में 'डार्क जोन' कुल काबिल काश्त भूमि का कितना प्रतिशत है।

2. प्रत्येक जिले में कितना भू-भाग 'डार्क जोन' से प्रभावित है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

3. 'डार्क जोन' वाले इलाके में नाबार्ड द्वारा ऋण उपलब्ध न कराने से भू-जल की योजनाओं पर क्या असर पड़ा है?

4. क्या सरकार 'डार्क जोन' समाप्त करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो सरकार इस क्षेत्र में रहने वाले कृषकों के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहती है?

1. **भू-जल राज्य मंत्री** (श्री मान्धाता सिंह): राजस्थान में कुल 'डार्क जोन' क्षेत्रफल काबिल खेती भूमि का 19·5 प्रतिशत है। यह सूचना विभाग की वार्षिक भू-जल आंकलन रिपोर्ट 1-1-90 पर आधारित है। इस गणना में गंगानगर जिला सम्मिलित नहीं है।

2. राज्य के शेष 29 जिलों में जिलेवार डार्क जोन परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न सूची अनुसार है।

3. डार्क जोन में भू-जल उपलब्धता कम होने के कारण कोई भू-जल उपलब्ध कराने सम्बन्धी योजना सरकार द्वारा नहीं चलायी जाती है। अतः गरीबों को किसी योजनान्तर्गत लाभ से वंचित होने का प्रश्न नहीं उठता।

4. जी नहीं। 'डार्क-जोन' में दोहन योग्य भू-जल उपलब्ध नहीं होने के कारण किसी वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत ऋण उपलब्ध कराने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जो भाग तीन का जवाब दिया है उस

(श्री गोविन्द सिंह गूर्जर)

और आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना 'जीवन धारा' सरकार की तरफ से इस सम्बन्ध में चलायी जा रही है और उसके लिए बैंक उन्हीं क्षेत्रों में लोन देती है जहां डार्क जोन नहीं है। इसलिए हमारे प्रदेश के 20 प्रतिशत भू-भाग में रहने वाले किसान इस सुविधा से वंचित हैं।

इसी तरह दूसरा सवाल मेरा यह है कि ऐसी जगह पर जहां आपका डार्क जोन है वहां व्यावसायिक बैंक, विकास बैंक या और केन्द्रीय सहकारी बैंक लोन नहीं देते हैं क्योंकि नाबार्ड की तरफ से पाबन्दी है। उन लोगों को कुएं खोदने की सुविधा के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्या सरकार की मंशा है? अध्यक्ष महोदय, जो पैसे वाले हैं उस पर रोक नहीं है। यदि मेरे पास पैसे हैं तो मैं ट्यूब वैल भी खोद सकता हूं, सरकार भी खोद सकती है लेकिन गरीब आदमी जो बैंक से पैसा लेकर इस काम को करता है, वह नहीं कर सकता है।

श्री अध्यक्ष : समझ गया, बिराजें। मंत्रीजी यह जवाब दीजिए कि डार्क जोन में....(व्यवधान) बात समझिये। डार्क जोन में कहीं-कहीं पर पानी गरीबों के लिए उपलब्ध है। सभी जगह नहीं होगा। लेकिन जहां पानी उपलब्ध है आपने डार्क जोन बनाकर उनको भी उस सुविधा से वंचित कर दिया कि जो बहुत कम हैं लेकिन गरीब हैं। क्या आप इस पर ध्यान देंगे कि डार्क जोन में जहां मीठा पानी उपलब्ध है उनको विशेष सुविधा दें, इस पर विचार करेंगे क्या?

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है। डार्क जोन का मकसद यह है कि पानी का दोहन ज्यादा हो चुका है। इसलिए आगे परमीशन नहीं देंगे। मामला यह है। इसलिए पानी तो वहां है लेकिन इजाजत उन्हीं को मिली हुई है जो पहले से उपयोग कर रहे हैं। अब जो नये खोदना चाहते हैं चाहे गरीब हों, चाहे अमीर हों, इससे कोई लेना-देना नहीं है। यह तो प्रकृति प्रदत्त पानी है उसमें गरीब और अमीर का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या डार्क जोन के अन्दर आगे लोगों को और कुएं खोदने की इजाजत दी जा सकती है?

श्री अध्यक्ष : मदद की बात है।

श्री मान्धाता सिंह : अध्यक्ष महोदय, डार्क जोन बनाना, नहीं बनाना राजस्थान सरकार के हाथ में नहीं है.......

श्री अध्यक्ष : नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है।

श्री मान्धाता सिंह : यह एस्टीमेशन कमेटी है दिल्ली में। यहां की जितनी सर्वे रिपोर्ट जाती है उस पर विचार करती है, उसमें नाबार्ड के प्रतिनिधि भी बैठते हैं। वह लोग तय करते हैं। जैसा आपने कहा–डार्क जोन हटाने का, नहीं हटाने का पिछले सत्र में भी माननीय सदस्य ने सवाल उठाया था। सामूहिक ट्यूब वैल के लिए वह स्कीम लागू करके हर जिले में भिजवा दी गयी हैं। अब सर्वे रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा। पिछले साल भी काफी तहसीलें हटायीं गयीं थी। इस साल मई के आखिरी तक रिपोर्ट आने के बाद और भी तहसीलें जितनी हटेंगी, उनको हटाने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : ऋण के बारे में पूछ रहे हैं ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मेरा सवाल यह है कि भाग तीन के जवाब में दिया है कि कोई योजना नहीं है । 'जीवन धारा' योजना है ।

श्री मान्धाता सिंह : वह तो अध्यक्ष महोदय, डार्क जोन हटने के बाद ही मिल पायेगी । डार्क जोन रहेगा तब तक उस योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा ।

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में गवर्नमेंट आफ इंडिया को लिखें ।

श्री मान्धाता सिंह : गवर्नमेण्ट आफ इंडिया को लिखेंगे ।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय एक निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जानते हैं कि डार्क जोन जब तक नहीं हटेगा और जल उपलब्धि घोषित नहीं होगी तब तक बैंक स्वयं ऋण नहीं देती है ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर ।

श्रीमती मदन कौर: अध्यक्ष महोदय, ऐसे अपने प्रदेश में विभिन्न क्षेत्र हैं जो पहले डार्क जोन में थे और अब वहां पानी की बहुतायत हुई हैं तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बहुत जल्दी-जल्दी गहन सर्वेक्षण थोड़े-थोड़े समय में कराते रहने की राज्य सरकार की मंशा है क्या ?

श्री मान्धाता सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले हफ्ते में आपका प्रश्न था, आप आयी नहीं थी, वह रिपोर्ट लेकर आया हूं । आप चाहेंगी तो रिपोर्ट दे दूंगा । सर्वे की हुई है, उनके बाड़मेर में कहां-कहां मीठा पानी है, खारा पानी है । माननीय सदस्या को आज ही रिपोर्ट पहुंचवा दूंगा ।

श्रीमती मदन कौर : नहीं, मेरा सवाल यह नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए । पॉलिसी बना लें कि जब भी आवश्यकता हो वहां सर्वे करा दिया जायेगा ।

श्री मान्धाता सिंह : पुनः सर्वे करवा लिया जायेगा । समय-समय पर सर्वे करवा लिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री अमृत जी । पहले अमृत जी का नाम है ।

श्री अमृत लाल परमार (बाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि मेरे बाली विधान सभा क्षेत्र के अन्दर डार्क जोन के तहत जो पहाड़ी क्षेत्र में घोषणा की थी कि पानी नहीं है जब कि वहां पानी है....

श्री अध्यक्ष : अच्छा बैठिये, सर्वे की बात कह दी, दुबारा करवा लेंगे ।

श्री सम्पतराम (खैरथल) : अध्यक्ष महोदय, किसी एक पर्टीकुलर....

श्री अध्यक्ष : चार से ज्यादा सप्लीमेंट्री नहीं होंगी आज से ।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, किसी एक स्थान का सर्वे करने या नहीं करने का प्रश्न इसमें इन्वाल्व नहीं है, जो पूछा गया है । इस सवाल का एक नीतिगत सम्बन्ध है कि क्या जहां पर डार्क जोन है वहां पर पानी की उपलब्धता यदि पैदा हो जाये

Page No. 5

(श्री सम्पतराम)

तो क्या राज्य सरकार की इस प्रकार की नीति है कि उसके ऊपर दुबारा सर्वे करायें और यह मालूम करें कि क्या पानी उपलब्ध है तो किसानों को राहत मिलनी चाहिये, कुएं वगैरह बनने चाहिये आपकी नीति है या नहीं है, यह जनरल पालिसी का सवाल है।

श्री मान्धाता सिंह : स्कीम है। डिटेल्ड में सर्वे करा कर के रिपोर्ट दे दी जायेगी।

श्रीमती मदन कौर : यह कब सर्वे कराना चाहते हैं। मुख्य प्रश्न यही है।

श्री अध्यक्ष : यह तो मान लिया है इन्होंने वह कर लेंगे।

श्री परसादी लाल मीणा।

थाना लालसोट में दर्ज हत्याओं के मामले

216. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) थाना लालसोट के अन्तर्गत हत्याओं के कितने मामले पिछले वर्ष से अब तक दर्ज किये गये हैं ? एफ. आई. आर. की प्रति सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सभी मामले कानून व व्यवस्था बिगड़ने तथा पुलिस की निष्क्रियता के कारण से हुए हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि पुलिस की निष्क्रियता के कारण थाना लालसोट के मु. नं. 43191 का चालान अब तक नहीं किया गया है ?

गृह राज्य मंत्री (श्री शांतिलाल चपलोत) : (1) थाना लालसोट जिला दौसा में जनवरी, 1991 से 15-2-92 तक हत्या के कुल 6 अभियोग पंजीबद्ध हुए हैं। प्रथम सूचना की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। अभियोग संख्या 43191 धारा 302 भा. द. सं. थाना लालसोट जिला दौसा में अभियुक्तों का चालान दिनांक 9–12–91 को संबंधित न्यायालय में पेश किया जा चुका है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया खण्ड संख्या 3 का कि मुकदमा नं. 43192, मेरा एक एडजोर्नमेंट मोशन था पिछले सैशन में माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था, इस मामले को मैंने उठाया था और मैंने पूछा था कि क्या लालिया का कोई और भी साथी था। गवर्नमेंट ने लालिया से पूछा था और उसने एडमिट किया था कि मैंने अपने साथियों की सलाह पर ऐसा किया। मैंने सरकार से निवेदन किया था कि वहां का डी. वाई. एस. पी. जो इसकी जांच कर रहा है वह इसमें दो लाख रुपये खा चुका है। आप उससे जांच नहीं करवा कर सी.आई.डी. से जांच करवायें या किसी सीनियर आफिसर से जांच करवा कर जो उसके साथ के मुल्जिम हैं उनका भी पता करके नामजद करके चालान किया जाये। मैं पूछना चाहता हूं कि लालिया के अलावा क्या और किसी

(श्री परसादीलाल मीणा)

दूसरे का भी चालान किया गया है और यदि नहीं तो चालान क्यों नहीं किया गया है ? मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या उसी डी. वाई. एस. पी. ने जिस पर मैंने चार्ज लगाये थे उसके ट्रांसफर से कुछ दिन पहले, बिना पता लगाये, बिना किसी सीनियर आफिसर से जांच करवाये, चालान पेश कर दिया ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुकदमा नं. 109/91 के संबंध में पूछना चाहूंगा । यह मुकदमा मई में दर्ज हुआ था और वहां का थानेदार इस मुकदमें में मुल्जिमों को पकड़ कर थाने में ले आया और डी. वाई. एस. पी. ने उन मुल्जिमों को छोड़ दिया और एस. पी. को कह दिया कि साहब, जब तक इनके लिखाफ सबूत नहीं मिलते, मैं इनको गिरफ्तार नहीं करता वापिस छोड़ दिया, क्या यह सही है ? अब जब दुबारा एसेम्बली में क्वेश्चन लगा, उन मुल्जिमों को गिरफ्तार करके ज्यूडिशियल कस्टडी में भिजवाया गया है । यदि हां, तो क्या ऐसे डी. वाई. एस. पी. को, जिसके रहते हुए गत वर्ष में 6 हत्याओं के मुकदमें दर्ज हुए, मैं गृह मंत्रीजी से भी मिला था, एक मुकदमें में अगर गृह मंत्री जी हस्तक्षेप नहीं करते तो उसको एक दुर्घटना का मुकदमा बता कर कर देते ।

एक माननीय सदस्य : यह सवाल पूछ रहे हैं या भाषण दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : वह तथ्य दे रहे हैं ।

श्री परसादीलाल मीणा : सवाल बहुत लम्बा है ।

अध्यक्ष महोदय, मुकदमा नं. 204 के संबंध में डी. वाई. एस. पी. साहब वहां गये पार्टी से मिल लिये । गांव वालों ने कहा कि इसके भाई ने और बाप ने हत्या की है तो डिप्टी एस. पी. ने उनको वहां थाने से बाहर निकाल दिया । इन्होंने कहा कि दुर्घटना हुई है और दुर्घटना का केस दर्ज करके लोगों को कह दिया कि कोई हत्या का मुकदमा नहीं है । गृह मंत्री जी ने जब हस्ताक्षेप किया तब वह मुल्जिम पकड़े गये और उन्होंने मन्जूर किया कि हत्या हमने की है । ऐसे डिप्टी एस. पी. के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

मुकदमा नं. 27/92 जो जनवरी में घटना घटित हुई है उसके संबंध में क्या यह सही है कि जो मारने वाले मुल्जिम थे वह पुलिस से मिले हुए थे उनके दस मुकदमें थानेदार और डिप्टी एस. पी. ने दर्ज करा कर, वह मरने वाला पप्पू नाम का जो मीणा था उसके खिलाफ दर्ज किये । उनको पुलिस ने प्रोटेक्ट किया कि आप इसकी हत्या करो, हम तुम्हारे साथ हैं, क्या इस प्रकार के तथ्य आपके पास है ।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुकदमा नं. 43/91 में जैसा आपने फरमाया है लालिया का चालान कर दिया था इसने हत्या की थी । इसके अलावा जिस-जिस ने भी....

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था, यह आपका जवाब है । मैं एक लाइन पढ़ कर सुना दू गृह मंत्रीजी को । इस पर लालिया ने अपने साथियों की सलाह पर रात को सोते समय जगन्नाथ की गला घोंट कर हत्या कर दी ।

Page No. 7

(श्री परसादीलाल मीणा)

हम यह जानना चाहते थे लालिया से कि उसके साथी कौन थे....

श्री अध्यक्ष : वही बता रहे हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत : उसी को बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, दिनांक 21-2-91 को थाना लालसोट पर कल्लूराम पुत्र श्री रामलाल मीणा निवासी नर्जना ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि गांव निर्जना में आज रात को बोरिंग पर रात को सोते हुए अचानक न मालूम किसी आदमी ने, डाकू ने जगन्नाथ को खतम कर दिया। सुबह आकर देखा। न मालूम रात को कब मारा गया; बोतलें पड़ी हुई मिली। इस प्रकार का बयान आना जाहिर हुआ। इससे पूरा विश्वास हो गया कि लालिया ने मृतक की पत्नी से संबंध स्थापित करना चाहा था। जब उसने बलात्कार कर लिया, बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। उसी रंजिश से उसके काका जगन्नाथ की हत्या कर दी रात को सोते समय। इसके अलावा कोई रिपोर्ट नहीं है। माननीय सदस्य यदि किसी प्रकार की सूचना और उपलब्ध करायेंगे तो हम फिर उस पर ठीक जस्टिस लेंगे। इसमें कोई बचाने का प्रश्न नहीं उठता है। आप मुझे या गृह मंत्रीजी को, जिसको आप उचित समझें, आप जरूर बतायें और जिस तरह की सूचना आप लायेंगे....

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, सूचना तो गत मार्च के सैशन में मेरे एडजोर्नमेंट मोशन के जवाब में दी है लालिया ने अपने साथियों की सलाह पर, और होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि था इसकी जांच सी. आई. डी. से या किसी सीनियर ऑफिसर से करायेंगे; यहीं हाउस में कहा था और उसके बाद भी जांच नहीं करवा करके, उस डिप्टी एस. पी. ने एक ही आदमी का चालान कर दिया; बाकी जो किराये के गुंडे लाये थे मारने के लिए, उनका चालान नहीं किया। डिप्टी एस. पी. का जब ट्रांसफर हुआ उससे एक दिन पहले या दो दिन पहले उसका चालान करके गया तो मैं यह जानना चाहूंगा कि डिप्टी एस. पी. का ट्रांसफर कब हुआ और चालान किस तारीख को पेश किया गया?

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 29-11-91 को चालान पेश किया गया। डिप्टी एस. पी. के ट्रांसफर का इसमें आपने पूछा नहीं, नहीं तो इसको भी कवर कर लेता।

श्री परसादीलाल मीणा : आपने जो मुझे जवाब दिया है उसमें चालान की तारीख 9-12-91 बताई है। अब आप 29-11-91 बता रहे हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत : आप सुन लीजिये। चालान 9-12-91 को हुआ है। इसका आदेश 29-11-91 का है, यह कह रहा हूं मैं....

एक माननीय सदस्य : डिप्टी एस. पी. का ट्रांसफर कब हुआ?

श्री अध्यक्ष : यह तथ्य उनको पता नहीं है।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित करवायें। मेरा निवेदन है कि अगर सरकार के पास तथ्य नहीं है तो इसको स्थगित करवाइये।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आप एक बात बतायें। आपने जो पहले जवाब दिया है हाउस में, उसमें आपने यह कहा है कि लालिया ने अपने बयान में यह कहा कि और साथियों की सलाह पर उसने यह हत्या की। इसकी जांच का आपने आश्वासन दिया है तो उसकी जांच का क्या हुआ ?

श्री शांतिलाल चपलोत : कोई भी एक्यूज्ड किसी को को-एक्यूज्ड बनाना चाहे तो वह एक मर्डर का मुकदमा है उसमें किसी को इस तरह से फांसा भी नहीं जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, मत फांसिये।

श्री शांतिलाल चपलोत : Unless a grave negligence on the part of policy is there.

श्री अध्यक्ष : जांच हुई क्या उसकी ?

श्री शांतिलाल चपलोत : फिर भी किसी और के बारे में आपको कोई सन्देह हो तो आप मुझे जरूर बताएं, हम उसकी कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान) किसी को किसी प्रकार बचाने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय गृह मंत्रीजी ने जो जांच का आश्वासन दिया था वह जांच क्यों नहीं करायी ?

श्री अध्यक्ष : पूछ रहे हैं प्रद्युम्न सिंह जी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बड़ी मोटी-सी बात है। यह सरकार की टिप्पणी जो आपको दी यहां प्राप्त हुई। आप खुद देख लें इसको, आप खुद सन्तुष्ट हो जायेंगे। आप देख लें इसके अन्दर कि ये खुद तो एडमिट कर रहे हैं इस चीज को। एडमिट करने के बाद माननीय गृह मंत्रीजी ने यह कहा कि मैं इस मामले की अधिकारियों से जांच करा लूंगा, इस मामले को मैं खुद दिखवाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय, एक तरफ सरकार यह एडमिट करे और दूसरी तरफ यह कहे कि मैं इसकी जांच कराऊंगा, तो हम लोग कभी-कभी शांत होकर बैठ जाते हैं कि गृह मंत्रीजी ने, सरकार ने कह दिया कि मैं इसकी वरिष्ठ अधिकारियों से जांच कराऊंगा। पर आखिर उसकी सैंक्टिटी क्या रह गयी ? यहां पर कहते हैं बैठकर और उसके ऊपर कार्यवाही नहीं करते हैं, अमल नहीं करते हैं। तभी सदन के अन्दर लोग एजीटेट होते हैं और मामला बढ़ता है। तब आसन नाराज होता है कि आप लोग सदन में व्यवधान पैदा कर रहे हैं, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इनकी कथनी और करनी में तो अन्तर है। खुद एडमिट कर रहे हैं और खुद एक्शन नहीं लिया। अध्यक्ष महोदय, आखिर इनको पाबन्द तो करना पड़ेगा कि क्यों नहीं किया आपने, जब आपने खुद एडमिट किया है, उसकी जांच क्यों नहीं करायी। मुझे, गृह मंत्रीजी, आप जवाब दे दें इस बात का।

श्री सम्पतराम : मैं भी एक सवाल कर लूं ?

श्री अध्यक्ष : मेन चीज यही है इसमें।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है, माननीय सदस्य ने मेरा वक्तव्य पढ़ा और यह जानकारी दी कि जांच कराने की बात मैंने कही थी। निश्चित रूप से मैंने कही थी। इसमें चालान जो

(श्री दिग्विजय सिंह)

धारा 302 में हो चुका है वह आपको जानकारी दे दी गयी । इसके बाद जांच के सम्बन्ध में मैं आप से कहूं कि मैं इसकी जानकारी करा लूंगा कि जांच इसकी क्या हुई, इसमें कौन-कौन रह गये । अगर आपके पास में और हो तो वह, नहीं तो मैं अपने स्तर पर और करके जो भी इसके अन्दर दोषी रह गये थे उनको निश्चित रूप से सजा मिले या उनका चालान किया जाय, मैं देखकर बता सकूंगा । इस वक्त मैं मानता हूं कि पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है । विश्नोई जी । (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, अध्यक्ष महोदय, जो मुलजिम हैं....

श्री अध्यक्ष : देखिये, आप मेरी एक बात समझिये । आप समझा करो । आप बाद में समझना, जो बात आ रही है, जो कहा, है वह बहुत ज्यादा है । It's too much.

श्री सम्पतराम : आपने जो माननीय गृह मंत्रीजी....

श्री अध्यक्ष : अब ये दोनों सन्तुष्ट हैं ।

श्री सम्पतराम : एक सवाल पूछूंगा मामूली ।

श्री अध्यक्ष : जरूरत नहीं है । They are satisfied, विश्नोई जी । मुझे 10 सवाल लेने हैं आज ।

श्री सम्पतराम : वह तो आपकी मर्जी है, आप इजाजत देंगे तो बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा । लेकिन मेरा क्वेश्चन बहुत....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है जब माननीय मूल प्रश्नकर्ता सन्तुष्ट हो गये, अब उसमें मैं अलाऊ नहीं करूंगा ।

श्री सम्पतराम : न उससे सन्तुष्ट करने का सवाल पैदा होता है । मेरा सवाल अलग है बिलकुल, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल अलग नहीं होगा ।

श्री सम्पतराम : इतनी देर में तो मैं पूछ लेता ।

श्री अध्यक्ष : यह अलग नहीं हो सकता मूल प्रश्नकर्ता का ही सवाल है, उसी सवाल के सम्बन्ध में पूछ सकते हैं । यह अधिकार नहीं है किसी का भी एक मिनट बैठिये । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी मूल प्रश्नकर्ता के प्रश्न में आपका अधिकार केवल यही है कि जो मूल प्रश्नकर्ता की भावना से सम्बन्धित है आप उसको सप्लीमैण्ट करने के लिए सवाल पूछ सकते हैं । वर्ना इण्डिपैण्डैण्ट उससे हटकर किसी का और कोई अधिकार बनता है, यह मैं नहीं मानता और यह व्यवस्था भी नहीं है ।

श्री सम्पतराम : मैं वही पूछूंगा ।

श्री अध्यक्ष : अब वे सन्तुष्ट हो गये, आप क्या पूछेंगे ?

श्री सम्पतराम : मैं वही पूछूंगा ।

श्री अध्यक्ष : हां, पूछिये ।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का जवाब जो मंत्री महोदय की तरफ से आया वह भी मैंने सुना और प्रश्न

(श्री सम्पतराम)

कर्ता ने जो सवाल किया वह भी मैंने सुना। इसमें जानकारी करने की जरूरत यह है कि जिस डिप्टी सुपरिटेण्डेण्ट के मामले में आप शंकाएं पैदा करते हैं उसका कण्डक्ट किसी इन्वैस्टिगेशन के सम्बन्ध में क्या रहा है। इसकी कृपया जांच की जाय।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, चलिए। विश्नोई जी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, आपका सवाल नहीं है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मेरे यहां 48 दिन से हड़ताल चल रही है वकीलों की।

श्री अध्यक्ष : आज ये सारे सवाल पूरे होने के बाद।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : उजला जी के लगी हुई थी।

श्री अध्यक्ष : सारे सवाल पूरे होने के बाद रिपीट होते हैं। विश्नोई जी, पूछिये आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, ये मेरी मदद कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष : आपकी मदद करने से कानून नहीं बदल जाएगा। बैठिये आप।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : तो स्थगित कर दीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप कृपा करके....

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं दे सकता हूं जब तक पूरे प्रश्न समाप्त नहीं होंगे, साइकिल चालू नहीं होगी। यदि पूरे प्रश्न समाप्त हो गये तो साइकिल चालू कर दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप इसको स्थगित कर दीजिए।

शेरगढ़ तहसील में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का संचालन

217. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाने बाबत भारत सरकार ने एक योजना राज्य सरकार को भेजी थी ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस योजना के तहत तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा करीब 300 केन्द्र वर्ष 1990-91 में चलाये गये ? यदि हां, तो इन केन्द्रों को चलाने वाले सैनिकों को अभी तक भुगतान क्यों नहीं किया गया है ?

(3) क्या सरकार भूतपूर्व सैनिकों द्वारा चलाये गये प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के लिए उनका वेतन अदा करना चाहती है अथवा नहीं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मन्त्री (श्री हरिकुमार औदिच्य) :

Page No. 11

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

(1) हां, विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(2) हां, मानदेय नहीं दिया गया क्योंकि (क) मानदेय की धनराशि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से आनी है, और (ख) जोधपुर सैनिक बोर्ड द्वारा अपेक्षित दस्तावेज एवं शेष सामग्री भेजे जाने पर भुगतान किया जायेगा ।

(3) हां, जोधपुर सैनिक बोर्ड द्वारा अपेक्षित दस्तावेज एवं शेष सामग्री भेजे जाने पर केन्द्र सरकार से मानदेय धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् भुगतान की व्यवस्था राज्य सन्दर्भ केन्द्र, जयपुर द्वारा की जा सकेगी ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जवाब दिया, यह भारत सरकार की स्कीम है । दो साल हो गये आपको केन्द्र चलाये । 300 केन्द्र शेरगढ़ में स्वीकृत हुए और भूतपूर्व सैनिकों ने वहां काम किया था । कौन सी ऐसी सामग्री और कौन से डाक्यूमैण्ट शेष रह गये, जिसकी वजह से उनको भुगतान नहीं हुआ ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो कार्यक्रम चला भारत सरकार के स्तर पर था । उनके माध्यम से राज्य सन्दर्भ केन्द्र द्वारा इस योजना को लिया गया । राज्य सरकार इसमें कहीं बीच में नहीं थी । जो सामान-साहित्य आया वह राज्य सन्दर्भ केन्द्र के माध्यम से सैनिक बोर्ड के जो 300 केन्द्र चलते हैं उनके पास डाइरेक्ट भेजा गया है । वही इस बात का प्रमाण पत्र देंगे कि कार्य हुआ या नहीं हुआ शेष सामान आया या नहीं आया । इसके बाद उनको भुगतान उनके द्वारा होगा । राज्य सरकार इसमें बीच में नहीं आती है ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : वेतन देने की जिम्मेदारी किसकी है ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : राज्य सरकार की नहीं है ।

श्री रामसिंह विश्नोई : जोधपुर में सैनिक बोर्ड किसके अण्डर में है ? भारत सरकार के ? वहां चेयरमैन आपका है ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : सैनिक बोर्ड का चेयरमैन होना बात अलग है । योजना राज्य सन्दर्भ केन्द्र के माध्यम से चल रही है, सीधा भुगतान वे करते हैं । उसमें राज्य सरकार कहीं नहीं है । मैं एक निवेदन और करूं कि कई बार कहने के बाद चिट्ठी जरूर लिखी उन्होंने, लेकिन शेष सामग्री आज तक भी नहीं पहुंची वहां पर और न प्रमाण पत्र पहुंचे हैं । वह पहुंचने के साथ पेमेंट उनको मिल जाएगा ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, श्री राजेन्द्र गहलोत ।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, फिर इसका सॉल्यूशन क्या है ?

श्री अध्यक्ष : ये कह रहे हैं कि वहां से जब आएगा भुगतान कर देंगे ।

श्री रामसिंह विश्नोई : क्या सामग्री नहीं आयी ?

श्री अध्यक्ष : इन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी कि केन्द्र सरकार की योजना थी। उन्होंने सामान भेजा वह उनको सम्भलवा दिया। मानदेय देना भी उन्हीं को था। कितने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चले या नहीं चले, उसकी पूरी रिपोर्ट केन्द्र सरकार के पास जाएगी। केन्द्र सरकार के पास जाने के बाद केन्द्र सरकार यहां भुगतान करेगी। राज्य सरकार उसमें बीच में कहीं आती नहीं।

श्री रामसिंह विश्नोई : बीच में आती कैसे नहीं राजस्थान सरकार ? पैसा आये और और कहीं खर्च कर दो आप पैसा....

श्री अध्यक्ष : वे तय करके, ईयर मार्क करके भेजते हैं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : राज्य सरकार की न तो उनके ऊपर सुपरवाइजरी पावर है, न राज्य सरकार से स्कीम एप्रूव कराते हैं और सामग्री भी उनको सीधे ही पहुंचती है।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपका कोई है नहीं तो फिर जवाब देने का क्या औचित्य था ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : आपने पूछा है और मेरी ड्यूटी है जवाब देने की।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, अध्यक्ष महोदय, आपको कहना चाहिए कि हमारा कोई लेना-देना नहीं है। आप ऐसा कहिये कि हम सक्षम नहीं हैं, हमारा कोई लेना-देना नहीं हैं और न हमारी जानकारी है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : वह तो मैंने कह दिया कि राज्य सन्दर्भ केन्द्र के माध्यम से मिलते हैं सीधे।

श्री अध्यक्ष : चलिये, अब मान लीजिए।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न जब पूछते हैं तो 300 केन्द्र चल रहे थे, दो साल हो गये और उन लोगों को पैसे दिये नहीं।

श्री अध्यक्ष : हां, ये बहुत संक्षेप में कह सकते थे कि हमको पता नहीं। मगर चूंकि इनके क्षेत्र में चले हैं इसलिए इतनी जानकारी है। वह तो बताएंगे।

सूचना केन्द्र, जोधपुर

218. श्री राजेन्द्र गहलोत : (सरदारपुरा)—क्या जन सम्पर्क मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार जन सम्पर्क कार्यालय जोधपुर में अतिरिक्त जन सम्पर्क अधिकारी का पद सृजित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर सूचना केन्द्र के उद्‌घाटन के बाद भवन में किसी प्रकार का विस्तार नहीं हुआ ? यदि हां, तो सरकार इस कार्यालय भवन के विस्तार के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) क्या सरकार जन सम्पर्क कार्यालय में पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

जन सम्पर्क मन्त्री (श्रीमती विद्या पाठक) :

(1) जी नहीं, जन सम्पर्क कार्यालय, जोधपुर में एक जन सम्पर्क अधिकारी व दो सहायक जन सम्पर्क अधिकारी कार्यरत हैं, जो कार्य की दृष्टि से पर्याप्त हैं।

(श्रीमती विद्या पाठक)

(2) जी नहीं। सूचना केन्द्र भवन का विस्तार विभिन्न चरणों में पूर्ण हुआ है। वर्तमान में भवन पर्याप्त होने के कारण विस्तार अपेक्षित नहीं है।

(3) सूचना केन्द्र में पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी....

श्री सम्पतसिंह : और उपस्थित सज्जनों।

श्री राजेन्द्र गहलोत : जोधपुर के अलावा सम्भागीय मुख्यालयों पर कितने-कितने जन सम्पर्क अधिकारी हैं? जोधपुर में सीमान्त व मरु विकास कार्यक्रम और काजरी की गतिविधियां चलती रहती हैं। किस मापदण्ड से उदयपुर व अन्य सम्भागीय मुख्यालयों पर एक से अधिक जन सम्पर्क अधिकारी हैं? और जोधपुर में क्यों नहीं है?

दूसरा, आपने बताया कि भवन पर्याप्त है। जोधपुर सूचना केन्द्र और जन सम्पर्क अधिकारी का कार्यालय अपर्याप्त है। वहां आर्ट गैलेरी का निर्माण होने वाला था जिसका काम कई वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है। पत्रकार कक्ष का निर्माण होने वाला था, वह भी विचाराधीन है।

फर्नीचर के लिए पिछले तीन वर्षों में कितना पैसा जोधपुर को आवंटित किया गया? उसका फर्नीचर खरीदा गया या नहीं खरीदा गया? आज फर्नीचर की स्थिति यह है कि न पुस्तकालय में फर्नीचर है, न वाचनालय में फर्नीचर है और न पत्रकारों के बैठने के लिए कुर्सी है। इसके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं?

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सदस्य ने कहा है कि उदयपुर और दूसरी जगहों पर दो-दो पी. आर. ओज हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि उदयपुर, जयपुर और कोटा, तीनों जगहों पर दो-दो ए.पी.आर. ओज हैं, पी.आर.ओ. तो एक ही है। दूसरा आपने कहा कि भवन पर्याप्त नहीं है। तो भवन तो पर्याप्त है। और माननीय सदस्य ने कहा कि आर्ट गैलरी होनी चाहिये और पत्रकार कक्ष होना चाहिये। आर्ट गैलरी के लिये निवेदन है कि अभी आर्थिक संकोच के कारण वर्तमान में यह सम्भव नहीं है। जहां तक आपने फर्नीचर के लिये कहा है, तो फर्नीचर संख्या की दृष्टि से तो पर्याप्त है, और जब माननीय सदस्य ने इसकी शिकायत की थी, तो गत वर्ष 1.70 लाख रुपये का फर्नीचर खरीदा गया था। जिसमें से जोधपुर के लिए भी कुछ फर्नीचर दिया गया था। परन्तु जो लिस्ट मुझे विभाग ने उपलब्ध कराई है, उसको देखने से लगता है कि वहां फर्नीचर में सुधार होना चाहिये। कुछ फर्नीचर टूटा हुआ है, उसके सुधार के लिये आदेश दिये जा चुके हैं।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष जी, जयपुर के बाद जोधपुर सब से बड़ा नगर है और पश्चिमी क्षेत्र का मुख्यालय है। इसलिये वहां पर डिप्टीडाइरेक्टर का पद होना चाहिये। दूसरा, आर्ट गैलरी के बारे में आपने कहा है, तो उसके लिये वित्तीय आवंटन कब तक कर लिया जायेगा और उसका निर्माण कार्य कब शुरू कर दिया जायेगा?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री कालीचरण सराफ।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष जी, इसका जवाब आने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : दे तो दिया कि जब पैसा आयेगा तब करा लेंगे ।

श्री राजेन्द्र गहलोत : कब आयेगा ?

श्री अध्यक्ष : उनको क्या पता कि कब आयेगा । किसी को पता नहीं कि पैसा कब आयेगा ।

श्रीमती सूर्य कान्ता व्यास (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, वहां पर फर्नीचर की हालत बहुत बिगड़ी हुई है ।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने बता दिया कि ठीक करवा रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र गहलोत : यह कोई जवाब नहीं होता, माननीय अध्यक्ष जी ।

श्री अध्यक्ष : आप अगर बता सकते हैं तो बता दीजिये कि पैसा कब होगा ।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष, 1991 में, फर्नीचर का आवंटन किया गया और आर्ट गैलरी के लिये पैसा कब उपलब्ध हो पायेगा यह कहना अभी तो सम्भव नहीं है । कम से कम बजट में तो नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष : इस बजट में नहीं होगा, अगले बजट की राह देखिये । श्री काली-चरण सराफ ।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष जी, यह कोई जवाब नहीं, आप कहते हैं.... (व्यवधान)

श्रीमती सूर्य कान्ता व्यास : यह तो बता दें कि कितना फर्नीचर दिया गया है जोधपुर को ।

श्रीमती विद्या पाठक : जोधपुर को 25 कुर्सियां, चार रेक्स और दो आलमारी दी गई हैं । और इसके अतिरिक्त जो पुराना फर्नीचर है उसको सुधारने के लिये भी आदेश दिये जा चुके हैं ।

श्री राजेन्द्र गहलोत : रुपया कितना दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : बैठिये अब आप बार-बार नहीं पूछ सकते । You ask only two supplementaries.

श्री राजेन्द्र गहलोत : पूरे आइटम्स नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय गहलोत साहब, बिराजिये । (व्यवधान) या तो आप शिविरों में आया करें तो आपको ट्रेनिंग मिलती रहे । आप दो से ज्यादा सप्लीमेन्टरीज नहीं पूछ सकते । बैठिये आप ।

जयपुर में पर्यटन विकास

219. **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार) : क्या यह सही है कि जयपुर शहर पर्यटन की दृष्टि से एक प्रमुख नगर है ? यदि हां, तो सरकार पर्यटकों के आकर्षण के लिये जयपुर के वर्तमान में नये व पुराने दर्शनीय स्थानों को और अधिक आकर्षक बनाने हेतु क्या-क्या योजना बना रही है ?

पर्यटन मंत्री (सुश्री पुष्पा जैन) : जी हां । जयपुर के दर्शनीय स्थलों को अधिक आकर्षक बनाने हेतु सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है ।

(सुश्री पुष्पा जैन)

1. जयनिवास उद्यान के म्युजिकल फोउंटेन पार्क व तालकटोरा में नाव ।

2. लवकुश उद्यान में बच्चों के लिए रेल व इन सभी स्थलों के आकर्षण के लिए यथा संभव प्रयास किया गया है ।

3. जयपुर के मुख्य बाजारों की इमारतों व दुकानों पर गुलाबी रंग करवाया गया है । इसके साथ ही पर्यटकों के लिए जयपुर की परम्परागत व कलात्मक रुचियों की पुनः शुरु-आत की गई है ।

4. हर शनिवार गोविन्ददेवजी के मन्दिर में भक्ति संध्या, हर बुधवार रामनिवास बाग में बैण्ड बाजा व सप्ताह में एक बार शहनाई वादन । बाग में रोशनी की व्यवस्था ।

5. आमेर, नाहरगढ़ व चरण मन्दिर में विकास कार्य । आमेर पर्यटन स्थलों का विकास व सौन्दर्यीकरण ।

6. गेटोर छतरियों व स्थल का विकास ।

7. जन्तर-मन्तर का विकास ।

8. पर्यटन सहायता केन्द्र का विकास ।

9. जयपुर रेल्वे स्टेशन का नवीनीकरण ।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : आप तो बाहर जा रही थी न ?

सुश्री पुष्पा जैन : आप सब लोगों से दूर जाने को मन नहीं हुआ, तो वापिस आ गई ।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि जयपुर शहर में जिस प्रकार से परकोटे के अन्दर पहले से दरवाजे बने हुए हैं, उसी प्रकार के दरवाजे शहर के जो एंट्री रोड्स हैं, वहां पर बनाने का विचार क्या राज्य सरकार का है । दूसरा, नाहरगढ़ किले से नीचे तक रोप वे बनाने का पिछली सरकार का विचार था, क्या वह योजना अभी तक विचाराधीन है ? और नाहरगढ़ क्षेत्र में विकास की बहुत गुंजाइश है, परन्तु फारेस्ट एक्ट के कारण वन विभाग परमिशन नहीं देता । इसलिये वहां पर विकास कार्य नहीं हो पा रहा है । तो केन्द्र सरकार और यहां के वन विभाग से बात करके क्या राज्य सरकार इस प्रकार की योजना बना रही है जिससे नाहरगढ़ के किले का विकास हो ? जल महल क्षेत्र और जवाहर सर्किल के बारे में भी क्या सरकार की कोई विकास की योजना है ? एक मैं और पूछना चाहूंगा कि जयपुर में जे. डी. ए····

श्री अध्यक्ष : एक सप्लीमेंट्री एट ए टाइम कर सकते हैं, दो नहीं कर सकते हैं । मैं आपके पहले सप्लीमेंट्री का जवाब देने के लिए कहूंगा । बाकी आप बोलते जाइए, जवाब नहीं मिलेगा । यू केन आस्क ओनली टू सप्लीमेंट्री 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 यह नहीं चलेगा । एवं सप्लीमेंट्री पूछ लिया, बहुत है । जवाब दीजिए ।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : कालीचरणजी की यह हैसियत बना दी आपने ?

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि पुराने गोविन्द देवजी के मन्दिर के पास से जयगढ़ तक रोप वे

(सुश्री पुष्पा जैन)

लगाने का प्रस्ताव हैं या जहां भी जयपुर के माननीय सदस्य चाहेंगे वहां पर प्रस्ताव है। यह ऊषा बेको नामक संस्था द्वारा किया जाना है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह भी सच है कि अभी तक वन विभाग की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण यह मसला अधर–भूल में लटका हुआ है। हमने इस सम्बन्ध में सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भी कई चिट्ठियां लिखी हैं लेकिन अभी तक उनका संतोषजनक कोई जवाब नहीं आया। स्वीकृति प्राप्त होते ही उक्त रोप वे लगा दी जायेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा माननीय सदस्य ने जयपुर के पुराने दरवाजों के बारे में कहा है, यह दरवाजे तो बहुत पुराने परम्परागत बने हुए हैं........

श्री कालीचरण सराफ : एन्ट्री गेट्स पर जैसे आगरा रोड़, सीकर रोड़, देहली रोड़ पर इनके बनाने की कोई योजना है क्या ?

सुश्री पुष्पा जैन : इन पर सर्वे करवा लिया जायेगा, अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्यों से जानकारी प्राप्त कर अगर उचित हुआ तो निश्चित रूप से इस पर विचार किया जायेगा। तीसरा, अध्यक्ष महोदय, आपने........

श्री अध्यक्ष : वह जवाब दे रहे हैं।....

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : एन्ट्री गेट्स की बात कर रहे हैं.... (व्यवधान)....मैं सदन को जानकारी दे रहा हूं, मेरे विभाग से सम्बन्धित है.... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : जे. डी. ए. से सम्बन्धित है वह जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : सुन लीजिए आप तो, आपसे सम्बन्धित है तो वह जवाब दे देंगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उनको जवाब तो देने दीजिए। वह सक्षम हैं जवाब देने में। उनको देने दीजिए। (व्यवधान)....

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री महोदय उनकी योग्यता को कम आंक रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। वह एडीशनल सूचना दे रहे हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : पहले पूरी सूचना तो आ जाय।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : यह मैं कोई सप्लीमेंट नहीं कर रहा हूं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह तो उन्होंने दे दी। अतिरिक्त सूचना दे रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरे विभाग से सम्बन्धित है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि जयपुर शहर में आने के लिए जो दरवाजे थे पुराने, ऐसे एन्ट्री गेट्स बना रहे हैं क्या ? तो हमने प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं और जे. डी. ए. बनायेगा उनको।

श्री अध्यक्ष : बना लेगा।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, पर्यटन विभाग हर उस आकर्षण केन्द्र को और भी ज्यादा आकर्षित करने के लिए पूरी-पूरी सहायता करता है। लेकिन इस सम्बन्ध में जितने भी कोर्डिनेटिव डिपार्टमेंट्स है, जैसे स्वायत्त शासन विभाग है या पी. डब्ल्यू. डी. है या वन विभाग है, इन सारे विभागों से पूरा-पूरा विचार-विमर्श भी किया जाता है, उनकी राय ली जाती है और उनसे कार्डिनेट करके पर्यटन विभाग अपना कार्य करता है। इसलिए माननीय मंत्रीजी ने इस सम्बन्ध में विचार कर लिया है तो पर्यटन विभाग तो हर सम्भव सहयोग जो हम कर सकेंगे, वह करेंगे। तीसरा आपने कहा....

श्री अध्यक्ष : हो गया। श्री रामेश्वर जी भारद्वाज।

श्री कालीचरण सराफ : जवाब तो आने दें साहब।

श्री अध्यक्ष : वह भी पूछ लेते हैं। जयपुर का ही पूछ रहे हैं। वह उनका और जुड़ जायेगा।

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यहां की मूर्तिकला इतनी प्रसिद्ध है, क्या पर्यटकों को उसकी ओर आकर्षित करने के लिए उनकी कोई योजना है। यहां जैसा जवाब दिया गया है, गैटोर (जयपुर) में मूर्तिकला का बहुत सुन्दर स्थान है, परन्तु उसको इतनी घोर उपेक्षा है कि कई महत्वपूर्ण स्थान तो पर्यटकों को दिखाए ही नहीं जाते हैं, वहां पर ताले लगे हुए हैं। उस सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी ठीक से जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि....

श्री अध्यक्ष : हो गया। एक ही सप्लीमैंटरी, दो नहीं। आप बैठिये। मंत्री महोदया।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, गैटोर की छतरियों के सौन्दर्यीकरण और उस स्तर के विकास के लिए हमारे इस बजट में हमने उसका प्रावधान किया है। उसके लिए अभी स्वीकृति होनी शेष है, स्वीकृति होते ही उस पर क्रियान्वयन किया जायेगा।

श्री रामेश्वर भारद्वाज : नहीं, नहीं। वहां पर ताले लगे हुए हैं साहब, इसलिए दिखाने की व्यवस्था के लिए निवेदन कर रहा हूं वह पर्यटकों को दिखाए ही नहीं जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री कालीचरण सराफ : यह तो पूरा ही नहीं हुआ साहब। यह जवाब दे रही थीं आपने बीच में ही रोक दिया।

सुश्री पुष्पा जैन : जल महल के बारे में पूछा गया, जल महल की योजना सरकार के विचाराधीन है, क्योंकि हर विकास राज्य सरकार के द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है। हमारी आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए हमने यह तय किया है कि जल महल के विकास के लिए हम सरकार से अलग हटकर प्राइवेट संस्थाओं से योगदान लें। उनसे वार्तालाप चल रहा है और वार्तालाप होते ही इस पर विचार किया जायेगा।

Page No. 18

(18)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्रीमती उजला अरोड़ा ।....नेक्स्ट । श्रीमती उजला अरोड़ा ।....

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मुझे भी इसमें पूछना है ।

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द गुर्जर ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : प्रश्न संख्या 220 । माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर के मामले में आप मुझे नहीं पूछने दे रहे हैं ।....

श्री अध्यक्ष : जयपुर, राजस्थान नहीं है । बाकी राजस्थान इसमें पड़ा हुआ है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ठीक है, मान लेती हूं आपकी बात, लेकिन जयपुर का मुझे नहीं पूछने दिया इसका दुःख रहेगा ।

राजस्थान वित्त निगम की दण्डनीय ब्याज प्रणाली

220. **श्रीमती उजला अरोड़ा** : (जयपुर ग्रामीण) एवं

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अपने (इंस्पेक्शन) निरीक्षण के दौरान राजस्थान वित्त निगम की दण्डनीय ब्याज की प्रणाली को गलत माना है ? यदि हां, तो इस गलती के सुधार हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उद्योग मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : जी नहीं । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वर्ष 1990-91 की निरीक्षण रिपोर्ट प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है । प्रश्न ही नहीं उठता ।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, एक तो मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि क्या आपको विदित है कि फाइनेंस फार्मस शुड बी एवाइड टेक ओवर, यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप उनको दण्डनीय अपराध की संज्ञा न देकर उनकी फर्मों को टेक ओवर नहीं करेंगे ? क्या आपको इस फैसले का मालूम है । अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न यह है कि....

श्री अध्यक्ष : एक ही सप्लीमेंटरी । बैठिए आप ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, अगर प्रश्न को देखा जाय तो बिलकुल अलग हैं । इसमें आपने कहा है कि आई. डी. बी. आई. की कोई रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने आर. एफ. सी. को कहा है कि कोई पेनल इन्टरेस्ट वसूल न करें । जिस पर मैंने उत्तर स्पष्ट रूप से दिया है कि ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है । अब आप कहती हैं कि क्या इस प्रकार का हाई कोर्ट का जजमेंट है जिसके अन्दर इस प्रकार कहा गया है कि टेक ओवर नहीं करें । मैं समझता हूं कि प्रश्न बिलकुल अलग है । बहुत ही अलग है । अगर इस सम्बन्ध में पूछना है....

श्री अध्यक्ष : ठीक है । बैठए । दूसरा सप्लीमेंटरी पूछिए ।

श्रीमती उजाला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि क्या आपने कोई ऐसे नियम बनाए हुए हैं जिन पर विधान सभा की स्वीकृति ली हुई है कि आप इन रुग्ण इकाइयों को दण्डनीय अपराध की संज्ञा में मानते हैं, उनको टेक ओवर कर लिया जाय ? क्या इस प्रकार के नियमों को स्वीकृति विधान सभा से ली हुई है ? एक बात····

श्री अध्यक्ष : बस एक ही बात । बैठिए, दो नहीं पूछ सकती हैं, एक ही पूछ सकती हैं । अब आदत ऐसे ही सुधरेगी धीरे-धीरे ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या से नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न उनको करना है सिक यूनिट्स के बारे में, टेक-ओवर करने के बारे में या अन्य के बारे में तो वह अलग से प्रश्न उठाएं, अलग से चर्चा करें । यह प्रश्न ही बिल्कुल अलग है····

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए । श्री फूलचन्द गुर्जर ।····आपका समय समाप्त हुआ । श्री फूलचंन्द गुर्जर ।

श्रीमती उजाला अरोड़ा : आप मुझे पूछने दें ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं । 10 सवाल पूछते हैं अभी तो और 4–5 सवाल ही हुए हैं । बैठिए आप ।

श्री फूलचन्द गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जैसा जवाब दिया है कि जा नहीं और यह इन्सपेक्शन रिपोर्ट भी है, मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय गुण–दोष के आधार पर इस प्रणाली को सही मानते हैं ? यदि नहीं, तो इसमें सुधार करने के लिए कब तक कार्यवाही करने का विचार रखते हैं ? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि····

श्री अध्यक्ष : बस, बस बैठिए । हो गया ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने जानकारी चाही है, यह सच है कि आई. डी. बी. आई. ने इंस्पेक्शन किया था और उसकी पूरी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है लेकिन जो सुझाव आये हैं, जिसकी मैंने प्रतिलिपि आपको दी है उसमें इस प्रकार के दण्ड को हटाने के बारे में इस प्रकार का कोई सुझाव नहीं है । लेकिन अभी तक सन् 1983 से जो दण्ड लग रहा था जिसको दण्डनीय ब्याज नहीं कहते, लिक्विटी डेमेज रेट कहते हैं वह सन् 1983 से 7.5 पर्सेन्ट था, जिसको कि अप्रेल, 1991 से हमने केवल 5.25 पर्सेन्ट रख दिया है और मेरी मान्यता है कि जिस प्रकार का यह प्रावधान है, आर. एफ. सी. के द्वारा वित्त की हुई संस्थाओं द्वारा उस पैसे का दुरुपयोग न करें और बाजार रेट जिस प्रकार की है, बैंक रेट जो हमसे ज्यादा हाई हैं उसके कारण हमसे अनुचित लाभ नहीं उठाए, मैं अभी तक यह मानकर चलता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था उचित है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट्म श्री शिव किशोर सनाढ्य । (अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या 221 कृपया आगे देखें (व्यवधान) आप दो नहीं पूछ सकते हैं। बैठिए। श्री जुबेर खान।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद :....(व्यवधान) आपने तो पूछ लिया। बैठिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपकी आज्ञा से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रति सदन की मेज पर रखती हूं।

खादी ग्रामोद्योग संस्थाएं

222. श्री **जुबेर खान** (रामगढ़) व एवं **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (झुन्झुनू) **डा. चन्द्रभान** (मंडावा) : क्या खादी ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में खादी ग्रामोद्योग की अनुदानित संस्थाएं कुल कितनी हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) किन-किन संस्थाओं के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच विचाराधीन है? इनका निपटारा कब तक कर दिया जायेगा?

राज्य मंत्री खादी ग्रामोद्योग : (श्री मोहन मेघवाल) : (1) राज्य में खादी की 132 संस्थाएं एवं ग्रामोद्योग की 260 संस्थाएं अनुदानित हैं। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) खादी के अन्तर्गत निम्न संस्थाओं के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच विचाराधीन है :–

I गांधी आश्रम, सुजानगढ़।

II जोधपुर खादी ग्रामोद्योग परिषद्, जोधपुर।

जांच कार्य पूर्ण होने के पश्चात् निपटारे की कार्यवाही की जा सकेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने प्रश्न के खण्ड एक का जो उत्तर दिया है वह तो सही है लेकिन खण्ड दो का जो उत्तर दिया है वह सही नहीं है। आपने केवल दो खादी संस्थाओं के खिलाफ अनियमितताओं की शिकायत होना बताया है, यह उत्तर सही नहीं है। इसको तो आप जाच करवाएं और भी ऐसी संस्थाएं हैं। इसमें जो आपने उत्तर दिया है कि अनियमितताओं की जांच विचाराधीन है, यह जांच कब से विचाराधीन है और कौन सी एजेन्सी इसकी जांच कर रही है, इनमें क्या-क्या अनियमितताएं पाई गई हैं और इनका निपटारा कब तक कर दिया जायेगा।

श्री मोहन मेघवाल : राजस्थान में खादी की दो संस्थाएं हैं—सुजानगढ़ और जोधपुर की, इनकी जांच करीब-करीब हो चुकी है और इनकी जांच राजस्थान अन्वेषण ब्यूरो के अन्तर्गत चली गई है। वहां से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इनका निपटारा होगा।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कब से तो इनकी जांच आपके पास विचाराधीन है और इसमें क्या-क्या अनियमितताएं पाई गई हैं और यह तीनों चीजें एक साथ हैं?

श्री मोहन मेघवाल : जांच रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, अब मैंने जैसा कि तीन प्रश्न पूछे··

श्री अध्यक्ष : आपने कहा है कि जांच हो गई है, तो यह पूछ रहे हैं कि क्या अनियमितताएं पाई गई हैं ? (व्यवधान)····

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह अनियमितताएं आपके कार्य काल में हुई हैं या बाद में हुई हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपके कार्य काल की है। (व्यवधान)····

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सवाल यह नहीं है कि कब हुई हैं ? सवाल यह है कि अनियमितताएं हुई हैं और क्या-क्या हुई हैं और उनमें विलम्ब क्यों हुआ कार्यवाही करने में ?

श्री मोहन मेघवाल : इन संस्थाओं के सम्बन्ध में शिकायत श्री ओम प्रकाश वेदी द्वारा की गई थी और यह 1987–88 का मामला है और इसमें धोखाधड़ी हुई हैं, राशि का गबन किया गया है और इसकी जांच, प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट, इन्द्रदेव त्रिपाठी द्वारा की गई है। उसके तथ्य सही पाये गए। उसके बाद में यह जांच राजस्थान अन्वेषण ब्यूरो में चल रही है। इसकी जो भी कार्यवाही होगी उसके बाद में विस्तृत जांच रिपोर्ट आपके सामने अनुमति से प्रस्तुत कर दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, यह खुद मान रहे हैं कि 1987-88 में घोर अनियमितताएं हुई हैं और गबन हुआ है····फर्जीवाड़ा हुआ है और दूसरी तरफ आपने 1990–91 के लिए इसको पुनः अनुदान देने के लिए केन्द्रीय खादी कमीशन को सिफारिश क्यों की ? आप कार्यवाही तो कर नहीं रहे हैं, उसके लिए तो कहते हैं कि जांच विचाराधीन है और दूसरी तरफ आप नए सिरे से इसको अनुदान देने की सिफारिश कर रहे हैं। यह दोहरी नीति किसलिए है ?

श्री मोहन मेघवाल : हम लोगों ने कोई सिफारिश नहीं की है। न तो उनको ऋण दिया है, न अनुदान दिया है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपने रेफर किया है माननीय मंत्री महोदय, आप पता कर लें। आपने केन्द्रीय खादी आयोग को····(व्यवधान)····इसमें ताली बजाने की क्या बात हो गई। बड़ा अच्छा काम कर दिया आपने, सर्टिफिकेट दिलवा दीजिए। प्रश्न काल है यह, डिबेट नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आप पूछिए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो यही जानना चाहता हूं कि जब मन्त्री जी ने यह कहा कि अनियमितताएं सही पाई गई और उस पर जांच पूरी हो गई है। कब तक कार्यवाही कर लेंगे, क्या कार्यवाही करेंगे, जरा यह तो बताएं।

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो संस्थाओं की

संख्या बताई है इसमें मुझे इतना ही निवेदन करना है कि क्या इनके अलावा भी कोई संस्थाएं राजस्थान में काम कर रही हैं। क्या खादी कमीशन ने खादी संस्थाओं को मान्यता देने के लिए आपके विभाग को सिफारिश की है और उनको अनुदान देने के सम्बन्ध में क्या आप लोग विचार कर रहे हैं और उनके अनुदान के लिए क्या खादी कमीशन ने कोई शर्तें लगाई हैं? इसी के साथ में जो दो संस्थाओं की, जिनकी अनियमितताओं की आपने यहां चर्चा की है, कार्यवाही की बात है, इनमें जो लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?.... (व्यवधान)....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह भ्रष्टाचार का मामला है, तकलीफ नहीं होनी चाहिए।

डा. चन्द्रभान : जो इन दोनों संस्थाओं में कर्मचारी कार्यरत हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है? इनका अनुदान कितने समय से आपने रोक रखा है?

श्री मोहन मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, जो संस्थाओं के बारे में बात की, संस्थाओं के बारे में तो हर एक कोई शिकायत लिखकर के देता है लेकिन जब तक मैं सन्तुष्ट नहीं हो जाता तब तक उसकी कार्यवाही आगे नहीं होगी और जब मैं सन्तुष्ट हो जाऊंगा तो अधिकारी नियुक्त करके उसकी जांच करके उसकी कार्यवाही करूंगा। दूसरा पाइंट इन्होंने दिया था कि इनके बारे में क्या कार्यवाही की है तो ए. सी. डी. से जांच कम्पलीट हो जाएगी उसके बाद में दूसरी कार्यवाही आगे की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हीरालाल मीणा।

बौंली में मुन्सिफ न्यायालय की स्थापना

223. **श्री हीरालाल मीणा** (बामनवास) एवं **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर जिले की बौंली तहसील के कितने न्यायिक मामले मुन्सिफ न्यायालय, सवाई माधोपुर में विचाराधीन हैं?

(2) क्या पंचायत समिति, बौंली तहसील क्षेत्र के न्यायिक मामलों का निपटारा करने तथा सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने के लिए बौंली में ही मुन्सिफ न्यायालय खोलना न्यायिक दृष्टि से उपयुक्त है? यदि हां, तो अब तक न्यायालय क्यों नहीं खोला गया और कब तक खोलने का सरकार विचार रखती है?

राज्य मंत्री, विधि एवं न्याय (श्री शांतिलाल चपलोत) :

(1) बौंली क्षेत्र के कुल 1600 वाद सवाई माधोपुर मुख्यालय पर स्थित विभिन्न कोर्टों में विचाराधीन हैं।

(2) धनाभाव के कारण बौंली में मुन्सिफ कोर्ट खोलना सम्भव नहीं हुआ था या है। आगामी वित्त वर्ष में उक्त मामले में हाई कोर्ट को अनुशंषा के आधार पर विचार होगा।

श्री हीरालाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय

(श्री हीरालाल मीणा)

से यह पूछना चाहूंगा कि जो विचाराधीन मुकदमें चल रहे है, यह कब से चल रहे हैं? खण्ड दो में मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि सवाई माधोपुर जिले की तहसील बौंली में मुन्सिफ कोर्ट खोलना विचाराधीन बताया गया है, यह कब तक खुल जाएगा जिससे हमारे क्षेत्र की जनता को भी नजदीक न्याय मिल सकेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादीलालजी ।

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मै माननीय मन्त्री जी से पहली जानकारी तो यह लेना चाहूंगा कि बौंली पंचायत समिति और तहसील मुख्यालय दोनों हैं और वहां से सवाई माधोपुर, जहां इनके मामले विचाराधीन हैं, कितनी दूरी पर है । दूरी मेरी जानकारी में 70 और 80 किलोमीटर के लगभग वहां के गांवों की दूरी पड़ती है । जब आपने पिछले वर्ष न्यायालय खोले, आपने एक मापदण्ड तय किया था पंचायत समिति और तहसील मुख्यालय दोनों होंगे वहां पर हम खोलेंगे । जहां के ज्यादा मामले होंगे वहां पर भी खोलेंगे । माननीय मन्त्रीजी, 1600 मुकदमें इस अकेली तहसील के वहां पर विचाराधीन हैं । मैं तो अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि जब आगामी वित्तीय वर्ष में न्यायालय खोलेंगे तो क्या आप निश्चित तौर पर वहां न्यायालय खोलेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आप जोर लगाकर खुलवाइए ।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी चाहूंगा कि लालसोट का जो न्यायालय खुल गया, क्या उसके स्थान पर····।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री माहिर आजाद ।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो दिलवाइए ।

श्री अध्यक्ष : आ जाएगा, जब खोलने का आपने कहा, मैंने भी कह दिया जोर से कि अगली साल खुलना चाहिए ।

श्री परसादीलाल मीणा : जवाब तो दिलवाओ साहब, आप कहलवा दो उनसे ।

श्री अध्यक्ष : जवाब हो गया ना, अगली साल आप और हम मिलकर दोनों जोर लगाएगें ।

श्री परसादीलाल मीणा : आप कहलवा तो दो ।

श्री अध्यक्ष : जवाब हो गया, यह नहीं कह सकते, अनुशंषा हाई कोर्ट की करवानी पड़ेगी ।

श्री रामसिंह विश्नोई : अनुशंषा की जरूरत ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : रिकमण्डेशन हाई कोर्ट की होती है कोर्ट्स खोलने में, हाई कोर्ट की मांग पर ही खुलता है ।

श्री रामसिंह विश्नोई : वो तो ठीक बात है, पर सरकार की ओर से उसके लिए····।

श्री अध्यक्ष : हां, तो हाईकोर्ट जस्टिफाइ कर देगा कि केसेज यहां पर है तो हो जायेगा ।

सेवा निवृत्त कर्मचारियों की बीमा राशि का निपटारा .

224. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (झुन्झुनू) एवं **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) व **डा. चन्द्रभान** (मण्डावा) : क्या बीमा राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के कितने कर्मचारियों का राज्य बीमा विभाग में अंशदान जिलेवार जमा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि कुछ सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के मामले पत्रावलियों के खो जाने के कारण कई वर्षों से विचाराधीन हैं ? ऐसे लम्बित मामलों का विवरण सदन की मेज पर रखें । इसके लिए कौन कर्मचारी दोषी है तथा उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या झुन्झुनू के सहायक निदेशक के विरुद्ध अनियमितताओं की कोई शिकायत सरकार को प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, बीमा (श्री मान्धाता सिंह) :

(1) राज्य बीमा विभाग में राज्य के कुल 5,93,023 कर्मचारियों का अंशदान जमा हैं । जिलेवार सूची संलग्न है ।

(2) विभाग में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पत्रावलियां खो जाने के सम्बन्ध में समस्त जिला कार्यालयों से सूचना संकलित की जा रही है ।

(3) जी हां । सहायक निदेशक, झुन्झुनू के विरुद्ध अनियमितताओं के सम्बन्ध में स्थानीय समाचार पत्र-अभ्युदय के अंक दिनांक 1-12-90 एवं 5-12-90 में प्रकाशित समाचार पर जिला कलेक्टर, झुन्झुनू की टिप्पणी के अनुसार शिकायत सारहीन पाई गई है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी ने जो जो उत्तर दिया, इसके खण्ड दो में इन्होने उत्तर दिया है कि विभाग में सेवा निवृत्त कर्मचारियों की पत्रावलियां खो जाने के सम्बन्ध में समस्त जिला कार्यालय से सूचनाएं संकलित की जा रही हैं । यह कोई जवाब नहीं है । माननीय मन्त्रीजी, आपके इस कार्यालय की हालत यह है कि हजारों कर्मचारियों की पत्रावलियां खोई हुई हैं और रिटायरमेंट के पांच-सात वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक उनको भुगतान के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और कर्मचारी यह कर रहे हैं कि जो जाता है उसको कह देते हैं कि आपकी फाइल गुम हो गई.... ।

श्री अध्यक्ष : बोलने से कुछ नहीं होगा । एक मिनिट । देखिए इसलिए इस प्रश्न पर छूट दी गई है, इसको स्थगित नहीं किया गया है, यह सूचना संकलित करके आप या तो इसी सत्र में या इस सत्र के के तुरन्त बाद माननीय सदस्य को कहेंगे कि यह सूचना हमको प्राप्त हुई है । डाक्टर चन्द्रभान ।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, यह खण्ड तीन में मन्त्रीजी ने जवाब दिया है

(डॉ. चन्द्रमान)

कि अभ्युदय एक वहां का दैनिक पत्र है, उसकी शिकायत पर और बाद में कलेक्टर साहब की टिप्पणी पर इस मामले को रफा-दफा कर दिया गया था। मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या झुन्झुनू के स्थानीय विधायक ने भी इस सम्बन्ध में कोई शिकायत की थी और उसकी आपके विभाग ने जांच की, उसका क्या तथ्य है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री मान्धाता सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय जुबेर खानजी ने मुझे लिखित में तो नहीं, जुबानी कहा था, माहिर आजाद जी ने मुझे बताया था कि वहां की उसकी शिकायतें हैं। मैंने डाइरेक्टर को लिख दिया था। उन्होंने अपने स्तर पर जांच कराई और उन्होंने कहा कि इसकी कोई शिकायत नहीं पाई गई है। उसके बाद जब लोकल पेपर में भी निकला, कलक्टर को लिखा गया, कलक्टर ने रिपोर्ट दी, आप चाहे तो मैं कलक्टर की रिपोर्ट पढ़कर सुना दूं।

डा. चन्द्रमान : नहीं-नहीं मैं यह चाहता हूं कि जब आपने डाइरेक्टर साहब को इस सम्बन्ध में कहा तो डाइरेक्टर साहब ने क्या रिपोर्ट दी, इसका कहीं कोई हवाला नहीं है इस जवाब में।

श्री मान्धाता सिंह : वह निर्दोष पाया गया, उन्होंने मुझे यही कहा कि निर्दोष पाया गया है।

श्री अध्यक्ष : उसी से एग्जामिनेट किया है, यह डाइरेक्टर की रिपोर्ट से ही उस शिकायत में कोई तन्त नहीं पाया गया है।

डा. चन्द्रमान : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि इस जवाब में यह कुछ भी नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : लास्ट पैरा में है।

डा. चन्द्रमान : केवल कलक्टर साहब की टिप्पणी आई है। विधायक की शिकायत के बारे में, डाइरेक्टर की रिपोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं दिया है जवाब में। खण्ड तीन में देखिए अध्यक्ष महोदय, आप।

श्री अध्यक्ष : कलक्टर की रिपोर्ट है, डाइरेक्टर ने जांच की क्या ?

डा. चन्द्रमान : टिप्पणी है कलक्टर की।

श्री मान्धाता सिंह : डाइरेक्टर ने निर्देश देकर जांच करवाई है। डाइरेक्टर खुद नहीं गए साहब।

डा. चन्द्रमान : यहीं तो हम चाहते है कि डाइरेक्टर खुद जाए।

श्री अध्यक्ष : आप जांच इसकी और कर लेना। श्री रामस्वरूप, एक आखिरी सवाल और हो जाए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, लिखित में भी मेरा रेफरेन्स आया, आश्वासन तो दिलाए।

श्री अध्यक्ष : दुबारा जांच करवा लेंगे वह, उन्होंने आश्वासन दिया है।

श्री मान्धाता सिंह : माननीय सदस्य मुझे बता दें कि इनके विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें हैं, वह मुझे लिखकर दे दें। मैं जांच करवा लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री रामस्वरूप ।

टोंक शहर का गऊ वध प्रकरण

225. श्री रामस्वरूपमीणा (टोडाभीम) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि टोंक शहर में गत तीन वर्षों में गायों को काटने की घटना घटित हुई है ? यदि हां, तो कितनी गायों को काटा गया व घायल किया गया ? गायों को काटने में कौन-कौन से हथियारों का प्रयोग किया गया ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या गायों को काटने के सम्बन्ध में पुलिस कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई ? यदि हां, तो किन लोगों द्वारा ? एफ. आई. आर. की नकल सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि इन काटी गई गायों में से कुछ मर भी गई हैं ? यदि हां, तो कितनी गायें किस कारण से मरी ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि गायों के काटने वालों को गिरफ्तार किया गया ? यदि हां, तो नामों की सूची सदन की मेज रखें । यदि नहीं, तो कब तक गिरफ्तार कर लिया जायेगा ?

राज्य मंत्री, विधि (श्री शांतिलाल चपलोत) : (1) टोंक शहर में गत तीन वर्षों में गायों को आलाधार से मारपीट करने की दो घटनायें घटित हुई हैं । प्रथम सूचना क्रमांक 211/90 व 43/92 धारा 3 आर.पी.सी. सी.ए. एक्ट की प्रतियां परिशिष्ट "क" व "ख" संलग्न है ।

(2) जी हां, श्री मोहम्मद शरीफ द्वारा मु. नं. 211/90 तथा श्री सीताराम नामक व्यक्ति द्वारा मु. नं. 43/92 दर्ज कराया गया । प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) जी, नहीं ।

(4) मु. नं. 211/90 दिनांक 29-6-90 में अनुसंधान के दौरान यह पाया गया कि बछड़ा वगैरह पर चोटें आला कुन्द से आई हैं । इसी कारण इस अभियोग में दिनांक 29-7-90 को अंतिम रिपोर्ट (अदम वकुआ) दे दी गई है ।

(प्रतियां अस्पष्ट होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा ।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, मामला बड़ा गम्भीर है ।

श्री अध्यक्ष : सवाल पूछिये आप, एक सवाल पूछिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : एक ही सवाल पूछ रहा हूं । मेरा यह निवे: है कि, पहला सवाल मेरा यह है कि जो गायें कटी या जिसकी रिपोर्ट दर्ज हुई उसके बारे में कितने मुल्जिमों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार किया गया तो क्यों छोड़ दिया गया ? और इसके बारे में कितने व्यक्तियों के खिलाफ चालान हुआ या नहीं हुआ अगर चालान नहीं हुआ तो अब क्या मंत्री महोदय यह विचार रखते हैं कि उनके

(श्री रामस्वरूप मीणा)

चालान किये जायेंगे या जिन्होंने गायों को काटा उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । मंत्रीजी बोलिये ।

श्री शांतिलाल चपलोत : अध्यक्ष महोदय....

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मैं भी पूछना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये....(व्यवधान)

श्री शान्तिलाल चपलोत : अध्यक्ष महोदय, मोहम्मद शरीफ ने एक जुबानी इत्तला दी कि उन्होंने....

श्री अध्यक्ष : इन्होंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए कि गायें कटने पर कितने मुल्जिमों को गिरफ्तार किया गया, या छोड़ दिया तो क्यों छोड़ा। इसका जवाब दीजिए आप ।

श्री शांतिलाल चपलोत : उसमें दो तीनों की जो बातें की गयी है। अध्यक्ष महोदय, एक में तो बेम्बई वाले लोगों के खिलाफ कहा था उसमें अन्तिम प्रतिवेदन दिया गया और दूसरे में दिनांक 6-2-1992 का जो केस है उसमें जांच चल रही है और सात गायों पर कुछ हथियार से मार करने की बात कही गयी है उसमें अवश्य गिरफ्तारियां की जायेंगी और उसका अन्वेषण अभी चल रहा है....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये । वह सवाल पूछ रहे हैं । मैं किसी को टाइम नहीं दूंगा। बिराजिये आप ।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा सीधा सवाल है कि आपने कहा कि गिरफ्तारी की जायेगी । मैं कहता हूं कि अब तक गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई ? मामला कब का है और कितने दिन हो गये । एक मामले में आपने कहा कि एफ. आर. दे दी गयी तो ऐसे गम्भीर मामले में जो एफ. आर. दे दी गयी है उसके बारे में आप पुनः जांच करवा रहे हैं या कोई कार्यवाही उसके खिलाफ कर रहे हैं और क्या ऐसी नीति बना रहे हैं कि आइन्दा इस तरह नहीं करें ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ।

श्री शान्तिलाल चपलोत : अध्यक्ष महोदय, मोहम्मद शरीफ ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें यह पाया गया कि यह गलत हो गया है और केवल खरोंचे उसके आई है ज्यादा नहीं लगी है इसलिए किसी के खिलाफ केस नहीं बना । दूसरे केस में जरूर इन्क्वायरी चल रही है इससे पूर्व के वर्ष 89 में, लोगों के खिलाफ चालान पेश किये गये हैं। तीन साल के हिसाब से मांगा है तो तेजाब डालने की जो घटनायें हुई उसमें एक चालान पेश किया श्री मोहनलाल माली के विरुद्ध चालान पेश किया गया....

श्री महावीर प्रसाद जैन : घटनायें लगातार हो रही है और उसमें....

श्री अध्यक्ष : आपको बोलने नहीं दिया जायेगा । आप जवाब क्यों नहीं सुनते ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : उसमें एक

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

में तो एफ. आर. लगा दी और किसी को आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठिये । आप सुनिये पहले । प्लोज सिट डाउन ।

श्री शान्तिलाल चपलोत : एक सन् 1990 का केस और था उसमें गाय और बछड़े को जहर देने की बात आई थी उसमें यह बात असत्य निकली और अदम वकुआ में एफ. आर. दे दी गयी । एफ. आर. आई. आर. 13–91 को अथफुर रहमान पर रिपोर्ट पंजीकृत हुई उसने यह कहा कि मेरे सांड को कुये में गिरा दिया है ।

श्री अध्यक्ष : आप देरी का कारण पूछ रहे हैं देरी क्यों हुई यह पूछ रहे हैं आपसे ।

श्री शान्तिलाल चपलोत : इन दोनों के लिए ही तो मैं कह रहा हूं कि जांच चल रही है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप इसका जवाब दें तो दो केसेज के बारे में मंत्री महोदय से रिप्लाई....

श्री अध्यक्ष : इस सवाल को मैं स्थगित करता हूं ।

(प्रश्न संख्या 225 स्थगित किया गया ।)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 212 स्थगित)

खण्डेला एवं नीमकाथाना के खनिज

213. **श्री सांवरलाल** : (भिनाय) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) नीमकाथाना एवं खण्डेला (सीकर) में क्या-क्या खनिज पदार्थ किस किस्म के पाये जाते हैं ?

(2) क्या उक्त खनिजों का "खनिज लेबोरेट्री" में परीक्षण हुआ है ? यदि हां, तो किस्म के बारे में क्या परिणाम आये ?

(3) उस क्षेत्र के पट्टाधारियों के नाम एवं खनिज किस्म की सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) नीमकाथाना एवं खण्डेला (सीकर) में लाईमस्टोन, केलसाईट, डोलोमाईट, क्वार्टज, चायनाक्ले, आयरन ओर, फैलसपार, ऐपेटाइट, (फास्फेट) पाईराईट (सलफर ओर) फ्लोराईट, सिलिकासैण्ड, एब्रेसिव गारनेट, बेराइट, यलोओकर एवं मार्बल, ग्रेनाईट, चेजापत्थर, ईट मिट्टी आदि पाये जाते है । उक्त खनिजों में लाईमस्टोन चूना एवं सीमेंट बनाने के उपयुक्त श्रेणी का है । केलसाईट, क्वार्टज, चायनाक्ले फैलसपार, फ्लोराईट, अच्छी एवं साधारण श्रेणी के हैं । आइरन ओर, पाइराइट, डोलोमाईट, ऐपेटाइट, बेराईट, सिलिकासैण्ड, यलोओकर निम्न श्रेणी से साधारण श्रेणी के हैं । गारनेट

(श्री सांवरलाल)

अधिकांश रूप से एब्रेसिव किस्म का है परन्तु सेमी-जैम क्वालिटी के गारनेट के संकेत भी कभी-कभी पाये जाते हैं। मार्बल एवं ग्रेनाइट कहीं-कहीं पर अच्छी किस्म के हैं परन्तु अधिकांशतः साधारण किस्म के हैं। चेजा-पत्थर एवं ईट मिट्टी भी उपयोगी किस्म के हैं।

(2) उक्त सभी खनिजों का खनिज लेबेरेट्री में परीक्षण नहीं हुआ है। जिन खनिजों के लिए पूर्वेक्षण एवं सर्वेक्षण खान एवं भू-विज्ञान विभाग राज., भारत सरकार के भू-सर्वेक्षण विभाग एवं भारत सरकार के प्रतिष्ठान मैसर्स पाइराइट फास्फेट एण्ड केमीकल्स लिमिटेड (पी. पी. सी. एल) द्वारा किया गया है केवल उन खनिजों का परीक्षण खनिज लेबोरेट्री में हुआ है अन्य खनिजों के क्षेत्र जो निजी पट्टाधारियों के हैं उनमें परीक्षण नहीं किया गया है। जिन खनिजों का परीक्षण हुआ है उनको किस्म के बारे में परिणाम निम्न प्रकार से हैं रहे हैं :—

1. एपेटाइट (फास्फेट खनिज) में 5 से 15 प्रतिशत तक फास्फोरस पेन्टाआक्साइड (पी 2 ओ 5) है।

2. केलसाईट में केल्सियम कारबोनेट की मात्रा 95 प्रतिशत से अधिक पाई गई।

3. फ्लोराईट में केल्सियम फ्लोराईट की मात्रा 9 से 18 प्रतिशत तक पाई गई है।

4. लाईमस्टोन में केल्सियम आक्साइड 41 से 51 प्रतिशत तक गया है।

5. आइरन ओर में आइरन की मात्रा 47 प्रतिशत तक पाई जाती है।

6. पाइराइट (सल्फर ओर) में औसत 20 प्रतिशत सल्फर की मात्रा पाई गई।

(3) खनन पट्टाधारियों के नाम एवं खनिज के नाम संलग्न सूची में हैं। जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

निम्बाहेड़ा का डी. जे. कोर्ट

214. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि निम्बाहेड़ा में सरकार द्वारा वर्ष 1991 में डी. जे. कोर्ट खोला गया है ?

(2) क्या डी. जे. कोर्ट की सीमा तय कर उसमें पांच तहसीलें निम्बाहेड़ा, डूंगला, भदेसर, छोटी सादड़ी व बड़ी सादड़ी को शामिल किया गया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि बाद में इसमें से छोटी सादड़ी को इस सीमा से निकाल दिया गया है ? यदि हां तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श के आधार पर तथा जनहित को

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

ध्यान में रखते हुए छोटी सादड़ी व बड़ी सादड़ी को अपर जिला न्यायालय निम्बाहेड़ा की सीमा से निकाला गया।

उदयपुर की सीवरेज योजना पर व्यय

215. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

उदयपुर की सीवरेज योजनान्तर्गत अब तक कुल कितना व्यय किया और शहर के किस-किस क्षेत्र में इस योजना को लागू किया गया है? इस योजना के अन्तर्गत जल निस्तारण की क्या व्यवस्था है?

उत्तर

उदयपुर सीवरेज योजना पर अब तक कुल 253·50 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है। योजना के अन्तर्गत चारदिवारी का कुछ भीतरी क्षेत्र, हिरन मगरी सेक्टर नं. 3 व 4 का कुछ क्षेत्र तथा उत्तर-पूर्व व दक्षिण पूर्व में बसी लगभग 9 कालोनियों में आंशिक रूप से सीवर लाइनें डाली गई हैं। निस्तारित जल को मनवा खेड़ा के निकट आयड़ नदी में छोड़ा जाता है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

आवासन मण्डल द्वारा विधायकों को आवास आवंटन

318. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधायकों को प्राथमिकता के आधार पर आवासन मंडल के मकान देती है? यदि हां, तो अब तक किस किस विधायक को कहां-कहां मकान दिये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या शेष रहे विधायकों को सरकार आवासन मंडल के मकान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

मालवीयनगर, जयपुर में सड़कों का डामरीकरण

319. **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार) : क्या नगरीय आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मालवीय नगर, जयपुर की आवासीय कालोनीज में आवासन बोर्ड द्वारा निर्मित सैक्टर्स में सड़कें कब-कब बनवाई गयी थी एवं कब-कब डामरीकरण किया गया?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सैक्टर्स में सड़कों पर बड़े-बड़े खड्डे हो रहे हैं, सड़कों पर जगह-जगह मिट्टी जमा है तथा प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं?

(3) क्या सरकार उक्त सड़कों पर डामरीकरण करवाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त आवासीय कालोनियों की सड़कों का कब तक डामरीकरण करवा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) मालवीय नगर की सड़कों के बारे में सूचना निम्न प्रकार से है :—

	निर्माण वर्ष	डामरीकरण वर्ष
सैक्टर 1 से 4	1879 से 80	1980–81
सैक्टर 5 से 8	1980 से 82	1984 से 1986
सैक्टर 9 से 13	1984 से 85	1985 से 1986

(2) उक्त कारण से किसी प्रकार की दुर्घटनाओं की सूचना नहीं है।

(3) मालवीय नगर में मण्डल द्वारा सड़कों का डामरीकरण का कार्य प्रगति पर है।....

विधान सभा क्षेत्र, बनीपार्क में निर्माण कार्य

320. **श्री राजपालसिंह शेखावत** (बनीपार्क): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :....

(1) बनीपार्क विधान सभा क्षेत्र में गत दो वर्षों में कहां-कहां सड़कों-नालियों, रोड-लाइटों का कार्य हुआ है ?

(2) उपरोक्त कार्य में कुल कितने किलोमीटर सड़क एवं नालियों का निर्माण हुआ है ?

(3) आगामी वर्ष उपरोक्त मदों में क्या भावी विकास की योजनायें सरकार रखती है ?

उत्तर

(1) बनीपार्क विधान सभा क्षेत्र में गत दो वर्षों में सड़कों, नालियों व रोड लाइटों का जहां-जहां निर्माण कार्य हुआ है उसका विवरण निम्न है :—

सड़क निर्माण एवं नाल निर्माण—: सैक्टर नम्बर—1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26 एवं 28 की विभिन्न सैक्टर रोड का निर्माण कार्य किया गया है। गृह निर्माण सहकारी क्षेत्र की योजनाओं में महेशनगर, नन्दपुरी, दयालनगर, श्री गोपालनगर, गोपालनगर, गोपालनगर 'ए', रेलनगर, श्यामनगर, श्यामनगर विस्तार, सरतीनगर, सिविल लाईन्स गृह निमाण, सूरजनगर, बरवाड़ा हाउस, बोम्बे वालों का बाग, मैसूर हाऊस, अजमेरल हाउस, शर्मा कालोनी, गीजगढ़ विहार, रामनगर, अर्जुनपुरी, गौरव नगर, देवनगर, अम्बेडकर नगर, महेश कालोनी, मीणा कालोनी, प्रतापनगर, सैन कालोनी, वसुन्धरा कालोनी, किर्तीनगर, नटराज नगर, बरकत नगर, मधुवन कालोनी, महावीर नगर, विश्वेसरिया विस्तार, लाखनपुरी, कृष्णानगर, मंगल विहार ति बाड़ी जी का हत्था, तारा नगर, शान्तीनगर, तारानगर (अ), रामनगर, प्रतापनगर, गुरु जम्भेश्वर नगर, हनुमाननगर, खादी कालोनी, शालीमार बाग, मान नगर, हीरा नगर,

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

मीणा कालोनी, विद्युतनगर व शांति नगर, टैगोर नगर, प्राधिकरण की योजना लाल कोठी, वैशाली त्रिवेणी एवं सी-स्कीम में भी कार्य सम्पादित किया गया है। प्राधिकरण की कच्ची बस्ती से हथरोई पी. एण्ड टी. बड़ोदिया बस्ती, धानका बस्ती, नायकों का मोहल्ला जमना नगर में उपरोक्त कार्य सम्पादित किये हैं।

रोड लाइट : जिन क्षेत्रों में रोड लाईट का कार्य किया है उसमें हथरोई पी. एण्ड टी. वैशाली नगर, हथरोई बावड़ी, अजमेर रोड, लाल कोठी, शमशान के सामने वाली रोड पर कार्य सम्पादित किया गया है।

(2) सड़क व नालियों की लम्बाई का विवरण निम्नानुसार है :—

सड़क—112·19 किलोमीटर

नालियां—24·40 किलोमीटर

(3) जी हां।

विद्याधर नगर, जयपुर में सड़कों का डामरीकरण

321. **श्रीमती कमला भील** (सागवाड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विद्याधर नगर ए, बी, सी एवं डी ब्लाक को बसाये हुए कितना समय हो गया है एवं तत्समय प्राधिकरण द्वारा क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध करवाई गई ? वर्तमान में क्या-क्या सुविधायें हैं और इनकी क्या स्थिति है ?

(2) क्या यह सही है कि काफी लम्बे अन्तराल के पश्चात् भी सड़कों, नालियों, सीवरेज लाइनों का पुनरावलोकन कर मरम्मत एवं सुधार नहीं किया गया है ? यदि हां तो क्यों ?

(3) क्या उक्त ब्लाक्स में जीर्ण-शीर्ण सड़कों का डामरीकरण, मरकरी लाइट्स की व्यवस्था, नई सीवरेज लाइन डालने एवं नालियों की मरम्मत एवं विस्तार की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विद्याधर नगर ए, बी, सी एवं डी ब्लाक वर्ष 1982-83 में तत्कालीन पुनर्वास विभाग द्वारा बनाये गये थे इन ब्लाकों में सड़कें, नालियां, बिजली, जल व्यवस्था, रोड लाइटें, दुकानें, प्राइमरी स्कूल, राम लीला मैदान एवं पार्क बनाये गये थे जिससे सम्बन्धित सुविधायें अभी भी उपलब्ध हैं।

(2) सड़क एवं नालियों की मरम्मत आवश्यकतानुसार करवाई जाती है। इन ब्लाकों में सीवर लाईन नहीं है ?

(3) उक्त ब्लाकों में नई सिवर लाईन डालने लगाने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है। प्रकाश व्यवस्था हेतु उचित प्रबन्ध कर दिये जायेंगे। सड़कों पर डामर की हुई है व मरम्मत का अगले वित्तीय वर्ष में प्रावधान है। नालियों की मरम्मत आवश्यकतानुसार कराई जाती है।

हिरणमगरी उदयपुर में विकास कार्य

322. **श्री शिव किशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री शिव किशोर सनाढ्य)

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर की हिरणमगरी योजना में सैक्टर-8 से सैक्टर 9 के बीच 100 फीट चौड़ी लिंक सड़क प्रस्तावित है ? यदि हां, तो यह सड़क अब तक क्यों नहीं बनी है तथा इसे कब तक पूरा किया जायेगा।

(2) क्या यह भी सही है कि हिरणमगरी योजनाओं में प्रन्यास ने वहां के निवासियों से सैक्टर्स के विकास हेतु विकास शुल्क के नाम पर कोई शुल्क लिया है ? यदि हां, तो कुल कितनी राशि प्राप्त की है ?

(3) उदयपुर की हिरणमगरी योजना में प्रन्यास द्वारा निर्मित सैक्टर्स में कितने सैक्टर्स ऐसे हैं जहां पानी, बिजली एवं सड़कों की सुविधायें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा दी गई है ?

(4) उदयपुर की हिरणमगरी सैक्टर योजनाओं में प्रन्यास द्वारा कितने पार्क बनवाने प्रस्तावित किये थे तथा उनमें से अब तक कितने पार्क विकसित किये जा चुके हैं ?

(5) प्रन्यास ने सत्र 1991-92 में कुल कितनी राशि उदयपुर के विकास एवं सौंदर्य पर खर्च की है ?

उत्तर

जी हां, भूमि अवाप्ति पूर्ण नहीं होने के कारण सड़कों का निर्माण नहीं किया गया है। यह सड़क अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण होने पर निर्माण करवाई जा केगी।

(2) जी नहीं, यह सही नहीं है कि न्यास द्वारा हिरणमगरी योजनाओं के सैक्टरों के विकास हेतु वहां के निवासियों से कोई विकास शुल्क लिया जाता है।

(3) न्यास की हिरणमगरी से. न. 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 18 सेन्ट्रल ऐरिया इत्यादि में पानी, सड़क, नाली का विकास कार्य पर्याप्त मात्रा में किया जा चुका है। हिरणमगरी से. 9 एवं 14 में पानी की सुविधा हेतु हैण्डपम्प लगाये हुए हैं। पर्याप्त सुविधा हेतु जलदाय विभाग को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तखमीने की स्वी. जलदाय विभाग को अभी मुख्य अभियन्ता से प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होने पर कार्य किया जायेगा। सड़क आदि की सुविधायें उपलब्ध है।

(4) न्यास की हिरणमगरी योजना के सैक्टरों में कुल 80 पार्क प्रस्तावित किये गये थे। इनमें से 35 पार्कों की दीवारें बनवाई जा कर वृक्ष आदि लगाये जा कर विकसित किये गये हैं।

(5) न्यास द्वारा सत्र 1991-92 में उदयपुर के विकास एवं सौन्दर्य पर दिनांक 20.2.92 तक 3, 20, 66, 523/- रु. खर्च किये हैं।

जोधपुर की मानजी के हत्थे की व्यावसायिक योजना

323. **श्री अब्दुल हादी** (चौहटन) एवं **श्री मदनलाल सैनी** (गुढ़ा) : क्या नगरीय विकास एव आवासन मन्त्री य ह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार

(श्री मदनलाल सैनी)

न्यास, जोधपुर ने दिनांक 21-11-82 को मानजी के हत्थे की व्यावसायिक योजना में 3,750 वर्गमीटर का एक भू-खण्ड सिनेमा भवन के लिये एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को नीलामी द्वारा लगभग 43 लाख रुपये में विक्रय किया था ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त निलामी की शर्तों एवं राजस्थान नगर सुधार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उक्त क्रेता को दिनांक 21-11-82 से लगभग 4.3 लाख रुपये वार्षिक किराया एवं तीस हजार रुपये वार्षिक लीज अर्थात् कुल 4.6 लाख रुपये वार्षिक न्यास को जमा कराने थे ?

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त कम्पनी में उक्त किराया एवं लीज के ब्याज सहित दिनांक 31-5-86 तक कुल रुपये 17,00,300/- बकाया होते हैं जिसकी आपत्ति लोकल फण्ड आडिट विभाग द्वारा न्यास के वर्ष 1984-85 की आडिट रिपोर्ट के आक्षेप संख्या (5) में की थी, परन्तु उन्होंने मामूली धनराशि इस पेटे आज तक जमा कराई है एवं सिनेमा भवन निर्माणाधीन है ?

(4) उपरोक्त आडिट आक्षेप एवं इस सम्बन्ध में पिछले आडिट आक्षेप की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखें एवं उक्त क्रेता से बकाया धनराशि मय ब्याज के कब तक वसूल कर ली जायेगी एवं सम्बन्धित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कब तक क्या दण्ड की कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि दिनांक 21-11-82 को मानजी का हत्था की व्यावसायिक योजना में 4343·07 व. मी. सिनेमा भू-खण्ड दिनांक 21.11.82 को नीलामी द्वारा 43,47,413·10 में श्री मुकनचन्द मरुधर थियेटर के नाम से विक्रय किया गया।

(2) जी हां, यह सही है कि उपरोक्त नीलामी की शर्तों एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उक्त क्रेता को दिनांक 21.11·82 से 4,34,741·23 भूमि का किराया व लीज 44,226·66 कुल 4,68,967·97 रुपये न्यास कार्यालय में वार्षिक जमा करवाने थे।

(3) जी हां, यह सही है कि उक्त कंपनी में उक्त किराया एवं लीज के ब्याज सहित दिनांक 31·5·86 तक रु. 19,28,275·25 बकाया बनते हैं। जिसकी आपत्ति लोकल फण्ड आडिट आक्षेप सं. 5 में की है। परन्तु 4,68,162 रुपये जमा कराये हैं और सिनेमा भवन निर्माणाधीन है।

(4) सम्बन्धित आडिट की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है। मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने व मूल पत्रावली राज्य अन्वेषण ब्यूरो के पास जांच में विचाराधीन होने के कारण बकाया राशि मय ब्याज वसूल नहीं की जा सकी।

(प्रतिलिपि विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विद्याधर नगर, जयपुर स्थित ब्लाक्स के रिक्त आवास

324. **श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा):**

(श्रीमती कमला भील)

क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विद्याधर नगर स्थित ब्लाक ए, बी, सी एवं डी में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के कितने व्यक्तियों को आवास आवंटित किये गये थे ? व्यक्तियों के आवंटित आवासों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवंटियों में से कितने व्यक्तियों ने कब्जा सम्भाल लिया है और कितने वर्तमान में स्थित हैं ? प्राधिकरण द्वारा कितने आवंटियों के आवास निरस्त किये गये हैं ? पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) निकट भविष्य में रिक्त आवासों को अन्य को आवंटित करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विद्याधर नगर स्थित ब्लाक ए, बी, सी एवं डी में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए 2000 क्वार्टर आवंटित किये गये थे। उनकी सूची परिशिष्ट 'क' सदन के पटल पर रख दी है।

(2) सभी आवंटियों ने कब्जा सम्भाल लिया है। किसी भी आवंटी का आवंटन निरस्तर नहीं किया है।

(3) रिक्त क्वार्टरों को निम्न आय वर्ग के ऐसे व्यक्तियों को जो कच्ची बस्ती के विकास कार्य में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं उन्हें प्रशासनिक निर्णयानुसार आवंटित किये जाते हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्न संख्या 325

(स्थगित)

हनुमानगढ़ टाउन की विवादास्पद भूमि

326. **श्री भैरूलाल बैरवा** (शाहपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बगड़ावतसिंह एडवोकेट (अग्रवाल धर्मशाला के पास) हनुमानगढ़ टाउन के आवास के आगे की भूमि नगर परिषद, हनुमानगढ़ ने राजस्थान नगर पालिका नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 23 के तहत खांचा भूमि मानकर नियमित की है ? यदि हां, तो इसका पंजीयन कब हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग न. एस. एच. 7ए का हिस्सा है जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि हैं व नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती ?

(3) क्या सरकार नगर परिषद के अधिकारियों को उक्त प्रकरण में दोषी मानती है ? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों व कर्मचारियों को व इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, पंजीयन दिनांक 14-3-90 को हुआ।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) जी हां।

(3) इस प्रकरण की जांच करने के आदेश जारी किये जा रहे हैं। जांच के बाद दोषी पाये जाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

नगर परिषद् जोधपुर में कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति

327. **श्री अनंग कुमार जैन** (झालरापाटन): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्ष 1986 में नगर परिषद, जोधपुर में से निकाले गये कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारियों को नगर परिषद के प्रस्ताव पर पुनः नौकरी में लेने के आदेश दिये गये हैं? यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं?

(2) क्या परिषद के किसी अधिकारी ने इस प्रकार से अवैध नियुक्त कर्मचारियों को वापस हटाने अथवा जिन कर्मचारियों के अधिकारों को छीना गया अथवा जिनके मामले विभिन्न अदालतों में विचाराधीन हैं, को निपटाने के सम्बन्ध में राय दी थी? यदि हां, तो इस प्रकरण में अब तक नगर परिषद अधिकारियों तथा राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? सम्पूर्ण तिथिवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, ऐसे सात कर्मचारी हैं।

(2) नगर परिषद के विधि अधिकारी ने इस विषय में अपनी राय प्रशासक, नगर प्ररिषद को दी। पुनर्नियुक्ति को कुछ कर्मचारियों ने न्यायालय में चुनौती दी है जो विचाराधीन है। न्यायालय के निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाना सम्भव हो सकेगा।

परदेशी कालोनी, प्रतापगढ़

328. **श्री रखबचन्द मीणा** (प्रतापगढ़): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले की प्रतापगढ़ नगरपालिका की परदेशी कालोनी में आबकारी रोड पर महालक्ष्मी क्रय-विक्रय समिति के पीछे खसरा नं. 1196 के आसपास श्री भगवान जी माली पिता नानूराम जी माली द्वारा कृषि भूमि के आवासीय प्लाट पन्द्रह-पन्द्रह प्लाटों के समूह में काट कर बेचे जा रहे हैं?

(2) यदि हां, तो इस कालोनी में नियानुसार बीस फीट के रोड क्यों नहीं रखवाये गये?

(3) वहां बीस फीट का रोड छोड़े बिना अवैध रूप से भवन निर्माण को क्यों नहीं रोका जा रहा है?

(4) इस पांच-छः बीघा क्षेत्र में पानी के बहाव के विपरीत आड़े प्लाट नियम के विरुद्ध काटने पर भूमि रूपान्तरण को क्यों नहीं रोका गया? इस हेतु जिम्मेदार तहसीलदार और अधिशासी अधिकारी, नगर. पालिका भूमि रूपान्तरण अधिकारी एस. डी.ओ., प्रतापगढ़ के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

(5) क्या सरकार भविष्य में इस कालोनी क्षेत्र में नियमानुसार निर्माण का पुख्ता प्रबन्ध करेगी?

उत्तर

(1) नगरपालिका, प्रतापगढ़ में श्री भगवान पिता नानूराम माली के खाते की आराजी नम्बर 1096, 1097, 1098, 1099, 1101 में प्लाट 6, 7, 8, 13 के समूहों में काटे जाकर बेचे गये हैं।

(2) नगरपालिका द्वारा जारी अनापति प्रमाण-पत्र में बीस फीट चौड़ा रोड़ आवागमन हेतु रखाई गई थी।

(3) भवन निर्माण हो चुके हैं। वर्तमान में निर्माण कार्य नहीं हो रहे हैं।

(4) नियम विरुद्ध निर्माण नहीं रोकने के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच कर कार्यवाही की जावेगी।

(5) भविष्य में नियमानुसार निर्माण के सम्बन्ध में निर्देश दिये जा चुके हैं।

स्वास्थ्य निरीक्षकों के रिक्त पद

329. **श्रीमती तारा भंडारी** (सिरोही) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य की नगरपालिकाओं व नगर परिषदों में स्वास्थ्य निरीक्षकों के कितने पद रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार ने 1980, 1984 और 1989 में स्वास्थ्य निरीक्षकों के पद भरने के लिए आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये थे?

(3) इन पदों के लिए कितने आवेदन पत्र राज्य सरकार को प्राप्त हुए और कितने आवेदकों को नौकरी दी गई? यदि नहीं दी गई तो इसके क्या कारण रहे?

उत्तर

(1) राज्य की नगरपालिकाओं व नगर परिषदों में स्वास्थ्य निरीक्षकों के 20 पद रिक्त हैं।

(2) वर्ष 1984 में अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन आयोग, जो अब विघटित है, द्वारा स्वास्थ्य निरीक्षकों के पद भरने हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे। सरकार द्वारा वर्ष 1980, 1989 में कोई आवेदन पत्र आमन्त्रित नहीं किये गये।

(3) वर्ष 1984 में इन पदों के लिए 617 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। आयोग के विघटन होने से उक्त पदों के लिए किसी को चयनित नहीं किया गया।

बारां नगरपालिका का निरीक्षण

330. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या तात्कालीन स्वायत्त शासन राज्य मंत्री ने सन् 1991 में बारां नगरपालिका का अकस्मात निरीक्षण किया था? यदि हां, तो क्या-क्या अनियमिततायें पाई गई तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? जांच की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

दिनांक 5-12-91 को स्वायत्त शासन राज्य मंत्री महोदय द्वारा बारां नगरपालिका

(स्वायत्त शासन मंत्री)

का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। उनके द्वारा किये गये निरीक्षण की रिपोर्ट अथवा कोई टिप्पणी नगर पालिका को प्राप्त नहीं हुई है जिससे किसी कर्मचारी/अधिकारी को दोषी पाया जाता हो।

बांदीकुई नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत रिक्त दुकानों का किराया

331. **श्री रामकिशोर सैनी** (बांदीकुई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नगरपालिका बांदीकुई के पास कुल स्वयं के स्वामित्व की कितनी दुकानें हैं ? यह दुकानें किन-किन व्यक्तियों को कब से कितने रुपये माहवार पर किराये पर दी हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नगरपालिका बांदीकुई के पास वर्तमान में कोई दुकान खाली है ? यदि हां, तो दुकान को किराये पर नहीं देने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) नगरपालिका बांदीकुई के स्वयं के स्वामित्व की पुख्ता 29 दुकानें एवं 4 खाम दुकाने किराये पर है। जिन व्यक्तियों के पास दुकानें हैं उनकी किरायेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

झुंझुनू में सेन समाज छात्रावास हेतु भू-आवंटन

332. **श्री किशनाराम नाई** (डूंगरगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही हैं कि नगरीय विकास विभाग द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रियायती दरों पर भूमि आवंटन करने का प्रावधान है ? यदि हां, तो नियम/प्रावधान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त नियमों के अधीन राजस्थान प्रान्तीय सेन समाज उत्थान समिति की उपशाखा झुंझुनू को सेन समाज छात्रावास हेतु भूमि आवंटन करने का मामला विचाराधीन है ? यदि हां, तो किस दर से कितनी जमीन कब तक आवंटित करदी जावेगी ?

(3) झुंझुनू कस्बे में किन-किन संस्थाओं को कितनी-कितनी जमीनें किस दर से कब-कब से दी गई हैं ?

(4) किन-किन संस्थाओं ने भूमि हेतु आवेदन कर रखा है ?

उत्तर

(1) राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 18 के अनुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि रियायती दरों पर आवंटन करने का प्रावधान है प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राज. प्रान्तीय सेन समाज उत्थान समिति की उपशाखा झुंझुनू का एक प्रार्थना पत्र दि. 13-2-92 को प्रस्तुत हुआ है। नगरपालिका, झुंझुनू के पास अभी भूमि

(स्वायत्त शासन मंत्री)

उपलब्ध नहीं होने के कारण आवंटन किया जाना फिलहाल सम्भव नहीं है।

(3) झुंझुनू नगरपालिका द्वारा निम्न संस्था को जितनी भूमि आवंटित की गई है उसकी दर एवं वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :–

1. श्री रामेश्वर लाल मांगी लाल गाडिया ट्रस्ट झुंझुनू को वर्ष 1985 में 65/– प्रति वर्गमीटर रिजर्व प्राइस के 50 प्रतिशत दर से 1600 वर्गगज भूमि आवंटित की गई है।

(4) नगरपालिका झुंझुनू में निम्न संस्थाओं ने भूमि आवंटन हेतु आवेदन कर रखा है :–

1. अध्यक्ष, झुंझुनू जिला आवासीय कल्याण समिति, झुंझुनू।

2. प्रान्तीय सेन समाज उत्थान समिति उपशाखा झुंझुनू।

3. श्री स्वामी समाज संस्थान, जिला, झुंझुनू।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

वन विहार आवास योजना, जयपुर की सीवरेज लाइन

333. **श्री मोहन लाल (परबतसर) :** क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वन विहार आवासन योजना, जयपुर के सेक्टर संख्या-2 के फ्लेट संख्या-1 से 23 तथा 24 से 46 के मध्य की गली में सीवरेज लाइनें बिछी हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि फ्लेट संख्या 1 से 23 के आवासों की प्लिन्थ फ्लेट संख्या 24 से 46 के आवासों की प्लिन्थ से काफी नीचे है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन दोनों लाइनों का ढलान (बहाव) 1 से 23 की प्लिन्थ की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है जिसके कारण भी सीवरेज लाइन में निरन्तर अवरोध बना रहता है ?

(4) क्या राज्य सरकार इस तकनीकी बिन्दु की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त 1 से 23 तक के फ्लेटों के निवासी निजी स्तर पर धन व्यय करके बार-बार इस सीवरेज लाइन को ठीक कराते हैं किन्तु प्रशासन इस समस्या के प्रति उदासीन है ?

(6) फ्लेट संख्या 1 से 23 तक सम्बद्ध सीवरेज लाइन जो मुख्य सीवरेज लाइन से जुड़ती है, को कब तक ठीक करा दिया जावेगा ?

(7) क्या यह सही है कि यह सीवरेज लाइन विगत कई माह से कई स्थानों से टूटी हुई है तथा अब पूर्णतः चॉक को गई है ?

(8) क्या यह सही है कि आवासन मण्डल का इस योजना में कार्यालय उपलब्ध होते हुए भी पर्याप्त स्टाफ नहीं है तथा तैनात कार्यरत कर्मचारी भी समस्याओं के

(श्री मोहन लाल)

समाधान की दिशा में निरन्तर उदासीन रहते हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। प्लिन्थ के कारण सीवर लाइन में अवरोध नहीं होता है।

(4) इस बिन्दु में कोई तकनीकी जांच की आवश्यकता नहीं है।

(5) बोर्ड द्वारा समय-समय पर इस सीवरेज लाइन की सफाई करवाई जाती रही है एवं प्रशासन इस ओर पूर्ण ध्यान रखता है।

(6) फ्लेट संख्या 1 से 23 तक सम्बद्ध सीवर लाइन मुख्य सीवर लाइन से जुड़ी हुई है एवं कार्यरत है।

(7) जी नहीं।

(8) जी नहीं।

सुजानगढ़-बीदासर जलदाय उपखण्ड में वाहन व्यवस्था

334. **श्री भंवरलाल** (सुजानगढ़) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सब डिवीजन सुजानगढ़ व सबडिवीजन बीदासर जिला चूरू के बीच सिर्फ. एक ही जीप है ? यदि हां, तो यह जीप किस साल में खरीदी गयी तथा आज यह जीप किस हालत में है ?

(2) क्या दो सबडिवीजनों के बीच एक पैट्रोल की जीप का होना पर्याप्त है ? जहां रेत के टीले हैं तथा 200 कि. मी. में फैले हुए बड़े सबडिवीजन हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि यह पैट्रोल की जीप आये दिन खराब रहने से संबंधित अधिकारी जलदाय योजनाओं का मौके पर जाकर निरीक्षण नहीं कर पाते जिसके कारण कई-कई दिनों तक ग्रामीण इलाके में पानी की सप्लाई नहीं हो पाती है ?

(4) क्या सरकार सबडिवीजन सुजानगढ़ को नई जीप उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। जीप वर्ष 1969 में क्रय की गई थी एवं इसे नकारा घोषित किये जाने संबंधित प्रक्रिया प्रगति में है।

(2) विभाग में उपलब्ध वाहनों एवं वित्तीय संसाधनों के परिपेक्ष्य में व्यवस्था है।

(3) विभागीय वाहन खराब होने पर वैकल्पिक व्यवस्था कर निरीक्षण अपेक्षित है। निरीक्षण के अभाव में योजनाएं बन्द नहीं रहती है।

(4) वर्तमान जीप के नकारा घोषित हो जाने पर इसकी एवज में अन्य वाहन उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

ब्यावर नगर में मोमादय बांध से पेयजल आपूर्ति

335. **श्री चम्पालाल जैन** (ब्यावर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि ब्यावर नगर की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु मोमादय बांध का निर्माण किया गया था ? यदि हां, तो इस बांध से ब्यावर नगर को सरकार कब तक पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

बांध का निर्माण सिचाई हेतु किया गया था, परन्तु वर्तमान में इससे ब्यावर नगर को पेयजल उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है ।

मारवाड़ जंक्शन जलदाय उपखण्ड का सोजत खण्ड में स्थानान्तरण

336. **श्री खंगार सिंह चौधरी** (खारची) एवं **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी उपखण्ड मारवाड़ जंक्शन को जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी खण्ड सोजत से हटाकर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी खण्ड पाली के अधीन करने के आदेश सरकार ने प्रदान किये हैं ?

(2) क्या जन प्रतिनिधि द्वारा मारवाड़ जंक्शन उपखण्ड को जनहित में सोजत खण्ड में ही रखने हेतु सरकार से निवेदन किया गया है ? यदि हां, तो सरकार उक्त उपखण्ड को सोजत खण्ड में रखने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) विभाग में इस आशय का कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है । मारवाड़ जंक्शन उपखण्ड को पाली खण्ड के अधीन उचित कार्यभार रखने की दृष्टि से जनहित में किया गया है ।

बालेवा-रेडाना पेयजल योजना

337. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार के समक्ष बालेवा रेडाना ग्रामों की पेयजल योजना प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत करना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) बालेवा रेडाना पेयजल योजना में कितने गांव लिये जा रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है परन्तु प्रस्तावित स्थान पर वांछित गुणवत्तायुक्त पेयजल का उचित स्त्रोत उपलब्ध न होने के कारण तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी है । योजना में प्रस्तावित ग्रामों को वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था द्वारा लाभान्वित किया जा चुका है ।

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) स्वीकृत योजना में तीन ग्राम मारची, बालेवा एवं रेडाना सम्मिलित हैं।

श्री गंगानगर में डीजल पम्प सैट आपूर्ति हेतु जारी निविदाएं

338. **श्रीमती सूर्य कांता व्यास** (जोधपुर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या श्री गंगानगर में डीजल इन्जन पम्प सैट की आपूर्ति हेतु 16-10-89 को निविदा आमंत्रित की गयी थी ? यदि हां, तो कितनी राशि के क्रय आदेश जारी किये गये ? निविदा व जारी क्रय आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि क्रय आदेश जारी करने के लिये अधिकारी सक्षम नहीं थे ? यदि हां, तो आदेश कैसे जारी किये गये ?

(3) पम्पिग सेट क्रय हेतु कितनी निविदायें प्राप्त हुई व कितनी निरस्त की गई ?

(4) क्या यह सही है कि न्यूनतम दरों वाली फर्मों की निविदाएं निरस्त की गई ? यदि हां, तो निरस्त करने के क्या कारण थे ? प्राप्त निविदाओं की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि एक ही क्षमता के पम्पिग सैट्स के लिए विभिन्न फर्मों से अलग-अलग दरों पर निविदाएं प्राप्त कर क्रय किया गया ?

(6) क्या यह सही है कि निविदाओं की शर्तों तथा क्रय आदेशों में अन्तर रख कर बाद में आपूर्ति के लिये समय दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। क्रयादेश कुल 30,24,545.60 रुपये के जारी किये गये। वांछित निविदा सूचना व क्रयादेशों की प्रतियां परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) मामले में जांच विचाराधीन है।

(3) निविदा सूचना में सम्मिलित 33 निविदा संख्याओं के विरुद्ध 82 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। 17 निविदाएं निरस्त की गयी।

(4) जी हां। सम्बन्धित मामला विचाराधीन है। प्राप्त प्रस्ताव जो निरस्त किये गये उनके मुख्य अंशों की प्रतियां परिशिष्ठ "ख" पर संलग्न है।

(5) जी नहीं नहीं।

(6) जी हां। क्रयादेशों में आपूर्ति का समय फर्मों द्वारा अपने प्रस्तावों में उल्लेखित अवधियों को दृष्टिगत रखते हुए दिया गया था, जिसकी जांच विचाराधीन है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

इटावा में जलवाय उपखण्ड कार्यालय को स्थापना

339. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री हीरालाल आर्य)

(1) कोटा जिले के उपखण्ड सुल्तानपुर के तहत कुल कितनी जल-प्रदाय योजनायें कार्यरत हैं ?

(2) क्या यह सही है कि पीपल्दा तहसील में पेयजल योजनाओं की संख्या अधिक होने तथा बड़े कस्बों में और योजनायें लागू किये जाने की सम्भावनाओं एवं भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए इटावा में उपखण्ड कार्यालय का होना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इटावा में उपखण्ड कार्यालय खोलने विचार रखती है ?

उत्तर

(1) संदर्भित क्षेत्र के अधीन कुल 320 जल-प्रदाय योजनाएं संधारण में हैं।

(2) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पिपलवा औद्योगिक क्षेत्र में आरक्षित प्लाट्स

340. श्री बहादुर सिंह (दांतपुर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या ग्राम पिपलवा तहसील बांसवाड़ा में कोई नया औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो इसमें अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने प्लाट्स सुरक्षित हैं ?

(2) क्या उक्त औद्योगिक क्षेत्र में प्लाट आवंटन हेतु अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश किये गये हैं ? यदि हां, तो कितने ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पिपलवा तहसील बांसवाड़ा में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि., (रीको) द्वारा 118.08 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जायेगा। रीको द्वारा वर्तमान में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उपक्रमियों के लिए कोई भूखण्ड आरक्षण संबंधी नीति निर्धारित नहीं की गई है।

(2) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक क्षेत्र, गंगवाना

341. श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या अजमेर किशनगढ़ के मध्य गंगवाना को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया गया है ? इसका क्षेत्रफल कितना है ?

(2) क्या उक्त औद्योगिक क्षेत्र में विकास कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) अब तक इस क्षेत्र में कितने उद्योग प्रारम्भ हो गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्वार-गम एवं स्टील की रुग्ण औद्योगिक इकाइयां

342. श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राज्य के ग्वार-गम एवं स्टील उद्योग भारी संख्या में रुग्ण हो रहे हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभाग क्या कार्यवाही कर रहा हैं ?

उत्तर

ग्वार-गम एवं स्टेन-लैस-स्टील के अधिकांश उद्योग राजस्थान वित्त निगम एवं रीको की सहायता से स्थापित हैं । वर्ष 89–90 में राजस्थान वित्त निगम ने इन उद्योगों का सर्वेक्षण किया था जिसके अनुसार राज्य में ग्वारगम के 108 उद्योगों में से 93 उद्योग वित्त निगम से सहायता प्राप्त थे जिनमें से केवल 5 बन्द पाये गये थे एवं 5 निगम के अधिग्रहण में थे । वर्तमान में राजस्थान वित्त निगम के पास केवल 3 ग्वारगम इकाइयां अधिग्रहण में है । इसी प्रकार स्टेन-लैस-स्टील उद्योग के सर्वेक्षण में राज्य में स्थापित 45 इकाइयों में से 35 इकाइयां राजस्थान वित्त निगम के सहयोग से स्थापित थी । इसमें से केवल 4 इकाइयां बन्द थी तथा 8 निगम के अधिग्रहण में थी और वर्तमान में केवल 2 इकाइयां निगम के अधिग्रहण में हैं । रीको द्वारा तीन मध्यम स्टेन-लैस-स्टील इकाइयों को सहायता प्रदान की गई थी जो रुग्ण हैं तथा उनके पुनर्जीवन के प्रकरण ब्यूरो ऑफ इण्डस्ट्रीयल फाइनेंस एण्ड रिकन्सट्रक्शन में विचाराधीन हैं ।

ब्यावर-केकड़ी में नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

343. श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ब्यावर एवं केकड़ी औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग स्थापना हेतु भू-खण्ड उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापपा का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

ब्यावर में स्थित औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु रीको के पक्ष में 67 बीघा भूमि अवाप्त कर उपलब्ध कराई जा चुकी है एवं वर्तमान में रीको द्वारा विस्तारित औद्योगिक क्षेत्र में 41 भू-खण्ड नियोजित किये गये हैं । सभी भू-खण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध है । औद्योगिक क्षेत्र केकड़ी में वर्तमान में भू-खण्ड उपलब्ध नहीं है । इस औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र से लगती हुई 94 बीघा 10 बिस्वा चरागाह भूमि चयन की गई है जिसे औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित करवाने की कार्यवाही की जा रही है । भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित होने के पश्चात् रीको द्वारा विस्तारित औद्योगिक क्षेत्र में भू-खण्ड उपलब्ध कराये जा सकेंगे ।

अरबी एवं फारसी शोध संस्थान, टौंक में, सहायक निदेशक का रिक्त पद

344. श्री मनोहरसिंह (लाडनू) : क्या कला एवं संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मनोहरसिंह)

(1) क्या यह सही है कि अरबी एवं फारसी शोध संस्थान, टौंक में एक सहायक निदेशक का पद भरा जाना प्रस्तावित है ?

(2) क्या इस पद को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग से विज्ञापन करने को लिखा गया है ?

(3) क्या यह सही है कि सहायक निदेशक का पद सरकार द्वारा विगत 3 वर्षों से स्वीकृत है किन्तु व्यक्ति विशेष की न्यूनतम योग्यता एवं अर्हता पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही इस पद हेतु आवेदन पत्र निमन्त्रित करवाये गये ?

(4) पद भरे जाने में अब तक हुए विलम्ब के लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है तथा उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या योग्यता /अर्हता/अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र संस्थान के निदेशक के रूप में कार्यरत एक पिता द्वारा अपने अधीन सहायक निदेशक के पद पर चयन हेतु अपने पुत्र को दिया जाना न्याय संगत है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां ।

इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई है मामले की जांच करवाई जा रही है ।

(4) जांच के बाद ही इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सकेगी ।

(5) यदि पद की योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र है । तो उपलब्ध सर्टिफिकेट के आधार पर योग्यता-प्रमाण-पत्र देने में कोई बाधा नहीं है ।

विधान सभा क्षेत्र फलासिया में शिक्षा कर्मियों की प्रतिनियुक्तियां

345. श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) फलासिया क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में किस-किस श्रेणी के क्या-क्या पद वर्तमान में स्वीकृत हैं ? इनमें से कौन-कौनसा पद कब से रिक्त है ? विद्यालय का नाम, रिक्त पद का नाम दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त रिक्त पदों पर कर्मचारी /अधिकारी को पदस्थापित कर उनकी प्रतिनियुक्ति अन्य विद्यालयों में कर रखी है ? यदि हां, तो किस-किस विद्यालय में किस-किस पद की ? सूची दिनांक सहित सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार की नीति है कि प्रतिनियुक्तियां नहीं की जायेंगी ? यदि हां, तो फिर उक्त प्रतिनियुक्ति आदेश किस अधिकारी ने निकाले ? प्रतिनियुक्ति आदेश की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार उक्त प्रतिनियुक्ति आदेश निकालने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री कुबेरसिंह)

(5) क्या सरकार उक्त प्रतिनियुक्तियों को निरस्त कर रिक्त पड़े पदों को जल्दी ही भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) फलासिया क्षेत्र के उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों में स्वीकृत व रिक्त पदों की विद्यालयवार स्थिति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी हां। प्रतिनियुक्तियां नहीं की हुई है।

(4) सरकार के समक्ष फलासिया क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति आदेश निकालने का कोई मामला प्रस्तुत होने पर विचार किया जायेगा।

(5) फलासिया क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति करने का निश्चित प्रकरण सरकार के समक्ष प्रस्तुत होने पर निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

अन्जुमन इस्लामिया विद्यालय, बांसवाड़ा को सहायता

346. **श्री सोमा** (बागीडोरा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले में मुस्लिम समाज की एकमात्र संस्था अन्जुमन इस्लामिया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि यह संस्था (अन्जुमन इस्लामिया) एक विद्यालय का प्रबन्ध करती है, जिसका व्यय स्वयं समाज उठाता है ?

(3) अन्जुमन इस्लामिया द्वारा गत वर्षों में शिक्षा विभाग को एड दिलाने के लिए आवेदन किया था ? यदि हां, तो विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

(4) अन्जुमन इस्लामिया, बांसवाड़ा के विद्यालय को राज्य सरकार कब तक अनुदान (सहायता) देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। संस्था के प्राथमिक स्तर को 50 प्रतिशत की दर से अनुदान सूची पर लेने की अभिशंषा अनुदान समिति द्वारा की गई थी, किन्तु राज्य की वित्तीय स्थिति के परिपेक्ष्य में गत तीन वर्षों से किसी भी संस्था को अनुदान सूची पर लेना सम्भव नहीं हो सका है।

(4) राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के परिपेक्ष्य में ही संस्था को अनुदान सूची पर भविष्य में लेना सम्भव हो सकेगा।

तहसील सांचौर में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पद

347. **श्री लक्ष्मीचन्द मेहता** (सांचौर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जालौर जिले की सांचौर तहसील की समस्त माध्यमिक शालाओं में प्रधानाध्य

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

पकों के कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें। सरकार रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है?

उत्तर

तहसील सांचौर (जिला जालौर) के माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के कुल 10 पद रिक्त है, जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। प्रधानाध्यापक मा. वि. के रिक्त पद लोक सेवा आयोग की चयन परिधि में है। वहां से चयनित आशार्थियों की सूची प्राप्त होने पर ही पद भरे जा सकेंगे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

विधान सभा क्षेत्र सिवाना के विद्यालय

348. **श्री हुकमाराम मेघवाल** (सिवाना) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त स्कूलों की मरम्मत के लिए सिवाना में किन-किन स्कूलों के लिए कितनी राशि की स्वीकृति दी गई तथा क्या कार्य पूर्ण करवा दिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सिणधारी एवं सिवाना सीनियर स्कूल में 2 साल से व्याख्याता व अन्य कई पद रिक्त पड़े हैं? क्या उनको भर दिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं तो क्यों?

(3) सरकार सिवाना तहसील में प्राथमिक विद्यालय किन-किन ग्रामों में खोलने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक?

(4) सरकार सिवाना क्षेत्र में किन-किन प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत का विचार रखती है? नामवार सूची सदन सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त स्कूलों की मरम्मत के लिए सिवाना क्षेत्र के 2 विद्यालयों की मरम्मत हेतु रु. 33,000/- की स्वीकृति जारी की गई थी। सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं। (परिशिष्ट 'अ')

(2) जी नहीं, राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय सिणधारी में केवल एक व्याख्याता का पद अप्रैल. 88 से रिक्त है। शिक्षकों के अन्य पद सिवाना एवं सिणधारी में 2 साल से रिक्त नहीं है।

व्याख्याताओं के 8 पद राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित व्यक्तियों के उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे। वरिष्ठ अध्यापक उद्योग का एक पद रिक्त है जिसके लिए विषय नहीं है। व. अ. (सामान्य) का एक पद पदोन्नति द्वारा शीघ्र भारा जायेगा।

(3) ग्राम वूलीवेरा, मालियों का बेरा, पादरी खुर्द, मेघवालों की ढाणी, भीलों की ढाणी एवं थापलिया नाडा, में पंचायत विभाग द्वारा प्राथमिक विद्यालय वर्ष 91–92 में खोले गये हैं।

(4) सिवाना क्षेत्र में वर्तमान में उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक

(शिक्षा मंत्री)

विद्यालय में क्रमोन्नत करने का कोई विचार नहीं है क्योंकि निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति कर ली गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ठ-9 देखें)

जयपुर आगार में श्रम संगठनों को प्रदत्त सुविधायें

349. **श्री मदनलाल सैनी** (गुढ़ा): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में एटक यूनियन मान्यता प्राप्त हैं? यदि नहीं, तो सिन्धी कैम्प, जयपुर में विशाल कार्यालय दिये जाने का क्या औचित्य है? क्या सरकार ने अन्य श्रम संगठनों को भी इसी प्रकार के कार्यालय उपलब्ध करवा रखे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या निगम में मान्यता प्राप्त श्रम संगठनों को, मान्यता प्राप्त संगठनों को दी जाने वाली सभी सुविधायें उपलब्ध करवा रखी है? यदि हां, तो किन-किन को व क्या-क्या?

उत्तर

(1) जी नहीं, परिवहन निगम द्वारा वर्ष 1978 में एटक यूनियन को गुप्त मतदान के उपरान्त मान्यता प्रदान किये जाने के कारण सिन्धी कैम्प जयपुर स्थित परिसीमा में उपयुक्त कार्यालय हेतु भवन दिया गया था। मान्यता अवधि दो वर्ष के पश्चात् समाप्त हो गई तथा भवन खाली करने के आदेश दिनांक 14-7-82 को जारी कर दिये गये, जिसे खाली कराये जाने के प्रयास जारी है।

निगम द्वारा वर्तमान में किसी भी श्रम संगठन को मान्यता प्रदान नहीं की गई है। अतः भवन उपलब्ध कराये जाने का प्रश्न ही नहीं है।

(2) कोई भी मान्यता प्राप्त श्रम संगठन नहीं होने से प्रश्न नहीं उठता।

जयपुर-जसोता-बिसनपुरा (दौसा) हेतु अतिरिक्त बस

350. **श्री मोहनलाल** (परबतसर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के दौसा क्षेत्र के ग्राम पंचायत जसोता के ग्राम जसोता, बिसनपुरा तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस संचालित की जाती है? यदि हां, तो उनका क्या समय तथा कितना-कितना किराया है?

(2) क्या यह सही है कि यात्री इस बस से काफी संख्या में सफर करते हैं? क्या यात्रियों की संख्या को देखते हुए यह बस पर्याप्त है?

(3) क्या सरकार जनहित में अतिरिक्त बसें इस रोड पर लगाने का विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, जयपुर से बिशनपुरा वाया जसोता मार्ग पर एक बस सेवा संचालित है, जिसका जयपुर (घाटगेट) से प्रस्थान समय 11·45 एवं बिशनपुरा से प्रस्थान समय 0715 बजे है। घाटगेट से जस त

(यातायात मंत्री)

का किराया 10·50 रुपये एवं घाटगेट से से विशनपुरा का किराया 11·00 रुपये प्रति यात्री है। घाटगेट से जसोदा 65 कि. मीटर एवं विशनपुरा 70 किलोमीटर दूर है।

(2) जी नहीं, इस बस सेवा को गत तीन माह में औसतन 67 प्रतिशत यात्री भार ही उपलब्ध हुआ है। अतः उपलब्ध यात्री भार को देखते हुए एक ही बस सेवा पर्याप्त है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में संचालित बस सेवा को उपलब्ध हो रहे यात्री भार को देखते हुए अतिरिक्त बस सेवा संचालित किये जाने का वर्तमान में कोई विचार नहीं है।

बस बाडी निर्माण

351. **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निगम द्वारा बस बॉडी निर्माण के ठेकों में पक्षपात की जांच के लिए बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? मैसर्स महेन्द्र फर्म द्वारा बनाई गई बाडियों में उक्त कमेटी द्वारा खामियां बताये जाने पर उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या निगम द्वारा टायर रिट्रेडिंग रबर सामग्री की किसी फर्म से खरीद के मामले में घोटाले की जांच पूर्व यातायात मन्त्री द्वारा कराई गई थी? यदि हां, तो उस जांच पर निगम द्वारा क्या कार्यवाही की गई? कार्यवाही की सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) हरिनारायण एण्ड संस बॉडी बिल्डिंग पर निगम की देरी से बॉडी बनाने के कारण अब तक कितनी पैनल्टी लग चुकी है? क्या निगम इस पैनल्टी को अपने स्तर पर माफ करने का विचार कर रहा है? यदि हां, तो कितनी व इसका क्या कारण है?

उत्तर

(1) जी हां, गठित कमेटी की रिपोर्ट पर प्रशासनिक कार्यवाही की जाकर मैसर्स महेन्द्रा बाडी बिल्डर्स के द्वारा निर्मित बस बाडी में पाये गये दोषों पर अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार 92,500/- रुपये की वसूली की गई है तथा बाडी निर्माण की अनियमितता में दोषी अधिकारियों को आरोप पत्र दिया जाकर जांच हेतु जांच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है।

(2) जी हां, पूर्व यातायात मन्त्री जी के दिनांक 17.4.89 के आदेश पर जांच की कार्यवाही अभी लम्बित है।

(3) मैसर्स हरिनारायण एण्ड सन्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर पर गत तीन वर्षों में निम्न पैनल्टी लगाई गई है :—

वर्ष	पैनल्टी राशि
88–89	23,30,400·00
89–90	4,99,500·00
90–91	1,59,750·00

निगम अपने स्तर पर तो कोई राशि माफ करने का विचार नहीं कर रही है परन्तु वर्ष 89–90 में हरिनारायण एण्ड संस द्वारा 35 वाहनों को देरी से बाडी निर्माण के मामले में आरोपित पैनल्टी राशि के सम्बन्ध में अनुबन्ध की शर्त

(परिवहन मंत्री)

के अनुसार आरबीट्रेटर के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया जो विचाराधीन है ।

नटराज ट्रेवल्स, अजमेर द्वारा संचालित निजी बसें

352. श्री **बिरधाराम चौधरी** (मकराना) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नटराज ट्रेवल्स कम्पनी, अजमेर के पास परमिटशुदा कुल कितनी बसें हैं ? इनका परमिट कहां से कहां तक का किस प्रकार का है ? बस नम्बर, परमिट नम्बर, कहां से कहां तक है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या नटराज ट्रेवल्स कम्पनी, अजमेर की बसों का डेली बस सर्विस परमिट अजमेर से गंगानगर वाया कुचामन, परबतसर एवं उदयपुर से मकराना वाया अजमेर परबतसर हैं ? यदि हां, तो बस नम्बर, समय व किराया सूची का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या अजमेर से गंगानगर, उदयपुर से मकराना बिना परमिट की अवैध बसें जिनमें नटराज ट्रेवल्स की भी बसें हैं, अनाधिकृत रूप से चल रही हैं ? क्या इनमें से कुछ बसें परबतसर में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जब्त भी की हैं ? यदि हां, तो बस नम्बर क्या है ?

(4) क्या सरकार राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अवैध बसों को रोकने का कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो किस प्रकार से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान में नटराज ट्रेवल्स नाम की कोई कम्पनी अजमेर में नहीं है । अतः इस कम्पनी की परमिटशुदा या गैरपरमिटशुदा बसें होने न होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(2) जी नहीं ।

(3) इन मार्गों पर नटराज ट्रेवल्स की किसी अवैध बस का वर्तमान में कोई संचालन नहीं है । थाना परबतसर से प्राप्त सूचना के अनुसार उन्होंने पूर्व में दिनांक 11.12.91 को नटराज ट्रेवल्स की बस नम्बर डी.बी.पी. 290 का चालान बनाया था जिसे अजमेर से गंगानगर के बीच अवैध रूप से चलने के कारण सीज किया गया था । इन मार्गों पर नियमित रूप से किसी बस का अवैध संचालन नहीं है । जब कभी कोई अवैध बस चलती पाई जाती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।

(3) जी हां । इस सम्बन्ध में वाहनों की चैकिंग की जाती है । सामान्य चैकिंग के अलावा चैकिंग के विशेष अभियान भी चलाये जाते हैं ।

श्री बालकृष्ण शर्मा, हैड कान्स्टेबल (करौली) हत्या प्रकरण

353. **श्री गोविन्द सहाय** (गंगापुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) करौली में बालकृष्ण शर्मा, हैड कान्स्टेबल को किसने और कहां मारा तथा कौन-कौन मुलजिम थे ? मुलजिमों के नाम व पुलिस द्वारा अब तक की गई कार्यवाही की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(श्री गोविन्द सहाय)

(2) क्या यह सही है कि 'ग्रामवाणी' अखबार दिनांक 8 जनवरी, 1992 में यह प्रकाशित हुआ कि पुलिस वाले कर्मचारियों ने 1,44,000 रुपये चन्दे के इकट्ठे कर लिये हैं और स्वर्गीय बाल कृष्ण के परिजनों को दिये जायेंगे ? क्या यह राशि बालकृष्ण के परिवारजनों को दे दी गई है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों है ? अब यह राशि किसके पास है ?

(3) क्या बाल कृष्ण के लड़के को राज्य सेवा में लिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि गृह मंत्री को बालकृष्ण हत्याकाण्ड का एक परिवाद दिनांक 26-12-91 को क्रमांक 7178 पर प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो परिवाद में क्या बतलाया गया है और क्या कार्यवाही हुई है ?

(5) क्या यह सही है कि बाल कृष्ण के हत्यारे अभी तक पकड़े नहीं गये हैं ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

उत्तर

(1) बालकृष्ण हैड कान्स्टेबल के साथ दिनांक 15-10-91 को श्री श्रीपत मीणा व उसके 6–7 साथियों द्वारा करौली बाजार नगर पालिका के पास मारपीट की गई तथा श्री बाल कृष्ण हैड कान्स्टेबल की करौली अस्पताल में दिनांक 16-10-91 को मृत्यु हो गई। इस पर अभियोग संख्या 519/91 धारा 147, 148, 149, 302, 332, 353 भा. दं. सं. में दिनांक 15-10-91 को थाना करौली पर दर्ज किया गया था। जिसका अनुसंधान जारी है। अनुसंधान की संक्षिप्त रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) यह सही है कि ग्रामवाणी अखबार ने अपने प्रकाशन दिनांक 8-2-92 में पुलिस कर्मियों से एक लाख चवालीस हजार रुपये चन्दे के इकट्ठे किये जाने की बात प्रकाशित की थी। परन्तु सही तथ्य यह है कि न कोई अनुदान राशि पुलिस कर्मियों से एकत्रित की गई और ना ही कोई राशि मृतक श्री बाल कृष्ण के परिवारजनों को ही दी गई।

(3) मृतक बाल कृष्ण के लड़के को राज्य सेवा में निर्धारित आयु पूर्ण होने पर लिया जा सकेगा।

(4) परिवाद प्राप्त हुआ था जिसे आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था।

(5) इस प्रकरण के हत्यारे श्रीपत, रामबाबू, बद्री, लखराज और दयाराम घटना समय से ही रूपोश एवं फरार होने के कारण गिरफ्तार नहीं हो सके। इनको गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं।

(रिपोर्ट के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें)

सपोटरा क्षेत्र के थानों में दर्ज चोरी, डकैती व हत्या के मामले

354. **श्री प्रभुलाल** (सपोटरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1985 से 91 तक कितने मुकदमे चोरी

(श्री प्रभुलाल)

डकैती व हत्या के दर्ज हुये ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) कितने मुकदमों में एफ. आर. लगाई गई, कितनों में चालान पेश हुये तथा कितनों में माल की बरामदगी हुई ? नाम व नम्बर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) ऐसे कितने हत्या व डकैती के मामले हैं जिनमें चालान नहीं किया गया व माल बरामद नहीं हो सका ?

उत्तर

(1) सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में सपोटरा, कैला देवी व मण्डरायल थाने आते हैं । वर्ष 1985 से 1991 तक सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में चोरी के 366, हत्या के 37 व डकैती के कुल 11 अपराध दर्ज हुए हैं । सूचना संलग्न परिशिष्ट 'अ' में अंकित है ।

(2) 252 मुकदमों में एफ. आर., 155 में चालान व 7 मुकदमें अभी और तफ्तीश है । 80 अभियोगों में माल बरामद किया गया । सूचना संलग्न परिशिष्ट 'अ' में अंकित है ।

(3) हत्या के 9 अभियोगों में व डकैती के 6 अभियोगों में चालान नहीं किया गया । डकैती के 6 अभियोगों में माल बरामद नहीं हो सका ।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

बांसवाड़ा जिले में पुलिस कांस्टेबल के पद एवं नये थानों का सृजन

355. **श्री सोमा** (बागीडोरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बांसवाड़ा जिले में पुलिस कांस्टेबल के कुल कितने पद हैं एवं वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले में पुलिस कांस्टेबलों का अभाव है ? यदि हां, तो क्यों ? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ?

(3) बांसवाड़ा जिले में नये पुलिस थाने एवं चौकियां खोलने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में कान्स्टेबल के कुल 536 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 39 पद वर्तमान में रिक्त हैं । रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट 'क' संलग्न है ।

(2) यह सही है कि जिले में कांस्टेबल के 536 पद में से 39 पद रिक्त हैं । इन रिक्त पदों पर भर्ती को इसलिये स्थगित कर रखा है कि ट्राइबल सब प्लान एरिया में पड़ने वाले जिलों में कान्स्टेबल के पद पर भर्ती में वर्तमान में अनुसूचित जनजाति के 12 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 50 प्रतिशत आरक्षण करने के लिये नियमों में संशोधन की कार्यवाही की जा रही है । संशोधन की कार्यवाही फाइनल हो जाने पर भर्ती की जावेगी, जिससे जिले के

(गृह मंत्री)

अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को उचित लाभ मिल सके ।

(3) जिला बांसवाड़ा में वर्तमान में केवल घाटोल में नई पुलिस चौकी खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें) ।

सवाई माधोपुर जिले में पुलिस थाना भवन

356. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडा-भीम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला सवाई माधोपुर में वर्ष 1991-92 में कार्यरत थानों तथा उनमें पदस्थापित कर्मचारियों की संख्या की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या राज्य सरकार इस जिले में थानों के लिए नये भवन एवं नई जीपें आवंटन का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर में कुल 24 थाने हैं इनमें पदस्थापित कर्मचारियों की थानावार सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है ।

(2) जिला सवाई माधोपुर के 17 थानों पर वाहन उपलब्ध हैं । बाकी 7 थानों को आगामी दो वर्षों में प्रत्येक थाने को प्राथमिकता के आधार पर वाहन उपलब्ध करवा दिए जायेंगे । पुलिस प्रशासनिक भवन निर्माण मद में स्वीकृत राशि में थानों के भवन-निर्माण के प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं हैं । नये भवनों का निर्माण वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर निर्भर है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

थाना छापर (चूरु) में दर्ज बलात्कार के मामले

357. **श्री भंवरलाल** (सुजानगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पुलिस थाना छापर जिला चूरू में सन् 1991 में कितने बलात्कार के मुकदमें दर्ज हुए ?

(2) क्या इन समस्त बलात्कार के मुकदमों का चालान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक सरकार शेष मुकदमों के चालान न्यायालयों में प्रस्तुत करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1991 में थाना छापर जिला चूरू पर दो अभियोग बलात्कार के दर्ज हुए थे ।

(2) पंजीकृत हुए दो अभियोगों में से अभियोग संख्या 19/91 धारा 376 भा. दं. सं. का चालान न्यायालय में दिनांक 26-6-91 को पेश हो चुका है । दूसरे अभियोग संख्या 77/91 का पुनर्-अन्वेषण चल रहा है जिसमें शीघ्र नतीजा

(गृह मंत्री)

दिया जावेगा। अन्वेषणों में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं हुआ है।

बाड़मेर-जैसलमेर में अवैध हथियार

358. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में अवैध एवं खतरनाक हथियार किन-किन ग्रामों में किस-किस के पास हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला जैसलमेर में जिन ग्रामवासियों के पास अवैध एवं खतरनाक हथियार पाए गए हैं व मुकदमे दर्ज किये गये उनकी सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है जो विधान सभा पटल पर रख दी गई है। जिला बाड़मेर में सूचना शून्य है।

(2) जी हां, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ समय-समय पर अभियोग दर्ज कर कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जाती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

जयपुर शहर में मिनी बसों से दुर्घटनाओं के मामले

359. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जयपुर शहर में सन् 1990 से अब तक मिनी बसों से कितनी दुर्घटनाएं कब-कब हुईं? इनमें कितने व्यक्तियों और बच्चों की मृत्यु हुई? इन दुर्घटनाओं के कितने मामले दर्ज हुए, उनमें से कितनों के चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये तथा कितने विचाराधीन हैं?

उत्तर

जयपुर शहर में जनवरी, 1990 से 27-2-62 तक मिनी बसों से कुल 192 दुर्घटनायें हुई एवं अभियोग विभिन्न थानों में पंजीबद्ध हुए। इनमें 19 व्यक्तियों एवं 2 बच्चों की मृत्यु हुई है। वर्ष 1990 में 101 दुर्घटनाओं के मामले पंजीबद्ध हुए, जिसमें 12 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, वर्ष 1991 में 76 मामले पंजीबद्ध हुए, जिसमें 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, वर्ष 1692 से 21-2-92 तक 15 मामले पंजीबद्ध हुए जिसमें एक व्यक्ति व दो बच्चों की मृत्यु हुई। कुल दर्ज 192 अभियोगों में से 183 में बाद अन्वेषण चालान किया गया। एक अभियोग में एफ. आर. लगा दी गई व 8 अभियोग अन्वेषणाधीन हैं।

सांचोर (जालौर) से तस्करी एवं आतंककारी गतिविधियों की रोकथाम हेतु पुलिस चौकी

360. **श्री लक्ष्मीचन्द मेहता** (सांचोर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर के पुलिस अधीक्षक ने सांचौर के चार रास्तों पर डिफेन्स रोड पर स्मगलिंग को रोकने हेतु पुलिस चौकी खोलने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा है? यदि हां, तो इस पर आज तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री लखमीचन्द मेहता)

(2) क्या सरकार के ध्यान में है कि सांचौर तहसील, बाड़मेर व पाकिस्तान की सीमा व गुजरात की सीमा एक जगह मिलती है और उस जगह से पाकिस्तान से पैदल तस्करी होती है एवं आतंककारियों की गतिविधियां शुरू हो रही हैं ? यदि हां, तो इसके लिए सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

उत्तर

(1) जिला जालौर में सांचौर के चार रास्तों डिफेन्स रोड पर तस्करी को रोकने के लिए पुलिस चौकी स्थापित करने का प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है। चौकी स्थापित करना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि पर निर्भर है।

(2) जिला बाड़मेर, जालौर के सांचौर तहसील से लगने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के त्रिकोणात्मक क्षेत्र में आतंककारियों के आने की कोई गतिविधि प्रकाश में नहीं आई है किन्तु स्थानीय तस्करों द्वारा तस्करी करना अवश्य ज्ञात हुआ है। तस्करों को पकड़ने व तस्करी पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने के लिए जिला पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, इन्टेलीजेन्स व कस्टम विभाग द्वारा कार्यवाही जारी है।

पुलिस थाना सूरसागर (जोधपुर) में दर्ज सीता देवी हत्या का प्रकरण

361. **श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर में सूरसागर पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 81/91 की जांच, मृतक श्रीमती सीता देवी को जलाने के सम्बन्ध में अतिरिक्त पुलिस सुपरिन्टेडेन्ट श्री मेहताब सिंह द्वारा की जा रही थी ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त फौजदारी प्रकरण में मुल्जिमों के कहने या आवेदन पर जांच बदल दी गई ? यदि हां, तो जांच बदलने के क्या-क्या कारण राज्य सरकार को उचित लगे जबकि विजिलेंस के पुलिस अधीक्षक, डी. आई. जी. और आई. जी. आदि एडिशनल एस. पी. की जांच से सन्तुष्ट थे ?

(3) क्या यह भी सही है कि जांच बदली गई और लगातार तीन या चार डिप्टी एस. पी. बदल दिये गये ? इस संबंध में जांच बदलने के आदेश कब-कब, किन-किन कारणों से, किसकी मांग या सिफारिश पर निकाले गये ? कृपया विभिन्न आदेशों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त जांच अधिकारियों का बदलाव मुल्जिमों के लिखित या जबानी अनुरोध पर किया गया ? यदि हां, तो उनका कब-कब क्या अनुरोध था और राज्य सरकार ने क्यों मान लिया ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। इस प्रकरण में अभियुक्त पक्ष की ओर से श्री हेमराज द्वारा एक परिवाद राज्य सरकार को अभियोग की अनुसंधान गहनता एवं निष्पक्षता से कराने हेतु प्रस्तुत करने पर इस अभियोग का अन्वेषण सी. आई. डी. (सी. बी.) द्वारा किया जा रहा है। अभी प्रकरण अन्वेषणा-

(श्री गृहमंत्री)

धीन है। जब तक सी. आई. डी. (सी. बी.) द्वारा किया जा रहा अन्वेषण पूर्ण नहीं हो जाता तब तक स्थानीय पुलिस द्वारा किये गये अन्वेषण के बारे में टिप्पणी किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

(3) इस प्रकरण का अनुसंधान सी. आई. डी. (सी. बी.) में दिनांक 8-1-92 को श्री सुगनाराम उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया गया था, लेकिन इसी दौरान दिनांक 11-1-92 को श्री हेमराज परिहार द्वारा जांच अधिकारी पर जातिवाद का आरोप लगाते हुए किसी अन्य अधिकारी से जांच कराने का आग्रह करने पर दिनांक 21-1-92 को श्री पुखराज उप अधीक्षक पुलिस को इस प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी नियुक्त किया गया। जिसका अनुसंधान उक्त अनुसंधान अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। उक्त दोनों आदेशों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(4) जी हां। अभियुक्त पक्ष की ओर से अपराध शाखा के प्रथम अन्वेषणाधिकारी पर दिनांक 17-1-92 को जातीय पक्ष लेकर अन्वेषण करने के आरोप लगाने पर दूसरे अन्वेषणाधिकारी को दिनांक 21-1-92 को मनोनीत किया गया है। न्याय के हित में यह उचित समझा गया है।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

श्री रामस्वरूप शर्मा, कम्पाउण्डर आयुर्वेद औषधालय महेश्वरा कलां (दौसा) की बकाया का प्रकरण

362. **श्री मदन लाल सैनी** (गुढ़ा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री रामस्वरूप शर्मा, कम्पाउण्डर राजकीय आयुर्वेद औषधालय, महेश्वर कलां (दौसा) को सन् 1962 से 1972 के मध्य के 14 माह एवं 1976 से 1978 के मध्य के तीन माह के वेतन तथा मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि निदेशक, आयुर्वेद विभाग अजमेर ने दिनांक 20-3-73 द्वारा जिला आयुर्वेद अधिकारी खण्ड (ब) जयपुर को बकाया वेतन व मेडिकल बिलों के भुगतान अविलम्ब किये जाने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या आदेश की पालना सम्बन्धित अधिकारी द्वारा की गई ? यदि नहीं, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त कर्मचारी का वर्ष 1981 में सैंथल आयुर्वेदिक चिकित्सालय में डेपुटेशन किया गया था। क्या श्री शर्मा को उक्त डेपुटेशन अवधि का यात्रा व दैनिक भत्ते का भुगतान किया गया ? यदि हां, तो कितना व कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त श्री शर्मा को वर्ष 1987-88 में रिफ्रेशर कोर्स में भिजवाया गया था ?

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त कर्मचारी को रिफ्रेशर कोर्स में जाने आने का यात्रा व दैनिक भत्ते का भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(7) क्या यह भी सही है कि उक्त

(श्री मदनलाल सैनी)

कम्पाउण्डर का वर्ष 1972, 76, 81, 86 व 1988 के नवीन वेतनमानों के अनुसार वेतन स्थिरीकरण (फिक्सेशन) एवं चयनित वेतनमान में वेतन स्थितीकरण किया गया है ? यदि हां, तो क्या श्री शर्मा को उक्त वेतन स्थरीकरण (फिक्सेशन) के एरियर की राशि का भुगतान कर दिया गया है ?

(8) क्या सरकार उक्त कर्मचारी को उपरोक्त बकाया राशि का भुगतान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्री रामस्वरूप शर्मा ने दिनांक 4-3-92 की एक प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें उन्होंने संदर्भित अवधि के 17 माह का वेतन बकाया होने की जानकारी देकर भुगतान दिलवाने की मांग की है । उपलब्ध अभिलेख है आधार पर श्री शर्मा का कोई मेडीकल क्लेम बकाया नहीं है और न ही श्री शर्मा ने अपने प्रार्थना में इसका उल्लेख किया है ।

क्लेम लगभग 14 से 30 वर्ष पुराने होने के कारण आवश्यक कार्यवाहियां, रिकार्डर आदि तलाश कर इस बात की संतुष्टि की जा रही है कि भुगतान पूर्व में तो नहीं किया गया है ताकि भुगतान अब किया जा सके ।

(2) जी हां । पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) इसकी जांच की जा रही है ।

(4) जी हां । श्री शर्मा की प्रतिनियुक्ति आयुर्वेद औषधालय सैंथल में वर्ष 1981 में नहीं की गयी थी ।

(5) जी हां ।

(6) जी नहीं । यात्रा भत्ते व दैनिक भत्ते का भुगतान, तादादी रुपये 493/- दिनांक 7-5-89 को किया जा चुका है ।

(7) कम्पाउण्डर श्री रामस्वरूप शर्मा को, वेतन स्थिरीकरण वर्ष 1972, 1976 व 1981 का एरियर भुगतान, तादादी रुपये 27190/- दिनांक 26-6-88 को किया जा चुका है । वर्ष 1986 व 1988 के वेतन स्थितिकरण एरियर का भुगतान करने हेतु बिल बनाया जा चुका है । बिल पारित कराने की आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । टेजरी से बिल पास होने पर भुगतान कर दिया जावेगा ।

(8) जी हां । नियमानुसार भुगतान किया जायेगा ।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

आसीन्द (भीलवाड़ा) में आयुर्वेदिक औषधालय

363. श्री लक्ष्मीलाल (आसीन्द) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आसीन्द तहसील, जिला भीलवाड़ा में आयुर्वेद औषधालय कहां-कहां हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त औषधालयों में कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी कब से कार्यरत है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(श्री लक्ष्मीलाल)

(3) वर्ष 1991–92 में, विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में कहां-कहां नये आयुर्वेद औषधालय खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) आसीन्द तहसील, जिला भीलवाड़ा में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों की सूची (परिशिष्ट–1) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इन औषधालयों में पदस्थापित चिकित्सक, नर्स/कम्पाउण्डर, कनिष्ठ लिपिक व परिचारकों का विवरण परिशिष्ट–1 में अंकित कर, सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) कोई नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–15 देखें)

परबतसर व नावां में देशी व अंग्रेजी शराब के ठेके

364. **श्री बिरधाराम चौधरी** (मकराना) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) परबतसर तहसील व नावां तहसील के लिए देशी शराब व अंग्रेजी शराब के अधिकृत ठेकेदार कौन-कौन हैं ? रजिस्टर्ड फर्मों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) परबतसर नावां तहसील क्षेत्र में देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानें कहां-कहां पर कितनी-कितनी हैं ? ग्राम मोहल्ला दर्शाते हुए दुकानों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि परबतसर व नावां तहसील में शराब की अधिकृत दुकानों के अलावा भी हर गांव में अधिकृत ठेकेदारों ने अनधिकृत रूप से उप ठेकेदार बना रखे हैं जिसके फलस्वरूप ग्राम में शराब पीकर उपद्रव करने से अपराधों में वृद्धि हुई है।

(4) क्या अनाधिकृत शराब की दुकानों को बन्द करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) शराब की दुकानें अनुसूचित जाति मोहल्ला, मन्दिर, मस्जिद या अन्य धार्मिक स्थलों से कितनी दूरी पर लगाई जा सकती है ?

उत्तर

(1) परबतसर एवं नावां तहसील क्षेत्र में देशी/भारत निर्मित विदेशी मदिरा दुकानें एक ही समूह 'नावां परबतसर समूह' की है। जिनके अधिकृत अनुज्ञाधारी निम्नांकित हैं :—

1. सदरूदीन पुत्र नत्थूखां
2. हुसैन खां पुत्र उस्मानजी
3. अमरचन्द्र पुत्र किशनचन्द्र
4. मुश्ताक अहमद पुत्र रसूलखां

(2) परबतसर नावां तहसील क्षेत्र में देशी मदिरा की 26 मुख्य व 10 उपदुकानें तथा भा. नि. वि. म. की मुख्य 2 व 2 उपदुकान स्वीकृत है जिसकी सूची गांव, स्थान-

(आबकारी मन्त्री)

वार विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार है।

(3) परबतसर व नावां तहसील में कोई अनाधिकृत दुकान चलने की जानकारी विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(4) जानकारी प्राप्त होने पर अनाधिकृत दुकान को तुरन्त हटाया जायेगा।

(5) देशी तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा की दुकानें अस्पताल, महाविद्यालय एवं सीनियर हा. सै. शिक्षण संस्थाओं व धार्मिक स्थानों से 200 मीटर के अन्दर नहीं लगाने का प्रावधान है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–16 देखें)

सिवाना (बाड़मेर) में खादी बोर्ड द्वारा वितरित ऋण/अनुदान

365. श्री हुकमाराम (सुजानगढ़) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिवाना (बाड़मेर) में सन् 1989, 90, 91 में खादी बोर्ड के तहत कितने ऋण अनुदान दिये गये हैं ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को ? नाम, मदवार तथा एस.सी, एस.टी. के कितने लोगों को लाभान्वित किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सन् 1989–90 तक जो ऋण अनुदान दिया था, उसमें क्या सभी ने रुपये जमा करवा दिये हैं ? यदि नहीं, तो ऐसे कौन-कौन व्यक्ति है जिन्होंने ऋण जमा नहीं करवाया है ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–17 देखें)

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की पदोन्नति

366. श्री शिवजीराम मीना (जहाजपुर) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में कुल कितने पद सृजित हैं एवं इनमें से कितने पद भरे हुए हैं ? इन स्वीकृत पदों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने पद आरक्षित हैं ? क्या आरक्षण के अनुपात में पद भरे हुए हैं ? यदि नहीं, तो कितने पद रिक्त हैं ? पदवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार का अनुसूचित जाति एवं जनजाति के रिक्त पदों को विशेष भर्ती द्वारा भरने का इरादा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि जुलाई, 1991 में 8 कनिष्ठ लिपिकों को वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति दी गई है ? यदि हां, तो इनमें अनुसूचित जाति एवं जन जाति के कितने कर्मचारियों को रोस्टर प्रणाली के अनुसार पदोन्नत किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में कुल 568 पद सृजित हैं। इनमें से 493 पद भरे हुए हैं शेष पद वर्तमान में रिक्त है। इन स्वीकृत पदों में अनुसूचित जाति के 88 एवं जनजाति के 65 पद आरक्षित है। आरक्षण पद के अनुपात में अनुसूचित जाति/जनजाति के पद भरे हुए नहीं है। सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति के 8 एवं जनजाति के 5 पद तथा पदोन्नति में अनुसूचित जाति के 25 एवं जनजाति के 12 पदों का बैकलॉग बकाया है। पदवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अनुसूचित जाति/जनजाति के रिक्त पदों की भर्ती का विशेष कार्यक्रम नहीं है। इन पदों को शीघ्र भरने का प्रयास किया जायेगा।

(3) जुलाई, 1991 में 8 कनिष्ठ लिपिकों को वरिष्ठ लिपिक के पद पर पूर्णतः तदर्थ रूप से पदोन्नति दी गई है। उस समय अनुसूचित जनजाति के 2 पदों का बैकलॉग था, अनुसूचित जाति का कोई बैकलॉग नहीं था। 8 कनिष्ठ लिपिकों की पदोन्नति में अनुसूचित जाति के एक व अनुसूचित जनजाति के एक पद पर रोस्टर प्रणाली के अनुसार पदोन्नति दी जानी थी। इसके अनुसार अनुसूचित जाति के एक कर्मचारी को पदोन्नति दे दी गई। अनुसूचित जनजाति का पूर्व का 2 पद का बैकलॉग था व एक कर्मचारी को रोस्टर प्रणाली के अनुसार पदोन्नति दी जानी थी, किन्तु अनुसूचित जनजाति के किसी भी कर्मचारी का निर्धारित अनुभव न होने के कारण पदोन्नति न दी जा सकी। अतः वर्तमान में अनुसूचित जनजाति का 3 पदों का बैकलॉग है, अनुसूचित जाति का कोई बैकलॉग नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–18 देखें)

जिला उद्योग केन्द्र, उदयपुर में कार्यरत श्री रणछोड़दास व्यास प्रकरण

367. **श्री शिवजीराम** (जहाजपुर) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री रणछोड़दास व्यास जिला उद्योग केन्द्र, उदयपुर में किस पद पर कार्यरत था एवं कब से कब तक जिला उद्योग केन्द्र, उदयपुर में कार्यरत रहा ?

(2) क्या यह सही है कि श्री रणछोड़दास व्यास ने अपने पद पर रहते हुए उपकरणों की राशि के चैक को अपनी धर्म पत्नी के खाते में जमा करवाया था ? यदि हां, तो कितनी राशि का गबन किया गया एवं बोर्ड द्वारा इनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) श्री रणछोड़दास व्यास जिला उद्योग केन्द्र, उदयपुर में निरीक्षक सह-अंकेक्षक के पद पर दिनांक 22.4.76 से 2.9.1981 तक कार्यरत थे। इनके पास कनिष्ठ लेखाकार के पद का कार्यभार था।

(2) जी हां।

श्री रणछोड़दास व्यास ने जिला उद्योग केन्द्र, उदयपुर में अपने पद पर रहते हुए कामगारों की स्वीकृत राशि 14915 रुपये

(खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री)

अपनी धर्मपत्नी श्रीमती देवकी व्यास—आलोक ऐजेन्सी के चालू खाते में जमा करवाया था तथा 14868·64/- रुपये का अन्य गबन भी इस अवधि में किया था। कुल 29,783·64/- रुपये का गबन किया था जिसके लिए इन्हें निलम्बित किया गया और सी.सी.ए. नियम 16 के तहत चार्जशीट जारी कर जांच कार्यवाही चालू है। इस प्रकरण में उदयपुर थाना में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई। जिस पर चालान होकर मुकदमा अतिरिक्त व्यवहार न्यायालय क्रमांक-2 उदयपुर में विचाराधीन है।

निम्बाहेड़ा व छोटी सादड़ी क्षेत्रों की जनसंख्या

368. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या आर्थिक एवं सांख्यकीय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्तमान निम्बाहेड़ा व छोटी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या कितनी है ?

(2) निम्बाहेड़ा व छोटी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र की वर्ष 1971, 1981 एवं 1991 में हुई जनगणना के आधार पर नगरपालिका क्षेत्र एवं किस-किस गांव की कितनी जनसंख्या है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा एवं छोटी सादड़ी क्षेत्र की कुल जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार 1,47,739 थी। तथा 1981 की जनगणना अनुसार 2,04,488 थी। 1991 की जनसंख्या के आंकड़े अभी तक जनगणना विभाग से प्राप्त नहीं हुये हैं।

(2) निम्बाहेड़ा एवं छोटी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में निम्बाहेड़ा एवं छोटी सादड़ी नगरपालिका क्षेत्र है जिनकी जनसंख्या निम्न प्रकार है :

क्र. सं	नगरपालिका क्षेत्र	जनगणना 1971	जनगणना 1981	जनगणना 1991
1.	निम्बाहेड़ा	16,542	27,763	उपलब्ध
2.	छोटी सादड़ी	9,620	12,146	नहीं

निम्बाहेड़ा एवं छोटी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में आने वाले गांवों की वर्ष 1971 एवं 1981 की जनगणना अनुसार जनसंख्या संलग्न सूची में दी गई है। 1991 की जनसंख्या के ग्रामवार आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

369. **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत) : क्या प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने व कहां पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कब-कब से कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

(2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सोजत सिटी (पाली) में कौन-कौन से व्यवसाय स्वीकृत हैं ?

(3) क्या जनता की मांग एवं भौगोलिक आवश्यकताओं को मद्दे नजर रखते हुए उक्त संस्थान में विद्युत व्यवसाय, फिटर कटिंग व टेलरिंग का व्यवसाय खोलने का राज्य सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सोजत सिटी (पाली) में दो व्यवसाय (1) वेल्डर (2) रेडियो एवं टी. वी. स्वीकृत हैं।

(3) वर्ष 1992-93 में संस्थान में वेल्डर व्यवसाय में एक अतिरिक्त यूनिट शुरू करना प्रस्तावित है। विद्युत व्यवसाय, फिटर, कटिंग टेलरिंग का व्यवसाय वित्तीय साधनों की कमी के कारण खोलना सम्भव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

बांसवाड़ा जिले में संचालित द्वाकरा योजना

370. **श्री नवनीतलाल नीनामा** (घाटोल) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1985 से 1988 तक बांसवाड़ा जिले में द्वाकरा योजना चलाई गई थी ? यदि हां, तो उक्त योजना के बांसवाड़ा जिले में कितने सेन्टर कहां-कहां पर किस-किस उद्योग के खोले गये थे व उनकी निगरानी किस विभाग व अधिकारी द्वारा की गई थी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सेन्टर पापड़ मसाला, सन कताई, तीर कमान, सिलाई, बांसटोकरी, दुग्ध डेयरी के चलाये गये थे ? यदि हां, तो क्या वे अब चालू हैं या बन्द कर दिये गये हैं ? नाम, गांव व प्रति सेन्टर में महिलाओं की क्या संख्या थी व क्या प्रगति हुई ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त द्वाकरा योजना में ग्राम सेविका विपिन मेहता द्वारा पंचायत समिति घाटोल पर गबन का मामला थाना खमेरा जिला बांसवाड़ा में दर्ज है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, बांसवाड़ा जिले में द्वाकरा योजना के तहत 181 समूह वर्ष 1985 से 1988 तक गठित किये गये। उक्त योजना में सेन्टर संचालित नहीं किये जाते हैं, बल्कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से चयनित महिलाओं के समूह गठित कराये जाते हैं। इन समूहों की सूची परिशिष्ट "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है। राज्य स्तर पर द्वाकरा कार्यक्रम महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। जिला स्तर पर इस कार्यक्रम की निगरानी का उत्तरदायित्व अतिरिक्त कलेक्टर (विकास) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण तथा सहायक परियोजना अधिकारी (महिला) द्वाकरा, बांसवाड़ा का है।

(श्री नवनीत लाल नीनामा)

(2) जी हां, जिन व्यवसायों में ड्वाकरा समूह कार्यशील हैं, उनमें प्रश्न में अंकित व्यवसाय भी शामिल हैं। चालू (सक्रिय) एवं बन्द समूहों की वर्तमान स्थिति परिशिष्ठ "अ" में सदन की मेज पर रख दी गई है।

समूहों की प्रगति के बारे में निम्न विवरण है—समूहों को स्थानीय विपणन आमदनी के अतिरिक्त अन्य सहकार संस्थाओं से जैसे राजस संघ, क्षेत्रीय जनजाति परियोजना, समन्वित बाल विकास परियोजना आदि से तालमेल स्थापित कर आमदनी बढ़ाने में प्रगति की गई। जिसमें वर्ष 90-91 एवं 91-92 में इन समूहों को जनजाति क्षेत्रीय विकास से तीन लाख रुपये राजस संघ द्वारा 50 हजार रुपये एवं समन्वित बाल विकास योजना से 60 हजार रुपये की आमदनी हुई। सिलाई समूहों को यूनीसेफ द्वारा जो सिलाई प्राप्त हुई उससे 1,78,600 रुपये ड्वाकरा महिला समूहों को लाभ हुआ। समूहों की आमदनी बढ़ने हेतु क्राफ्ट मेले लगाये जाते हैं। इस वर्ष के क्राफ्ट मेला से 7,032 रुपये आमदनी हुई।

(3) जी हां, श्रीमती विपिन मेहता, ग्राम सेविका के विरुद्ध गबन करने का थाना खमेरा, जिला बांसवाड़ा में मुकदमा संख्या 4/89 अन्तर्गत धारा 409,467,468 व 471 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दर्ज है। अभी तक प्रकरण जेर तफ्तीश है। थाना अधिकारी, खमेरा के पत्र क्रमांक 141 दिनांक 11-1-92 के अनुसार गवाहन के हस्ताक्षर एवं विवाद ग्रस्त हस्ताक्षर के मिलान हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाल, जयपुर को भिजवाये गये हैं।

श्रीमती विपिन मेहता, ग्राम सेविका विभागीय आदेश क्रमांक एफ 18 (ड्वाकरा) 89/32710-18 दिनांक 10-7-89 के द्वारा निलम्बित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-20 देखें)

जल संसाधन विकास निगम द्वारा ट्यूब वेल्स की खुदाई

371. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या भू-जल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में जल संसाधन विकास निगम अपने स्थापना की तिथि से अब तक कितने ट्यूबवैल सिंचाई के लिए खोद चुका है ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान सरकार किसानों को ट्यूबवैल्स खोदने के लिए इस निगम से क्या सहायता उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान जल संसाधन विकास निगम ने अपने स्थापना वर्ष 1984 से जनवरी, 92 तक की कुल अवधि में 1760 सिंचाई कुओं में बोरिंग कर उनकी नलकूपों के अनुसार जल क्षमता बढ़ाई है। इसके अतिरिक्त 123 नलकूप भू-जल सर्वेक्षण हेतु, पेयजल हेतु व अन्य विभागों एवं संस्थाओं के लिए खोदे गये। जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) राज्य सरकार द्वारा कृषकों के समूह के लिए एक सामुदायिक नलकूप

(भू-जल राज्य मंत्री)

सिंचाई योजना चालू है । योजना की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है । अब यह योजना राजस्थान के सभी जिलों में लागू कर दी गई है ।

(विवरण व प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-21 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 372
(स्थगित)

सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) द्वारा कनिष्ठ लिपिकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति

373. **श्री रखबचन्द मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 11-2-92 को सैशन-जज प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा कनिष्ठ लिपिक पदों पर अब आशार्थियों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर छः आशार्थियों की नियुक्ति दी गई ?

(2) यदि हां, तो क्या उसमें जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों को नियमानुसार किसी एक आशार्थी को भी नियुक्ति नहीं दी गई ? यदि हां, तो रोस्टर के नियम की पालना क्यों नहीं की गई ?

(3) रोस्टर की अनुपालना नहीं करने वाले अधिकारी के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) 6 पदों में से एक अनुसूचित जाति के आशार्थी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दी गई हैं । अभी 14 पद और रिक्त हैं और रोस्टर प्रणाली के अनुसार सभी वर्गों के स्थान सुरक्षित रखे गये हैं और ये पद रोस्टर प्रणाली के अनुसार ही भरें जायेंगे । क. लिपिक के पदों पर नियुक्ति तदर्थ आधार पर पूर्ण अस्थायी तौर पर की गई हैं । नियमानुसार नियुक्ति मई, 1992 में परीक्षा के बाद रोस्टर प्रणाली के अनुसार ही की जायेगी ।

(3) रोस्टर की अनुपालना न करने तथा सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का कोई मामला ही नहीं बनता है ।

थाना सूरसागर (जोधपुर) में दर्ज एफ. आई. आर. सं. 81/91

374. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री घन्नाराम, सूरसागर पुलिस थाना, जोधपुर के अन्तर्गत फौजदारी प्रकरण एफ. आई. आर. क्र. सं. 81/91 के सम्बन्ध में मुल्जिमान ने सैशन जज न्यायालय से मिसलेनियस केस नं. 726/91 में अग्रिम जमानत का आदेश दिनांक 16-8-91 प्राप्त कर लिया था और इसी आदेश के विरुद्ध, अग्रिम जमानत रद्द करवाने हेतु राज्य सरकार ने उच्च

Page No. 65

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

न्यायालय में अपील के लिए स्वीकृति प्रदान की थी ? यदि हां, तो उच्च न्यायालय में अपील कब प्रस्तुत की थी और राज्य सरकार की स्वीकृति की प्राप्ति दिनांक से राजकीय अभिवक्ता के स्तर पर देरी के क्या क्या कारण रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त अग्रिम जमानत रद्द करने की अपील में अधिक विलम्ब होता रहे, की नीयत से राजकीय पक्ष की ओर से माननीय सैशन जज के आदेश दिनांक 16-8-91 को (मिस, केस. नं. 726/91) प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने में अथवा अपील के साथ संलग्न करने में करीब चार माह लगा देना गम्भीर मामला है ? क्या सरकार अप्रत्यक्ष रूप से मुल्जिमान को लाभ या मिलावट की शंका से जांच करना उचित समझेगी ?

(3) उपरोक्त अग्रिम जमानत रद्द करने के प्रकरण में राज्य सरकार ने अक्टूबर, 1991 से आज तक क्या-क्या आदेश विधि विभाग ने पैरवी के सम्बन्ध में जोधपुर में कार्यरत अधिवक्ताओं आदि को भेजे हैं ? कृपया समस्त अग्रिम जमानत की पैरवी के संबंध में आदेश/पत्र की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उपरोक्त प्रकरण में अग्रिम जमानत रद्द करने की अपील जो उच्च न्यायालय, जोधपुर में प्रस्तुत की जा चुकी थी उसकी वापसी का कोई राज्य सरकार ने आदेश का निर्देश निकाला है या ऐसी कोई कार्यवाही विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) यह सही है कि फौजदारी प्रकरण एफ. आई. आर. संख्या 81/91 आरक्षी केन्द्र सूरसागर में सैशन न्यायालय जोधपुर ने मिसलेनियस केस नं. 726/91 में दिनांक 16-8-91 को मुलजिमान का अग्रिम जमानत का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया था। यह भी सही हैं कि इस आदेश के विरुद्ध धारा 439 (2) द. प्र. सं. के अन्तर्गत मुलजिमान की अग्रिम जमानत खारिज करवाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का निर्णय राज्य सरकार की ओर से लिया गया था तथा इस सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का निर्देश विधि विभाग द्वारा राजकीय अधिवक्ता जोधपुर को पत्र क्रमांक प. 3(715) विधि/सैल4/91 दिनांक 19-10-91 द्वारा दिया गया था। यह आदेश राजकीय अधिवक्ता कार्यालय में दिनांक 22-10-91 को प्राप्त हुआ था। उच्च न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिनांक 19-11-91 को प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थना-पत्र देरी से प्रस्तुत करने का कारण यह रहा है कि इस प्रार्थनापत्र के साथ सम्बन्धित थाना अधिकारी का शपथ-पत्र प्रस्तुत होना आवश्यक था। दि. 25-10-91 को राजकीय अधिवक्ता जोधपुर के कार्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर को पत्र लिखा गया था जिसकी प्रति सम्बन्धित थाना अधिकारी को भी प्रेषित की गई थी। यह पत्र लिखने के बाद भी थाना अधिकारी ने सम्पर्क नहीं किया तो दिनांक 19-11-91 को प्रार्थना पत्र उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया।

(2) अग्रिम जमानत के आदेश की

(गृह मंत्री)

प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु तत्कालीन लोक अभियोजक श्री पोकरराम विश्नोई ने सैशन न्यायालय में कोई प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया था लेकिन परिवादी पक्ष की अधिवक्ता श्रीमती शकुन्तला मेहता ने प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु दिनांक 17-8-91 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था एवं उन्हें उसी दिन प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश न्यायालय द्वारा उपलब्ध करवा दी गई थी। पुनः परिवादी पक्ष ने अपने अधिवक्ता श्री जगमालसिंह की मार्फत अग्रिम जमानत के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दि. 2-11-91 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर उसी दिन प्राप्त कर ली थी। जिला मजिस्ट्रेट ने विधि विभाग को जो पत्र दि. 7-10-91 को इस मामले में धारा 439 (2) दं. प्र. सं. के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्णय लिये जाने के लिए प्रेषित किया था उस पत्र के साथ न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रेषित की थी जो विधि विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 19-10-91 के द्वारा राजकीय अधिवक्ता जोधपुर के कार्यालय में प्रेषित कर दी गई थी। इसके अलावा राजकीय अधिवक्ता कार्यालय जोधपुर के द्वारा दि. 17.12.91 को लोक अभियोजक जोधपुर को अग्रिम जमानत के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रेषित करने हेतु भी लिखा गया था जो लोक अभियोजक ने अपने पत्र दिनांक 23-12-91 के साथ राजकीय अधिवक्ता कार्यालय में प्रेषित कर दी थी। यह प्रमाणित प्रतिलिपि भी उच्च न्यायालय में दि. 29-1-92 को प्रस्तुत कर दी गई। राज्य सरकार इस संबंध में जांच करवाना उचित समझती हैं कि तत्कालीन लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु प्रार्थनापत्र सैशन न्यायालय में प्रस्तुत क्यों नहीं किया तथा राजकीय अधिवक्ता जोधपुर ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 439 (2) दं. प्र. सं. के साथ अग्रिम जमानत के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उच्च न्यायालय में देरी से क्यों प्रस्तुत की।

(3) विधि विभाग ने राजकीय अधिवक्ता जोधपुर को पत्र क्रमांक प. 3 (715) विधि/सैल-4/91 दिनांक 19-10-91 प्रेषित किया था जो पत्रावली में पृष्ठ 2 पर उपलब्ध हैं। पत्र की फोटो प्रति संलग्न हैं। इसके अलावा राजकीय अधिवक्ता को और कोई पत्र विधि विभाग ने प्रेषित नहीं किया।

(4) राज्य सरकार ने ना तो उच्च-न्यायालय में धारा 439 (2) दं. प्र. सं. के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रार्थनापत्र को वापस लेने का कोई आदेश जारी नहीं किया हैं और ना इस प्रकार की कोई कार्यवाही विचाराधीन हैं।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-22 देखें)

पीपल्दा क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय

375. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति इटावा, अन्ता तथा केशवराय पाटन में कुल कितने प्राथमिक विद्यालय हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरालाल आर्य)

(2) क्या सभी विद्यालयों में भवन उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो कितने पक्के कमरे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) जिन विद्यालयों में भवन नहीं हैं वहां पर भवन उपलब्ध कराने की सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

उत्तर

(1) पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति इटावा में 98, पंचायत समिति अन्ता में 15, एवं पंचायत समिति केशोरायपाटन में 32 प्राथमिक विद्यालय हैं । सूची सदन की पटल पर रख दी गई हैं ।

(2) जी नहीं ।

(3) ऐसे विद्यालयों में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे जवाहर रोजगार योजना आदि के तहत भवन बनाने की व्यवस्था हैं ।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट–23 देखें)

विकास अधिकारी, नदबई (भरतपुर) द्वारा अध्यापक की नियम विरुद्ध नियुक्ति का प्रकरण

376. **श्री निर्भय लाल (रूपवास)** : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या विकास अधिकारी नदबई (भरतपुर) ने श्री सहाब सिंह नाम के अध्यापक को नियम विरुद्ध नियुक्त किया है ? क्या उनका स्थानान्तरण वर्ष 1988 में नदबई हुआ था और उन्हें वर्ष 1991 में नियुक्त किया ? यदि हां, तो विकास अधिकारी, नदबई के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या विकास अधिकारी, नदबई (भरतपुर) ने वर्ष 1988 से दिसम्बर, 1991 तक अनुसूचित जाति के अध्यापकों को स्थानान्तरण से लिये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या पंचायत समिति, नदबई (भरतपुर) व भरतपुर जिले में अनुसूचित जाति व जन-जाति के अध्यापकों के रिक्त पद है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । श्री सहाब सिंह अध्यापक का स्थानान्तरण राज्यादेश दिनांक 9-9-88 द्वारा पंचायत समिति नदबई हेतु किया गया था परन्तु रिक्त पद नहीं होने से पंचायत समिति द्वारा उन्हें पदस्थापन आदेश नहीं दिये जा सके । श्री सहाब सिंह ने पुनः दिनांक 12-12-90 को विकास अधिकारी के मार्फत् विभाग को निवेदन किया था जिस पर दिनांक 26-12-90 को पुनः पदस्थापन हेतु आदेश दिये गये । चूंकि विकास अधिकारी ने राज्य सरकार के आदेशों की पालना में इन्हें पदस्थापन आदेश दिये हैं अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही का औचित्य नहीं हैं ।

(2) जी नहीं । नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं हैं ।

(3) जी हां । अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यार्थी, उपलब्ध नहीं होने से पद नहीं भरे जा सके ।

बांसवाड़ा क्षेत्र में संचालित शिक्षा केन्द्र

377. **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बांसवाड़ा में कितनी पंचायत समितियों में वर्ष 1990-91 में शिक्षा केन्द्र चल रहे थे ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सन् 1991-92 में उक्त केन्द्र बन्द कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? पंचायत समितिवार बन्द किये गये केन्द्रों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार बन्द किये केन्द्रों को 1992-93 में नये सिरे से चालू करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक चालू कर दिये जायेंगे ?

(4) राज्य सरकार की वित्तीय वर्ष 1992-93 में बांसवाड़ा जिले में कितने केन्द्र खोलने की योजना है ?

उत्तर

(1) वर्ष 90-91 में जिला बांसवाड़ा की 8 पंचायत समितियों मे जो शिक्षा केन्द्र चल रहे थे उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) कोइ योजना नहीं हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-24 देखें)

श्री अध्यक्ष :

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री बालूराम चौधरी सदस्य, राजस्थान विधानसभा व श्री कड्डिल मंजप्पा मुख्यमंत्री, कर्नाटक को श्रद्धांजलि।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, श्री बालूराम चौधरी, हमारी तृतीय विधान सभा के माननीय सदस्य थे जिनके निधन से हम सभी लोग बड़े दुखी हैं और चिन्तित है। श्री बालूरामजी फतेहपुर विधान सभा से एक निर्दलीय सदस्य के नाते जीत कर आये थे। उनका शैक्षणिक संस्थाओं से, सामाजिक संस्थाओं से सम्बन्ध था और उनकी गतिविधियों में भाग लेते थे। फतेहपुर में देहाती छात्रावास के नाम से एक छात्रावास चलता था। वे वहां संचालक रहे और विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते थे। दो बार वे सरपंच रहे और एक बार फतेहपुर के प्रधान के नाते दायित्व सम्भाला। विधान सभा में वह अपनी समस्याओं को और विशेषकर देहाती या ग्रामीण लोगों की समस्याओं को बड़ी गम्भीरता से उठाते थे और सदैव ही अपने जीवन पर्यन्त वह सेवा में लगे रहे। उनका बार-बार सरपंच के नाते और उसके बाद प्रधान के नाते चुना जाना इस बात का प्रमाण है कि वह एक प्रभावी व्यक्ति थे और लोकप्रिय थे।

उनके निधन से हमारे प्रदेश को बड़ी क्षति हुई हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें और उनके दुख से संतप्त परिवार को इस दुखद घटना को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक के पूर्व मुख्य मंत्री का भी निधन हो गया है। कर्नाटक

Page No. 69

(श्री भंवर लाल शर्मा)

के पूर्व मुख्य मंत्री श्री कडिडल मंजप्पा के निधन से देश को बड़ी हानि हुई है। वह स्वतन्त्रता सेनानी थे और 1942 के आंदोलन में वह जेल भी गये। दो बार मुख्य मंत्री रहे और बाद में राजनीति से विरक्त होकर उन्होंने वकालत प्रारम्भ की। उस क्षेत्र में भी उन्होंने बड़ी कीर्ति अर्जित की। साहित्य के क्षेत्र में भी उनकी बड़ी सेवायें रही हैं। उनके प्रति भी मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें साथ ही उनके परिवार को जो दुख से पीड़ित है इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, श्री बालूरामजी चौधरी, जो कि तृतीय विधान सभा में 1962 से 70 तक सदस्य रहे, उनके निधन पर मैं कांग्रेस दल की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे व उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक के पूर्व मुख्य मंत्री श्री मंजप्पा जी, जो कि प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी थे जिनके निधन पर भी अपने दल की ओर से शोक प्रकट करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें और उनके शोक-संतप्त परिवार को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

श्री नत्थी सिंह (नेता, जनता दल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री बालूराम चौधरी जो तीसरी विधान सभा में चुनकर आए, मेरा और उनका आगमन इस विधान सभा में साथ-साथ हुआ और साथ ही साथ हमें काम करने का मौका भी यहां मिला। श्री बालूराम चौधरी बहुत ही सहज स्वभाव के थे और शिक्षा जगत में, किसानों के लिए और सहकारी क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा काम था। राजस्थान राज्य सहकारी संघ में भी काफी दिनों तक मंत्री के तौर पर काम किया, प्रधान भी वो रहे, व्यक्तिगत मित्र थे। इतने सरल हृदय थे कि उनके जाने से एक ऐसा आभास हुआ है जिसकी क्षतिपूर्ति होना मुश्किल है। मैं उन्हें अपनी ओर से और जनता दल की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हू और ईश्वर से प्रार्थना करता हू कि शोक-संतप्त परिवार धैर्य प्रदान करें और दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें।

इसके साथ ही कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री मंजप्पा साहब, जो स्वतन्त्रता सेनानी रहे, उनकी कर्नाटक के लिए बहुत सेवा रही राजनैतिक क्षेत्र में, मैं उन्हें भी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति और शोक संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने का धैर्य प्रदान करें।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा के श्री बालूराम चौधरी, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था उनके साथ ही साथ इस विधान सभा में प्रथम बार चुनकर आने का, वे किसानों की समस्याओं के लिए इस विधान सभा के माध्यम से काफी जुझारु रहते थे और बाहर के क्षेत्र में भी उन्होंने किसान जगत के लिए

(श्री दिग्विजय सिंह)

काफी कार्य किया है । वे आज हमारे बीच में नहीं रहे, मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक-संतप्त परिवार को इस धक्के को सहन करने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि शक्ति प्रदान करें।

कर्नाटक के पूर्व मुख्य मंत्री श्री मंजप्पा के निधन पर भी मैं अपनी ओर और से अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक-संतप्त परिवार को इस धक्के को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

श्री हेतराम बेनीवाल (नेता मा.क.पा) : अध्यक्ष महोदय, सीकर जिले के श्री बालूराम जी किसानों की समस्याओं के लिए संघर्ष करने वाले ऐसे साधारण व्यक्तित्व के पुरुष थे कि जिनका आम किसानों से सम्पर्क रहा और जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र को छोड़कर राजनीति में प्रवेश किया, विधान सभा के मेम्बर बने, यहां पर उन किसानों की समस्याओं को उठाया और इसके साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी हमेशा लगे रहे । ऐसे किसान नेता का देहावसान ऐसे समय में हुआ है । मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

इसके साथ-साथ हमारे देश के कर्नाटक प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री मंजप्पा साहब की मृत्यु भी इन दिनों में हुई है और उनकी वजह से वह पीढ़ी, जो इस देश में आजादी का संघर्ष करने वाले लोगों की पीढ़ी थी, धीरे-धीरे वह समाप्त हो रही है, उसकी कड़ी में से वो एक थे । हमें बहुत अफसोस है कि उन लोगों की कमी से हमारे देश में जो स्थिति पैदा होगी, उसको हम कभी पूरा नहीं कर सकेंगे । मैं उन दोनों के प्रति अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर सदन में माननीय सदन के नेता, प्रतिपक्ष दल के नेता, अन्य दलों के नेताओं एवं सदस्यों ने इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री बालूराम चौधरी एवं कर्नाटक के पूर्व मुख्य मन्त्री श्री कडिडल मंजप्पा के प्रति जो शोक एवं संवेदना प्रकट की है, उसमे मैं अपने आपको भारी दिल में शरीक करता हूं ।

श्री बालूराम चौधरी का जन्म 1 मार्च 1922 को हुआ । आपकी प्रारम्भिक शिक्षा चिड़ावा हाई स्कूल, चिड़ावा में हुई तथा बिड़ला कालेज, पिलानी से आपने एम.ए. की उपाधि प्राप्त की ।

श्री चौधरी तीसरी राजस्थान विधान सभा (1962-67) के लिए फतेहपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए ।

सेवा भावी होने के कारण आप प्रारम्भ से ही शैक्षणिक एवं सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे । आप देहाती छात्रावास फतेहपुर के संचालक रहे । सामाजिक जीवन में आप अनेक सार्वजनिक पदों पर रहे । 1955 में आप ग्राम पंचायत ढांढण के सरपंच, 1956 में तहसील पंचायत फतेहपुर के सरपंच तथा 1959 में पंचायत समिति फतेहपुर के प्रधान रहे ।

विधायक के रूप में आप अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदा प्रयत्नशील रहे । विधान सभा के कार्यकाल

Page No. 71

(71)

(श्री अध्यक्ष)

के दौरान आप वर्ष 1964-65 में जन लेखा समिति तथा वर्ष 1965-66 में गृह समिति के सदस्य रहे।

आपका निधन पूरे सत्तर वर्ष की आयु होने पर 1 मार्च, 1992 को हुआ।

कर्नाटक के पूर्व मुख्य मंत्री श्री कड़िडल मंजप्पा का जन्म वर्ष 1907 में शिमोगा जिले के तीर्थहाली तालुका के हारोगोलिगे गांव के एक कृषक परिवार में हुआ। आपकी प्राथमिक शिक्षा आपके गृह जिले में ही हुई। आपने वर्ष 1932 में महाराजा कालेज, मैसूर से स्नातक (बी.ए.) की उपाधि प्राप्त की तथा वर्ष 1934 में पुणे लॉ कालेज से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की।

आप अपने स्कूली जीवन से ही गांधीवादी आन्दोलनों से प्रभावित रहे। आप वर्ष 1937 से 40 तक शिमोगा जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण आप 9 माह जेल में रहे। जिम्मेदार हुकुमत आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण भी आपको जेल यात्रा करनी पड़ी।

आप मैसूर प्रतिनिधि सभा के कांग्रेस सदस्य रहे जो बाद में वर्ष 1941 से 1952 तक मैसूर संविधान सभा बनी। वर्ष 1952 से 1966 तक की अवधि के दौरान आप तीन बार मैसूर विधान सभा के सदस्य रहे।

श्री मंजप्पा अगस्त से अक्टूबर 1956 की अवधि के लिए मैसूर राज्य के मुख्य मन्त्री रहे। बाद में आप श्री बी.डी. जत्ती के मन्त्रीमण्डल में राजस्व मन्त्री भी रहे। कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम, 1961 आपके ही प्रयासों का सुफल माना जाता है।

वर्ष 1966 में आपने राजनीति से अलग होकर कर्नाटक हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। इस क्षेत्र में भी आपने अपनी सूझबूझ से श्रेष्ठता स्थापित करते हुए प्रसिद्धि प्राप्त की, विशेषकर राजस्व सम्बन्धी मामलों में।

श्री मंजप्पा राजनीति एवं वकालत के अलावा साहित्य के क्षेत्र में भी अच्छा दखल रखते थे। आप कन्नड़ उपन्यासकार के रूप में जाने जाते थे। आपकी प्रसिद्ध कृति "पंजारावल्लिया पंजु" रही है, जिसका अंग्रेजी और मलयालम में अनुवाद किया गया। आपकी अन्य प्रकाशित कृतियां "नालेया नेलालु" तथा "करांघी कूटा" रही हैं।

आपने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता स्थापित करने के लिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा।

वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी और सच्चे गांधीवादी नेता के रूप में सम्माननीय श्री मंजप्पा का 8 मार्च, 1992 को लम्बी बीमारी के बाद निधन हो गया।

मैं, श्री बालूराम चौधरी एवं श्री कड़िडल मंजप्पा को अपनी और से और इस सदन के समस्त माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवारजनों को उनका विछोह सहने की शक्ति दे।

Page No. 72

(72)

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें व श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(तदनतर सदन ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैं :—

(1) श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से करौली में दिनांक 23 मार्च, 1991 को रामगणेश मीणा की कथित हत्या की रिपोर्ट पुलिस द्वारा दर्ज नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामनारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के कतिपय जिलों में गायों की तस्करी तथा बुचड़खानों में उनकी निर्मम हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान लोक सेवा आयोग से आशुलिपिक की परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिये जाने के उपरांत भी कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा कार्य भार नहीं सम्भालने पर उनके नियुक्ति आदेश निरस्त नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती सुमित्रा आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोहर के कतिपय ग्रामों में आर.ई.सी. स्कीम के तहत विद्युतीकृत घोषित किये जाने के उपरांत भी विद्युत लाइन नहीं डाले जाने से वहां की जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध मे।

(5) श्री घासीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीसलपुर परियोजना की पाईप लाइन ग्राम माशू व धड़ोली की आवादी क्षेत्र से दूर पूर्व स्वीकृत योजनानुसार ही डाले जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 8 मार्च, 1992 को सीकर-जयपुर मार्ग पर बांडी नदी पुल के पार जीप व ट्रक की टक्कर से 13 व्यक्तियों की मृत्यु से व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से इस आशय की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रांत के बिजली इंजीनियरों द्वारा अपनी मागों के सम्बन्ध में लम्बे समय से किये जा रहे संघर्ष से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने अपने उत्तर में सूचित किया है कि विद्युत मण्डल के सहायक अभियन्ता एवं अन्य उच्च पद पर कार्यरत अधिकारियों के वेतनमान सदैव से ही राज्य सरकार के अभियन्ताओं के वेतनमानों के समकक्ष रहे

(श्री अध्यक्ष)

है। आर. एस. ई. बी. के कनिष्ठ अभियन्ताओं को चयनित वेतनमान 2200-4000 दिया जाता है जो कि सहायक अभियन्ता का वेतनमान है। यह वेतनमान डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं को 6-7 वर्षमें व डिप्लोमा कनिष्ठ अभियन्ताओं को 9 वर्ष की सेवा अवधि के बाद उपलब्ध है जबकि राज्य सरकार के ऐसे अभियन्ताओं को ऐसा वेतनमान 27 वर्ष की सेवा अवधि के बाद दिया जाता है। विद्युत मण्डल में अभियन्ताओं को सवारी भत्ता व अर्दली भत्ता सुविधा प्राप्त है जो राज्य सरकार में उपलब्ध नहीं है।

(2) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान पत्रिका में चल रही हड़ताल को राज्य सरकार द्वारा कथित रूप से कुचलने के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने अपने उत्तर में सूचित किया है कि श्रमिकों की हड़ताल एवं प्रदर्शन के कारण शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पत्रिका के बाहर पुलिस प्रबन्ध किया हुआ है। श्रमिकों द्वारा की जा रही हड़ताल अवैध है। श्रमिकों के साथ किसी प्रकार की गुण्डागर्दी होने की जानकारी नहीं आयी है। श्रमिकों द्वारा 18-2-92 को दर्ज अभियोग में अनुसंधान किया जा रहा है। श्रमिकों पर किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया गया है। स्थिति पूर्ण नियन्त्रण में है।

(3) श्री रामकरण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश के मिडिल स्कूलों में अध्यापकों की कमी के कारण छात्रों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया हैं कि विकास विभाग के पद अभी प्राथमिक एवं एवं माध्यमिक शिक्षा को हस्तान्तरित नहीं हो पाये हैं जिस कारण उन पर नियुक्तियां नहीं हो सकी हैं। ऐसी स्थिति में कहीं-कहीं आवश्यकता से कम स्टाफ होना स्वाभाविक है। कोटपूतली क्षेत्र में 48 उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में हैं। जिनमें 6 उच्च प्राथमिक विद्यालय छात्राओं के है। इन विद्यालयों में द्वितीय वेतन श्रृंखला के पद एवं तृतीय वेतन श्रृंखला के 312 पद स्वीकृत है, जिनके विरुद्ध 47 द्वितीय वेतन श्रृंखला के एवं 302 शिक्षक तृतीय वेतन श्रृंखला के कार्यरत हैं। जिन उच्च प्राथ-प्राथमिक विद्यालयों में से अधिक अध्यापक कार्यरत हैं उनकी संख्या 42 हैं। कोटपूतली क्षेत्र के 6 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 2 या 1 शिक्षक ही हैं। जिसका कारण पहले अनुच्छेद में स्पष्ट कर दिया गया है। ऐसे विद्यालयों में विकास एवं पंचायती राज विभाग से पदों का आदान-प्रदान यथाशीघ्र कराने एवं तदनुसार उपलब्ध पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति/पदस्थापन करने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) श्री परसादी लाल व श्री हीरलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति लालसोट के ग्राम डीडवाना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सरकार द्वारा आवंटित भूमि में न बनाकर निजी भूमि में बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि ग्राम डीडवाना के निवासी श्री रामचन्द्र शर्मा द्वारा खसरा नं. 1746 एवं खसरा नं. 1748 में से दस बिसवा भूमि चिकित्सा विभाग ने नाम दान करने के प्रस्ताव होने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

(श्री अध्यक्ष)

दौसा की अभिशंषा पर कि उक्त भूमि निर्माण के लिए उपयुक्त है, निर्माण किये जाने की स्वीकृति दे दी गई है। उन्हें मार्च के दूसरे सप्ताह तक का समय दिया गया है और जब तक उनसे स्पष्ट रूप से अभियुक्ति प्राप्त हो जाने की संभावना है। यह सही नहीं है कि राज्य सरकार जिला कलेक्टर अथवा किसी निजी व्यक्ति की भूमि एवं भवन को बनाने में रूचि रखती है। भूमि विभाग के नाम होने पर भी उसमें भवन बनाया जायेगा।

(5) डा. चन्द्रभान व 14 अन्य सदस्य विधान सभा की ओर से 4 सितम्बर, 1991 की प्रातः जयपुर में पंकज सिंघवी की हत्या एवं नवम्बर, 91 के दूसरे सप्ताह में श्रीमती कृष्णा यादव की हत्या किये जाने और उनके हत्यारों को अभी तक नहीं पकड़े जाने के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि दिनांक 5-9-91 को घायल पंकज सिंघवी की मृत्यु हो जाने से मुकदमें में धारा 302 भादस में अनुसन्धान प्रारम्भ किया गया। अन्वेषण के दौरान संभावित कारणों का पता लगाने के लिए संभावित बिन्दुओं पर अनुसन्धान किया गया लेकिन किसी भी बिन्दु पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुई जिससे कि पंकज सिंघवी की हत्या का कारण स्पष्ट हो सके। प्रकरण को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे है। उप पुलिस अधिक्षक के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस दल का गठन किया गया है। अनुसन्धान को कामयाब करने के लिए हर संभव अथक प्रयास किये जा रहे हैं। जहां तक श्रीमती कृष्णा यादव हत्याकाण्ड का प्रश्न है सभी प्रयासों के बावजूद हत्या के अपराधियों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस दिशा में अथक प्रयास जारी है। इसी बीच श्री आर.के. यादव ने राजस्थान उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर इस अपराध के अन्वेषण को स्थानान्तरण सी.बी.आई. को करने की प्रार्थना की थी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने स्थानीय पुलिस द्वारा अब तक किये गये अन्वेषण कार्य व प्रयासों की प्रशंसा करते हुए लोकहित में इस अपराध का अग्रिम अन्वेषण सी.बी.आई. से करवाने के आदेश दिनांक 11-2-92 को राज्य सरकार को दिये है, जो प्रक्रियाधीन है। उपरोक्त दोनों अभियोगों में हत्यारों का पता लगाने का भरसक प्रयत्न जारी है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में भी राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री मनीराम व पांच अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के उपनिवेशन तहसील छतरगढ़ नम्बर 1 व 2 तथा पूंगल के मूल निवासियों के नाम पर फर्जी भूमि आवंटित किये जाने पर रोक लगाये जाने के संबंध में।

(2) श्री रामनारायण वर्मा व श्री प्रभुलाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की ओर से चम्बल सिंचित क्षेत्र विभाग में भूमि विकास केनाम पर ओ. एफ. डी. योजना के तहत कैचमेंट के बहाने भारी मात्रा में अनियमितताएं भ्रष्टाचार किये जाने के संबंध में।

(3) श्री हरिसिंह (महुआ) व पांच अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से धौलपुर में

(श्री अध्यक्ष)

जहरीली शराब पीने से 4 से अधिक लोगों की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

(4) श्री मोहम्मद माहिर आजाद, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान की विभिन्न जेलों में टाडा एक्ट में बन्द लोगों की मृत्यु व उनकी गंभीर हालत होने के संबंध में ।

(5) श्री हीरालाल मीणा, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य में बेरोजगार स्वास्थ्य निरीक्षकों को स्वास्थ्य निरीक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं देने से उनमें व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में ।

(6) श्री राजेन्द्र पारीक, सदस्य, विधान सभा की ओर से कल्याण अस्पताल, सीकर में व्याप्त घोर अनियमितताओं से उत्पन्न जनाक्रोश के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं । प्रस्तावक माननीय सदस्य को 2–2 मिनट बोलने की अनुमति होगी ।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री नन्द किशोर शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ड्यूटी पर कार्यरत हर एक चिकित्सक को चोट प्रतिवेदन प्रपत्र बनाने का अधिकार दिये जाने के संबंध में ।

(2) श्री भंवरलाल मेघवाल (सुजानगढ़), सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति सुजानगढ़ (चूरू) में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चूरू जलदाय विभाग के लिए बनवाये गये जी. एल. आर., सी. डब्ल्यू. टी., पी. एस. पी. खेलकोठा, आदि को पाइप लाइनों से जोड़ने के संबंध में ।

(3) श्री दिलसुखराय चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा बिजली उपभोक्ता व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के उपरान्त भी विद्युत कनेक्शन उसके वारिसों के नाम नहीं करने के संबंध में ।

(4) श्री अमृतलाल परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाली विधान सभा क्षेत्र की कतिपय पंचायतों के पूर्व सरपंचों के कथित भ्रष्ट कार्यों की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में ।

(5) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से डूंगरपुर जिले में उचित मूल्यों की दुकानों में गेहूं कम दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(6) डा. उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र की तहसील जमवारामगढ़ के गांव रामपुरा के अग्नि पीड़ितों को राहत पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में ।

(7) श्री अचलाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से रानी पंचायत समिति (पाली) को रोडवेज की बसों से जोड़ने के सम्बन्ध में ।

(8) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से मेडिकल विभाग में दवा एवं उपकरण खरीद में भारी अनियमितताएं एवं कथित घोटालों के सम्बन्ध में ।

(9) श्रीमती तारा भण्डारी, सदस्य,

(श्री अध्यक्ष)

विधान सभा की ओर से ग्राम–सेवकों की मांगों पर राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : पहले उन्होंने लिखकर दिया है। श्री माहिर आजाद बोलें। (व्यवधान) बाद में बोलें। माहिर आजाद दे रहे हैं। (व्यवधान) उन्होंने लिखित में भेजा है नोटिस।

स्थगन प्रस्तावों आदि पर चर्चा

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी और सदन का ध्यान जयपुर और चौमूं राजमार्ग पर हरमाड़ा ग्राम में जीप और ट्रक दुर्घटना की····

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : गुलाबसिंह जी आप बिराजें। प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री का जिनके पास यातायात विभाग भी है और सदन का ध्यान कल जयपुर–चौमूं राजमार्ग पर हरमाड़ा ग्राम में ट्रक और जीप की दुर्घटना में अनेकों लोगों की मृत्यु और कई गंभीर हालत में अस्पताल में सवाई मानसिंह चिकित्सालय में उपचाराधीन हैं, की तरफ दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय यह स्थिति केवल जयपुर और चौमूं रोड़ की ही नहीं है। आज पूरे राजस्थान के विभिन्न मार्गों पर अवैध रूप से वाहन चलाये जा रहे हैं। एक-एक जीप में 30–30 सवारियां बैठा करके, जिसमें अधिकांश छत पर बैठी रहती हैं और कई बाहर लटकी रहती हैं। माननीय गृह मंत्री जी के पास यातायात विभाग भी है मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इस सम्बन्ध में क्या कड़े प्रबन्ध करने जा रहे हैं। उस जीप में 15 सवारियां थी जो उसकी निर्धारित क्षमता से अधिक थी।

श्री हेतराम बेनीवाल : 26 सवारी थी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : 26 थी, 15 तो मर गई जो उसकी क्षमता से अधिक थी। यातायात विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने····(व्यवधान) मैं 30–30 तक बता रहा हूं, 40–40 भी रहती हैं। यह स्थिति पूरे राजस्थान में बन रही है और लोगों का जीवन खतरे में है, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे और उनकी पुनरावृत्ति न हो इस सम्बन्ध में कृपया आप सदन को आश्वस्त करें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वरदयाल यादव।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : इनके क्षेत्र का है। आपको भी दूंगा। आपका एडजोर्नमेंट मोशन है। इनके क्षेत्र का है····

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बारे में माननीय सदस्य ने अपनी सारी बात रखी।

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

मैं रात को वहां पर मौके पर भी पहुंच गया था और अभी एस. एम. एस. हास्पिटल में····

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। कृपया आवाज नहीं करें। आप इधर-उधर जायें, आवाज नहीं करें।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : इस बारे में मैं सरकार को विशेष सूचना यह देना चाहता था, जो घटना है, आपने जो व्यवस्था दी उसका स्वागत है. दस व्यक्ति ऑन स्पॉट खत्म हो चुके थे। एक औरत और उसकी लड़की जो थी, उसकी लड़की का सिर कट कर दूर जाकर गिर पड़ा था। तीन व्यक्ति एस. एम. एस. में आने के बाद खत्म हो चुके हैं। दो को उपचार देकर वहां से छुट्टी की जा चुकी है और तीन व्यक्ति मौत से टकरा रहे हैं। पुलिस प्रशासन और एस. एम. एस. के डॉक्टर उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अभी एस. एम. एस. होकर आया हूं। उनमें 13 में से 6 की डेड बॉडीज की शिनाख्त होकर उनके परिवारजनों को सौंप दी गई है। सात डेड बॉडीज ऐसी हैं जिनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। कोई जयपुर का है, कोई दूसरी जगह का है, दूर का है। मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि परम्परा अनुसार उनकी शिनाख्त नहीं होने पर नगर परिषद् या पुलिस को डेड बॉडीज हैण्ड ओवर कर दी जाती है, सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि जो शिनाख्त नहीं हुई है डेड बॉडीज, उनको प्रिजर्व करवाने की व्यवस्था करें कल तक के लिए और उनके फोटो टी. वी. से, रेड़ियो से, अखबार के जरिये लोगों को जानकारी देने का प्रयास करें ताकि उनके परिवारजन आकर उन डेड बॉडीज को हासिल कर सकें और उनका दाह-संस्कार कर सकें। इसके अलावा जो है, राजस्थान सरकार को इस बारे में अपना स्टेटमेंट देकर सदन को अवगत कराना चाहिए सारे हालात के बारे में, और राज्य सरकार क्या भविष्य में इस तरह का प्रयास करेगी कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो और निश्चित तौर से यह बात सही है कि नेशनल हाईवे के ऊपर जो टैक्सी और आर. एस. टी. गाड़ी थी, उदयपुर में भी कुछ इस तरह से एक्सीडेंट हुआ है, यहां पर भी हुआ है, रोजमर्रा होते हैं, सरकार को इनकी रोकथाम के प्रयास करने चाहिए। यह सूचना मुझे राज्य सरकार को देनी है।

श्री अध्यक्ष : श्री हेतराम।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस पर स्टेटमेंट आना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आप डाइरेक्शन दो इनको····

श्री अध्यक्ष : उनका एडजोर्नमेंट मोशन है, उनको बोलने तो दीजिए····

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, वह तो बोल लें लेकिन गवर्नमेंट का स्टेटमेंट····

श्री अध्यक्ष : तो वह मांग कर रहे हैं····

श्री प्रद्युम्न सिंह : सुओमोटो स्टेटमेंट आना चाहिए, सरकार का दायित्व है····

श्री अध्यक्ष : हां बोलिए, आप बोलिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, बहुत भयंकर और गम्भीर घटना है, इसके बारे में राज्य सरकार संवेदनशील नहीं है।

श्री अध्यक्ष : हां बोलिए, हां बोलिए।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, कल छः लोग उदयपुर-चित्तौड़गढ़ में भी मारे

(डा. चन्द्रभान)

गये हैं, एक दिन में बीस लोगों की मौत हो गई····

श्री अध्यक्ष : इनको बोलने दीजिए। हां बोलिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं स्थगन प्रस्ताव के बारे में एक आपसे निवेदन करना चाहूंगा। विशेष तौर से अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो कानून और व्यवस्था की स्थिति है उस सिलसिले में जब हम स्थगन प्रस्ताव देते हैं, ऐसे स्थगन प्रस्ताव, जिन स्थगन प्रस्तावों में सारा जिला. पूरा राज्य प्रभावित है और उसमें हमारा जो गृह विभाग है वह उसको बिल्कुल उपेक्षा से देखता है, यह बहुत गम्भीर बात है। मैंने एक स्थगन प्रस्ताव आज से तेरह दिन पहले दिया था और वह स्थगन प्रस्ताव दो लड़कों को उठाने का था। उस सिलसिले में उग्रवादियों ने चिट्ठी दी, उग्रवादियों के लैटर्स आये, उन लड़कों को तेरह दिन तक गंगानगर जिले में रखा गया, उसके बाद उग्रवादी उनको छोड़ कर भाग गये या पुलिस ने भगा दिया, यह एक गम्भीर मामला वहां बना हुआ है। पुलिस वहां कुछ स्टेटमेंट देती है, वहां की जो जनता है. पूरी आबादी के इलाके के अन्दर वह रह रहे हैं, सादूलशहर के सात–आठ किलोमीटर दूर, बहुत चिन्ता लोगों को इस बात की है कि किस तरह से उग्रवादी आते-जाते रहे, हथियार लेकर आते-जाते रहे, गन्स उनके पास थी और माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके यहां उनकी ड्यूटी बदली है चार बार, मैं उन बच्चों से मिला हूं, उन्होंने कहा कि हमारे पास चार बार उन्होंने ड्यूटियां बदली है, पांच-पांच चार–चार आदमी पंजाब से आते रहे, एक यह प्रस्ताव था। इसी तरह से मेरा एक प्रस्ताव अलवर के बारे में था। जिस अलवर में पूरा अलवर बाजार बंद रहा, हजारों नर–नारियां आज से दो दिन पहले कलक्टर के पास प्रदर्शन लेकर गई, एक दस साल की बच्ची, जिसको बलात्कार करके कत्ल कर दिया गया और हमारा जो गृह मन्त्रालय है, उन्होंने यह उचित नहीं समझा कि आपको रिपोर्ट तक दे। इसी तरह से यह जो घटना है, मैं कल रात को उसी बस से आया और मैंने यह देखा कि वहां पर हजारों लोग खड़े थे, उनको रोष इस बात का था कि उसमें 26 सवारियां थी जीप में और जो ट्रक था उस ट्रक के चालक भाग गये। यानि वहां से चालक भाग गये और वह वहां सड़क पर पड़े रहे। पुलिस को जब वहां बुलाया, नजदीक की पुलिस को, पुलिस भी, जो नजदीक का एक–दो सिपाही है, पहुंच गई, बाकी कोई पुलिस नहीं पहुंची। बहुत गुस्सा लोगों को था, हजारों ग्रामीण वहां इकट्ठे थे। इस तरह की स्थिति उदयपुर में भी इसी तरह से ट्रक और जीप की टक्कर हुई और छः लोग कल ही वहां मारे गये। यानि बीस आदमी एक दिन में राजस्थान में सड़कों की दुर्घटनाओं में ट्रक की वजह से मारे गये। तो जो ट्रकों के संचालन की व्यवस्था है उनकी जो चैकिंग है, उनका सारा सिस्टम है या प्राइवेट जीपें जो चलती हैं, मैं समझता हूं कि यह मौत को लेकर चलती हैं तो इस तरह की व्यवस्था पर गृह मंत्रालय को चाहिए कि वह अपना यहां वक्तव्य दें। इन सवालों पर राजस्थान की जनता को बहुत ही गम्भीर चिन्ता है। उनको स्टेटमेंट इस पर देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। डा. चन्द्रभान पहले जिनका आ चुका है····

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक बात है।

श्री अध्यक्ष : पहले उनका हाथ उठा है, आप फिर बोल लेना।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं भाषण नहीं दे रहा हूं; मैं तो एक प्रक्रिया सम्बन्धी.....

श्री अध्यक्ष : तो भी हो रहा है.....

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। पूर्व के अन्दर अध्यक्ष महोदय, सदन में परम्परा रही है, ऐसे गम्भीर मामलों में जहां पर कि पुलिस की और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की लापरवाही और मिलीभगत की वजह से इस किस्म की दुर्घटनाएं हो रही हैं, आज सरकार, मंत्री महोदय खुद खड़े होते कि मैं शाम को स्टेटमेंट दूंगा, कल दूंगा स्टेटमेंट, अध्यक्ष महोदय, लोग सूचना दें, सूचना तो.....उन्होंने भी अखबार पढ़ा होगा, उसके बाद में उनके पास सुबह ही खबर, रात को खबर आ गई होगी, आखिर संवेदनशीलता इस सरकार की गई कहां? अब अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और सख्त एतराज है, आप स्टेटमेंट दिलवाइये इनसे; इस पूरे सत्र के अन्दर सरकार की तरफ से किसी भी मामले के अन्दर स्टेटमेंट नहीं हुआ है, स्टेटमेंट एक नहीं दिया है सरकार ने.....

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक भी वक्तव्य नहीं दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इतनी गम्भीर घटना है.....

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रद्युम्न सिंहजी ने जो बात कही, निश्चित रूप से यह चिन्ता का विषय है और सरकार भी इस सम्बन्ध में जागरूक और चिन्तित है और आपने जैसा कहा, मैं कल तो खुद ही दौरे पर था, रात को मैं करीब साढ़े दस बजे लौटा, तब मेरे को सूचना मिली कि इस प्रकार की घटना हुई है और उसके अन्दर करीब तेरह व्यक्ति उस दुर्घटना के अन्दर मारे गये, बाकी यहां के अस्पताल में भर्ती हैं और जैसा चौमू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि तीन की मृत्यु यहां पर हो गई और बाकी भी काफी गम्भीर स्थिति में चिन्ताजनक हालत में बैठे हैं। जहां तक पुलिस का और ट्रांसपोर्ट विभाग का सम्बन्ध है.....

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप स्टेटमेंट दे दीजिए।

श्री दिग्विजय सिंह : .....मैं स्टेटमेंट स्टेटमेंट नहीं, मैं आपके पास जो.....

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, पहले हम लोग अपनी बात रखें, इसके बाद स्टेटमेंट आ जाये मंत्री महोदय की ओर से.....

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास में.....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : पहले हमको बोलने दो.....

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, पहले नहीं स्टेटमेंट। अध्यक्ष महोदय, पहले हमको इजाजत दीजिए, बाद में मंत्री महोदय का स्टेटमेंट आ जाय यहां। आप पूरा स्टेटमेंट दे दीजिये बाद में.....

श्री बुलाकीदास कल्ला : अवैध वाहन

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

क्यों चलते हैं, 26–26 आदमी क्यों सवार थे, क्यों नहीं रोका पुलिस ने रास्ते में ?

श्री दिग्विजय सिंह : आप बैठिये तो सही, कल्ला साहब। आप इतने सीनियर सदस्य होते हुए भी न मालुम आपको क्या हो जाता है····

श्री अध्यक्ष : आप ऐसा करिये, आज शाम तक इसकी पूरी डिटेल्स····

श्री दिग्विजय सिंह : हाँ, मैं दे दूंगा। मैं स्टेटमेंट····

श्री अध्यक्ष : शाम को दे दीजिए। बिराजिये। शाम को स्टेटमेंट आ जायेगा। श्री मनीराम।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, यह भी लॉ एण्ड आॅर्डर का मामला है, मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव····

श्री अध्यक्ष : आप दे रहे हैं स्टेटमेंट शाम को ?

डा. चन्द्रभान : हां, ठीक है। इनका बयान तो हम सुन लेंगे। गृह मंत्रीजी भी हैं, अभी जो मैंने इनका कृष्णा यादव, पंकज सिंघवी के मामले में जो बयान....

श्री अध्यक्ष : मैं आपको एक निवेदन कर दूं, आप बैठिये, बैठिये।

डा. चन्द्रभान : आपने सुनाया पढ़ करके लेकिन इस बयान में है क्या अध्यक्ष महोदय इसको आप अविलम्बनीय लोक महत्व का सवाल नहीं मान रहे....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये आप। आप बैठिये। पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप बैठिये। देखिए। यहां इसी हाउस में निर्देश जो मेरे भूतपूर्व अध्यक्ष दे गये हैं वह मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि "प्रति दिन प्राप्त हुए प्रत्येक स्थगन प्रस्ताव पर आसन की ओर से व्यवस्था दिये जाने की अब तक जो प्रक्रिया अपनाई जा रही थी वह बजट सत्र 1988 से बंद कर दी गई है।" केवल आपको सन्तोष करने के लिए मैंने जो जवाब आया है वह जवाब पढ़ कर के सुनाया है। यह निर्देश अध्यक्ष के हैं, यह मेरे नहीं हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : आप कुछ नहीं कहें, आपकी मैं सुनना नहीं चाहता। इसलिए नहीं सुनना चाहता कि मैं केवल अध्यक्ष के निर्देश पढ़ कर सुना रहा हूं। यह डिस्कशन का मामला नहीं है। आप मुझ ही से डिस्कशन करना चाहें, इसमें कोई नये निर्देश चाहें तो कृपया मेरे से चैम्बर में बात करें। आप मेरे से चैम्बर में बात करें ताकि उसमें निर्देश कोई बदलने हों तो मैं उसकी, यहां पर उसको डिस्कशन के पाइन्ट में नहीं लेता, यहां नहीं बनाना चाहता मैं, इसलिए मैं आपको कोई इजाजत नहीं दूंगा। श्री मनीराम, बोलिये।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन केवल इतना है कि आपने और सरकार ने....

श्री अध्यक्ष : श्री मनीराम का दर्ज हो।

डॉ. चन्द्रभान : ××××

श्री अध्यक्ष : केवल श्री मनीराम का दर्ज हो।

डा. चन्द्रभान : ×××

श्री अध्यक्ष : हां, श्री मनीराम जी, बोलिये।

डा. चन्द्रभान : ×××

श्री अध्यक्ष : श्री मनीराम, श्रीमनीराम बोलिये आप। बोलिए।

डा. चन्द्रभान : ×××

श्री अध्यक्ष : श्री मनीराम।

डा. चन्द्रभान : ×××

श्री अध्यक्ष : श्री मनीराम जी का ही अंकित हो। (व्यवधान)

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

श्री मनीराम :........(व्यवधान)......... देयर इज नो बिजनेस...........(व्यवधान) किसी का अंकित नहीं हो।

श्री हेतराम बेनीवाल : ×××

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

अनेक माननीय सदस्य : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, मैं जवाब दे रहा हूं। पंकज की हत्या के बारे में पिछले सत्र में बहुत लम्बी चर्चा यहां हो चुकी है और यह आपके नियमों का प्रावधान है कि जिस विषय पर एक बार लम्बी चर्चा हो गयी दुबारा उसको रिपीट नहीं किया जाये। (व्यवधान) आप मेरी बात सुन लीजिए...(व्यवधान) उसके बावजूद भी आपके एडजार्नमेंट मोशन में पंकज की हत्या के बारे में सरकार क्या कर रही है इसका जवाब जो आया है वह मैंने आपको पढ़कर सुना दिया जिसमें उन्होंने साफ तौर से लिखा हैं कि एक अलग टीम बनाई है डी. एस. पी. के अन्तर्गत और हमको गवाह नहीं मिल रहे है, सबूत नहीं मिल रहे हैं लेकिन निरन्तर रात और दिन लगकर इस हत्या को सुलझाने में पुलिस लगी हुई है। कोताई कहीं नहीं हो रही है।

जहां तक दूसरी हत्या का सवाल है श्रीमती कृष्णा यादव का इसके बारे में हाईकोर्ट में रिटपिटीशन हुई है। हाईकोर्ट ने उसके सी. बी. आई. को ट्रांसफर करने के आर्डर्स दे दिये हैं और सी. बी. आई. में वह ट्रांसफर हो रही है मैं नहीं समझता कि अब चर्चा की गुंजाइश नहीं रही। जब एक बार चर्चा हो चुकी, हाईकोर्ट ने आर्डर्स दे दिये, सी. बी. आई. को जांच जा चुकी है और केवल कागज वहां पर भेजने की तैयारी की जा रही है, अब इसमें चर्चा की कोई गुन्जाइश नहीं है। यदि आप सदन का समय केवल अपने भाषण के लिए करना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।...........आप बैठिए प्लीज...........जब मैं खड़ा हूं हेतराम जी, आप इतने सीनियर मैम्बर हैं आखिर आप समझा करें इतने उतावले क्यों हो रहे

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

हैं आप? मैं जब इतनी शांति से सुन रहा हूं आपको तो इस हिलित में रीजनेबली यदि मुझे अपने विवेक से विचार करना पड़ा है तो मैं यह सोचता हूं कि क्योंकि इस विषय पर पहले लम्बी चर्चा हो चुकी है और उसकी प्रगति रिपोर्ट सरकार ने दे दी और कृष्णा यादव के मामले में हाईकोर्ट ने जो पुलिस प्रयास कर रही है उसकी प्रशंसा की है कि पुलिस की तरफ से जो प्रयास किये जा रहे हैं और जो जवाब आया मैंने उसको पढ़कर सुनाया आपको। हाथ हिलाने से नहीं मानूंगा मैं। वह हाईकोर्ट का फैसला है कि हाईकोर्ट ने पुलिस की प्रशंसा की है और जल्दी से जल्दी जांच इसकी हो इसके लिए इसको सी. बी. आई. को सौंपा है। अब मैं इसकी चर्चा की गुंजाइश नहीं समझता। इसलिए श्री मनीराम जी शुरू करें। (व्यवधान)

श्री मनीरामजी का ही अंकित हो और कोई अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य व्यवधान कर रहे हैं। यह व्यवधान रोकने की व्यवस्था करें... (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : ××× [1]

श्री मनीराम सियाग : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उपनिवेशन तहसील छतरगढ़ नम्बर 1, उपनिवेशन तहसील छतरगढ़ नम्बर 2 में आवंटन फर्जी होने के लिए स्थगन प्रस्ताव लगाया था....(व्यवधान).... माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे यहां चार तरह के आवंटनों की व्यवस्था है। सामान्य आवंटन, विशेष आवंटन....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : हेतराम जी कृपया आप बैठिये...... आप बिराजिये...... आपने यदि कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाया है तो मैं उसको रद्द करता हूं। आपको बोलना ही है तो व्यवस्था क्या दूंगा? आप बैठिये ना। आप दूसरे माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। प्लीज सिट डाउन। हेतराम जी का अंकित नहीं हो।

श्री हेतराम बेनीवाल : ××× [1]

श्री मनीराम सियाग : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में........(व्यवधान)...... माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में फर्जी अलाटमेंट के बाबत स्थगन प्रस्ताव लगाया था उसमें मेरा कहना यह है कि अलाटमेंट की एक कमेटी बनी हुई है उस कमेटी में सम्बन्धित क्षेत्र का क्षेत्रीय विधायक का उपस्थित होना अनिवार्य है क्योंकि 1989 में राजस्थान सरकार के यहां से निर्देश जारी किये जा चुके हैं लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : श्री हेतराम जी बैठिये।.... मैं खड़ा हुआ हूं आप बैठिये। पहले तो श्री चन्द्रभान जी ने हाइकार्ट के फैसले के लिए कहा इसलिए मैं उसको पढ़कर सुनाता हूं। उसका वह पोरशन पढ़कर सुनाता हूं जिसमें

---

[1] ××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

पुलिस की प्रशंसा की गयी है सुन लीजिए

"A perusal of case diary convinced me that the investigating officer in this case has been taking pains and has done his best under the given circumstances to unearth the mystery. I may state that part of the criticism against the investigation so far is not that it relates to lack of knowledge of the investigating officer but is concerning the limitations he has in detecting the crime and that there is no will to work for the reasons best known. I am not prepared to accept for a moment that there is a lack of will on the part of the investigating officer to detect crime, on the contrary the fact is otherwise. But in a case"

श्री अध्यक्ष : यह क्लियर लिखा है।

श्री मनीराम ।........(व्यवधान)....आपकी व्यवस्था क्या है? क्या व्यवस्था चाहते हैं आप?

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था....

श्री अध्यक्ष : आपकी क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है आपकी? आप बैठिये। आप क्या व्यवस्था चाहते हैं। हेतरामजी, क्या व्यवस्था चाहते हैं? बोलिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने दो स्थगन प्रस्ताव रखे।

श्री अध्यक्ष : आपके दोनों स्थगन प्रस्ताव के बारे में सरकार का जवाब मांगा गया है और...

श्री हेतराम बेनीवाल : 13 दिन हो गये माननीय अध्यक्ष महोदय 13 दिन

श्री अध्यक्ष : 13 दिन हो गये...

श्री हेतराम बेनीवाल : और 13 दिन तक उग्रवादी गंगानगर में रहे और अभी वह चले गये...

श्री अध्यक्ष : आप मेरे चेम्बर में मिलें आप चेम्बर में मिल बैठिये।

श्री मनीराम सियाग : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे विधान सभा क्षेत्र के उपनिवेशन तहसील छतरगढ़ नम्बर एक, छतरगढ़ नम्बर दो और पुगल में होने वाले अनियमित और फर्जी लोगों के नाम से आवंटन के बाबत एक स्थगन प्रस्ताव आपके माध्यम से लगाया था। मेरे उस स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में आपने जो व्यवस्था दी है उसके सम्बन्ध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में चार तरह से भूमि आवंटन की व्यवस्था है। एक सामान्य भूमि आवंटन, जिसमें समस्त राजस्थान के भूमिहीन लोगों को भूमि आवंटन की जाती है। दूसरा मूल निवासियों को भूमि आवंटन, तीसरा, विशेष भूमि आवंटन और चौथा 33 गांव के महाजन फील्ड फायरिंग रेन्ज के विस्थापितों को भूमि के बदले भूमि आवंटन। मान्यवर, मेरा

(श्री मनीराम सियाग)

निवेदन यह है कि समस्त प्रकार की भूमि आवंटन कार्यक्रम में सिर्फ विशेष अलाटमेंट को छोड़कर के एक कमेटी बनी हुई है जिसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं । अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में न पंचायतें हैं और न पंचायत समिति हैं और न जिला परिषदें हैं मात्र एक विधायक जनप्रतिनिधि के नाते उस आवंटन कमेटी का मैम्बर होता है, उसी के बारे में निवेदन कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इस अलाटमेंट कमेटी में, क्योंकि 1989 में सरकार ने एक व्यवस्था की थी, क्षेत्रीय विधायक उस अलाटमेंट कमेटी में अनिवार्य रूप से हाजिर हो तभी वहाँ अलाटमेंट हो, तो अध्यक्ष महोदय, मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन हैं कि क्योंकि अलाटमेंट में काफी लोगों को ओबलाइज करने के लिए अनियमिततायें की जाती हैं अधिकारियों द्वारा । मुझे जब भी सूचना दी गयी उसमें इस बात से आगाह नहीं किया गया कि आपका इस मीटिंग में आना अनिवार्य है । उसमें नीचे यह नोट लगा दिया जाता था कि आपके नहीं आने पर भी आवंटन कार्यक्रम जारी रहेगा, क्योंकि मैं यहां विधान सभा कमेटियों की मीटिंगस में उपस्थित रहता हूं इसकी वजह से मैंने यह उचित नहीं समझा कि जब जरूरी ही नहीं है तो आवंटन नियमित रूप से होता रहेगा फिर मुझे एक डी. ओ. लैटर वहां के ए. सी. सी. के द्वारा मिला जिसमें सरकार को गलत सूचना दी गयी कि माननीय सदस्य जानबूझकर अलाटमेंट के टारगेट पूरे नहीं होने देने के लिए यहां उपस्थित नहीं हो रहे हैं । यह पता चला तो मैंने इस सम्बन्ध में जानकारी चाही फिर उन्होंने उस निर्देश से अवगत कराया और एक अलाटमेंट प्रोग्राम मैंने रखवाया । इसमें जब मैं हाजिर हुआ तो मुझे यह देखने को मिला कि यहां तो बहुत भारी फर्जीवाड़ा चल रहा है जिसकी पटवारियों से तालमेल बैठाने के बाद मैंने रिपोर्ट में देखा कि उस अलाटी आदमी के परदादा के नाम वोट लिस्ट में होना बताया जाता है । यह बहुत ही खेद का विषय है कि कहां उसका दादा गया, कहां बाप गया, मतलब कहीं जोड़-तोड कर के उसे वहां का मूल निवासी बनाया जा रहा है ।

दूसरा, वहां मेरे ध्यान में आया कि कोई व्यक्ति जिसका पेशा खेती है ही नहीं, कभी सन् 58 या 55 में वह कारगुजारी करने के लिए उस गांव में एक परचूनी की दुकान खोलकर बैठ गया और वोटर लिस्ट में उसका नाम आ गया । बाद में वह अपने गन्तव्य स्थान पर जहां उसको ज्यादा व्यापार में आमदनी होती है, वहां चला गया और उस पटवारी से वह मिलकर वह रिपोर्ट अपने पक्ष में करा ली (समय-समाप्ति सूचक-घण्टी) कि यह मूल निवासी है । मान्यवर, जब वह सद्भावी काश्तकार नहीं है तो वह आवंटन की क्या पात्रता रखता है ?

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बिराजिये । श्री रामनारायण वर्मा ।

श्री मनीराम सियाग : इस बारे में मैं आपसे और निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : हां, हो गया । 7 मिनट बोल चुके हैं आप ।

श्री मनीराम सियाग : मान्यवर, आपके हर शिविर अटेण्ड करता हूं इसलिये मैं आपसे माफी चाह रहा हूं । इसमें थोड़ा-सा रह गया ।

श्री अध्यक्ष : आप 2 दिन यहां रहे ?

श्री मनीराम सियाग : हां, बिल्कुल रहा।

श्री अध्यक्ष : चलिये 2 मिनट उसका मिलता है।....(व्यवधान)

श्री मनीराम सियाग : मैं 2 मिनट जनसंख्या पर और लूंगा साहब।

श्री रामनारायण वर्मा : अध्यक्ष महोदय मेरा एक निवेदन है....(व्यवधान)....ज्यों ही मेरा नम्बर आ रहा है सी. ए. डी. मिनिस्टर उठकर चले गये हैं। मेरा सी. ए. डी. से सम्बन्धित है उनको तो बुला लिया जाय। वह उठकर चले गये। करप्शन सम्बन्धी मामला है।

श्री अध्यक्ष : हां बुला लूंगा।

श्री मनीराम सियाग : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मामला मेरे सामने इस टाइप का भी आया कि 70-70, 80-80 साल की विधवा महिलाओं का आवंटन पत्र....

श्री देवीसिंह भाटी (राज्य मंत्री, पशुपालन) : अध्यक्ष महोदय, उस कमेटी के यह मेम्बर हैं। इसको आप पूरा अवलोकन कर सकते हैं। किसी को गलत आवंटन नहीं हों।

श्री मनीराम सियाग : हां किये हैं मैंने।

श्री देवीसिंह भाटी : तो माननीय सदस्य को उस कमेटी में उपस्थित रहना चाहिए जिससे लोगों को न्याय मिल सके, किसी के साथ ज्यादती नहीं हो। आपको वहां रहना चाहिए।....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये

श्री मनीराम सियाग : मानन[ीय] महोदय, यही आगाह करना चाहता उसके बारे में जब यह दो-चार बातें आया मैंने सख्ती से आवंटन कार्यों क[ो] रखना चाहा तो उस गिरोह में जो अ[ि] भ्रष्टाचार में लिप्त थे उन्होंने उस व[...] योजना बनाई कि इन आवंटन कार्यों विधायक हाजिर रहेगा तो अपना नहीं हो पायेगा, तो अभी भी सुनने में है कि विधान सभा सत्र के चालू र[हने के] दौरान वह आवंटन कार्यक्रम रखेंगे मेरा विशेष आग्रह है अध्यक्ष महोदय, हमारे अधिकारों की रक्षा करें। जब [व]िधान सभा....

श्री देवीसिंह भाटी : मैं निवेदन [करता हूं] अध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह बोल रहे हैं उनको बोलने दें फिर आप बोल लेना। इनकी बात सुन लें।

श्री मनीराम सियाग : माननीय मंत्री[जी] आप बार-बार क्यों इंट्रप्ट कर रहे हैं ? यह निवेदन है कि जब विधान सभा चल रहा हो तो किसी प्रकार का आव[ंटन] कार्य नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो स[बसे] पहले, क्योंकि अभी वर्तमान में एक प्रतिनिधि विधायक है, तो जब भी आव[ंटन] कार्यक्रम चालू हो तो उसको आवश्यक [रूप] से यह पुरानी व्यवस्था लागू की जा[नी] चाहिए कि वह क्षेत्रीय विधायक को आ[व]श्यक रूप से इसमें उपस्थित हो। यह न[हीं] हो जैसा कि मेरे सुनने में आया है कि [इस] गिरोह ने एक योजना बनाई है कि [...]

(श्री मनीराम सियाग)

विधायक को मात्र सूचना दे दी जाए और वह भी डिस्पैच कर दी जाए लेट और जब तक उसको सूचना मिले तो वह आवंटन कार्यक्रम हो चुका होता है। मैं आपको भविष्य के लिए यह निवेदन करना चाह रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये। मंत्रीजी बता रहे हैं। मंत्रीजी, एक तो इनको सूचना मिले, यह पुख्ता करिये कि सूचना मिल गयी है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इसमें कम से कम....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। बैठिये आप।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इनको कम से कम 10 दिन पूर्व में, माननीय विधायक को सूचित किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, इसमें यह हुआ कि पूर्व में आवंटन के ऊपर रोक लगा....

श्री अध्यक्ष : नहीं, इनकी यह शिकायत है कि वह मीटिंग इस तरह से अरेन्ज करते हैं कि जिससे वह नहीं पहुंच पायें।

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं परसों ही कोलायत में मीटिंग अटेण्ड कर के आया हूं।

श्री अध्यक्ष : इसकी आप पूरी पुख्ता व्यवस्था कर लीजिये कि सूचना उनको मिल गयी है....(व्यवधान)....यह इनकी शिकायत है।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसको दिखवा लूंगा और फिर माननीय सदस्य को 10 दिन पहले सूचना हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल। बस ठीक है अब आपको सूचना होगी....(व्यवधान)

श्री रामनारायण वर्मा....(व्यवधान)....आप बिराजें। हो जायेगा अब। श्री रामनारायण वर्मा।

श्री मनीराम सियाग : सत्र के दौरान नहीं होनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : सिर्फ शनिवार को रखा है।

श्री अध्यक्ष : ......(व्यवधान)........जब विधान सभा चल रही है तब कोई मीटिंग या आवंटन नहीं होना चाहिए....(व्यवधान) नहीं होगा।

श्री देवीसिंह भाटी : होता नहीं है अध्यक्ष महोदय। सटरडे ऑफ करते हैं इसलिए रखा है कि टारगेट पूरे हो जायें।

श्री अध्यक्ष : बैठिये एक मिनट। इस विधान सभा के दौरान भी मुझे यह पता चला है कि कुछ कलक्टर्स विजलेंस कमेटी की और मीटिंग रख रहे हैं। यह पहले भी कहा जा चुका है कि जब विधान सभा चल रही हो तो इस तरह की कोई जिला स्तर की मीटिंग नहीं हो और आवंटन नहीं हों। श्री रामनारायण वर्मा। हां बोलिये।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : माननीय

(श्री सुनील कुमार विश्नोई)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये। वह बोल चुके हैं उनका टाइम था। अब आपका नहीं है टाइम। आप बोलिये: (व्यवधान)... इनका भी समय जा रहा है। आज 25 आदमी बोलने वाले हैं। मैं सभी को बुलाना चाहता हूं। उनका कॉल-अटेन्शन बाकी है आप बिराजिये आपकी नम्बर आयेगा।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर....

श्री अध्यक्ष : उनकी बात हो गयी। वह सन्तुष्ट हो गये। जिन्होंने उठाया। आप इसमें क्यों कर रहे हैं।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, हम भी विधायक हैं...

श्री अध्यक्ष : हां, आप विधायक हैं तो तो आप उठायेंगे तो आपको मौका दूंगा, बैठिये। आप उठायेंगे तो मौका दूंगा।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : ...उठा हुआ है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप उठायेंगे तो मौका दूंगा। जरूर दूंगा। अब आप बिराजिये। विश्नोईजी, अब आप बैठें। इनको सुनें आप। रामनारायणजी, शुरू करिये, जोर से करिये।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक चीज पूछना चाहता था, अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि परसों वह मीटिंग अटेण्ड करके आये हैं जबकि गवर्नमेंट का सर्कुलर आया हुआ है कि विधान सभा के दौरान कोई मीटिंग नहीं होगी, तो ऐसी कमेटी आदेश दे तो उनके खिलाफ गवर्नमेंट एक्शन लेगी या नहीं लेगी? दिस इज ए वेरी सीरियस ऑफेंस। मान्यवर मान ही नहीं रहे हैं वह जानबूझ-कर कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : जानबूझ कर ऐसी मीटिंग करते हैं।

श्री अध्यक्ष : अब इसको ध्यान दे दें। जो मीटिंग अभी हुई है उनको दुबारा बुलाइये। श्री रामनारायण वर्मा, बोलिये।

श्री रामनारायण वर्मा : अध्यक्षजी, मैं चम्बल सिंचित क्षेत्र में कैचमेंट के नाम पर जिस तरह से धांधलियां, किसानों की लूटपाट....

श्री अध्यक्ष : दो मिनट का टाइम है, ध्यान रखना।

श्री रामनारायण वर्मा : मनीरामजी के बराबर तो मुझे टाइम मिलेगा ना।

श्री अध्यक्ष : मनीरामजी दो दिन रहे थे इसलिए एक्स्ट्रा टाइम दिया। आप थे नहीं दो दिन। आप दो दिन नहीं रहे इसलिए आपको नहीं मिलेगा।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं कभी अध्यक्षजी से जबर्दस्ती टाइम नहीं लेता, आज लेने की कोशिश करूंगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आज दो मिनट बोलिये आप, ज्यादा नहीं।

गोविन्दसिंह गुर्जर : नसबन्दी के ेटिव ।

(1.00 बजे म. प.)

ामनारायण वर्मा : माननीय अध्य- ो जिले में, कोटा जिले में कैचमेण्ट ार जिस तरह से भ्रष्टाचार पनप ड़ी अशोभनीय बात है । मैं आपसे रना चाहूंगा कि जितने ऐटे की मुझे सबसे बड़ा दुःख इस बात ाकी तरफ से यह रूलिंग होने के कैचमेण्ट के मामले में दो मिनट ी.ए.डी. मिनिस्टर यहां सदन में बड़ा दुर्भाग्यशाली मामला है कि उठकर कोई मन्त्री चले जाए, ा लगता है कि भ्रष्टाचार का ही सरकार कांपने लगती है, ्ले भी कहा था । तो कोटा में, ों पहले कहा था, हम अधि- ालते हैं, वह अधिकारी नदारद । आफिसर्स के मामले में आप के पास जाओ, एक्स.ई.एन.नहीं ापको ए. ई. एन. तक नहीं पको सुपरिण्टेण्डेन्ट इन्जीनियर । तो, माननीय अध्यक्षजी, हो रहा है, कैचमेंट में अफसरों से लूट मचा रखी है, मेरा ा है, आप इस मामले में यदि सरकार यदि जांच करायेगी ूप से किसानों की लुट का इनसे बरामद हो सकता है। ारते हैं, कैचमेंट में कितने ाबको एक साथ कर देते हैं। बाद उनको रि-अलाट- : जिसकी अच्छी जमीन है ीन दे दी जाती है । वह किसान इनके पास आता है, दो हजार रुपये तीन हजार रुपये बीघा के हिसाब से पैसा लिया जाता है, कैचमेण्ट का जिस तरह से खर्चा किया जाता है, मशीन वहां मौके पर खड़ी रहती है, डीजल यह लोग बेचते हैं । यह दो साल के पीरियड में जितना भ्रष्टाचार पनपा है, माननीय अध्यक्षजी, पहले इतना कभी नहीं देखा । एक ऐटे की मशीन जो सी.ए.डी. की है, इनके अभियांत्रिकी विभाग की है, मेरी खटियाडी में खड़ी रही । मैंने सदन के माध्यम से इस मामले में यह चाहा कि यह वहां खड़ी क्यों रही, इतना-सा आ गया कि वहां काम अलाट नहीं हुआ था । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से काम अलाट नहीं हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? उसके बारे में न तो कोई वहां के अधिकारी जांच करते हैं, न उनके बारे में कोई किसी तरह की कार्यवाही होती है । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, कैचमेण्ट के नाम पर जितना वर्ल्ड बैंक का पैसा आता है, आज सारा का सारा पैसा जिस तरह से मिस-यूटिलाइज हो रहा है, जिस तरह से हमारे ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसी मिसाल आपको कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेगी । किसानों के खेत में डेम के नाम पर, धोरे के नाम पर जिस तरह मे अपव्यय किया जाता है और किसानों को जिस तरह से टेरेराइज किया जाता है, 600 बीघा जमीन का एक धोरा दे दिया गया, यह हालत आप खेतड़ी में चले जाइये, यह हालत आप भवानीपुरा में चले जाइये....

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट हो गये, पांच मिनट ।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, दो लाईन और निवेदन करना चाहूंगा, सबसे बड़ा दुःख यह है कि ऑफिसर्स कैचमेंट के नाम पर, जमीन के रि-अलाटमेंट के नाम पर पटवारी से लगाकर अलॉटिंग अथोरिटी जो इनका एस.ओ. होता है, इनका एक्स.ई.एन. होता है वहां तक जिस तरह से भ्रष्टाचार पनपा है, इनकी शिकायत की जाती है, शिकायत के बाद कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं तो सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले में कोई न कोई कमेटी बैठायी जाए। गांव की कमेटी बैठायी जाए और रि-अलाटमेंट के पहले नक्शे में शो करके जमीन किसको कहां मिले, ताकि अलाटमेंट के बाद उस जमीन का उसको ध्यान रहे और अलाटमेन्ट के पहले भी उसका ध्यान रहे और कैचमेण्ट का काम सही हो सके, यह सारा का सारा सुनिश्चित होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद, श्री हरिसिंह।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं इसके साथ ही एक निवेदन करना चाहूंगा कि यह कैचमेंट के साथ ही जो बूंदी ब्रांच कैनाल निकल रही है, जो जर्जर अवस्था में है, जिसका सारा का सारा स्ट्रक्चर कभी भी किसी भी समय गिर सकता है, उस काम को भी उस काम में शामिल करके बूंदी ब्रांच कैनाल का माडर्नाइजेशन किया जावे ताकि किसानों की जो आज की तारीख में फसलें सूख रही हैं, यह दुर्भाग्यशाली है, सी.ए.डी. मिनिस्टर नहीं है, इरिगेशन मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं, सरकार के नुमाइन्दे यहां बैठे हुए हैं, आज की तारीख में हजारों बीघा जमीन सूख रही है, टेल पर किसी गांव में पानी नहीं है....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, श्री हरिसिंह।

श्री रामनारायण वर्मा : एक गांव में पानी नहीं है, वह पीपलिया हो, रियाना हो, ख्यावदा हो, चापड़दा हो, रायतसोल हो या गोमपुरा हो या फिर गोगलिया हो या बम्बोली हो....

श्री अध्यक्ष : बैठिये अब आप। अब आपने जबर्दस्ती भी ले लिया है। पांच मिनट ले लिये, जबर्दस्ती भी ले लिया, अब तो हो गई बात पूरी आपकी। बिराजिये।

श्री रामनारायण वर्मा : उस गांव में पानी पहुंचाया जाए और इस भ्रष्टाचार को खतम किया जाए। धन्यवाद।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने दो मिनट का समय दिया है, मैं तो दो मिनट का समय भी नहीं लेना चाहता।

श्री अध्यक्ष : बहुत धन्यवाद आपको।

(1·05 बजे म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा और मेरे चार साथियों के द्वारा यह एडजोर्नमेंट मोशन मूव किया गया था कि धौलपुर में जहरीली शराब के पीने से चार आदमियों की मृत्यु हो गयी। उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर पहले ही संवेदनशील जिला है, डाकूग्रस्त क्षेत्र है। कई बार

(श्री हरिसिंह महुआ)

भारतीय स्तर के पत्र पत्रिकाओं में और यहां सदन में भी चर्चायें हुई, कोई औरतों के धन्धे भी करते हैं, अवैध हथियारों के धन्धे भी होते हैं। आर्म्स एण्ड एम्यूनिशन बोथ, सीमावर्ती जिला और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्य मन्त्री जी का निर्वाचन क्षेत्र। जिस दिन यह जहरीली शराब पीने से चार आदमी मरे हैं उससे पहले करोड़ों रुपये की अवैध शराब भी वहां पकड़ी गयी और जिला प्रशासन मुख्य मन्त्रीजी के भय को वजह से या मुख्य मंत्रीजी राजस्थान में अपनी बदनामी की वजह से पूरे मामले को हसग्रप करने की कोशिश कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस मामले में कुछ नहीं कहना, मैं आपके माध्यम से गृह मन्त्रीजी से अनुरोध करता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है, चार-चार आदमियों की जहरीली शराब पीने से मृत्यु हो जाए, करोड़ों रुपये की जहरीली शराब पकड़ी जाए और उसके बावजूद भी सरकार इस पर चुप्पी साधे? दस दिन हो गये एडजोर्नमेंट मोशन लगाये हुए, सरकार ने अब आपको सूचित किया है। मैं चाहता हूं, आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि इस विषय पर गृह मन्त्री का स्टेटमेण्ट आप दिलवायें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। आप भी बोलेंगे क्या?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं तो इस सरकार की संवेदनशीलता का, जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में, बजट में संवेदनशीलता का जो सरकार ढिंढोरा पीटती है वह सरकार चुप्पी साधे, + + + बैठी हुई है, चार आदमी मर गये, अब आज जवाब आया। आप ऊपर क्या हाथ कर रहे हैं। उनके महकमे की मिलीभगत से तो यह सारा काम हो रहा है। आप स्टेटमेण्ट दीजिए। आप स्टेटमेण्ट क्यों नहीं दे रहे हैं इस पर? मेरी, उपाध्यक्ष महोदय, मांग है सरकार से कि इस पूरे प्रकरण के ऊपर गृह मन्त्री की तरफ से वक्तव्य आना चाहिए। इस सदन के अन्दर एक-एक मौत के ऊपर यहां पर सरकार ने वक्तव्य दिये हैं और इनके जूं भी नहीं रेंग रही है। आज बीस दिन हो गये हैं। कहीं कोई अता-पता नहीं। आपको पता है, धौलपुर में मौतें हुई हैं? अब आप स्टेटमेण्ट दीजिए। आप देंगी स्टेटमेंट, बहिनजी?....(व्यवधान) आप पूछलें उनसे, स्टेटमेन्ट दे रही हैं क्या?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय। आबकारी मन्त्री जी।

श्रीमती विद्या पाठक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए तथ्यात्मक विवरण लेकर आयी हूं साथ में।

श्री बुलाकीदास कल्ला : स्टेटमेण्ट दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये, वह बता रही है ना।

श्रीमती विद्या पाठक : आपने जो रूल 50 के अन्तर्गत उठाया था उसका जवाब मैं लेकर आयी हूं। मैं इसलिए कह रही थी कि मैं जवाब देने को तैयार बैठी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, दीजिये आप।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यहां स्टेटमेंट दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण से निवेदन करना चाहता हूं कि आबकारी मंत्री अपने जो तथ्य हैं, वहां से जो पाये गये, उनके बारे में कुछ बता रही हैं, सुनिये तो सही।

श्री प्रद्युम्नसिंह : हां, तो पहले बता दें।

श्री कैलाश मेघवाल : उसमें आपको संवेदनशीलता का परिचय मिल जायेगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्या संवेदनशील हैं? 15 दिन से आपने एक स्टेटमेण्ट नहीं दिया। 15 दिन से विधान सभा चल रही है, एक स्टेटमेण्ट नहीं आया है गवर्नमेंट का।....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। हां, नत्थीसिंह जी साहब, क्या कह रहे हैं। हरिसिंहजी बिराजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह कोई व्यवस्था नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री नत्थीसिंह : स्टेटमेंट आप दिलायेंगे उसमें और सदस्यों का अधिकार भी है और उस पर चर्चा होगी। अब यह कह देंगी तो उस पर सवाल तो पूछ नहीं सकते। हमारा जीरो आवर जायेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : तो काहे के लिये बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : स्टेटमेंट अभी नहीं दिलाये जा सकते।

श्री नत्थी सिंह : कोई समय देकर वक्तव्य दे दें इस पर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पहली सरकार है जो तुरन्त हस्तक्षेप करके बयान देती है और आप कार्यवाही थोपते हैं यह उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। आपसी आबकारी मंत्रीजी। माननीय आबकारी मंत्रीजी। हरिसिंहजी बिराजिये।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने रूल 50 के अन्तर्गत इसके लिये नोटिस दिया था गवर्नमेंट को, उसके तथ्य इस प्रकार हैं।

24-2-92 की रात्रि को मोतीराम धानक निवासी धौलपुर एवं श्री सुन्दरसिंह गुर्जर निवासी मोरोली ने शराब पी तथा उसके उपरांत दोनों की हालत बिगड़ गई तथा श्री सुन्दर सिंह ने मौके पर, तथा श्री मोतीराम धानक ने अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ दिया। कार्यवाही पुलिस के दौरान जो रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है उसके अनुसार मोतीराम की उम्र 60 वर्ष थी तथा वह अपनी लड़की का सम्बन्ध करने के लिये भिण्ड, मध्य प्रदेश गया हुआ था। तथा वहां से 24-2-92 को अपराह्न धौलपुर लौटा था। मोतीराम तथा सुन्दरसिंह ने साथ-साथ शराब पी, यह शराब भिंड मध्य प्रदेश से लाई गई थी। इस शराब को पीने के पश्चात् दोनों की हालत खराब हो गई तथा उनकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार 25-2-92 की रात्रि को भी श्री शिवराम ठाकुर तथा श्री कलवा काछी,

(श्रीमती विद्या पाठक)

दोनों ने साथ बैठकर खेत में शराब पी। जिससे कि श्री शिवराम की मृत्यु हो गई तथा श्री कलवा बेहोश हो गये। कलवा को अस्पताल ले जाया गया; जहां उनका आवश्यक उपचार करके उन्हें बचा लिया गया। कलवा के बयान आबकारी निरीक्षक, धौलपुर ने 26-2-92 को दर्ज किये। इसके अनुसार शिवराम ग्वालियर का रहने वाला था तथा खुद ग्वालियर मध्य प्रदेश से शराब का अद्धा खरीदकर लाया था तथा दोनों ने साथ बैठकर शराब पी थी। इसके फलस्वरूप इनकी हालत बिगड़ गई तथा श्री शिवराम ने दम तोड़ दिया। इस दुःखान्तिका के बाद पुलिस ने पुलिस स्टेशन कोतवाली, धौलपुर, धारा 174 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। उपरोक्त वर्णित दुःखान्तिका में तीनों व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जिसके और किसी प्रकार का कोई समाचार नहीं है। राज्य में जहरीली व अवैध शराब की प्रभावी रोकथाम की दिशा में सरकार सजग है और सतर्कता बरत रही है। पुनः आदेश दिये गये हैं कि इस प्रकार की हानिकारक मदिरा का राज्य में किसी भी प्रकार से अनधिकृत आयात और कुछ प्राप्ति न हो। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त जो मर गये हैं, जो व्यक्ति बच गये और जो उस वक्त पी रहे थे उनकी जो बची हुई शराब है, वह जांच के लिए लेबोरेटरी को भेज दी गई है और उसकी जांच आने पर ही पता चल सकेगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। माननीय सदस्य ने हालांकि इससे जुड़ा हुआ नहीं है, मगर धौलपुर में एक अवैध फैक्ट्री पकड़ी है, उसके विषय में भी विभाग ने समुचित कार्यवाही की है और केस पुलिस को हैंड-ओवर कर दिया गया है। राजस्थान स्तर की पुलिस उसमें इनवोल्व कर ली गई है और वह इसकी जांच कर रही है। यह केवल धौलपुर पुलिस पर नहीं छोड़ा गया है। स्टेट लेवल पुलिस को ही मामला हैंड-ओवर कर दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय श्री माहिर आजाद जी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह क्या कर रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी समझ में यह समाप्त हो गया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह आप क्या कर रहे हैं। यह तो एक स्टेटमेण्ट आज दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : इस समय यही व्यवस्था दी जा सकती है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इस समय यह व्यवस्था नहीं दी जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न कौनसे, प्रश्न पूछे जायेंगे इसके बारे में....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइण्ट ऑफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : What is your point of order ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा पाइण्ट ऑफ आर्डर यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि नियम और प्रक्रिया के अन्तर्गत 295 में पढ़ा जाता है, उसके बाद भी सरकार ने

(श्री महावीर प्रसाद जैन) ...

संवेदनशीलता को प्रकट करते हुए हर मोशन पर...

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह 295 के नीचे है ही नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये माननीय महावीर जी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप मुझे सुनें पहले। यह जो भी प्रक्रिया में यहां पर उठाये जाते हैं, उस पर वह यहां बोल देते हैं। चाहे वह स्थगन प्रस्ताव हो, चाहे वह 295 का हो, चाहे और कोई मोशन हो। उस मोशन पर प्रक्रिया यह है कि वह यहां पर बोल देते हैं और सरकार जवाब दे, इसके लिए कोई आसन या कोई भी माननीय सदस्य बाध्य नहीं कर सकते हैं और जब माननीय प्रद्युम्नसिंहजी जो राजाखेड़ा से आते हैं, जब यहां गृह मंत्री और स्वायत्त शासन मंत्री के रूप में बैठते थे, मैंने देखा है, वे कान बंद करके बैठते थे और....

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये महावीर प्रसाद जी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हमारी तरफ से इतने सवाल खड़े करते थे लेकिन किसी का आज तक इन्होंने जवाब नहीं दिया। यह पहली बार इस प्रकार की संवेदनशीलता बताई गई है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : वह तो भाषण कर रहे हैं और आप उनको रोक नहीं रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यहां व्यवस्थाओं के बारे में बोलना है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : लेकिन उस पर बहस करने का....

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जिस प्रकार बहस शुरु कर देते हैं, वह बिल्कुल उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रद्युम्नसिंहजी आप इनसे वह बात पूछ लीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां ऐसा है श्रीमान् पहले तो इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगा दिये, अब मुझे इस पर....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं डायरेक्टरी कहा है। कोई आरोप नहीं लगाये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कितने स्टेटमैण्ट दिये, एक भी नहीं दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के इन्होंने मेरे गृह मंत्री काल के मुंह पर आरोप लगाये हैं। आप रिकार्ड उठाकर देख लें।

श्री उपाध्यक्ष : डायरेक्ट लगाये हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं डायरेक्ट और इनडाइरेक्ट क्या होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कि आप जवाब ही नहीं देते।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा कोई आरोप हो नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आरोप बिल्कुल सही है। यदि इनके पास कोई प्रमाण हो तो बतायें। कितने मामले उठे स्थगन प्रस्तावों के जरिये, हत्याओं के मामले....

श्री उपाध्यक्ष : यह डिबेट का मामला नहीं है। महावीर प्रसाद जी बिराजिये आप। हां पूछिये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रदेश में जिस प्रकार की स्थिति हुई, उपाध्यक्ष महोदय, यह कान में तेल डालकर बैठे थे।

श्री उपाध्यक्ष : यह डिबेट का मैटर नहीं है। बिराजिये आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बात यह है कि मेरे पास इतनी तेज आवाज तो है नहीं। माननीय महावीरजी....

श्री उपाध्यक्ष : आप तो इस विषय में पूछ रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं एक मिनट, रुकिये। मेरा आपसे बहुत नम्र निवेदन है अगर आसन प्रोटेक्शन नहीं देगा....

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था चाहते हैं, तो दे सकता हूं ना।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उन्होंने आरोप लगा दिये मेरे ऊपर। अब इसका क्या उत्तर....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं आप उस बात को मत लीजिए। कोई आरोप नही लगाये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, नहीं आप मुझे बता दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं व्यवस्था यह चाहते हैं कि....

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, नहीं आप मुझे सुन लीजिए। मुझे बोलने का मौका दीजिए आप। मुझे कहना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे मालूम है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप इस तरह से उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आप फरमाइये ना।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप मेरा गला घोटने की चेष्टा न करें। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। नम्बर एक, मेरे ऊपर जो, इन्होंने व्यक्तिगत आरोप लगाये कि मैंने कभी उत्तर नहीं दिया। यह रिकार्ड से साबित हो जायेगा कि जितने स्टेटमेण्ट मैंने इस सदन में दिये हैं अपने कार्यकाल में, उतने शायद किसी अन्य विभाग के मंत्री ने दिये हों, यह मेरा आपसे निवेदन है। नम्बर दो, चूंकि अब प्रश्न यह आता है कि माननीय मंत्री महोदया ने अनशिड्यूल्ड स्टेटनेण्ट यहां दे दिया, जो कि आज नियत नहीं था, दे दिया यहां पर।

श्रीमती विद्या पाठक : यह स्टेटमैण्ट नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां जानकारी कह लीजिए। उनके मुंह से कुछ निकलना स्टेटमैण्ट की तारीफ में आता है, अन्यथा स्टेटमैण्ट की तारीफ में क्या आता है, यह हमें बता दिया जाये।

Page No. 95

(९५)

श्रीमती विद्या पाठक : उपाध्यक्ष महोदय, रूल 50 के अन्तर्गत क्या किया जाये ? या तो चुपचाप बैठकर एलीगेशन्स सुन लिये जायें, या हम कोई प्रिलीमेनरी जानकारी न दें। यह तो दोनों काम कैसे होंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो ऐसा है श्रीमान् मेरा आपसे निवेदन यह था····

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप।

श्रीमती विद्या पाठक : कैचमेण्ट यह नियमों में मूव करके····

श्री उपाध्यक्ष : जिस उत्तर की आप अपेक्षा करते थे, वह उत्तर दिया गया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरी बात तो सुन लीजिए आप।

श्री उपाध्यक्ष : हां कहिये आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप इतने इमपेशंट क्यों हो रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : हां, नहीं हो रहा हूं। आप फरमाइये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपको नहीं कह सकता हूं लेकिन आप बोलने का ही अवसर नहीं देते। आप तो सरकार नहीं बनें। आसन भी अगर सरकार बनने लगा तो मुश्किल हो जायेगा। आसन ने सरकार जैसे उत्तर देना शुरू किया····

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल रहे हैं। बोलने को कहा गया है। आप फरमाइये ना।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप बीच-बीच में टोकेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : हां नहीं बोलूंगा। आप बोलिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं बोल ही नहीं सकता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, सुनिये आप। हम मांग कर रहे थे। हमारे दल के दो माननीय सदस्यों ने, मैंने मांग की, चूंकि धौलपुर के अन्दर 3—4 आदमियों की जहरीली शराब पीने से मृत्यु हुई है, सरकार की तरफ से स्टेटमेण्ट आना चाहिए। मैंने उसके बारे में कहा भी है। माननीय मंत्री महोदया ने उसके ऊपर यहां पर तथ्यात्मक एक-दो-तीन मिनट का स्टेटमेण्ट टाइप ही है, और क्या कहेंगे आप, कोई और दे नहीं सकते हैं सदन के अन्दर, स्टेटमेण्ट दिया। स्टेटमेण्ट आने से वह हाउस की प्रोपर्टी हो गई। हाउस की प्रोपर्टी होने के बाद मे हर माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने का इस बारे में अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : पूछिये आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह सदन की परम्परा रही है। इस सदन के अन्दर इस किस्म की रूलिंग हुई है तो आपसे निवेदन यह है यदि आप इसमें इंट्रप्ट करेंगे, माननीय महावीरजी मत करो कृपया····

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये महावीरजी। आप बोलिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : शराब में लोगों की मौतें हुई। मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह केवल प्रक्रिया और नियमों का प्रश्न है। आसन गम्भीर हो सकता है। यदि आसन····

Page No. 96

(96)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महावीरजी बिराजिये आप ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : व्यवस्था करें मुझे कोई आपत्ति नहीं ।

श्रीप्रद्युम्न सिंह : आसन ने मुझे इजाजत दे दी ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय महावीरजी प्रक्रिया और नियमों की बाबत तो आप मेरे से पूछते थे, ऐसी जानकारी आपको कब से हो गई ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्षेत्र के लिए पूछा होगा मैंने आपसे ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जैन साहब सहयोग कीजिए ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई इस मामले के अन्दर ।

श्रीमती विद्या पाठक : मैं निवेदन यह करना चाहती हूं, माननीय सदस्य पूछें, आपत्ति नहीं है । मगर मैं निवेदन यह करना चाहती हूं कि आखिर रूल 50 और स्टेटमैण्ट देने के किसी भिन्न रूल के अन्तर्गत किया जाता है, दोनों में आसन कहीं तो डिफरेंसियेट करेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : इनके निर्वाचन क्षेत्र का मामला है इसलिए मैंने इनको अलाऊ किया है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, ऐसा है, दो नियमों का है । उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप महसूस करें, यह सारे राजस्थान का प्रश्न बन गया है । गुजरात, दिल्ली, यू. पी. बोम्बे के अन्दर जिस तरह से मौतें हुई हैं····

श्रीमती विद्या पाठक : कैसे हो गया । यह क्या डिबेट हो रही है । यह केवल घौलपुर तक ही सीमित है ।

श्री उपाध्यक्ष : डिबेट नहीं हो रही है । आप सवाल पूछें प्रद्युम्नसिंहजी । Please ask the quetion.

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा सरकार के ऊपर, एक्ससाइज डिपार्टमेण्ट के ऊपर आरोप नम्बर-1, जो तथ्य यहां पर दिये गये हैं वह असत्य हैं, असत्य का पुलिंदा है । मध्यप्रदेश से यह शराब नहीं लायी गयी थी । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह शराब····

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : एक मिनट, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था आपसे चाहूंगा । माननीय प्रद्युम्न सिंह जी ने एक बात कही । पहला सवाल तो यह है कि यह नियम 50 के तहत यह मामला उठाया ।

श्री नत्थीसिंह : तय हो गया, रूलिंग दे दी ।

श्री दिग्विजय सिंह : मेरी सुनिये आप । इन्होंने रूलिंग दे दी होगी वही बता रहा हूं । नियम 50 में पहली बात तो यह है कि अध्यक्ष महोदय ने इसको अस्वीकार करते हुये दो मिनट बोलने की इजाजत दी । इसलिये यह तो मानकर चले कि नियम 50 में अस्वीकार कर दिया गया है अध्यक्ष जी से····

श्री प्रद्युम्न सिंह : जब इन्होंने व्यवस्था····

Page No. 97

श्री दिग्विजय सिंह : आप बैठिये। आपको सिर्फ दो मिनट बोलने की बात कही गयी। आप इसको उठा करके कोई माननीय सदस्य इस बात के लिये राज्य सरकार को बाध्य करें कि वह स्टेटमेण्ट दें तो जरूरी नहीं है कि कोई बाध्य हो, नहीं हो सकते और रूल 54 के अन्दर यह साफ लिखा हुआ है....

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : स्टेटमेण्ट दे दिया।

श्री दिग्विजय सिंह : एक मिनट ठहरिये आप....

श्रीमती विद्या पाठक (आबकारी मंत्री) : इसमें नहीं है स्टेटमेण्ट के लिये नियमों में, इसको नोट कर लें....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दिग्विजय सिंह : एक मिनट, अगर कोई सदन की भावना से कुछ बात आपको क्लेरिफिकेशन के हिसाब से कह देते हैं तो उसका यह अर्थ नहीं लिया जाय कि इसके ऊपर डिबेट ओपन हो जाय। अगर इसको आप डिबेट ओपन मानते हैं तो 50 का जो स्थगन प्रस्ताव है वह आपने स्वीकार कर लिया फिर। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि रूल 54 यह साफ कहता है....

श्री उपाध्यक्ष : यह डिबेट थोड़े ही है।

श्री दिग्विजय सिंह : "The Speaker, if he gives consent under rule 50 and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall, after the questions and before the list of business is entered upon, call the member concerned who shall rise in his place and ask for leave to move the adjournment of the House :

Provided that where the Speaker has refused his consent under rule 50 or is of opinion that the matter proposed to be discussed is not in order, he may, if he thinks it necessary, read the notice of motion and state the reasons for refusing consent or holding the motion as being not in order."

यह बिल्कुल साफ है कि इसके ऊपर यदि विवाद करें तो मतलब रूल 50 को ऐक्सेप्ट किया....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने केवल, प्रद्युम्न सिंहजी को रूल 50 ओपन नहीं हो सकता केवल आपसे एक-दो सवाल करने को कहा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा निवेदन तो सुन लें आप। इन्होंने एक बात कह दी...

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : विपक्ष के माननीय सदस्य नहीं चाहते हैं, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाय यदि नहीं चाहते हैं तो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : संसदीय कार्य मंत्री जी ने....

श्री उपाध्यक्ष : संसदीय कार्य मंत्री का फरमाना बिल्कुल दुरस्त है। आप सवाल पूछेंगे एक दो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप बीच में इतना

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

डांटी पिलाने की चेष्टा करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी कोई डांटी-वाटी से डरने वाला नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : चेयर को तो कोई व्यवस्था देनी पड़ेगी। डांटी से नहीं लेकिन व्यवस्था तो देनी पड़ेगी ना।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पहले मेरा आप निवेदन सुन लें। जो संसदीय कार्य मंत्रीजी ने यहां पर रुल्स कोट किया है वह सब इस सन्दर्भ से मेल नहीं खाते, नम्बर-एक।.... (व्यवधान)....सुनिये पहले मैं उसका उत्तर देता हूं। इस सदन में बीसों दफा एडजोर्नमेण्ट मोशन अस्वीकार करने के बाद सरकार से वक्तव्य दिलाया गया आप पृष्ठभूमि में आइये। पचासों दफा वक्तव्य दिलाया गया है इस सदन के अन्दर सरकार से नम्बर-एक। लेकिन आपने जब दो मिनट बोलने का अवसर दिया तो हम मांग कर रहे थे कि इस पर स्टेटमेण्ट दिया जावे। मंत्री महोदया ने कहा कि मेरे पास तथ्य है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जानकारी दे रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, जानकारी कह लीजिये, तथ्य कह लीजिये,

Whatever stated here is a Statement of the Government, and when a Statement has come, we have every right to ask supplementary questions here.

श्रीमती विद्या पाठक : रुल 50 के तहत....(व्यवधान)....

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है वह बिल्कुल उचित दी है। पार्लियामेण्टरी अफेयर्स मिनिस्टर महोदय डिबेट आपको करके गलत रास्ता दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : केवल मात्र आपको अलाउ किया, आप पूछ लीजिये एक-दो सवाल।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो इसमें मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं श्रीमान्, मेरा इसके ऊपर माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो शराब जिसको कि आपका एक्साइस डिपार्टमेण्ट अपनी बेईमानी और चोरी को यह कह करके कि मध्यप्रदेश की शराब है, यह कह करके आपको गुमराह करने की चेष्टा कर रहे हैं। यह बिल्कुल गलत है, नम्बर-एक। यह शराब धौलपुर के बाजार से ही खरीदी गई है नम्बर-दो। अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरा इसके अन्दर यह आपको....

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : आपको जब इतना मालूम है, उपाध्यक्ष महोदय, दुकान का नाम भी बता दें कि किस से खरीदी गयी। अगर आपको मालूम है तो दुकान का नाम और बता दें। अनावश्यक रूप से इतना लम्बा कर रहे हैं। इन्होंने तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की है और आप लम्बा करना चाह रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह संवेदनशीलता आपकी है कि तीन आदमी मर गये....

श्रीमती उजला अरोड़ा : हमने आपको बहुत समझाया कि शराब बन्द करदें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री बुलाकीदास कल्ला : तीन आदमी मर गये और आप इसको गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। मेरा एडजोर्नमेण्ट मोशन इस....

श्री उपाध्यक्ष : कल्ला साहब विराजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हमने तो बार बार कहा कि शराब बन्द करो। लेकिन आप मानें नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : और अब अनिवार्यक रूप से जो इन्होंने तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की है—(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय गृह मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। मैंने आपके सामने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और उसके बाद के अन्दर प्रद्युम्नसिंह ने अपनी बात कह दी। अब आप अपनी व्यवस्था उनको सुना दें (व्यवधान)....

श्री प्रद्युम्न सिंह : शराब बिकी है.... कह तो दिया कि सवाल पूछ रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी आपकी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं।....(व्यवधान) आबकारी मंत्रीजी को सुनने के बाद उपाध्यक्ष महोदय, बोलने की इजाजत दे दी और आपकी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। गृह मंत्रीजी, पार्लियामेटरी अफेयर्स मिनिस्टर आपकी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसलिये मेरा आपसे निवेदन है, श्रीमान, मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि इस मामले में जो अब तक जांच एक्साईज विभाग.... से कराई गई है....(व्यवधान) ....चूंकि उनको अगर यह कह दें कि धौलपुर में शराब बिकी है तो उनके ऊपर एक्शन बनता कि आपके रहते धौलपुर के अन्दर कैसे अवैध शराब बिकी है। तो यह निश्चित है कि अपनी जान बचाने के लिये उन्होंने कह दिया कि मध्यप्रदेश से आयी है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है, गृह मंत्रीजी यहां बैठे हैं और मैं मांग करता हूं सरकार से इस पूरे मामले के प्रकरण की जांच सी. आई. डी., क्राइम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से करायें और कोई मेरी लम्बी चौड़ी मांग नहीं है। एक्साइज डिपार्टमेन्ट वालों की धौलपुर में आज की तारीख विश्वसनीयता बिलकुल समाप्त हो चुकी है। मैं उस डिटेल में, चूंकि वह इश्यू सेपरेट है; उस इश्यू में नहीं जाना चाहता, बहुत बड़ा सकैण्डल हुआ है और वह सरकार की जानकारी में है, उस मामले में मैं नहीं जाना चाहता। तो गृह मंत्रीजी, तीन आदमी मरे इसके अन्दर क्या आप इस बात की जांच करवाने के लिये तत्काल तैयार है कि एक्साइज वालों की जांच को ना मानकर आप सी. आई. डी. क्राइम से इसकी जांच को तैयार है करवाने के लिये। मैं सिर्फ उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से एक बात चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता हूं।.... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : अब विराजिये आप। माननीय श्री माहिर आजाद जी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पहले....

श्री उपाध्यक्ष : मैं कम्पेल नहीं कर सकता गवर्नमेण्ट को इसके लिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह कुछ कहना चाहते हैं।....

श्री उपाध्यक्ष : प्रद्युम्न सिंहजी मैं इनको बाध्य नहीं कर सकता।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मना तो करें फिर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी विराजमान है। वह जवाब दें या नहीं दें, मैं उनको बाध्य नहीं कर सकता। (व्यवधान) प्रद्युम्न सिंह जी बिराजिये। माननीय सदस्य बिराजिये। माननीय माहिर आजादजी। (व्यवधान) आपने अपनी बात पूछ ली है, मैं गवर्नमेण्ट को कम्पेल नहीं कर सकता। I cannot compel.

आपकी बातें इन्होंने सुन ली है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हम कम्पेल करेंगे, यहां पर गवर्नमेण्ट को जवाब देना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजादजी आप ····

श्री बुलाकीदास कल्ला : तीन-तीन आदमी मर गये और आप इसकी जांच नहीं करायें। जहरीली शराब का कारखाना है और गवर्नमेण्ट की नालेज में है।

श्रीमती विद्या पाठक : इसकी जांच चल रही है····

श्री बुलाकीदास कल्ला : तीन-तीन आदमी मर गये और उसके बाद में भी आप (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजादजी। सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी मैं उसके लिये बाध्य नहीं कर सकता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे इतना ही पूछना चाहता हूं····

श्री उपाध्यक्ष : आबकारी मंत्रीजी ने जांच करायी है····

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, आप जांच के डायरेक्शन दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कृपया बिराजें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आसन के माध्यम से जांच के डायरेक्शन दिये जाते रहे हैं। आसन दे सकता है। जांच की बात कही है, गवर्नमेण्ट की एजेन्सीज से जांच की मांग कही गयी है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। आबकारी मंत्रीजी कह रही है। एक मिनट बिराजिये आप।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर रिपीट करना चाहती हूं। विभागीय जांच इन्स्टीट्यूट कर दी गयी है, पुलिस को रिपोर्ट कर दी गयी है। पुलिस अपनी तरह इन्वेस्टीगेशन करेगी। मामला अण्डर इन्वेस्टीगेशन है। जो जहरीली शराब लाकर पीयेंगे, अब वह ज्यादा पीकर मर गये या शराब जहरीली थी और मुझे नहीं मालूम ? यह कैसे कहा

(श्रीमती विद्या पाठक)

जा सकता है आज कि यह वहीं की खरीदी हुई थी क्योंकि वहां तो दुकानें बन्द हुये तीन हफ्ता हो गया। जब से वह प्रबंध फैक्ट्री स्केण्डल हुआ तब से दुकानें ही नहीं चल रही है। तो अगर बाहर से भी लेकर आये तो यह मामला सारा अण्डर इन्वेस्टीगेशन है उसका यहां डिस्कशन करके (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। माननीय आजादजी। (व्यवधान) अब मैं अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप अलाउ नहीं करेंगे

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow.

चर्चा समाप्त हुई इस सिलसिले की। माननीय माहिर आजादजी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सी. आई. डी. सी बी. से जांच करवाने में गवर्नमेण्ट को दिक्कत क्या है। यह सी. आई. डी. सी. बी. से जांच करवाने में गवर्नमेण्ट को क्या दिक्कत है।

श्रीमती विद्या पाठक : सी. बी. आई. से जांच....

श्री बुलाकीदास कल्ला : सी. आई. डी. सी. बी. क्राइम जांच से मांग कर रहे हैं इसमें दिक्कत क्या है। गवर्नमेण्ट की क्राइम से जांच करवाने की बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय आबकारी मंत्रीजी ने उत्तर दिया उससे आपको संतुष्टी हो जानी चाहिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उनकी मिली-भगत से हो रहा है, सन्तुष्टी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजाद (व्यवधान) कृपया बिराजें। मैं इसको अलाऊ नहीं करूंगा। (व्यवधान)

श्री मोतीलाल मीणा : पाइन्ट ऑफ आर्डर (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मोतीलालजी बिराजें। (व्यवधान) मोतीलालजी बिराजें। माननीय कल्ला साहब आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं (व्यवधान) मैं गवर्नमेण्ट को अन्यथा बाध्य नहीं कर सकता हूं और उन्होंने बहुत सन्तोषप्रद जवाब दिया है। (व्यवधान) माननीय मोतीलाल जी प्लीज सिट डाउन। मैं अलाऊ नहीं करूंगा। (व्यवधान)

श्री मोतीलाल मीणा : सवाल शराब का नहीं है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मोतीलाल जी, प्लीज सिट डाउन (व्यवधान) मैं अलाऊ नहीं करूंगा। (व्यवधान) माननीय माहिर आजाद जी बोलें, मोतीलालजी बैठें (व्यवधान)

आप ही के दल के बोल रहे हैं माहिर आजद जी मैं अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री मोतीलाल मीणा : (व्यवधान) 5-3-92 को मैंने एक सवाल उठाया था (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : किस नियम के तहत बोल रहे हैं, आप ?

श्री मोतीलाल मीणा : 11.30 बजे डकैती पड़ी। चार आदमी घायल हो गये (व्यावघन)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय परसादी लाल जी बिराजें । बहुत हो चुका है । माननीय माहिर आजाद जी बोलें (व्यवधान) बिराजें आइये, प्लीज मोतीलाल जी । कोई नियम है बोलने के लिए । (व्यवधान) नोट नहीं किया जाये ।

श्रीमती विद्या पाठक : आप हाउस को क्यों मिस गाइड करते हैं ? राजस्थान में कोई जहरीली शराब नहीं बिकती है । (व्यवधान)

श्री मोतीलाल मीणा : ×××

श्री परसादीलाल मीणा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : सभी माननीय सदस्यों को नियम के तहत बोलने का मौका दिया जाता है लेकिन (व्यवधान) बिराजिए आप ।

श्री मोतीलाल मीणा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार नहीं दिया जा सकता है, नियमों के तहत ही दिया जा सकता है । माननीय माहिर आजाद (व्यवधान) मोतीलालजी बिराजें माननीय मोतीलालजी जानकारी ले रहे हैं । अब आप बिराजें । जानकारी ली जा रही है, बिराजें आप । बहुत कुछ बोल चुके हैं । अब बिराजें माननीय माहिर आजाद (व्यवधान)

श्री मोतीलाल मीणा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप ।

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिटडाउन (व्यवधान) बिराजिये आप (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में सी. आई. डी. से जांच करायें (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : सारा ठेका आपने ही ले रखा है क्या ?

श्री अमृतलाल परमार : यह आदत से लाचार हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक साथ सारी बात शुरू नहीं की जा सकती है । (व्यवधान) माननीय परसादीलाल जी बिराजें, आप वरिष्ठ सदस्य हैं (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सी. आई. डी. से जांच कराने में सरकार को क्या दिक्कत है.... (व्यवधान) पुलिस जांच सही नहीं करती है, हम कहते हैं, सी. आई. डी. से जांच करायें ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें । आपने सवाल उठा लिया (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, आज आप कड़कपन दिखायें और सी. आई. डी. से जांच कराने का सरकार को निर्देश दें । सी. आई. डी. (सी.बी.) से जांच कराने के निर्देश दें । शासन ने निर्देश दिये हैं पहले भी । (व्यवधान)

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

Page No. 103

श्री उपाध्यक्ष : इसकी जांच कराने के आलरेडी आर्डर हो चुके हैं । (व्यवधान) नोट नहीं किया जाये ।

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : हाउस को चलाने में सहयोग करें (व्यवधान) दो मिनिट की जगह आधा घण्टा चर्चा हो गयी है और सरकार ने भी बहुत गम्भीरता से उत्तर दिया है (व्यवधान) नोट नहीं किया जाये । (व्यवधान)

श्री सम्पत राम : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जो व्यवस्था होगी, वह तो सर्वमान्य है ।

लेकिन यह बहुत साधारण सा प्रश्न है जिसके ऊपर माननीय सदस्य ऐजीटेड हैं कि निश्चित रूपरेखा के तहत जांच चाहते हैं । सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है । आप अपनी एजेंसी सी. आई. डी. से आप जिस आफिसर को लगाना चाहें लगाइये तो सी. आई. डी. को जांच देने में क्या आपत्ति हो सकती है । जब इतने लोग मांग कर रहे हैं तो मानना चाहिए । इसमें क्या आपत्ति है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी ।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूर्व में भी निवेदन कर चुका हूं । यदि यहां पर यही परम्परा डालनी है कि हमेशा आप नियम 50 को अस्वीकार कर दें और दो मिनिट बोलने के बाद मंत्री जानकारी दे दे फिर सवाल आ जाय और सरकार को बाध्य किया जाये । जांच के लिए क्यों नहीं कहते, आप आश्वासन क्यों नहीं देते हैं, सरकार गूंगी बैठी हुई है (व्यवधान) आप सुनिये । मैंने आपको बहुत शांति से सुना है । पहले तो चेयर से व्यवस्था चाहूंगा नियम 50 के सम्बन्ध में आप बहुत स्पष्ट रूलिंग दें कि आपने अस्वीकार कर दिया है । दो मिनिट सदस्यों को बोलने की बात कह दी इसके ऊपर फिर सरकार से प्रश्न करें (व्यवधान) इनडायरेक्टली इसका मतलब यह है कि चेयर ने रूल 50 को अलाऊ कर दिया । इसलिए इसको स्पष्ट करिये अन्यथा फिर सवाल आयेगा फिर कहेंगे मंत्रीजी बैठे हैं जवाब दिलवायें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी, चेयर द्वारा पहले ही व्यवस्था दी जा चुकी है । स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर करते हुए दो मिनिट बोलने के लिए कहा था और पर्याप्त समय दिया जा चुका है । इनको आगे अलाऊ नहीं किया जा रहा है लेकिन माननीय सदस्यों की मांग है उसमें (व्यवधान) पुलिस जांच कर भी रही है

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही निवेदन है आपकी व्यवस्था सर माथे पर । आब्जेक्शन सिर्फ इतना ही है हम तो आपकी संवेदनशीलता को अपील कर रहे हैं कि अपने ही विभाग के सी. आई. डी. से इसकी जांच करा लें तो क्या आपत्ति है ।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो कह रहा हूं उसको कोई प्रिसिडेंस नहीं

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री दिग्विजय सिंह)

मानते हुए–यदि एक्साइज डिपार्टमेण्ट हम से कहेगा तो हम करा लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : बात समाप्त हुई (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : वह तो कभी नहीं कहेगा । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त हुई चर्चा । माननीय माहिर आजाद आप बोलें ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कितनी उठक बैठक लगवायेंगे आप ।

श्री उपाध्यक्ष : (व्यवधान) सारा मामला स्पष्ट हो चुका है । मेरी समझ में, मेरी राय में जो व्यवस्था आई है उससे आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए ।

श्री परसादी लाल मीणा : संतुष्ट नहीं हैं । आप भी मेरी जगह होते तो आप भी संतुष्ट नहीं होते ।

श्री उपाध्यक्ष : कोई आधार, कोई मापदन्ड नहीं बनाया जा सकता आपको संतुष्ट करने का ।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि एक्साइज विभाग कहेगा तो हम करायेंगे लेकिन एक्साइज वालों ने तो कहा है कि आपके यहाँ एफ. आई. आर. दर्ज है । हम कहते है इसकी जांच सी. आई. डी. से करायें । उन्होंने कहा है एफ. आई. दर्ज करा दी गई है ।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार के विचाराधीन मामला है । उस पर निर्णय ले लेंगे ।

श्रीमती विद्या पाठक : वह तो अण्डर इन्वेस्टीगेशन है, क्या निर्णय लेंगे ?

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड । कोई केस पुलिस में दर्ज होता है । एफ. आई. आर. दर्ज हो जाती है उसमें किसी दूसरे आदमी का कोई विकल्प नहीं है यह पुलिस विभाग की खुद की सूझ बूझ का प्रश्न है कि किससे जांच करायी जाय कि सही नतीजे हासिल हो जाये । इसलिए यह कहना कि एक्साइज डिपार्टमेण्ट कहेगा तो करायेंगे, बुनियादी तौर पर गलत है । एक दफा मेरे यहां केस दर्ज हो जाये, पुलिस का मैं इन्चार्ज हूं, मेरी तबीयत में आयेगी, सच्चाई जानने के लिए जांच कराऊंगा । इतने माननीय सदस्यों का आग्रह है फिर क्या वजह है कि केस सी. आई. डी. को नहीं दिया जा रहा है । यह तो मान लेना चाहिये (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सदन की भावनाओं को मानता हुआ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपको अभी से शक कैसे हो गया कि पुलिस के अन्दर गलत इन्वेस्टीगेशन हो रहा है । पुलिस इन्वेस्टीगेशन कर रही है, पुलिस की जांच चल रही है वहां पर अगर कुछ गलत होगा तो फिर उस पर विचार करेंगे । आप अभी से इस बात को कैसे कह रहे हैं कि सी. आई. डी. को दे दो । पुलिस इन्वेस्टीगेट कर रही है, जांच चल रही है

श्री परसादीलाल मीणा : आप जो कुछ हाऊस में कहते हो उसकी पालना नहीं होती है (व्यवधान)

Page No. 105

(105)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हरिसिंह जी बिराजिये

श्री मोतीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय आपने कहा था कि इन्होंने ने बहादुर कोहली की हत्या को लेकर हड़ताल की थी

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोतीलाल जी बिराजिये। आप पहले उठा चुके हैं। आपको अलाऊ कर दिया था। अब आप बिराजें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने एक पर्टीनेंट सवाल यहां खड़ा कर दिया कि अभी से आपको पुलिस की नीयत पर शक कैसे हो रहा है

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सचेतक महोदय, मैं इसको डिबेट नहीं बना सकता। सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट कह चुके हैं। सारी बातों को समझ भी रहे हैं। सरकार की मन्शा भी साफ है लेकिन मैं सरकार को किस चीज के लिए बाध्य करूं

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप नहीं करें, हम करेंगे। आप कहां से करेंगे आप तो सरकार है। निवेदन तो हम करेंगे

श्री उपाध्यक्ष : इसमें निवेदन काफी किया जा चुका है। बहुत स्पष्ट उत्तर दे दिया गया है। अब आप बिराजें।

माननीय श्री माहिर आजाद जी। (व्यवधान)

माननीय सचेतक महोदय, अब आपको सन्तुष्ट होना चाहिये। काफी चर्चा हो चुकी है आप बहुत वरिष्ठ सदस्य है मैं कहना नहीं चाहता

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रॉन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर लेट मी सबमिट।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि इस मामले को देखते हुए जब तक इसकी जांच का फैसला नहीं आ जाता तब तक शराब की बिक्री पर टोटल रोक लगा दी जावे।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गोविन्द सिंह जी। पहले सम्पतसिंह जी को सुनूंगा उन्होंने पाइन्ट आफ आर्डर रेंज किया है।

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने और खैरथल से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही और कोई दुखान्तिका हुई जिसका पुलिस में मुकदमा दर्ज हो गया। अब पुलिस की जिम्मेदारी आ गई कि पुलिस इन्वेस्टीगेट करेगी और कर रही है। तो माननीय सदस्यों ने जो बात कही थी उसमें एक्साइज डिपार्टमेंट बीच में कहां से आता है। इसलिये पुलिस विभाग ही उसमें जांच करेगा। गृह मंत्रीजी का यह कहना कहां तक वाजिब है कि एक्साइज डिपार्टमेंट उसमें जांच कर रहा है। जिसमें आदमी मर गये इसलिए अपनी बात साफ करने के लिये यह बात और जोरदार कही जा रही है। डेथ होने का जब मुकदमा दर्ज हो गया उसमें एक्साइज डिपार्टमेंट अपनी दखल अन्दाजी थोड़े ही करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें आप। यह कोई पाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं है। यह जानकारी आप चाह रहे थे।

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हर पाइन्ट ऑफ आर्डर पर आपकी यह टिप्पणी करना कि क्या पाइन्ट ऑफ आर्डर है, मेरे ख्याल से यह ठीक नहीं है (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, नगर से आने वाले माननीय सदस्य से मैं इतना ही निवेदन करूं कि पुलिस केस दर्ज हो गया इसमें कोई शक नहीं है। मंत्री महोदया ने कहा कि हम डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी भी कर रहे हैं, वह बात मैंने कही है। डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी चल रही है उसके बाद वह चाहेंगे तो आगे कर देंगे (व्यवधान)

श्री सम्पतराम : परैलल इन्क्वायरी हो नहीं सकती। इसमें कन्ट्राडिक्शन आ गया तो फिर क्या होगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा दल सदन से वाक आउट करता है। यह गूंगी बहरी सरकार है। लोग मर रहे है, जांच कराने को तैयार नहीं है। इसके विरोध में हम वाक आउट कर रहे हैं।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिगमन)

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा विचित्र मामला है। एक तरफ ठेकेदार है वह शराब बेचते हैं। ठेकेदार के पास पैसे की ताकत है। सदन को शक है कि पैसों का इस्तेमाल करके उन्होंने उनको प्रभावित कर लिया है। हम चाहते हैं कि इन्डीपेन्डेंट एजेन्सी इन्क्वायरी करें। विश्वास रखिये, मैं एज ए होम मिनिस्टर, एक एम. एल. ए. के कहने से, उन्होंने आग्रह किया, मैंने सी. आई. डी. को केस दे दिया था। सारा सदन मांग कर रहा है आप सी. आई. डी. को केस देने के लिए तैयार नहीं है। अगर यह बात है तो निश्चित रूप से वाक आउट का केस बनता है और हम वाक आउट करेंगे।

(जनता दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिगमन)

श्री नत्थीसिंह : संवेदनशील हो अगर, तो जाओ (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : आप क्यों बोल रहे है, आपके अध्यक्ष सम्पत राम जी बोल गये आप वाक आउट कर जाओ।

श्री नत्थीसिंह : इसका मतलब आप बड़े गैर जिम्मेदार हैं। सदन की कोई इज्जत आपके लिए नहीं है। बिल्कुल तानाशाही रवैया है। आपको कण्डेम करते हुए वाक आउट करता हूं।

(सदन से बहिगमन किया गया)

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से जो सत्तापक्ष के सदस्य और मंत्रिगण बैठे है उनसे एक निवेदन करना चाहता हू कि चाहे आप जांच करवाइये ना करवाइये चाहे आपका रवैया कुछ भी हो। जनहित के मसलों पर आप इस तरह से ताली बजायें (व्यवधान) चतुर्वेदी जी, माफ करेंगे, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी व्यक्तिगत इज्जत करता हूं

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने साफ कहा है कि पुलिस जांच कर रही है। पहला काम तो पुलिस को जांच करने का है

श्री हेतराम बेनीवाल : गृह मंत्रीजी, एक निवेदन सुन लीजिये,

श्री दिग्विजय सिंह : इसमें अगर कोई तथ्य सामने आते हैं कि वह सही नहीं हो रहा है तो फिर सी.आई.डी. से भी करवा लेंगे। जो आपकी पुलिस है उस पर भरोसा तो करना चाहिये। वाक आउट करने का बहाना चाहिये था वह वाक आउट कर गये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी, वह उनका सोचना है।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय गृह मंत्रीजी जिस तरह से आप मजाक कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बुलवाईये, मैं सदन में बैठा हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं यह ठीक है कि यह इश्यू बहुत छोटा था, मामला छोटा था, कोई बात नहीं अगर आप इस बात पर तालियां बजायें और खुश हों कि हमने जांच नहीं करवाई, आप मेजोरिटी में हैं इसलिए कह रहे हैं। मैं समझता हूं यह अच्छी बात नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष जी, लोग मरें जायें और आप जांच भी नहीं करवायें। इसका मतलब यह है कि आप किसको बचाना चाहते हैं। आप ठेकेदार को बचाना चाहते हैं या पुलिस को बचाना चाहते हैं

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजाद जी।

श्री दिग्विजय सिंह : जांच हो रही है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा उठक बैठक करने को तैयार नहीं हूं। आप हाउस को आर्डर में तो लाइये। आपने मेरा नाम पुकार कर चार पांच बार खड़ा कर दिया। मेरे से आप कितनी बार उठक बैठक लगवाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जितनी बार पुकारा जायेगा उतनी बार उठना पड़ेगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं यह हाऊस के सीनियर मैम्बर्स है बहुत सालों तक विधान सभा में अपोजीशन में रहे हैं उनको नशा पैदा हो गया है कि छोटी से छोटी बात को बहुमत का सवाल बनाकर इस बात को नहीं मानता मैं इसके विरोध में हाऊस का त्याग करता हूं।

(श्री हेतराम बेनीवाल द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री माहिर आजाद।

श्री ईश्वरलाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : सैनी साहब आप बिराजिये। श्री माहिर आजाद।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बाहर कुछ पत्रकार बन्धु धरने पर बैठे हैं। गृह मन्त्री

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

क्या कार्यवाही कर रहे है। पुलिस के दमन में क्या कार्यवाही कर रहे हैं, कृपया बतायें।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें। माननीय माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का और सम्पूर्ण सदन का ध्यान राजस्थान की विभिन्न जेलों में पिछले 14 सितम्बर, 1989 से काफी बेकसूर लोगों को टाडा कानून के तहत बन्दी बनाकर रखा गया है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति हमारी यह हो गई कि राजस्थान सरकार यह कहती है और राजस्थान की मन्त्री परिषद के एक राज्य मंत्री सदस्य ने इस सदन में यह कहा कि इन बेकसूर लोगों को छुड़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। इनको बेकसूर माना है। राजस्थान सरकार यह कहती है कि हम इनको छोड़ने में असमर्थ हैं, हमने इसके लिए केन्द्र सरकार को अपनी सिफारिश या पत्र लिख दिया है। केन्द्र की सरकार यह कहती है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, राजस्थान सरकार ने इनको इस कानून के अन्तर्गत बन्दी बनाया है राजस्थान की सरकार ही चाहे तो इनको छोड़ सकती है। यानी दो पाटों के बीच 108-109 लोगों के परिवार अपनी जिन्दगी की तबाही का तमाशा देख रहे हैं। उन परिवारों की आज भूखों मरने जैसी स्थिति आ गयी। पिछले दिनों अब्दुल वहीद नाम के एक व्यक्ति की कोटा की जेल में चिकित्सा उपचार पूरा न मिलने के कारण मृत्यु हो गयी चिकित्सकों की रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि इन बन्दियों में 18 बन्दी ऐसे हैं जो जान लेवा बीमारी से ग्रस्त हो गये, चार के कैंसर है, दो हैण्डीकाप्ट हो गये, दो के लैप्रोसी है और तीन के स्किन (व्यवधान) हैण्डीकैप्ड समझ लीजिए उसको। उसमें क्या परेशानी हो गयी। आपको तो विरोध करना है। आपको तो, कालीचरण जी, टाडा बन्दियों के बारे में सुनना पसन्द ही नहीं आ सकता। आपको तो तकलीफ होना वाजिब है, मेरी समझ में आती है यह बात।

कई पागल हो गये तो कई की स्थिति यह हो गयी कि उनके भयंकर स्किन डिजीज हो गयी। उनकी चिकित्सा का वहां कोई इन्तजाम नहीं है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप केन्द्र के ऊपर इस बात को लादें। मैं विपक्ष के साथियों से भी निवेदन करना चाहूंगा, अल्पसंख्यकों के हितों की बात करते है, आपको भी प्रयास करना चाहिये। स्थिति यह हो गयी, मैं एक शेर सुनाना चाहूंगा :

"खुदा महफूज रखे बड़ा जालिम जमाना है
दिलों में बुग्ज रखते हैं बजाहिर दोस्ताना है।"

हम उनसे हमदर्दी जता रहे हैं लेकिन यह झूठी हमदर्दी है। मैं राजस्थान सरकार से मांग करना चाहूंगा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को अपनाए, मानवता के नाते। अब से 27 दिन बाद इदुल-फितर का त्यौहार आ रहा है। हमारी पुरानी इस तरीके की परम्पराएं रही है कि हमने दीपावली और

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

ईद के त्योहारों पर लोगों को आजाद करके अपने परिजनों के साथ खुशियां मनाने का मौका दिया है। क्या राजस्थान सरकार और केन्द्र की सरकार इन 108 लोगों को अपनी आस-औलाद के साथ, अपने परिजनों के साथ ईदुल-फितर जैसा त्योहार बनाने का मौका देगी ? इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? उनकी क्या प्रगति है ? आप केन्द्र के ऊपर इस बात को छोड़ दें और केन्द्र राज्य पर छोड़ दे, केवल इससे इनका भला होने वाला नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह हो गयी कि इन परिवारों के लोग भूखे मर रहे हैं। एक-एक कमाने वाले लोग थे। इनमें से ज्यादातर मजदूर पेशा लोग हैं,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसमें कोई पूंजीपति नहीं है। इनमें से 82 व्यक्ति ऐसे बन्दी बनाकर रखे गये हैं जिनकी जांच में यह आया है कि इनके खिलाफ पूर्व में किसी आपराधिक कृत्य का प्रमाण नहीं है, 107 और 116 जैसे छोटे मामले भी इनके खिलाफ नहीं हैं, इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस का पहले से इनका आचरण नहीं रहा। कुछ लोग हो सकते हैं। मैं अपराधी लोगों को बचाने का पक्षधर और हामी कभी नहीं रहा। मैं कहना चाहता हूं इस सम्बन्ध में कि अगर किसी का अपराध सिद्ध होता हो तो आप उसको फांसी पर चढाएं, माहिर आजाद आप से कतई आपत्ति नहीं करेगा। लेकिन बेकसूर लोगों को आप तबाह करना चाह रहे हैं। आप यह हरेसमेण्ट कर रहे हैं कि आगे से कोई व्यक्ति इस तरीके की स्थिति नहीं बना पाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 14 सितम्बर, 1989 को कोटा शहर में दंगा हुआ। उसमें 22 अल्पसंख्यक मारे गये गोलियां चली जिसमें 58 व्यक्ति घायल हुए उसके बावजूद गिरफ्तारी में भी उन्हीं का नम्बर ज्यादा है। उनको गिरफ्तार किया उस वक्त से वे लोग आज तक जेलों में बन्द हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अपनी बात कह चुके, माहिर आजाद जी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उस समय सरकार किसकी थी ? माननीय जोशी जी मुख्यमंत्री थे, आप जानते है इस बात को। 24–25 सितम्बर, 1990 को जब जयपुर, जोधपुर, कोटा और दूसरे स्थानों पर दंगे हुए, तब सरकार आपकी थी। सरकार का सवाल नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मानवता के नाते, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के ऊपर इन परिवारों के साथ यदि दोनों मिलकर सच्ची हमदर्दी रखते हैं और कुछ करने जा रहे हैं तो कृपया उससे हमको अवगत कराएं कि आप इनकी रिहाई के सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं ? क्या ईद के त्योहार से पहले इस सम्बन्ध में कोई प्रयास किया जायेगा ? अगर आप अब तक रिहा नहीं करा सकें तो मैं यह कहना चाहूंगा कि कम से कम पैरोल पर ही आप इनको छोड़कर इनके परिजनों के साथ ईद मनाने जितनी मंजूरी तो आप दिला दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हीरालालजी मीणा।

श्री नत्थीसिंह : मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नत्थीसिंहजी, आप बिराजिये।

श्री नत्थीसिंह : मुख्य मन्त्रीजी ने कहा था कि सबको बुलाकर चिट्ठियां भी दिखायेंगे, विचार करेंगे। उसमें जल्दी की जाए ताकि ईद से पहले कोई फैसला हो जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री राजेन्द्रजी पारीक। (अनुपस्थित)

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : माननीय उपाध्यक्षजी, एक मुझे भी अवसर दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। 295 के अन्तर्गत श्री नन्दकिशोर शर्मा।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : मुझे भी अवसर दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप, काफी हो चुका।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर बोलना न्याय हित में बहुत जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप, मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : बोलने का एक अवसर तो मुझे दिया जाए। मेरा तो निवेदन यही है कि जब पंजाब और असम के लोगों को हम छोड़ सकते हैं तो कम्युनल एक्ट में टाडा एक्ट लागू भी नहीं होता है। झालावाड़ के जो मुलजिम हैं उनकी फाइल तो मैंने देखी है, उनके ऊपर आरोप केवल यह है कि उन्होंने अल्लाहो अकबर का नारा लगाया। इसके अलावा कोई आफेंस नहीं है। ऐसे आदमियों को गिरफ्तार किया गया। 1989 में कांग्रेस के टाइम में वे लोग बन्दी बनाये गये थे....

श्री उपाध्यक्ष : गुलाम मुस्तफा जी, बिराजिये आप।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : इसलिए मेरा निवेदन है कि उनको तत्काल छोड़ा जाय।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : बैठे क्यों हो? देओ इस्तीफा।

श्री हेतराम बेनीवाल : कार छोड़ दी, इधर आ जाओ।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत उल्लेख

चिकित्सकों को चोट प्रपत्र बनाने का अधिकार

श्री नन्द किशोर शर्मा (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत चिकित्सक द्वारा चोट प्रतिवेदन प्रपत्र बाबत मेरा निवेदन है कि प्रत्येक चिकित्सालय में इन्चार्ज चिकित्सक के पास चोट प्रतिवेदन प्रपत्र बनाने के अधिकार होते हैं। इससे बहुत ही नुकसान होता है। एक ही डाक्टर यह कार्य वर्षों तक करता है तो उसकी अदालती पेशी इतनी हो जाती है कि स्थानान्तरण होने पर वह दूसरी जगह रह ही नहीं पाता, तारीख पेशियों पर बार बार जाता रहता है। इससे दूसरी जगह का भारी नुकसान होता है। जहां चार-चार डाक्टर होते हैं वहां वैर-भाव बन जाता है।

(श्री नन्द किशोर शर्मा)

आजकल न्याय भी डाक्टर के प्रतिवेदन पर ही होता है, अतः खूब कमाई होती है। वह बीमारी की जांच भी नहीं करता। जहां ईकहल चिकित्सालय होता है वहां पर वह शीघ्र ही लखपति बन जाता है। इसमें मेरा सुझाव है कि जहां एक से अधिक डाक्टर हों वहां पर ड्यूटी डाक्टर को ही चोट प्रतिवेदन बनाने का अधिकार होना चाहिए और 24 घण्टे में जितने डाक्टर की ड्यूटी हो उसी के अनुसार चोट प्रतिवेदन बनाने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। मैंने सुना है कि यह प्रणाली उत्तर प्रदेश में लागू है। वहां जो ड्यूटी डाक्टर है वही मेडिकल ज्यूरिस्ट है। इससे एक तो कार्य में समानता आयेगी, किसी एक व्यक्ति विशेष की हुकूमत नहीं होगी, तारीख पेशियां भी घट जायेंगी, कार्य का वितरण भी होगा। कार्य मिलेगा तो हर डाक्टर ड्यूटी पर पाबन्द रहने की कोशिश करेगा। एक व्यक्ति विशेष ही धन संचय भी नहीं कर पायेगा। उक्त बीमारी जो अधिक बढ़ती जा रही है उसका इलाज हो जायेगा। मेरे यहां सारथल में एक डाक्टर कोटा से गये थे, पर वे पेशी के कारण पूरे साल सारथल नहीं रहे। एक डाक्टर जो बारां से छबड़ा गये थे वे भी सप्ताह में दो ही दिन छबड़ा रहे बाकी बारां ही रहे। अतः श्रीमानजी इस ओर ध्यान देते हुए हर सम्भव कार्यवाही करें और नियम बनायें कि ड्यूटी डाक्टर ही मेडिकल ज्यूरिस्ट हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीज श्री भंवरलाल मेघवाल। (अनुपस्थित)

माननीय श्री दिलसुखराय चौधरी।

बिजली कनेक्शन को वारिसों के नाम करने सम्बन्धी

श्री दिलसुखराय चौधरी (फतेहपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि आजादी के पश्चात् इस देश में प्रजातान्त्रिक सरकारों के बनने से राज्यों में भी प्रजातान्त्रिक सरकारें कायम हुई, जिन्होंने ग्रामीण किसानों के लिए रेवेन्यू विभाग में जमीन के खातेदार पिता की मृत्यु होने के पश्चात् उस भूमि का मालिकाना हक उसके वारिसों को देने का कानून लागू किया था। इससे ग्रामीणों को काफी राहत मिली। लेकिन आजादी के 45 वर्ष पूरे होने के पश्चात् भी राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के अधिकारियों द्वारा बिजली उपभोक्ता पिता की मृत्यु होने के उपरान्त उसका खाता उसके वारिसों (पुत्रों) के नाम करने का नियम आज तक नहीं बनाने से मृतक व्यक्तियों को विद्युत विभाग द्वारा वर्षों तक जिन्दा रखा जाता है जो कि सरासर गलत है। इसलिए मैं उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल अविलम्ब नियम बनाकर पिता की मृत्यु होने से उसका खाता उसके वारिसों के नाम स्वतः करने का निर्णय लेकर अनपढ़ ग्रामीणों को सरकारी चक्करबाजी से मुक्ति दिलायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमृतलाल परमार।

(2·00 बजे म. प.)

पूर्व सरपंचों के भ्रष्ट कार्यों की जांच

श्री अमृतलाल परमार (बाली) : मान-

(श्री अमृतलाल परमार)

नीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरी पंचायत राज्य मन्त्री जी से जोरदार शब्दों में मांग है कि मैंने बाली विधान सभा के अन्तर्गत पंचायत मीटवाड़ा के सरपंच श्री केशरसिंह, पंचायत मुण्डारा के सरपंच श्री करण राज, बेड़ा पंचायत के सरपंच श्री अर्जुनसिंह, पंचायत सेवाड़ी के सरपंच श्री रूपचन्द्र व लुणावा सरपंच श्री परसराम अग्रवाल के खिलाफ कई बार पूर्व कांग्रेस सरकार के समय जनता की ओर से शिकायतें राज्य सरकार एवं विभागों को भेजी किन्तु उस सरकार ने इन सरपंचों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। इसके बाद नई सरकार के गठन के बाद मैंने इन्हीं सरपंचों के खिलाफ जनता द्वारा मुझे भेजी गई रिपोर्टों के आधार पर मुख्य मन्त्री महोदय, पंचायत राज्य मंत्री महोदय, विभागीय सचिव, जिला कलक्टर पाली, उपखण्ड अधिकारी बाली एवं विकास अधिकारी बाली को इनके विरुद्ध कार्यवाही के लिए लिखा किन्तु इन रिपोर्टों पर कोई कार्यवाही प्रशासन एवं राज्य सरकार द्वारा नहीं की गई है। इन सरपंचों के विरुद्ध गांव की जनता एवं ग्राम पंचायत के पंचों ने भी कई रिपोर्ट राज्य सरकार एवं प्रशासन को भेजी हैं किन्तु नीचे के स्तर से जांच होने से सरपंचों के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। अतः मेरी मांग है कि इन सरपंचों के समय के पुराने रिकार्ड सील कर वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारी से इसकी पूर्ण जांच कराकर दोषियों को दंडित किया जाए। इन सरपंचों के विरुद्ध अवैध पट्टे बनाने, खुद एवं परिवार के नाम पर जमीन आवंटित कराने, अवैध लकड़ियों की कटाई, जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि का दुरुपयोग इत्यादि के आरोप शिकायत पत्रों में दिये गये हैं। इन सरपंचों ने अपने समय में अपने खास ग्रुप सचिवों को पंचायतों में पद स्थापित करवाया था जो आज भी उन्हीं पंचायतों में कार्यरत है तथा अब भी पूर्व सरपंच उन ग्रुप सचिवों के माध्यम से गलत कार्य सम्पन्न करा रहे हैं।

उपरोक्त शिकायतों की जांच वरिष्ठ पदाधिकारी को जयपुर से भेजकर करावे तथा दोषियों को दण्डित कराने की कार्यवाही करावे, यह मेरी मांग है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा....

विधान सभा के बाहर प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने सम्बन्धी

श्री केदारनाथ शर्मा (श्री गंगानगर) : मान्यवर, हम लोग रोज देखते हैं, बाहर प्रदर्शन होते हैं, कुछ कैम्प लग रहे हैं, किसी कैम्प में भूख हड़ताल चल रही है, आमरण अनशन चल रहा है। मैं आप से व्यवस्था चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष जी, कि माननीय अध्यक्षजी और माननीय मुख्य मन्त्री जी मिलकर कोई इसका रास्ता तो निकालें। अब हम लोग आपके सामने बात तो उठायें मिलकर उनसे मिलायें, यह कब तक चलेगा?

(श्री केदारनाथ शर्मा)

हैल्थ इन्सपेक्टर्स एक साल से आन्दोलित हैं, दस दिन से यहां बैठे हैं, और लिपिक जो हैं, पांच दिन से आमरण अनशन पर हैं, टीचर्स का जुलूस आ रहा है, ग्राम सेवक आ रहे हैं। तो, मान्यवर, कोई लाइजन आफिसर वहां पर हो, उनको नीचे से लाकर सम्बन्धित मन्त्री से मिलादे और मन्त्री महोदय कम से कम इतना तो कर दें कि दो मिनट उनकी बात सुन लें और कह दें कि यह बात ठीक है और वह बात ठीक नहीं है। रास्ता तो निकले कोई इसका। कोई रास्ता निकल नहीं रहा आज।

माननीय ललितजी यहां बैठे हैं एक साल से आपके हेल्थ इन्सपेक्टर्स आन्दोलित हैं, आप कह दीजिये कि 1992 में मेरे पास कोई वैकन्सीज नहीं है अथवा इतनी वैकेंसीज और क्रीएट होंगी। जवाब दे दीजिए। मुख्य मन्त्रीजी कुछ जवाब दे रहे हैं, आप कुछ जवाब दे रहे हैं। आप बैठकर, भले ही कल कर दें, परसों कर लें, उनसे बैठकर तय कर लें कि इतनी वैकन्सीज के अलावा मेरे पास है नहीं। मेरे पास बजट नहीं है, झगड़ा मिटा। और उसके बाद इतला दे दें, हमको मालूम पड़ जाये कि क्या पोजीशन है। अब रोज-रोज हम मांग उठायें, हमारे भी कुछ नियम हैं, हम हाउस के अन्दर बार बार एक बात को उठा नहीं सकते। एक बार उठाने के बाद छः महीने तक उठा नहीं सकते, और भी नियम हैं।

आज ग्राम सेवक आये हुए हैं, टीचर्स आये हुए हैं, माननीय ललित जी, बैठे हैं, उनको टाइम दे दें, उनसे बैठकर बातचीत कर लें, सुन लें और जो जवाब देना है वह जवाब दे दें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार सदन में यह प्रश्न उपस्थित हुआ था और इस समय मैंने इस बारे में कह दिया था। स्वास्थ्य निरीक्षकों के बारे में एक हाई पावर कमेटी बनी थी और उस कमेटी में केवल हमारे विभाग के ही लोग नहीं थे, उसमें जो इन्स्टीट्यूशन चलाते हैं उनकी ओर से भी प्रतिनिधि आए थे। सारी स्टडी करने के पश्चात् उन्होंने कहा कि इन पदों की आवश्यकता राज्य सरकार के किसी भी कार्य के लिए नहीं है। इस बात की घोषणा मैंने पिछली बार विधान सभा में कर दी थी।

दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इनको ट्रेनिंग देने का काम राज्य सरकार नहीं करती, एक स्वशासी संस्था है जो यह कार्य करती है। हमने उनसे भी निवेदन किया कि इनके लिए जगह नहीं है, क्यों आप ट्रेनिंग देते चले जा रहे हो? बाहर के कोई लोग आवें, तो उन्हें ट्रेनिंग दीजिए, उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। फिर भी मैंने, यद्यपि यह बात सच है कि राजस्थान के राज्य काय चिकित्सा विभाग में उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इन पदों को भरना सम्भव नहीं है, फिर भी एक ह्यूमेनिटेरियन ग्राउण्ड की दृष्टि से और विचार करेंगे। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस विषय पर विचार किया है कि जिन शिक्षकों को लगाने की बात-चीत कर रहे हैं उसमें इनको प्रिफरेंस देने की बात करेंगे और इसलिए इस बात को कितनी बार कहें और वह आन्दोलन करते रहें।

दूसरी बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री केदारनाथ शर्मा)

यह जरूरी बात है कि आखिर विकास कार्य एट दी एक्सपेंस आफ दी गवर्नमेंट सर्विसेज कैसे सम्भव होगा। जिसकी यूटिलिटी नहीं है, और यूटिलिटी नहीं होने के कारण देना सम्भव नहीं है। अब उनके साथ सहानुभूति है, उनको निश्चित रूप से नौकरी में लेंगे यह आवश्यक है और इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा है कि नये शिक्षकों की भर्ती में उनको भी प्रिफरेंस देने वाली बात की जायेगी, तो देंगे। चिकित्सा विभाग में अभी सर्विसेज देना सम्भव नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नाथूराम अहारी।

डूंगरपुर जिले में उचित मूल्य की दुकानों से अधिक मात्रा में गेहूं का वितरण

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत में डूंगरपुर जिले में उचित मूल्य की दुकानों से गेहूं कम दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, डूंगरपुर जिला इस वर्ष भयंकर अकाल से ग्रस्त है और हमारी उचित मूल्य की दुकानों से मात्र 4–5 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति प्रतिमाह दिया जा रहा है इस कारण जिले के लोगों की हालत भयंकर खराब हो गई है, बाजार में 4–5 रुपये किलो गेहूं व मक्का मिलती हैं, लोग अनाज के लिए मारे-मारे घूम रहे हैं। रोजगार के अभाव में जमीन व जेवर गिरवी रख रहे हैं। उचित मूल्य की दुकानों से जो गेहूं दिया जा रहा है वह भी दो किश्तों में मिलता है और लोग अभी से एक-एक टाइम भोजन कर रहे हैं। इस प्रकार जिले की गरीब जनता की हालत भयावह हो गई है।

इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मेरा आपसे अनुरोध है कि डूंगरपुर जिले में विशेष कोटा स्वीकृत कर पूर्व की भांति कम से कम प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलो गेहूं दिलाने के आदेश करावें। तथा यह भी निवेदन करता हूं कि इसी माह से 10 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति प्रति माह दिलाने के आदेश प्रसारित करावे। इसके अलावा मैं यह भी आपको निवेदन करता हूं कि गांवों में जो उचित मूल्यों की दुकानें हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा खोली जायें। इन दुकानों को खोलने का मापदण्ड भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रखा जाय। क्योंकि डूंगरपुर में बिखरी हुई आबादी है और जनसंख्या का मापदण्ड कम किया जाय।

मान्यवर, अभी हमारे अकाल राहत मंत्रीजी और खाद्य मंत्रीजी दोनों सदन में विराजमान हैं, मैं उन दोनों से निवेदन करता हूं कि इसी माह से विशेष कोटा स्वीकृत करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

अग्नि पीड़ितों को तात्कालिक सहायता

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के विशेष उल्लेख के जरिये अग्नि पीड़ितों को तात्कालिक सहायता न

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पहुंचाने से रामपुरा गांव के नौ मकानों में रहने वाले 55 लोगों की हो रही कठिनाई पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र जयपुर ग्रामीण की तहसील ग्रामीण जमवारामगढ़ गांव रामपुरा है। दिनांक 12-11-1991 को गांव में आग लगी जिसमें नौ परिवारों के मकान जलकर छप्पर आदि जलकर स्वाहा हो गये। उक्त कच्चे मकानों की दीवारें चटक गई, कपड़े जल गये, खाने-पीने का सामान जल गया, ओढ़ने-बिछाने के कपड़े जल गए और यहां तक कि बर्तन भी पिघल कर अनुपयोगी हो गए। स्थिति बहुत ही भयानक हो गई।

सूचना मिलते ही मैंने जिलाधीश महोदय से आग्रह किया कि वह तहसीलदार, पटवारी एवं अग्नि शमन सेवा की रिपोर्ट लेकर उक्त निवासियों को तात्कालिक रूप से मदद करें। मैं स्वयं भी केन्द्रीय सरकार के झोंपड़ी बीमा अधिकारी को लेकर वहां पहुंची। स्थिति बड़ी दुःखदायी थी। उक्त अधिकारी ने भी मौके का जायजा लिया और सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट व जिलाधीश की सिफारिश आ जाने की बात कही।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि हम जो लिखा कर देते हैं या टाइप करवा कर देते हैं उसके बाद में हमारे पास में यह फोटो कापी आ जाती है। वह कभी सही होती है और कभी सही नहीं होती है। आप उस व्यवस्था को वही रखें जो हम देते हैं। उसके अन्दर हम 4 प्रतियां इसलिए देते हैं कि 1 प्रति तत्काल रूप से ले लें। यह फोटो कापी अस्पष्ट है। इस व्यवस्था को आप देखें। मैं तो जैसे-तैसे पढ़ रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पढ़िये। अभी पहुंचा रहे हैं आपके पास।

श्री कैलाश मेघवाल (अकाल राहत मंत्री) : यह ले लीजिए। मैं अपनी प्रति आपको देता हूं।

एक माननीय सदस्य : आपका चश्मा ठीक नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा चश्मा ठीक है। आपका चश्मा ठीक नहीं होगा।

यह बात दूसरी है कि पटवारी व तहसीलदार की सिफारिश मंगवाने के लिए मुझे आवश्यक प्रयास करना पड़ा जिसकी तत्कालीन जिलाधीश को बार-बार मैंने शिकायत की। मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, वह पटवारी शाहपुरा में कहीं रहता था, उसे 4 बार लाने आदमी भेजे तब तो वह आया, जबकि उसकी ड्यूटी थी कि वह खुद रिपोर्ट करता। तहसीलदार की ड्यूटी थी वह सिफारिश करता लेकिन तहसीलदार को भी 4 बार बुलवाना पड़ा तब तहसीलदार आया। यह मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मुझे दुःख इस बात का है कि ऐसे मामले में भी यह लोग किस प्रकार से कार्य करते हैं। अब मुझे मालूम पड़ा है कि उक्त परिवारों में से केवल बेवा महिला ग्यारसी को ही थोड़ी राशि उपलब्ध करवाई गई तथा शेष किसी को नहीं।

जैसा कि आपको विदित है मैं एक

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

दुर्घटना में चोट खा जाने से ढाई माह अस्पताल में रही। ये लोग बार-बार वहां पर मुझसे मिले और अपनी दुर्दशा पर दया करके उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाने की मैं सिफारिश करूं। मैंने जिलाधीश को पत्र लिखा कि आप इन्हें तात्कालिक रूप से मदद करावें जिससे कि वे दुर्भाग्यपूर्ण अवसर में से निकल सकें।

जिलाधीश कार्यालय से सहायता राशि देने की बात तो दूरी रही केन्द्रीय झोंपड़ी बीमा योजना की शर्तें भी पूरी नहीं करवाई गई। जिलाधीश महोदय ने बताया कि उनके पास इन सब के लिए कोई राशि नहीं है और काफी एप्लीकेशन विचाराधीन पड़ी हैं। खुद मेरे इलाके की इन्द्रगढ़ और जयसिंहपुरा खोर की एप्लीकेशन का निस्तारण नहीं हुआ जिनमें उक्त घटना से पहले आग लगी थी तथा अन्य और जयपुर जिले की दुर्घटनायें हैं। इस सम्बन्ध में उनका कहना था कि मेरे पास में इस समय राशि नहीं है, मैंने राज्य सरकार से बजट मांगा है। यह मेरी समझ में नहीं आया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक प्रकरण की रिपोर्ट थाने में करावायें।

मान्यवर, थानेदार की रिपोर्ट ली जायेगी, यह कैसे सम्भव होगा? उपाध्यक्ष महोदय, तहसीलदार व पटवारी की रिपोर्ट कराने में कितनी मशक्कत होती है और थानेदार की रिपोर्ट चाही गई है। जिलाधीश से जब मैंने पूछा तब तक गरीब क्या करेंगे? जब तक रिपोर्ट उपलब्ध होगी तब तक 6 महिने हो जायेंगे फिर जरूरत नहीं होगी। तब उन्होंने कहा कि तहसीलदार को निर्देश दिये गये हैं कि लोगों से सहयोग लेकर वे ऐसे परिवारों की मदद करें। सरकार कोई सहायता न करे और वह मदद करे मैं समझती हूं कि पटवारी रिपोर्ट लिखने में पैसा खाता है, तहसीलदार भी पैसे खाने की सोचता है तो मैं यह पूछना चाहती हूं कि थानेदार क्यों छोड़ेगा? उनको फिर कैसे सुविधा उपलब्ध होगी? माननीय मंत्री महोदय और सरकार सोचे।

श्री हेतराम बेनीवाल : ऊपर तक खाते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपके जिले और आपकी बात नहीं कर रही हूं।

मैं पूछना चाहती हूं कि इस विपत्ति के मारे गरीब लोगों के लिए यदि सरकार के पास बजट क्यों नहीं है? सरकार को इनके लिए बजट देना चाहिए और यह निश्चित करना चाहिए कि सात दिन में सुनिश्चित रूप से जिलाधीश या झोंपड़ी बीमा योजना अधिकारी अवश्य ही सहायता करें और इस बीच में तहसीलदार ऐसे लोगों की देखभाल करें। उन्हें छप्पर डालने के लिए पैसा उपलब्ध करवाया जाए। ऐसी दुर्घटना में ग्रस्त लोगों के, जिनके घर जल गए उनके घरों की संख्या के अनुसार जितने लोग उनमें रहते हैं उन्हें 15 दिन की भोजन सामग्री उपलब्ध करवाये। यह योजना या शर्तें तब तक आगे के समय के लिए भी लागू नहीं करनी चाहिए, पिछले वर्ष की घटित घटना में कदापि नहीं।

मैं पूरा वक्तव्य न पढ़कर भाव में हा कह देती हूं कि माननीय मन्त्री महोदय यहां बैठे हुए हैं मेरा उनसे आग्रह है कि बहुत सवेदनशील हैं इसलिए आप हमारी मदद करेंगे, तात्कालिक रूप से घोषणा

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

करेंगे जिससे कि वह लोग छप्पर डाल सकें। मान्यवर, आज तक सर्दी में ओढ़ने-बिछाने को बिस्तर तक उपलब्ध नहीं करा पाए। उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। मान्यवर मंत्री महोदय, राहत मंत्रीजी यहां विराजे हैं मुझे बताएं कि वह क्या करने वाले हैं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : इस तरह की आगजनी में एक नया पैसा आज तक नहीं दिया गया है।

श्री कैलाश मेघवाल (सहायता मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर ग्रामीण से आने वाली विधायिका ने रामपुरा गांव में कुछ झोंपड़ियों को जो आकस्मिक आग लगने से जल गई, की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है। मैं माननीय विधायिका को इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं इस घटना की तथ्यात्मक जानकारी मंगाऊंगा और वह जानकारी मंगाने के बाद मेरा यह प्रयास रहेगा कि जो पीड़ित परिवार हैं उनको किसी न किसी तरह की राहत दी जा सके और उनको सहयोग पहुंचे। मेरा ऐसा ख्याल है कि जिस कारण से आपने उठाया उसके सारे तथ्यों की जांच कराकर के मेरा प्रयत्न रहेगा कि उनको मदद पहुंचा दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जल्दी से जल्दी। धन्यवाद।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : न केवल जयपुर ग्रामीण पूरे जयपुर जिले के लिए एक भी पैसा नहीं दिया गया इसलिए जयपुर जिले की....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : (व्यवधान) एक नया पैसा इसलिए नहीं दिया गया कि उन्होंने कहा कि हमारे पास फण्ड ही नहीं हैं....

श्री कैलाश मेघवाल : दोनों माननीय विधायकों ने मेरी संवेदनशीलता की कोई अपील अभी तक नहीं की है अगर वह भी ऐसी घटनाएं लायेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि ...

श्री रामेश्वर दयाल यादव : लाए गे नहीं जिला प्रशासन के पास जून, 1991 से जिले की पूरी पैण्डिंग हैं और मन्त्री महोदय हम एक-एक मामले को अगर आपके पास लायेंगे (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यादव साहब बिराजिए आप।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की घटनाएं और इस तरह के जो पीड़ित परिवार होते हैं उनको कई तरह से मुख्य मन्त्री सहायता कोष से भी सहायता पहुंचाई जा सकती है, नेचरल केलेमिटी फण्ड जो हमारा है उससे भी सहायता पहुंचाई जा सकती है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : एक पैसा आज दिन तक नहीं दिया।

श्री कैलाश मेघवाल : तो मैंने कहा इस तरह की कोई घटनाएं आप लाइये तो....

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि आपने एक जिक्र किया है नेचरल केलेमिटी फण्ड से दिया जा सकता है। स्पष्ट करें इसको

(श्री हेतराम बेनीवाल)

यह नेचरल केलेमिटी फण्ड क्या है उससे किस तरह पैसा दिया जा सकता है ?

श्रीमती उलला अरोड़ा : वह कहीं से भी दिलाए। माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि दिलवायेंगे ।

श्री हेतराम बेनीवाल : स्पष्ट कर दीजिए कि क्या इससे दे सकते हैं । (व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : इसकी पूरी सूचना जिला प्रशासन के पास है, जिला प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया है (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया हैश।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बेनीवाल साहब, विराजिए। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है इसलिए इसको स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं। यह डिस अलाउ किया जाता है ।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सुन चुका हूं। माननीय बेनीवाल साहब, आप बिराजिए। इस पर वाद विवाद नहीं हो सकता ।

श्री हेतराम बेनीवाल : क्या कोई मन्त्री कानून के खिलाफ आदेश दे सकता है, जो हमारे नियम हैं उनके खिलाफ आदेश दे सकता है ? नेचरल केलेमिटी फण्ड इसमें नहीं आता (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : नियमानुसार ही करूंगा। नियमानुसार ही कार्यवाही करने का मैंने आश्वासन दिया है । नेचरल केलेमिटी की परिभाषा भी मैं आपको बता दूंगा आप सवाल पूछिए मुझे कहां एतराज है । नेचरल केलेमिटी में कौन-कौनसी चीजें आती हैं वह अगर आप सवाल पूछेंगे तो मैं सदैव बताने को तत्पर रहूंगा ।

श्री हेतराम बेनीवाल : आपने यह कहा ना कि इसमें दिया जा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें आप यह विवाद का विषय नहीं है ।

श्री गुलाब सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, 295 में पढ़ने की अनुमति होती है, सदन में इस तरह की चर्चाएं होंगी तो (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह शासन के सोचने का काम है । श्री अचला राम ।

रानी पंचायत समिति पाली को रोडवेज की बसों से जोड़ने बाबत

श्री अचला राम (देसूरी) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत रानी पंचायत समिति (पाली) को रोडवेज की बसों से जोड़ने बाबत विशेष उल्लेख करता हूं ।

निवेदन है कि रानी पंचायत समिति में 31 ग्राम पंचायतें हैं किन्तु दुर्भाग्य यह है कि ग्राम पंचायत मुख्यालय तो क्या पंचायत समिति रानी पाली को भी रोडवेज की बसों से नहीं जोड़ा गया है ।

पिछले 15 वर्षों से यह मांग की जा रही है कि रानी पंचायत समिति को रोडवेज

(श्री अचलाराम)

की बसों से जोड़ा जावे ताकि रानी से पाली जोधपुर, अजमेर, जयपुर एवं रानी से राजसमन्द, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, कोटा, रानी से सिरोही आबू रानी से जालोर नाकोड़ा आदि स्थानों पर यात्री सुगमता से आ जा सकें। मान्यवर, रानी से कुछ प्राइवेट बसें चलती हैं जो सुविधाजनक नहीं हैं एवं ऊपर नीचे बसों को भर कर चलाते हैं।

कुछ समय पहले एक बस फालना वाया देसूरी रानी तर्क चलाई गई थी किन्तु प्राइवेट बस आपरेटर्स की मिलीभगत के कारण इन बसों को बन्द कर दिया गया। रानी कस्बा देसूरी चुनाव क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण कस्बा है। औद्योगिक क्षेत्र, रेलवे स्टेशन, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, पंचायत समिति, व्यापारिक मण्डी आदि की दृष्टि से आस पास के 150 गांवों के नागरिकों को सदैव आना जाना पड़ता है जिसके कारण इस स्थान को रोडवेज की बसों से जोड़ना अत्यन्त आवश्यक हो गया हैं।

मेरा निवेदन है कि रानी पंचायत समिति में अभी निम्न रूट पर बसें चलायें तो जन जीवन को आवागमन की सुविधा हो जायेगी :—

(1) रणकपुर, नाडौल, रानी जयपुर।

(2) उदयपुर, सायरा, रणकपुर, रानी जोधपुर।

(3) उदयपुर चारभुजा, देसूरी, रानी पाली।

(4) पाली सोमेसर देसूरी।

उक्त सड़कों पर रोडवेज की बसों को चलायी जावे तो निश्चित रूप से रोडवेज नफे में रहेगी एवं क्षेत्र में व्यापार, उद्योग आदि के साधन भी बढ़ेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत लम्बे समय से यह मांग हो रही है कि रानी नगर क्षेत्र को रानी पंचायत समिति को रोडवेज से जोड़ा जाए। बार-बार हम लिख चुके हैं इसका बराबर जवाब नहीं आ रहा। एक बार एक रोडवेज की बस शुरू कर दी लेकिन प्राइवेट बस आपरेटर्स की मिली भगत से उसको बन्द कर दिया गया। इस वर्ष इन उक्त रूटों पर जो मैंने बताए हैं रोडवेज की बसें चलाई जायेगी तो कभी भी नुकसान नहीं होगा यह मेरा दावा है। पहले यह बात कहकर के टाल दिया जाता था कि रानी नदी के ऊपर पुलिया नहीं है। अब पुलिया बना करके भी सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी ने उसका उद्घाटन कर दिया है, बसों के आवागमन में कोई अवरोध नहीं होगा। रानी पंचायत समिति को बसों से जोड़ा जाये ताकि वहां का विकास हो सके। (व्यवधान)

श्री अमृतलाल परमार : पहले वहां बस चालू हो गई थी। वहां मिलीभगत है प्राइवेट बस वालों की इसलिए वहां पर अविलम्ब बसें प्रारम्भ की जाये यह हमारी मांग है।

श्री गुलाब सिंह : पहले भी यह मांग की थी हमारे यहां रोडवेज की बसें शुरू की जायें (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : 295 के तहत इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है।

श्री गुलाब सिंह : आपने कहा था कि व्यवस्था हम देंगे तो आप व्यवस्था दे दीजिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं यातायात मन्त्री जी बिराजे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह पूरे पाली जिले का बल्कि हमारे क्षेत्र का जो रानी सुमेरपुर, बाली पंचायत समितियों में विशेषकर यह समस्या है वहां पर एक दो निजी बस चालक हैं जो इतने सम्पन्न हैं कि (व्यवधान) इस पर कार्यवाही आज तक नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष : यातायात मन्त्री जी बिराजे हैं इस पर काग्नीजेंस लेंगे। माननीय यातायात मन्त्री जी विषय की गम्भीरता को देखते हुए

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय मन्त्री महोदय उत्तर दें उसके पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर से उदयपुर वाया सोजत सिटी, सोजत रोड और फुलादु 200 किलोमीटर का अन्तर पड़ता है। मैं माननीय यातायात मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि यहां पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें प्रारम्भ की जाए।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरे राजस्थान की तो नहीं कह सकता कि कहां-कहां बसें चला सकूंगा परन्तु जो माननीय सदस्य ने कहा है कि जिस पुल की वजह से वहां रोडवेज नहीं चल पा रही थी तो मैं रोडवेज के जो चेयरमैन हैं उनसे बातचीत करूंगा कि व्यवस्था किसी प्रकार हो सके जिससे कि रोडवेज चल सके। (व्यवधान)

श्री अचलाराम : उस पर आदेश करवाया जाना चाहिए। हम आपके आभारी रहेंगे।

श्री गुलाब सिंह : दो साल से हम बराबर कह रहे हैं लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : गुलाबसिंहजी आप बिराजिये। श्रीमती सूर्य कान्ता व्यास।

मेडिकल विभाग में दवा एवं उपकरण खरीद में भारी अनियमिततायें एवं घोटालों के सम्बन्ध में

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेडिकल विभाग में दवा एवं उपकरण खरीद में भारी अनियमिततायें एवं घोटालों के सन्दर्भ में आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान उपरोक्त लाखों रुपये के घोटालों की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। डॉ. वी. एन. शर्मा ने मेडिकल विभाग (परिवार कल्याण) में अपने सेवाकाल के समाप्त होने के पहले जल्दबाजी में गलत वस्तुओं की खरीद कर लाखों रुपये घूस/रिश्वत में प्राप्त किये हैं। इसके बावजूद भी उनके सेवाकाल बढ़ाने एवं उनको सलाहकार के पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। इन घोटालों के चौंकाने वाले तथ्य निम्नलिखित है :—

(1) परिवार कल्याण द्वारा जुलाई-अगस्त, 1991 में एक करोड़ रुपये से ज्यादा की दवा खरीद की गई थी। यह दवा खरीद परिवार कल्याण के 'सब

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

सेण्टर्स' के लिये थी। जहां पर सिर्फ ए. एन. एम. (नर्स) की ही नियुक्ति होती है। भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी इस रकम के विरुद्ध खरीद की जाने वाली औषधियों की सूची भी भारत सरकार द्वारा प्रेषित की जाती है। डॉ. वी. एन. शर्मा ने सारे नियम ताक में रख कर, आनन-फानन में औषधियों की जगह प्रयोगशाला में काम आने वाले रसायन खरीद डाले। टेण्डर की संख्या ए–56 पर अनुमोदित 'आयोडीन क्रिस्टल' नाम प्रयोगशाला रसायन की 21 लाख रु. की खरीद कर डाली। मजे की बात यह है कि यह औषधि भी नहीं है। यह बात टेण्डर केटलाग से स्पष्ट हो जाती है, जिसमें यह "लेब्रोरेट्री एजेन्ट" के अन्तर्गत वर्णित है। टेण्डर केटलाग में इस आइटम की कुल दो साल की आवश्यकता 1 लाख रुपये के अन्दर थी और इसका उपयोग सिर्फ बड़े अस्पतालों की प्रयोगशाला में ही होता है। आश्चर्य की बात है कि "सब-सेण्टर" जहां पर सिर्फ एक नर्स की नियुक्ति होती है और जहां किसी प्रकार की कोई भी प्रयोगशाला का प्रावधान नहीं है, वहां पर इतनी भारी मात्रा में प्रयोगशाला का रसायन क्यों खरीदा गया। इस रसायन का आदेश जयपुर स्थित हेमा मेडिकल एजेन्सी, जो स्वयं निर्माता भी है, अनियमितता रखते हुए दिया गया है। इसका भुगतान भी बिना किसी जांच के, माल प्राप्त होने के चन्द दिनों के भीतर ही कर दिया गया। "आयोडीन क्रीस्टल" नामक इस प्रयोगशाला रसायन का सब सेण्टर्स पर नियुक्त नर्सों को उपयोग भी नहीं मालूम। इसके गलत उपयोग होने से लाखों मासूम इन्सानों का जीवन खतरे में है। इसके अलावा दस लाख रुपये के मूल्य की टिन्चर आयोडीन एवं पोवीडोन आयोडीन की भी खरीद की गई। आयोडीन क्रीस्टल सिर्फ एक प्रयोगशाला रसायन है और यह किसी प्रकार की भी दवा निर्माण में काम नहीं आती है। डॉ. वी. एन. शर्मा का यह बहाना कि इससे टिन्चर आयोडीन निर्मित की जा सकती है, असत्य एवं सफेद झूठ है। गौर तलब बात यह है कि सब-सेण्टर पर नियुक्त नर्स न तो कोई दवा निर्माण के लिये प्रशिक्षित है और न ही इसका कोई लाइसेन्स "सब-सेण्टर" पर होता है। यह तो सिर्फ बहाने डॉ. वी. एन. शर्मा अपनी कमजोरी छुपाने के लिये कर रहे हैं।

(2) यही नहीं, उपरोक्त रसायन के अलावा करीब तीस लाख रुपये की घटिया पट्टियों के भी आदेश जारी किये गये। यह पट्टियां डॉ. वी. एन. शर्मा ने अपने नीचे ही कार्यरत डॉ. ओ. पी. यादव के पुत्र से प्राप्त करी थी। विभाग द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिये जा चुके थे कि पट्टियों की गुणवत्ता की जांच किये बिना भुगतान नहीं किया जाये। डॉ. वी. एन. शर्मा ने अपने ही इस नियम को ताक में रख कर, डॉ. ओ. पी. यादव के पुत्र द्वारा सप्लाई की गई। इन घटिया पट्टियों की खरीद की। इसमें डॉ. वी. एन. शर्मा अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के दोषी है।

(3) अपने सेवा काल समाप्त होने के कुछ दिन पूर्व डॉ. वी. एन. शर्मा ने जल्दबाजी में परिवार कल्याण विभाग के लिये करीव दो करोड़ रुपये के उपकरण के आदेश जारी किये। इन उपकरणों का बजट मार्च, 1992 तक वैध था, फिर भी

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

डॉ. पी. एन. शर्मा ने आनन-फानन में, भारी खरीद कर डाली। यही नहीं सामान की बिना जांच-पड़ताल के, फर्मों को भुगतान कर दिया गया। बताया जाता है कि डॉ. बी. एन. शर्मा को इसके लिये भारी रकम प्राप्त हुई। खरीदे हुए काफी उपकरण परिवार कल्याण के मतलब के भी नहीं है।

(4) यही नहीं' डॉ. बी. एन. शर्मा के कार्यकाल के समय परिवार कल्याण की गाड़ी रात को अवैध रूप से शराब लाते हुए पकड़ी गई थी, जिसका पुलिस में रिकार्ड है। इसके अलावा डॉ. बी. एन. शर्मा ने विभाग की जिप्सी गाड़ियों का अपने निजी मकान के निर्माण का सामान लाने–ले–जाने में खुला दुरुपयोग किया।

उपरोक्त घपलों की गम्भीरता को मध्य नजर रखते हुये मेरा आपसे अनुरोध है कि इन संगीन मामलों की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कराई जाये तथा यह जांच अगर आप उचित समझे तो सी. बी. आई. या अन्य उपयुक्त एजेन्सी द्वारा कराई जाये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी।

ग्राम सेवकों तथा पदेन सचिवों के साथ हो रहे अन्याय के सम्बन्ध में

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत राजस्थान के ग्राम सेवकों पदेन सचिवों के साथ हो रहे अन्याय से उत्पन्न स्थिति के बारे में विशेष उल्लेख के जरिये सदन का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

मान्यवर, आज राजस्थान विधान सभा के बाहर हजारों ग्राम सेवक, पदेन सचिव अपनी मांगों को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं। इन ग्राम सेवकों की मांगें वर्ष 1988 से राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है परन्तु इतनी लम्बी अवधि के बावजूद अभी इनकी मांगों के बारे में सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है जिससे राज्य के हजारों ग्राम सेवक आन्दोलन के लिए मजबूर हो गये हैं। सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से भी प्रजातन्त्र की पहली इकाई ग्राम पंचायतों को माना गया है तथा ग्राम पंचायतों के सफल संचालन में ग्राम सेवकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यही नहीं ग्राम सेवक गांव के विकास में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं लेकिन सरकार इतने महत्वपूर्ण प्रशासनिक हिस्से पर कार्यरत कर्मचारियों के साथ अन्य विभाग के कर्मचारियों की अपेक्षा भेदभावपूर्ण नीति अपना रही है। इसके सम्बन्ध में राज्य के ग्राम सेवकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन भी दिया है। लेकिन सरकार की ओर से इन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा एवं राहत नहीं दी गई है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त कर्मचारियों हेतु दिनांक 1 सितम्बर, 1988 से केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर वेतन देने के आदेश जारी किये थे उसके अनुसार कर्मचारियों को लाभान्वित किया जा चुका है। साथ ही वेतन विसंगति समता समिति द्वारा राज्य कर्मचारी संगठनों के ज्ञापनों पर विचार किया गया, उन्हें सुना गया, उस पर निर्णय लिया गया। साथ ही उन्हें लाभान्वित किया जा चुका है

Page No. 123

(123)

(श्रीमती तारा भण्डारी) :

मगरे प्रदेश में एक मात्र ग्राम सेवक पदेन सचिव ही ऐसे कर्मचारी है जिन्हें समता समिति, वेतन विसंगति समिति ने सुनने अथवा अपने पक्ष को रखने का अवसर ही नहीं दिया था ही वेतनमान के लिए विभाग द्वारा प्रस्तावित पत्रावली पर विचार कर निर्णय लिया गया। विभागीय पत्रावली वित्त विभाग के पास विचाराधीन पड़ी हुई है जबकि राज्य के अन्य कर्मचारी तीन वर्ष पूर्व ही लाभान्वित हो चुके हैं। मान्यवर, एक तरफ ग्रुप सचिवों को पंचायतीराज विभाग के दिनांक 26 दिसम्बर 1991 के आदेशों से दिया गया लाभ वापस वसूल किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ 19 जिला परिषदों द्वारा चयन ग्रेड देने की पत्रावलियां निदेशक, ग्रामीण विकास पंचायती राज्य विभाग के पास विचाराधीन है। इन पत्रावलियों द्वारा 19 जिला परिषदों ने ग्राम सेवकों को चयनित वेतनमान देने हेतु मार्गदर्शन मांगा था। अतः पंचायती राज्य विभाग इनकी पत्रावलियों पर अविलम्ब ध्यान देकर चयनित वेतनमान देने की व्यवस्था करे। साथ ही राज्य के 3 हजार 4 सौ 6 ग्रुप सचिवों के पदों को जिन्हें दिनांक 9-1-92 के आदेश द्वारा समाप्त कर दिया है वापस लाया जाना चाहिए। इन ग्राम सेवकों को कोई चयनित वेतनमान नहीं दिया जा रहा है जबकि इन पदों पर कार्य कर रहे व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की पदोन्नति का अवसर भी प्राप्त नहीं होता है।

मान्यवर, मेरी सदन के माध्यम से मांग है कि राज्य के अन्य कर्मचारियों की तरह इन ग्राम सेवकों पदेन सचिवों को भी चयनित वेतनमान दिया जाये। इनको पंचायत प्रसार अधिकारी एवं अन्य पंचायती सेवा के रिक्त पदों पर पदोन्नति दी जावे। सहकारी विभाग में निरीक्षक ग्रेड प्रथम की स्ट्रेन्थ के अनुसार 10 प्रतिशत पदों पर प्रमोशन दिया जाय। प्रगति प्रसार अधिकारी के पदों पर नियमानुसार प्रमोशन दिया जाये। साथ ही मुख्य लेखाधिकारी के विरुद्ध समय-समय पर की गई शिकायतों की जांच कराई जावे।

अतः मान्यवर मैं सदन के माध्यम से पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर आग्रह करती हूं कि ग्राम सेवकों की वाजिब एवं न्यायसंगत मांगों पर अविलम्ब ध्यान दिया जाकर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके हल निकाला जावे। साथ ही सदन के सभी माननीय सदस्य एवं पंचायती राज मंत्रीजी से मेरा अनुरोध है कि बाहर जो ग्राम सेवक हजारों की संख्या में आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे आप मिलें और सहानुभूतिपूर्वक आश्वासन देवें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्री श्रीचंद कृपलानी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम सेवकों की हालत बहुत खराब है। जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं होगा

श्री उपाध्यक्ष : यह 295 का है।

श्रीमती तारा भण्डारी : यदि 295 है तो क्या हुआ (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस पर विचार करना बहुत जरूरी हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अचला राम जी, आप क्या कह रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री अचला राम : पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा है। अगर गांवों का विकास करना है तो, हमारा आपसे आग्रह है कि (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : जब सारे कर्मचारियों को चयनित वेतनमान दिया जाता है तो ग्राम सेवकों को क्यों नहीं दिया जाता ? सारे कर्मचारियों को तो दिया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपलानी जी, आप क्या कह रहे हैं ?

श्री श्रीचंद कृपलानी : मैं यही निवेदन कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, कि आज की तारीख में एक-एक ग्राम सेवक को तीन-तीन ग्राम पंचायतों का कार्य करना पड़ रहा है और यदि पंचायतों को पुनर्गठन हो गया तो 5-5, 6-6 पंचायतों का कार्यभार एक-एक ग्राम सेवक को दिया जायेगा। एक तरफ तो उनका कार्यभार बढ़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। शीघ्र ही उनकी समस्या का समाधान किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री निनामा जी।

श्री नवनीत लाल निनामा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में करीब 3 पंचायतों पर एक ग्राम सचिव लगता है। अब उसका विकास कैसे होगा। एक पंचायत पर एक या दो ऐसे देने पड़ते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : सरकार की नीति यह है कि एक पंचायत के साथ एक सचिव हो, यह सरकार की नीति है। एक तरफ तो तीन-तीन पंचायतों का भार एक ग्रुप सचिव को दिया गया है और दूसरी तरफ वेतन विसंगतियां इतनी है कि उन्हें वेतन कम दिया जा रहा है। कैसे होगा विकास उनका ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रमुलाल जी।

श्री प्रमुलाल पटेल : उपाध्यक्ष महोदय, एक पंचायत पर एक ग्रुप सचिव होना चाहिये। मेरे क्षेत्र में करीब तीन पंचायतों पर एक-एक ग्रुप सचिव लगा है।

श्री हेतराम बेनीवाल : पाइंट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, क्या हम यह समझें कि आइंदा से 295 पर बहस की अनुमति होगी ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मैंने डिसअलाउ किया है (व्यवधान) आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज (व्यवधान) बिराजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : हम तो चाहते हैं कि 295 पर बहस हो। हम इसके पक्ष में हैं कि बहस होनी चाहिये ताकि हम भी हिस्सा लें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : Point of information Sir.

श्री उपाध्यक्ष : What is point of information ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कई सदस्य उत्तेजित हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में ग्राम सेवकों के प्रतिनिधि मण्डल और मंत्रीजी की सौहार्द्रपूर्ण वार्ता हो चुकी है। मंत्रीजी ग्राम सेवकों के बीच जाकर भाषण दे आये हैं, ताली बजवा आये हैं और उनके लिए उन्होंने आश्वासन दे दिया है, जो कुछ

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

करना है वे करेंगे इसलिए आप उत्तेजित नहीं हो । वे सन्तुष्ट हो गये हैं, इसलिए आप भी संतुष्ट हो जाइये ।

श्री हेतराम बेनीवाल : उन्होंने ताली बजवाई है या कुछ दिया भी है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बेनीवाल साहब ।

श्री हेतराम बेनीवाल : आपने कहा है कि ताली बजवाई है । यह ताली क्या होती है ? यह ताली कौनसा स्टेटमेंट है ?(व्यवधान)

व्यवस्था

माननीय सदस्य को धमकी देने पर विशेषाधिकार हनन प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष : मुझे दिनांक 6-3-92 को सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने के पश्चात् माननीय सदस्य सर्वश्री सुरेन्द्र व्यास एवं बुलाकी दास कल्ला ने यह सूचना दी कि डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि उन्हें एक मंत्री ने प्रश्न पूछने हेतु मना कराया एवं धमकी दी । यद्यपि डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं की है, परन्तु इस सदन के माननीय सदस्य सर्वश्री सुरेन्द्र व्यास एवं बुलाकी दास कल्ला ने यह प्रश्न उठाया है कि इस प्रकार की धमकी दिया जाना विशेषाधिकार हनन है, अतः उन्होंने प्रक्रिया के नियम 157, 158 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन के मामले को उठाने की अनुमति चाही है ।

विशेषाधिकार हनन के इस प्रश्न पर विचार करने से पूर्व विधान सभा में जो घटना घटित हुई, उसका उल्लेख करना आवश्यक समझता हूं, जो निम्न प्रकार है :–

मसला तो मंत्री महोदय, बड़ा ही गम्भीर है । अजमेर से जो माननीय सदस्य है उन्होंने मेरी सीट पर आकर मुझे धमकी दी है कि आप इस प्रश्न को मत उठाइये । हम आपका कर देंगे लेकिन पानी की यह जो समस्या है, मैं मानता हूं कि अजमेर में भी है और ब्यावर में भी है ।"

"श्री किशनाराम मुझे कोई शिकायत नहीं है ।" तर्क के लिए यह भी कहा जा सकता है कि अजमेर से दो माननीय सदस्य निर्वाचित हुए हैं । दोनों में से किस माननीय सदस्य ने धमकी दी, यह स्पष्ट नहीं है ।

जिस प्रकार की सूचना दोनों ही माननीय सदस्यों ने दी है, वह अस्पष्ट है । इसमें यह प्रकट नहीं किया गया है कि किस माननीय सदस्य द्वारा कब किस प्रकार की धमकी दी गई ?

इस सम्बन्ध में संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार "कौल एण्ड शकधर" के पृष्ठ संख्या 269 का अंश प्रासंगिक है जिसके अनुसार जब किसी सदस्य द्वारा विशेषाधिकार भंग या सभा के अवमान की शिकायत की जाती है, तो उसके सम्बन्ध में सभा की कार्यवाही इस बात पर निर्भर करती है कि शिकायत किसी सदस्य के विरुद्ध है या किसी अजनबी के विरुद्ध मुख्य अन्तर यह है कि यदि शिकायत किसी सदस्य के विरुद्ध हो, तो उसे सौजन्य के नाते इस मामले के उठाये जाने की सूचना पहले से दे दी जाती है । इसका कारण यह है कि इस प्रकार की

(श्री उपाध्यक्ष)

मामला उठाये जाने से पूर्व उस सदस्य को, अथवा मंत्री को जिसके विरुद्ध कोई शिकायत की गई हो, इस मामले से सम्बन्धित तथ्य अपने या सभा के सामने रखने का अवसर देना अनिवार्य होता है ।

इस संदर्भ में पूर्व में दिनांक 29-3-1975 को जो व्यवस्था तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा दी गई है उस और भी ध्यान आकर्षित करना प्रासंगिक होगा जो अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन के प्रथम खण्ड के पृष्ठ संख्या 218 पर है ।

माननीय अध्यक्ष द्वारा तब जो व्यवस्था दी गई थी, वह निम्न प्रकार है :–

"सदस्य के विशेषाधिकार हनन से सम्बन्धित प्रस्ताव की सूचना सम्बन्धित सदस्य द्वारा ही दी जानी चाहिये ।"

विधान सभा के कई सदस्यों ने इस आशय के विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी थी कि श्री मूलचंद सामरिया, सदस्य, विधान सभा ने श्री मुंशीलाल महावर, राज्य मंत्री के विरुद्ध एक निन्दा प्रस्ताव विधान सभा सचिवालय में टाइप करवाया था परन्तु उसकी प्रति राज्य मंत्री को सीधे ही प्राप्त हो गई और उन्होने श्री सामरिया को डराया धमकाया है ।

"इस सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष द्वारा निम्नांकित व्यवस्था दी गई :–

"सदस्य विधान सभा द्वारा एक विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दिनांक 25 मार्च को दी गई, जिसमें कहा गया कि विधायक श्री मूलचंद सामरिया द्वारा अपने कर्तव्य की पालना में राज्य मंत्री, श्री मुंशीलाल महावर के विरुद्ध प्रस्तुत किये जाने वाले निंदा प्रस्ताव को श्री महावर द्वारा पहले ही मंगवा लिया गया और उन्हें निंदा प्रस्ताव न करने के लिए इंटीमेटेड किया । इस प्रकार महावर विशेषाधिकार हनन के दोषी हैं ।

विधान सभा की "ना पक्ष" की लाबी में जो टाइपिस्ट लगा हुआ है वह मेरे सचिवालय का ही एक कर्मचारी है अतः मेरे लिए इस बात की जांच करना आवश्यक था कि यदि प्रस्ताव में उल्लिखित घटना हुई है तो क्या उसके लिए किसी हद तक उक्त कर्मचारी की गलती है अथवा नहीं ? जो जानकारी मैं कर पाया हूं उससे तो यही प्रतीत होता है कि उक्त टाइपिस्ट का इस घटाना में कोई हाथ नहीं है, फिर भी इस प्रकार की कोई घटना न हो, इसके लिए मैंने भविष्य में सचिवालय को सतर्क कर दिया है ।

जहां तक माननीय सदस्यों द्वारा दी गई विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि अभी तक मेरे पास श्री मूलचंद सामरिया की ओर से ऐसे किसी निन्दा प्रस्ताव की सूचना प्राप्त नहीं हुई है जिसका उल्लेख उक्त स्थगन प्रस्ताव अथवा विशेषाधिकार प्रस्ताव में किया गया है । मैं इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं हूं कि यदि श्री मूलचंद सामरिया के किसी ऐसे निन्दा प्रस्ताव की, जिसकी सूचना देने का उन्होंने इरादा किया हो, कोई प्रति उक्त सूचना देने से पूर्व सम्बन्धित राज्य मंत्री के पास माध्यम से पहुंच भी गई हो तो भी श्री सामरिया उस प्रस्ताव की सूचना मुझको देने से वंचित हो गये हों, यदि थोड़ी

(श्री उपाध्यक्ष)

देर के लिए यह तर्क भी मान लिया जाय कि श्री सामरिया को उक्त निन्दा प्रस्ताव की सूचना देने का इरादा करने पर ऐसा प्रस्ताव न प्रस्तुत करने के लिए डराया धमकाया गया हो और इस कारण उन्होंने ऐसा कोई प्रस्ताव दिया ही नहीं है तो भी यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस प्रकार की कोई शिकायत स्वयं माननीय सदस्य, अर्थात् श्री मूलचंद सामरिया ही कर सकते थे ना कि अन्य कोई माननीय सदस्य।

इस सम्बन्ध में मैंने दिनांक 21-8-1 74 को इसी सदन के के ए कअन्य माननीय सदस्य के सम्बन्ध में दिये विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना के विषय में दी गई अपनी व्यवस्था की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करूंगा जिसमें मैंने अन्य बातों के साथ ब्रिटिश हाउस ऑफ कामन्स के मिस्टर स्पीकर द्वारा दी गई एक व्यवस्था को उद्धृत किया था। उस व्यवस्था में भी यही कहा गया था कि जिस माननीय सदस्य के विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाया गया है वह स्वयं ही इस प्रश्न को उठा सकते हैं :

"As for any question of breach of privilege by the usual channels, if that be the proper term the only Hon'ble Member who could complain about it with real knowledge is the Hon'ble Member for lanark himself."

चूंकि इस मामले में श्री सामरिया की तरफ से न तो मुझे उक्त निन्दा प्रस्ताव की प्रति प्राप्त हुई और न ही इस प्रकार की कोई शिकायत कि उन्हें उक्त प्रस्ताव को न प्रस्तुत करने के लिये डराया धमकाया गया हो, अतः मैं इस विशेषाधिकार की सूचना को ग्राह्य नहीं मानता और फलतः उस पर मैं अपनी स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

इसमें यह भी निर्णित किया गया कि जिस माननीय सदस्य के विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाया गया है वह स्वयं ही इस प्रश्न को उठा सकते हैं। यह निर्णय हाउस ऑफ कामन्स की व्यवस्थाओं पर आधारित है।

श्री सुरेन्द्र व्यास और श्री बुलाकी दास कल्ला ने विशेषाधिकार हनन का जो प्रश्न उठाया है उसमें श्री किशनाराम ने अपनी तरफ से कुछ भी लिखकर नहीं दिया है बल्कि उन्होंने सदन में यह कहा है कि उन्हें कोई शिकायत नहीं है। इस प्रकार की परिस्थिति में माननीय सदस्यगण द्वारा जो अनुमति चाही गई है, वह देने मे मैं असमर्थ हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

पुलिस थाना सोजत में श्री घीसू लाल सोनी की मृत्यु

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री लक्ष्मीनारायण दवे/श्री मोहम्मद माहिर आजाद/प्रो. सांवरलाल/श्रीमती सुचित्रा आर्य श्री सुरेन्द्र गोयल/श्री खंगारसिंह/श्री मांगी लाल (गंगरार)/श्री शम्भूदयाल बड़गुर्जर/श्री श्रीचंद कृपलानी/श्री कालीचरण सराफ एवं श्री फूलचंद गुर्जर, सदस्य, विधान सभा पुलिस थाना सोजत में घीसूलाल सोनी निवासी बीलावास की पुलिस द्वारा की गई

(श्री उपाध्यक्ष)

निर्मम पिटाई से हुई मृत्यु से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे। माननीय श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस थाना सोजत में दिनांक 20-10-91 को घीसूलाल सोनी निवासी ग्राम बीलावास के पुलिस वालों द्वारा पिटाई कर मृत्यु कर दी गई, उसके बारे में मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षित किया गया है। थाना प्रभारी, थाना सोजत के कांस्टेबल द्वारा दिनांक 21-10-91 को सुबह बतलाया गया कि रात्रि में प्रेमसिंह कांस्टेबिल ड्राईवर द्वारा जिस घीसूलाल सोनी, निवासी बिलावास को थाने पर लाया गया था उसकी लाश बैरक में चारपाई पर पड़ी है। लाश को जुगल किशोर व्यक्ति ने पहचाना है। इस सूचना के आधार पर थाना प्रभारी ने मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन सं. 8/91 धारा 176 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पंजीबद्ध कर कार्यवाही किये जाने हेतु पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, सोजत को प्रेषित की जिन्होंने कार्यवाही प्रारम्भ की।

उसी दिन अर्थात् दिनांक 21-10-91 को ही मृतक के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, जिला पाली कैम्प सोजत के समक्ष श्री ताराचंद वल्द मोलाराम माली, निवासी सोजत ने एक लिखित रिपोर्ट पर प्रस्तुत की कि रात्रि में प्रेमसिंह, कानि. ड्राईवर जो नशा शराब में था, वह घीसूलाल सोनी को मय वी. सी. आर. के थाने पर लाया, उसे अवैध रूप से रोक कर मारपीट की जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस लिखित रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी सोजत को अभियोगजन दर्ज करने का आदेश दिया। जिस पर अपराध सं. 255 दिनांक 21-10-91 को 11.30 बजे सुबह धारा 302, 342, भा. द. सं. में पंजीबद्ध होकर अपराध का अन्वेषण पुलिस अधीक्षक, पाली के निर्देशन पर श्री जसवन्त सिंह, पुलिस निरीक्षक, कोतवाली, पाली द्वारा प्रारम्भ किया गया।

उप खण्ड अधिकारी, सोजत द्वारा घीसूलाल की मृत्यु के सम्बन्ध में की गई जांच तथा अपनी रिपोर्ट में गवाहान द्वारा बताये गये तथ्यों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला कि घीसूलाल सोनी की मृत्यु अभियुक्त प्रेमसिंह कानि. ड्राईवर द्वारा वी. सी. आर. के मामले को लेकर हुई झड़प के दौरान उसे पहुंचाई गई चोट से हुई।

थाना अधिकारी, कोतवाली, पाली ने अभियोग के अन्वेषण के दौरान साक्षी के अन्वेषण से भी यही निष्कर्ष निकाला कि मृतक घीसूलाल को कानि. ड्राईवर प्रेमसिंह बस स्टेण्ड से वी. सी. आर सहित थाने पर लाया और उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। दिनांक 20-10-91 को ही अभियुक्त प्रेमसिंह को 7 पी. एम. पर गिरफ्तार कर वी. सी. आर. बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध चालान न्यायालय में दिनांक 10-12-91 को प्रस्तुत किया जा चुका है।

(श्री दिग्विजय सिंह)-

मृतक का शव घटनास्थल से हटाया नहीं गया और न ही किसी ने प्रयास ही किया। पुलिस अधीक्षक, पाली-को टेलीफोन पर इस घटना के संबंध में सूचना थाना प्रभारी बजरंगदास द्वारा दी गई थी न किसी नागरिक द्वारा अभियुक्त को दिनांक 22-10-91 को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के फलस्वरूप पेश किया गया था जिससे पूर्व ही उससे वी. सी. आर. बरामद कर लिया गया था इस कारणवश अभियुक्त से आगे और तफ्तीश करना शेष नहीं था।

अन्य किसी पुलिसकर्मी का लिप्त होना तफ्तीश से नहीं पाया गया। किन्तु प्रशासनिक शिथिलता एवं अनियमितता के लिए मोहनलाल सहायक उप निरीक्षक व अमर सिंह एल. एच. सी. दोषी पाये गये थे। विभागीय कार्यवाही के पश्चात् दंडित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सहायता कोष से मृतक के परिजनों को 10,000 रु. की आर्थिक सहायता भी दिनांक 7-12-91 को दी गई है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होगा कि प्रकरण में पुलिस द्वारा कोई ढिलाई नहीं की गई है। बल्कि तत्परता से कार्यकर मुलजिम प्रेमसिंह को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। तफ्तीश पूरी कर चालान भी प्रस्तुत किया जा चुका है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 20-10-91 को घीसूलाल सोनी, ताराचंद, केवलचंद और किशोर कुमार सिंघी, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो उत्तर आपको आपके विभाग के द्वारा दिया गया है उसमें इस एफ. आई. आर. का अगर मुलाहजा फरमायेंगे तो आप स्वयं ही इसका करेक्शन कर देंगे कि आपको रिपोर्ट कितनी गलत और असत्य दी गई है। इसमें दिया गया है कि दिनांक 20-10-91 को घीसूलाल सोनी ताराचंद और उसके साथ में किशोर कुमार सिंघी, जबकि आगे आपके जवाब के अन्दर दिया गया है कि भोलाराम माली, जबकि ताराचंद पुत्र श्री भोलाराम माली है, साथ में तीन व्यक्ति थे। जवाब में दिया है कि भोलाराम भी साथ में था।

श्री दिग्विजय सिंह : नहीं, नहीं, मैंने कहा कि ताराचंद वल्द भोलाराम माली।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : आपकी रिप्लाई जो हमें प्राप्त हुई है उस रिप्लाई के अन्दर यह दिया गया कि ताराचन्द भोलाराममाली और घीसूलाल सोनी ये तीनों साथ थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 20-10-91 को ताराचंद, किशोर कुमार सिंघी और घीसूलाल सोनी जालोर और जयपुर वासी बस से पाली से घीसूलाल सोनी अपना वी. सी. आर. ठीक कराने गया था। रात्रि को 11.00 बजे सोजत बस स्टेण्ड पर पहुंचा। कथित प्रेमसिंह ड्राइवर और उसके साथ पुलिस के 2-3 और व्यक्ति थे उन्होंने इनका रास्ता रोका और गाली-गलोच करते हुए इनको जबर्दस्ती थाने में ले जाया गया। ताराचंद और किशोर कुमार को थाने से छोड़ दिया गया और उस घीसूलाल सोनी की थाने में निर्मम पिटाई की गई। पिटाई करने के बाद में वहां के पत्रों जलते दीप और अन्य जो पत्र हैं उनके द्वारा इस घटना की सूचना हमें मालूम पड़ती है। थाने के

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

आस-पास अनेक मकान आबाद हैं और थाने में उस वक्त अन्य मुलजिमान वहाँ रहते थे। उस घीसूलाल सोनी की निर्मम पिटाई की गई और इतनी पिटाई की गई कि उसकी मृत्यु ही गई। उसके पश्चात् पुलिस वाले इस लाश को फरोख्त करने के लिए, इधर-उधर करने के लिए सुबह बीलावास गए और उससे पहले सोजत के अन्दर सोनी के रिश्तेदार थे उनके पास गए और उनको प्रेस किया कि यह लाश है आप इसको यहां से ले जाय। जब उन्होंने उसकी लाश ले जाने के लिए मना किया तो पुलिस वाले बीलावास गए जो सोजत सिटी के करीबन 6 किलोमीटर दूरी पर है। जब परिवार वालों को पता पड़ा, सोजत के संभ्रांत नागरिकों को पता पड़ा तो सोजत थाने पर हजारों की तादाद में जनता इकट्ठी हो गई जब इस घटना की सूचना वहां के नागरिकों ने पुलिस अधीक्षक पाली को दी उसके बाद में उसकी लाश इधर-उधर करने की हिम्मत नहीं हुई। बाद में पुलिस अधीक्षक वहां पर आए, आने के बाद में एफ. आई. आर. 255 दिनांक 21-10-91 को दर्ज की गई और दर्ज करने के पश्चात् उसको गिरफ्तार किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, जैसा इन्होंने उत्तर दिया है, इस उत्तर में इन्होंने कहा है कि घीसूलाल सोनी की बैरक में मृत्यु हुई और वहां पर इसकी लाश को उस खाट के ऊपर जहां पर वह सोया हुआ था वहां इसको इधर-उधर नहीं किया गया उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि उस थाने के अन्दर, जिस बैरक के अंदर जिस घीसूलाल की मृत्यु होना बताया है उसी बैरक के अन्दर पुलिस वाले वहां आवास करते हैं जहां पर इसकी मारपीट हुई। प्रेमसिंह के द्वारा जो मारपीट की गई इस प्रेमसिंह के साथ में पुलिस विभाग के और आदमी भी थे जिनको इस घटना की जानकारी थी और वे लोग इसमें सम्मिलित थे। अगर यह बात गलत है तो इसको उस जेल के अंदर बन्द किया गया उस दिन 3-4 कैदी थे उन कैदियों के बयान जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले अधिकारी या पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक के मातहत में निरीक्षक जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उन्होंने इनका बयान क्यों नहीं लिया?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस मृतक की मृत्यु हो गई, जो परिवार में अकेला आदमी था, उसके चार पुत्र, दो पुत्रियां और उसकी मां अस्सी साल की है। उसका बिलावास गांव में न कोई मकान है, न रहने के लिए कोई जमीन है, न खेती करने के लिए खेत है। बेरोजगार वह व्यक्ति था। उसकी पत्नी की उम्र 35-36 साल की है और घीसूलाल सोनी की उम्र 43 साल की थी। इस हिसाब से 21 तारीख को इसको गिरफ्तार किया गया और 22 तारीख को, पुलिस की एफिशियेन्सी की बात करता हूं, 379 का मामला हो, चाहे 452 का अगर मामला हो उसके अन्दर पुलिस रिमाण्ड लेती है और 302 के मामले में 24 घण्टे के अन्दर-अन्दर पुलिस उस मुलजिम को, जो पुलिस विभाग का व्यक्ति था, उसको जैसे दूल्हा अपनी बारात में जाता है उस हिसाब से पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को बिना हथकड़ी लगाये हुए वहां उसको जे. सी. करवा दिया गया। क्या इनसे हम अपेक्षा करते हैं? जबकि 379 और 452 जैसे साधारण

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

मामलों में भी पुलिस रिमाण्ड की पैरवी करती है और 302 के मामले के अन्दर इन्होंने रिमाण्ड नहीं मांगा।

(3.00 म. प.)

श्री उपाध्यक्ष : अब सवाल पूछ लीजिए बाकी है तो।

लक्ष्मीनारायण दवे : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है....

श्री कालीचरण सराफ : उपाध्यक्ष जी, मेरा भी नाम है....

श्री उपाध्यक्ष : हां-हां, आप भी बोलिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : डटकर बोलिये।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, डट कर बोलने वाली बात नहीं है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन है, उस परिवार के सदस्यों और स्वर्णकार संघ, ब्यावर का एक डेलीगेशन गृह मंत्रीजी के पास भी आया था। मैं भी माननीय गृह मंत्रीजी से मिला था। मैंने निवेदन किया था कि पुलिस द्वारा जिस हिसाब से 24 घंटे में जिस मुलजिम को ज्यूडिशियल लॉक-अप करवा दिया गया और जो तफ्तीश दस दिन में, 302 की तफ्तीश दस दिन में पूरी करके चालान पेश कर दिया गया और जो लोग वहां पर हत्या होने के बाद में इस लाश को फरोख्त करने के लिए बिलावास गांव में गये, उस परिवार के पास गये, उनको जो डराया-धमकाया, वह भी व्यक्ति जिस दिन पुलिस थाने के अन्दर चाहे ए. एस. आई. हों, चाहे हैड कांस्टेबिल हों, चाहे कांस्टेबिल हों, वह सब जितने व्यक्ति थे वह लोग भी 109, 120 और 201 के मुलजिम है उनको मुलजिम नहीं बनाया गया। इस कारण हमने माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन किया था कि यह जो इन्क्वायरी पुलिस विभाग और पुलिस अधीक्षक और उनके तहत नियुक्त निरीक्षक कर रहे हैं, हमें संदेह है। इसलिए यह इन्क्वायरी सी. आई. डी. विभाग के द्वारा करवाई जाय। सी. आई. डी. विभाग द्वारा इन्क्वायरी नहीं की गई। परिणाम यह हुआ कि दस दिन के बाद चालान पेश कर दिया गया। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि 43 साल का जो मृतक है और उसकी औरत 36 साल की है और उसके आठ व्यक्ति हैं, उनके परिवार को मात्र दस हजार रुपये की जो आर्थिक सहायता दी, क्या वह पर्याप्त है? मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उसके परिवार में जो छह सदस्य हैं, जो मेजर बच्चे हैं, जो बालिग हैं, उनकी योग्यता के आधार पर उनको कोई न कोई राज्य सरकार में और आपके विभाग में सर्विस लगाने की कृपा करें। उपाध्यक्ष महोदय, कितने दुःख की बात है कि ऐसी घटना घटित हुई, सोजत का बाजार बन्द रहा, हजारों की तादाद में वहां पुलिस थाने पर जनता आई, बेलावास, जो सोजत से छह किलोमीटर दूरी पर था, बेलावास गांव का तमाम बाजार बंद रहा, धिनावीस का तमाम बाजार बंद रहा और उसके बाद में 24 घंटे में उस मुलजिम को, मात्र एक मुलजिम को, जबकि पूरे थाने वाले इसमें सम्मिलित थे, उस थाने में जितने भी हैड

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

कांस्टेबिल या ए. एस. आई. हैं, न तो उनका ट्रांसफर किया गया, न उनको 302 के अन्दर इनवेस्टीगेशन फेयर के लिए, सिर्फ तफतीश के अन्दर....

श्री उपाध्यक्ष : यह रिपीटीशन हो रहा है। माननीय माहिर आजाद जी।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि....

श्री उपाध्यक्ष : और प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : कि ऐसी बड़ी घटना होने के बाद में पाली जिले का कलक्टर इतनी संवेदनशील घटना होने के बाद भी मौके पर आज तक नहीं पहुंचा, न उस परिवार से मिला। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस परिवार के मृतक को कोई न कोई राज्य सरकार द्वारा नौकरी दिलवाई जाय और कम से कम पांच लाख रुपये उस परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाय ताकि वह गरीब परिवार जिसमें आठ सदस्य हैं और मृतक की महिला कंचन देवी, जिसकी उम्र 36 वर्ष है, उसको भी आर्थिक सहायता प्रदान करने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। माननीय माहिर आजाद जी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह वाकयात बड़ा शर्मनाक है ही, इस पर माननीय गृह मंत्रीजी ने अपना उत्तर दिया है, बयान दिया है, इसलिए मैं भाषण नहीं देकर कुछ स्पेसिफिक सवाल जो खड़े होते हैं वही करना चाहूंगा। मेरा पहला प्रश्न आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से यह है कि क्या मृतक घीसूलाल सोनी के शव का पोस्टमार्टम कराया गया था? आपने उत्तर में कहीं कोई इसका जिक्र नहीं किया उसका पोस्टमार्टम भी हुआ, उसकी क्या रिपोर्ट आई, कृपया उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से हमको भी अवगत करायें। मेरा दूसरा सवाल यह है। उपाध्यक्षजी उपखण्ड अधिकारी, सोजत ने इसकी जांच की और उसकी रिपोर्ट को यहां, गृह मंत्रीजी ने उद्धृत किया है, मैं उसका एक अंश यहां पर आपको पढ़ कर सुनाता हूं कि कितनी घुमा-फिरा कर यह रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी ने दी है, "घीसूलाल सोनी की मृत्यु अभियुक्त प्रेमसिंह कांस्टेबिल-ड्राइवर द्वारा वी. सी. आर. के मामले को लेकर हुई झड़प के दौरान उसे पहुंचाई गई चोटों से हुई।" 'उपाध्यक्ष महोदय, क्या विचित्र स्थिति है? तथ्य सामने हैं, एफ. आई. आर. सामने हैं, गृह मंत्रीजी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि उनको जब पकड़ा तो यह शक व्यक्त किया कि वह ब्लू फिल्म के लिए इस वी. सी. आर. को ले जा रहे थे। लेकिन जब यह बताया गया कि हम तो इसको ठीक कराने के लिए ले जा रहे हैं, यह तथ्य सामने आ गया, उसके बाद उसको वहां से पुलिस थाने पर ले गये। झड़प तो उस स्थान पर होती। अगर अभियुक्त रुकता नहीं, मृतक रुकता नहीं, पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करता उस स्थिति में पुलिस उसके ऊपर किसी तरह का कोई वार करती तब तो कहलाती झड़प, पुलिस उसको थाने पर ले गई, थाने पर ले जाकर इन्टेन्सली उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, उसको इतनी भयंकर यातनाएं दी गई कि उसने पुलिस

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

के संरक्षण में पुलिस थाने में ही दम तोड़ दिया और फिर उसको झड़प के समय कह रहे हैं कि झड़प के समय जो चोट पहुंचाई गई उससे मृत्यु हो गई।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जांच शरारतपूर्ण है और यह रिपोर्ट और यह तथ्य अभियुक्त को बचाने के लिए यहां पर प्रस्तुत लिये गये हैं। तीसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि उक्त मृतक के परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से केवल मात्र दस हजार रुपये की सहायता दी जाना, क्या हमने किसी की जान की कीमत दस हजार रुपये आंक ली ? दस हजार रुपये में कोई है जो अपनी जान देने के लिए तैयार हो ? बड़ी आसान घोषणा कर दी, उसकी भरपाई तो हम उसको कितना भी दें, नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी उसको पर्याप्त मात्रा में आर्थिक रूप से मुआवजा दिया जाना चाहिए ताकि उसका परिवार पांवों पर खड़ा हो सके, उसके सामने जीवन निर्वाह का संकट न हो। या तो पर्याप्त मुआवजा दीजिए अन्यथा उसके परिवार के किसी सदस्य को आप पुलिस विभाग में ही लगा दीजिए ताकि जो हादसा उसके साथ गुजरा वह उससे शिक्षा ले और उसको रोजगार भी मिल जाये। इस सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्रीजी अपने विचार रखें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी ने यहां जो जवाब दिया.... (व्यवधान)

एक मिनट, मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री कालीचरण सराफ : गृह मंत्रीजी ने यहां जो जवाब दिया उससे साफ़ ज़ाहिर है कि पुलिस के अधिकारी हत्या जैसे संगीन जुर्म के अभियुक्त को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका पहला उदाहरण 21.10 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया 302 में और दिनांक 22-10-91 को उसका पुलिस रिमाण्ड नहीं मांगा और उसको जे. सी. में भेज दिया गया है। मैं गृह मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि राजस्थान में इतने कितनी हत्या के जुर्म में गिरफ्तार व्यक्ति उनकी नालेज में है कि जिनको केवल एक दिन पुलिस थाने में रखकर दूसरे दिन जे. सी. में भेज दिया गया है। इससे यह स्पष्ट जाहिर है कि वहां के पुलिस अधिकारी उस अभियुक्त को बचाना चाहते हैं। दूसरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी ने अपने जवाब में स्पष्ट कहा है कि मृतक का शव बैरक में चारपाई पर पड़ा हुआ मिला। मेरे ख्याल से बैरक में एक या दो सिपाही तो नहीं रहते, थाने के सारे सिपाही उस बैरक में सोते हैं और उनके सामने उसके साथ मार-पीट होती रही, वह चिल्लाता रहा, या तो सब नींद की गोलियां लेकर सोये होंगे कि उनमें से कोई उठा ही नहीं और यदि वह सब जाग रहे थे तो केवल यह तीन व्यक्ति इस मामले में अभियुक्त नहीं हैं, जितने लोग थाने में पुलिस वाले उपस्थित थे उन सब पर कार्यवाही होनी चाहिए और निश्चित रूप से सारे लोग दोषी थे।

एक को ही बनाया है बाकी सब कहां गये थे कृपया इस बात को भी माननीय गृह मंत्रीजी स्पष्ट करें और मैं यह भी पूछना

(श्री कालीचरण सराफ)

चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी से कि उनसे जो शिष्टमण्डल मिलने आया था उनको यह कहा था कि इसकी जांच सी.आई.डी. से करवाई जायेगी । जैसा कि माहिर आजाद जी ने बताया कि अभियुक्त के साथ वी.सी.आर. के मामले में झड़प के अन्दर चोट आई । मेरी समझ में नहीं आता, यह तो एक साधारण बुद्धि की बात है कि कोई कितना भी बड़ा आदमी रात का समय पुलिस वाले नशे में धुत्त उनसे थाने में झड़प करने की हिम्मत मेरे ख्याल से राजस्थान में तो कोई नागरिक नहीं कर सकता । याने पुलिस के लोग उनसे मारपीट कर रहे हैं और उसके कारण से उसकी मृत्यु हुई है और जांच में यह कहा गया कि झड़प के कारण मृत्यु हो गई । कितनी शर्मनाक बात है । माननीय गृह मंत्री जी ने जवाब दिया तो पहले इसको तो पढ़ लेते कि हम क्या कहना चाहते हैं ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सी.आई.डी. की जांच का आश्वासन मंत्रीजी ने शिष्टमण्डल को दिया था तो मैं स्पेसिफिक पूछना चाहता हूं कि क्या सी.आई.डी. की जांच के आदेश कर दिये हैं और नहीं किये तो सी.आई.डी. की जांच के आदेश क्यों नहीं हुए ?

चौथा मेरा प्रश्न यह है कि जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि 10 हजार रुपये में एक व्यक्ति मर गया । 10 हजार रुपया देकर उसकी लीपापोती करने का प्रयास मत करो । संवेदनशील सरकार है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि 8 व्यक्तियों का परिवार उसके पीछे अनाथ हो गया । उनकी निश्चित रूप से आप को सहायता बढ़ानी चाहिए और उनमें यदि कोई नौकरी करने के योग्य व्यक्ति है तो उसकी नौकरी भी दिलाई जानी चाहिए ।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जेतारण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने जवाब में कहा है कि प्रेमसिंह कांसटेबल उसको लेकर आया और थाने में उसकी मृत्यु हुई । यह आपने जवाब में स्वीकार किया है । तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करूंगा आपके मार्फत मंत्री महोदय से कि उनके 4 बच्चे और 2 बच्चियां, वृद्ध माता-पिता और उसकी बेवा है । उनको 10 हजार का मुआवजा कम है । 1 लाख रुपया कम से कम उनको मुआवजा मिलना चाहिए और उसके परिवार में कोई बालिग व्यक्ति है तो उसकी नौकरी की व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है ।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) : उपाध्यक्ष महोदय पूर्व वक्ता ने जो बताया उसको मैं दोहराऊंगा नहीं । मैं आपकी मार्फत एक सवाल माननीय गृह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि ऐसे सवाल पहले भी बहुत बार आये हैं कि पुलिस कस्टडी में जब भी मुलजिम को लाया जाता है तो उसको बेरहमी से मारा जाता है और मारने में कोई एक आदमी काम नहीं करता है सारे थाने का जो भी स्टाफ होता है वह बेरहमी से मारता है और यही कारण है कि उस घीसुलाल को एक कोई ड्राइवर ने मारा हो और एक के मारने से मरा हो, यह सही नहीं है । इसलिए उस थाने में मारने के बाद उसकी मृत्यु हुई हैं । यह मामला बहुत गम्भीर था । इस मामले को आप उसी थाने के अपग्रेड के अधिकारियों से जांच

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

करायें तो इसमें न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसलिए इस मामले को सी.आई.डी. को देकर या सी.बी. आई. को देकर इसकी जांच होनी चाहिए थी। नहीं तो ऐसी घटनायें थाने वाले करते रहते हैं और थाने वालों की थाने वाले ही पैरवी करते हैं। तो यह बड़ा गम्भीर मामला है। सारे राजस्थान से इसका सवाल जुड़ा हुआ है। अकेले पाली और सोजत का ही सवाल नहीं है। सारे राजस्थान के अन्य थानों में भी पुलिस वाले बेरहमी से लोगों को मारते हैं। बेगुनाह लोगों को भी मारते हैं पुलिस की मिली-भगत हो जाये तो उसकी मार नहीं होती है अन्यथा बेरहमी से मारते हैं। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आगे इस प्रकार की कार्यवाही नहीं हो और जिन्होंने यह की है क्या उनके खिलाफ क्या वह कोई सख्त कार्यवाही करने जा रहे हैं? यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण दवे एक सवाल पूछिये केवल।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, पहले मंत्रीजी का उत्तर तो आ जाने दीजिये। यह पहले भी बोल चुके हैं उनका तो उत्तर पहले सवाल का आया नहीं....

श्री उपाध्यक्ष : अब यह बोलना चाह रहे हैं कैसे रोकूं।....(व्यवधान)....माननीय गृह मंत्री जी।

श्री दिग्विजयसिंह (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कुछ नयी जानकारियां और दी है। तो मेरे वक्तव्य को अगर आपने पढ़ा हो तो मैंने सिर्फ यह नहीं कहा कि इसमें और कोई लिप्त नहीं है....

श्री फूलचन्द गुर्जर : चालान एक का ही हुआ है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पहले कृपया सुनिये।

श्री कालीचरण सराफ : 20 लोगों ने मिलकर मारा है और आप चालान एक के खिलाफ पेश कर रहे हैं... और एक दिन का पुलिस रिमाण्ड नहीं लिया और उसको छोड़ रहे है।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब तो सुनिये आप। फूलचन्द जो बिराजिये....

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय विधायक यदि आपके पास ऐसी सूचना है कि 20 ने मारा है तो निश्चित रूप से वह भी अदालत में जाकर कह सकते हैं और एस.डी.ओ. ने इन्क्वायरी की थी उसके सामने भी आप बता सकते थे। सोजत के एस.डी.ओ ने इसकी इन्क्वारी की थी और इन्क्वायरी हमने इसीलिए सोजत के एस.डी.ओ से करवाई और यह तथ्य आपके सामने थे तो वहां पर भी आ सकते थे....(व्यवधान)।

श्री कालीचरण सराफ : सी.आई.डी की जांच के आश्वासन का क्या हुआ?

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां कोई पुलिस को डिफेण्ड करने नहीं खड़ा हुआ हूं। जो हकीकत थी उसका विवरण मैंने आपको दिया है और उसके बाद में मैंने आपसे यह भी निवेदन किया कि प्रेमसिंह को जो कांसटेबल ड्राइवर को लेकर आया और धीसूलाल को जो उस ने

(श्री दिग्विजय सिंह)

मारा और अपने थाने में ले गया और अपनी बैरक में ले गया और बैरक में जाकर वह नशे में था यह मैंने कहा है उसके बाद में वहां पर दोनों के बीच में झड़प हुई होगी, झगड़ा हुआ होगा, जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है....(व्यवधान)....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इनको यह पता ही नहीं है कि झड़प क्या होती है....

श्री उपाध्यक्ष : पहले सुन तो ले। आपको बहुत जल्दी जोश आ जाता है.... बिराजिये ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, झड़प आपके और मेरे बीच में हो और गृह मंत्री जी और...

श्री दिग्विजय सिंह : मैं निवेदन कर रहा हू कि इसके अन्दर आपने एक इन्द्र कुमार सिंघी का नाम भी बताया कि वह भी उस समय था और इसका नाम सम्मिलित नहीं किया गया। मैं इस सम्बन्ध में जानकारी कर लूंगा कि यह किस प्रकार नाम छूटा है और क्यों उसका नाम इसमें नहीं है। जहां तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सवाल है वह भी मेरे पास है और पोस्टमोर्टम रिपोर्ट के अन्दर उन्होंने यही कहा है :—

"In our opinion, the cause of death of Ghisulal S/o Bhanwar Lalji is head injury leading to sub-duodenal haemorrhage in the brain."

"However, the viscera preserved and sent for chemical examination for evidence of any common poisoning etc."

यह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय गृह मंत्री जी केवल हैड इन्जरी नहीं है। इसके शरीर पर....

श्री उपाध्यक्ष : इनका स्टेटमेंट तो सुन लीजिये पहले। आपको मैं अलाउ कर दूंगा।

श्री दिग्विजय सिंह : या तो मैं बैठ जाऊं। आप बीच में इन्टरप्ट करें तो बात दूसरी है। या तो मेरे पास जो इनफार्मेशन है उसको आप सुन लो। उसके बाद में अधिक आपके पास हो तो मैं खुद मांग लूंगा। मेरे पास नहीं है मैं और जांच करा लूंगा लेकिन सुन तो लें। आपने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके पास है या नहीं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे पास है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो उल्लेख किया गया है मैंने उसको आपको बताया है। फिर यह कहना कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास नहीं थी या नहीं बताई तो वह मैंने जानकारी आपको दे दी। झड़प के बारे में आप कह रहे थे कि झड़प तो रास्ते में हो सकती थी, थाने में ले जाकर लड़ाई आदमी नहीं करता इसलिए हमने यह जांच पुलिस को नहीं देकर एस.डी.ओ. सोजत से कराई ताकि निष्पक्ष जांच हो....

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप धैर्य नहीं रख रहे हैं लक्ष्मीनारायण जी।

श्री दिग्विजय सिंह : इसलिए हमने यह जांच एस.डी.ग्रो. सोजत से कराई थी और एस.डी.ग्रो. सोजत ने जांच में जो निष्कर्ष लिखा है वह मैंने उल्लेख किया है। वह आप चेलैन्ज कर सकते हो कि गलत है। वह कोर्ट का मामला है। दूसरी बात आपने यह बात कही कि इसको इतनी जल्दी रिमाण्ड पर कैसे छोड़ दिया और इसका क्या कारण रहा। तो उपाध्यक्ष महोदय, आप तो स्वयं जानते हैं कि जिस चीज पर लड़ाई हुई और वह चीज बरामद हो गई, अब बरामद होने के बाद में आगे और कोई चीज बरामद हुई नहीं....

श्री कालीचरण सराफ : माननीय गृह मंत्री जी यह चोरी का मामला नहीं था कि आप ने वी.सी.आर. बरामद कर लिया और छोड़ दिया। अभियुक्त से....(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : बाकी जो आप कह रहे हैं रिमेनिंग जो पुलिस वाले थे उनमें से मैं आपसे निवेदन कर दूं कि दो पुलिस अधिकारी नहीं पाये गये। उनमें मोहनलाल सहायक निरीक्षक व श्री अमरसिंह एच.सी. दोनों को दण्डित किया गया। 17 सी.सी. का नोटिस दिया गया है। एक का एक इन्क्रीमेंट रोका है और एक को सेन्शर किया गया है। इसलिए जो दोषी हैं उन सिपाहियों को भी इसमें दण्डित किया गया है। यह बात नहीं है कि उन सिपाहियों को निर्दोष मानकर छोड़ दिया गया है।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि इनको दण्डित किया गया है....

श्री उपाध्यक्ष : एक क्लेरीफिकेशन और दे रहे हैं सुन लीजिए।...(व्यवधान)...

श्री दिग्विजय सिंह : वह तो 302 का मुकदमा करके उनको बाजार में थोड़े ही खड़ा किया है उसका चालान किया गया है और...

श्री कालीचरण सराफ : एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : इनको बैठने दीजिए फिर जानकारी ले लें।

श्री दिग्विजय सिंह : आपका मतलब है कि 302 लगते ही फांसी लगा दूं। यह तो कानून के हिसाब से होगा उसको जेल में रखा गया। उसके बाद में अदालत में पेश किया गया और उसके बाद में चीज बरामद हो गई।

जहां तक सी.आई.डी. में देने का प्रश्न है, मुझसे इस सम्बन्ध में कोई डेपुटेशन नहीं मिला था वहां से आकर सी.आई.डी. का कोई भी उसके पहले ही जो मुजरिम था उसको गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तार करके सारी कार्यवाही हो गई इसलिए मैं नहीं समझता था कि सी.आई.डी. की और आवश्यकता होगी। माननीय सदस्यों को इतनी चिन्ता है कि इसमें सी.आई.डी. से भी मामले की जांच हो और दूसरी कार्यवाही भी होनी चाहिए तो कोई इस बात के तथ्य आयेंगे तो निश्चित रूप से उनसे भी करा लेंगे और जो मुआवजे की बात कही है, इसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई आदमी मर जाता है, किसी घटना से उसकी मृत्यु हो जाती है तो किसी प्राणी का कोई मुआवजा नहीं होता यह तो सहानुभूति के हिसाब से उस परिवार को कुछ दिया जाता है। राज्य सरकार ने, मुख्य मंत्रीजी ने अपने कोष से 10 हजार रुपये की राशि उस परि-

(श्री दिग्विजय सिंह)

वार को दी है यदि इससे अधिक की आवश्यकता हुई तो राज्य सरकार इसमें विचार करेगी। हम कोई इसमें दिमाग संकुचित या बन्द करके नहीं चल रहे हैं। (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष : मूल प्रश्नकर्त्ता

श्री कालीचरण सराफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की मंशा से कोई शंका नहीं रखता। सरकार इस पर कार्यवाही करना चाहती है परन्तु आप देखिये कि यह कोई चोरी का मुकदमा नहीं है हत्या का मुकदमा है, वी.सी.आर. बरामद हो गई इसलिए हमने उनकी रिमाण्ड की आवश्यकता नहीं समझी, यह कोई चोरी का वी.सी.आर. बरामद किया था? हत्या में कौन-कौन लोग अभियुक्त थे? कौन-कौन शामिल थे? इस बात की कोई जानकारी नहीं की गई केवल वी.सी.आर. बरामद कर लिया गया। बड़ा जोरदार काम कर दिया आपने। 379 का मुकदमा नहीं था गृह मंत्रीजी यह 302 का मुकदमा था और इसमें वी.सी.आर. का कोई लेना-देना नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास इतना जोर का गला तो है नहीं जितना कालीचरणजी का है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, सुन रहे हैं हम सब। आप बतायें।

श्री दिग्विजय सिंह : लेकिन मैं आपको यह कह सकता हूं, इन्होंने सुना नहीं, सारी जांच हुई है। एस.डी.ओ. ने जांच करने के बाद जिनको माना है....और जो अभी था जिसके कारण को लेकर दवे साहब ने भी कहा है कि वी.सी.आर. को लेकर उतरा उसको लेकर वह थाने में ले गया तो इश्यू तो वी.सी.आर के सम्बन्ध में था, उसको लेकर झगड़ा हुआ उनमें। वह बरामद हो गया उसके बाद कोई चीज बरामद होने की पुलिस के पास....(व्यवधान)। इसलिए यह कहना कि साहब वी.सी.आर. बरामद हो गया इसलिए हुई। वहां पर इसकी मृत्यु हो गयी उसके बाद लाश वहीं पड़ी रही और 302 के तहत इसमें तुरन्त गिरफ्तार कर लिए और उसके खिलाफ कार्यवाही की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण जी पूछ लीजिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय गृह मंत्री जी से प्रथम प्रश्न यह है कि श्री घीसूलाल सोनी, उसको पुलिस वाले जो पकड़ कर ले गये थे वह किसी ओफेंस के तहत ले गये थे? क्या उसका इल्लीगल डिटेंशन नहीं किया गया था? दूसरा प्रश्न है, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि उपखण्ड अधिकारी, सोजत के द्वारा हमने इन्क्वारी कराई थी, सी.आर.पी.सी. सेक्शन 176 में प्रोविजन है कि थाने में कोई आदमी अगर मर जाता है तो वहां का एस.डी.ओ. वहां इन्क्वारी करता है, आपने इसमें नई बात नहीं की। इसमें दिया हुआ है—

"Inquiry by a magistrate into the cause of death : When any person dies while in the custody of the police, the nearest magis-

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

trate is empowered to held an inquiry...."

श्री उपाध्यक्ष : ठीक ही कहा, आपने ठीक बताया।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : इसलिए पुलिस थाने में कोई आदमी की मृत्यु हो जाती है तो यह वहां का उपखण्ड अधिकारी इन्वेस्टीगेशन करता है इसमें कोई नयी बात नहीं बताई आपने। मेरा प्रश्न यह है कि....

श्री उपाध्यक्ष : यह कह रहे थे, नियमों में जांच में कोई लेकुना नहीं रहे इसलिए इन्होंने एस.डी.ओ. का रफेंस दिया है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : एक तो उसका इल्लीगल डिटेन्शन किया गया, एक उसके साथ मारपीट की गई क्या उस वक्त थाने में दूसरे पुलिस कर्मचारी नहीं थे ? अगर थे तो उनकी जानकारी में यह बात पूरी थी और वह भी इसमें शामिल थे इसलिए उनको मुलजिम नहीं बनाया गया। जहां तक मंत्रीजी ने कहा है कि मेरे को इसके बारे में कोई सूचना नहीं हुई, यह मृतक घीसूलाल की पत्नी कंचन देवी ने आपको 21-10-91 को पत्र प्रेषित कर निवेदन किया था कि इसका पुलिस द्वारा जो इन्वेस्टीगेशन किया जा रहा है उसमें मेरे को सन्देह है। यह फेयर नहीं होगा। मेरे प्रति जस्टिस नहीं होगा इसलिए सी.आई.डी. क्राइम ब्रांच के द्वारा यह इन्वेस्टीगेशन करवायें। दूसरा स्वर्णकार संघ का डेलिगेशन माननीय गृह मंत्रीजी के पास गया और मैं स्वयं गृह मंत्रीजी के पास गया था आपने मुझे आश्वासन दिया था कि मैंने इसकी इन्क्वायरी सी.आई.डी. क्राइम ब्रान्च से करने के लिए आदेश दे दिये हैं और 10 दिन के अन्दर-अन्दर इसका चालान पेश कर दिया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो उत्तर था कि जिस मृतक घीसूलाल के परिवार में जो बालिग पुत्र है क्या राज्य सरकार और माननीय गृह मंत्रीजी उसको इस पुलिस विभाग में कहीं सर्विस देने के लिए विधान सभा में आश्वासन दे रहे हैं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। हेतराम बेनीवाल साहब।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक टैक्निकल सवाल पूछना चाहूंगा। माननीय गृह मंत्रीजी ने एक बात कही कि मेडिकल रिपोर्ट को लेकर कि उसका काज ऑफ डैथ हैड इन्जरी या इसके हैड इंजरी होने से मुलजिम एक नहीं होता जो लोग वहां खड़े थे असल में यदि कॉमन काज या कॉमन इन्टेन्शन उसकी जाहिर हो जाय तो भी वह मर्डर में आते हैं इसलिए जिन-जिन लोगों ने चोटें मारी अगर उसके शरीर पर कहीं न कहीं चोटें हैं, कहीं भी हैं, चाहे खरोंच की चोट है तो भी निश्चित रूप से मल्टीपल इन्जरी के कारण और लोग इसमें मुलजिम बनते हैं। आपने सिर्फ, यह जो पुलिस ने बड़ी चालाकी से काम किया क्योंकि पुलिस के खिलाफ ही था और पुलिस को करना था इसलिए हमको बेवकूफ बनाकर यह कर दिया कि जिसको हैड इन्जरी में एक चोट आयी वह मुलजिम रख दिया बाकी सब छोड़ दिये। तो मैं निश्चित चाहूंगा कि इस मामले में इन्क्वारी हो और वे सारे मुलजिम इसमें आने चाहिए जिन्होंने उसको पीटा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये । चर्चा समाप्त हुई ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि मौका दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, श्री रामसिंह विश्नोई साहब ।

श्री रामसिंह विश्नोई : मुझे उपाध्यक्ष महोदय, एक ही बात पूछनी है, ड्राइवर का इससे क्या लेना-देना है वह तो गाड़ी चलाने वाला होता है उसका क्या लेना-देना था इस मामले में कि जो उस मुलजिम से कुछ पूछताछ करता ? किसने उसको बुलाने के लिए आदेश दिये थे ? कहां वी. सी. आर. की चोरी का मामला था, किसके आदेश से वह उसको पकड़ने के लिए गये ? कौन गये ? कौन-कौन गये, फिर लाये कब लाये ? यह सारी बातें इस तरह की हैं कि जांच होनी चाहिए । ड्राइवर का क्या लेना-देना है जो उसको तो आपने मुलजिम बना दिया बाकी कि कोई कार्यवाही आपने नहीं की ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, एक माहिर आजादजी और पूछ रहे हैं । पूछ लीजिए ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक अन्तिम जो मुझे शंका है उसका समाधान चाहता हूं । पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंश माननीय गृह मंत्रीजी ने सदन के सम्मुख दिये हैं । अपराध करने वाला, उसके षड़यंत्र में शामिल व्यक्ति और जिस स्थान पर अपराध हो रहा है, वहां मौजूद लोग, सारे कहीं न कहीं, किसी हद तक अपराधी की श्रेणी में आते हैं, तो जब इसकी लाश थाने को मिली । थाने में इसके साथ मारपीट की गई और इतना मारा गया कि वहीं उसकी मृत्यु हो गई । थाने में कितना स्टॉफ, कौन-कौन मौजूद थे ? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वे उसे बचाते, छुड़ाते कि भई तुम इसको इस हद तक क्यों मार रहे हो बिना ओफेंस ? कौन-कौन लोग वहां मौजूद थे ? उनसे भी कोई पूछताछ की होगी एस. डी. ओ. ने या जांच अधिकारी ने ? कितने लोग थे, उन्होने क्या कहा ? इस सम्बन्ध में आप स्पष्ट करें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी ।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा विश्नोई साहब ने फर्माया कि वह ड्राइवर था और उसको क्या हक था कि वह जाकर उसको लेकर आता । कांस्टेबिल भी ड्राइवर का काम करते हैं और रैंक वही होती है जो कि कांस्टेबिल हों और ड्राइविंग भी करते है यह निश्चित रूप से जो आप कह रहे हो, सही है । मैंने पहले ही कहा कि वह शराब के नशे में था । अनावश्यक रूप से उस आदमी को जबरदस्ती वह थाने में ले गया और ले जाकर वहीं अपने बैरक में अपने साथ बिठाया और वहीं रखा और वहीं बीच के अन्दर यह बात हुई इसलिए यह कहना कि उनका लेना-देना नहीं था, निश्चित रूप से कोई लेना-देना नहीं था । वह उसको बैरक में ले गया फिर इसमें कार्यवाही की है । यह गलती की थी फिर उसके बाद में जो घटना हुई फिर उसके खिलाफ कार्यवाही हुई थी । आपने बताया कि उसके, क्या कह रहे थे आप माहिर साहब ? हां, मैंने इस बात को पहले ही

(श्री दिग्विजय सिंह)

कहा है कि डाइरेक्टली किसी का कोई लिप्त होना नहीं पाया गया। जो उसकी रेस्पोंसिबिलिटी थी, जो वहां मौजूद थे उन दोनों के खिलाफ कार्यवाही की गई है और रिपोर्ट नहीं की उनको कार्यवाही करते हुए उनके खिलाफ भी दण्डित किया गया है, यह मैंने जवाब में पहले ही कहा है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसका निलम्बन, यह कोई दण्डनीय कार्यवाही नहीं है। वह आदमी पुलिस बैरक में उसको ले गया, उसके साथ मारपीट की और पुलिस बैरक में दूसरे पुलिस वाले वहां रहते हैं उनके भी खाट हैं। उन लोगों को भी कांस्पीरेसी में वह साथ थे, षड़यंत्र उन्होंने किया, उसके साथ मारपीट की उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। मेरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि माननीय गृह मंत्रीजी, जो दूसरे लोग इस कांस्पीरेसी में साथ थे उन लोगों के खिलाफ भी आप कार्यवाही कीजिए मात्र एक इंडिविजुवल लाइबल नहीं है। इसके साथ दूसरे भी थे और जो सुबह वहां बिलावास गये, उनके रिश्तेदार के पास गये और कहा, यहां से लाश ले जाओ और इसकी जानकारी किसी को मत करना आप।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई इस विषय पर। कार्य संचालन के नियम····

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी इसके बारे में हमें आश्वस्त करें कि वे परिवार का जो बालक है····उसके बच्चे को नौकरी देने के सम्बन्ध में कहें साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आपने आश्वासन दे दिया है कि सरकार इस विषय पर और····

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उसके परिवार के पालन-पोषण का सवाल है। उसके बच्चे की नौकरी के सम्बन्ध में कुछ कहें।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, आप कुछ कह रहे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : आप जो कह रहे हैं कि भाई, उसके परिवार को राज्य सरकार की नौकरी में या किसी में लगाया जाय, उस सम्बन्ध में मैं बताऊं। मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि ऐसे कोई नियम बने हुए नहीं हैं और इस प्रकार की कई घटनाएं होती हैं। पर आप जो बात कह रहे हैं, हम उसके ऊपर विचार करके कोई कार्यवाही यदि राहत मिल सके तो निश्चित रूप से हम देने की कोशिश करेंगे।

(2) संगरिया विधानसभा क्षेत्र में बिजली की अव्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हेतरामजी बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा, संगरिया विधान सभा क्षेत्र में ट्रांसफार्मर्स की कमी, वोल्टेज समस्या एवं बिजली की अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री का संगरिया विधान सभा क्षेत्र में ट्रांसफार्मर्स की कमी, वोल्टेज समस्या एवं बिजली की अव्यवस्था के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री रामनारायण विश्नोई (ऊर्जा मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, माननीय श्री हेतरामजी बेनीवाल ने संगरिया विधान सभा क्षेत्र में ट्रांसफार्मर्स की कमी, वोल्टेज समस्या एवं विद्युत की व्यवस्था के बारे में ध्यान आकर्षित किया हैं, इस सम्बन्ध में निवेदन है कि संगरिया विधान सभा क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था हेतु तीन सब डिविजन संगरिया, सादुलशहर एवं श्री गंगानगर कार्यरत हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह जवाब समझ में आता नहीं, साहब। या तो आवाज आती नहीं, साहब, आती है तो साफ नहीं आती।

श्री रामनारायण विश्नोई : अब आने लग गई। आवाज आ रही है····(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आवाज आ जायगी। लम्बाई और माइक के बीच में डिस्टेंस रह जाता है। लम्बाई ज्यादा है ना।

श्री रामसिंह विश्नोई : लम्बाई ज्यादा है तो, साहब, इनके गले में बांध दीजिये माइक को, क्या हो जायगा।····(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, शेक्सपीयर ने कहा है, 'the tallest is the wisest'.

श्री रामनारायण विश्नोई : संगरिया विधान सभा क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था हेतु तीन सब डिविजन संगरिया, सादुलशहर एवं श्रीगंगानगर कार्यरत हैं। वर्तमान में उक्त उपखण्डों में अब ऐसा कोई ग्राम नहीं है जहां कोई खराब ट्रांसफार्मर है, जिसके कारण विद्युत आपूर्ति में व्यवधान हो अथवा विद्युत आपूर्ति के कारण कोई जलप्रदाय योजना प्रभावित हो। इस क्षेत्र के ग्रामों को संगरिया से किशनपुरा तक 11 के. वी. फीडर जिसकी लम्बाई लगभग 29 किलोमीटर है, विद्युत आपूर्ति की जाती है। इस लाइन की लम्बाई अधिक होने से कुछ क्षेत्रों में वोल्टेज की कमी हो सकती है। अतः तकनीकी सुधार हेतु एक 33 के. वी. सब स्टेशन ग्राम हीरासिंग वाला के प्रस्ताव तैयार कर लिये गये हैं जिनकी विभाग द्वारा जांच की जा रही है। इस प्रस्ताव के अन्तर्गत एक 15 किलोमीटर 33 के. वी. लाइन संगरिया से हीरासिंग वाला तक खींची जाकर 33/11 के. वी. का सब स्टेशन प्रस्तावित है।

सादुलशहर उप खण्ड के ऐसे ग्राम जिनमें पहले कम वोल्टेज की शिकायत थी, उसके सुधार हेतु गंगानगर से हनुमानगढ़ जो लाइन जा रही है, उससे टी ऑफ करके एक 33 के. वी. की लाइन लालगढ़ तक खींची जाकर नवम्बर, 1991 में 630 के. वी. ए क्षमता के ट्रान्सफार्मर से 33/11 के. वी सब स्टेशन को चालू कर दिया गया था। अब एक 1.6 एम. वी. ए क्षमता का ट्रांसफार्मर लगा कर जनवरी, 1992 से चालू कर दिया गया है एवं इस सब स्टेशन के चालू होने पर 11 के. वी. लालगढ़ फीडर को चालू कर दिया गया है। 11 के. वी. के दो फीडर लालगढ़ से बी. एन. डब्ल्यू व लालगढ़ से मोरजंडा के खींचने का कार्य शीघ्र ही चालू कर दिया जावेगा।

आवेदक के प्रार्थना पत्रों में वर्णित प्रस्तावित विद्युत भार के अनुसार ही उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिये जाते हैं,

(श्री रामनारायण विश्नोई)

लेकिन प्रायः यह पाया गया है कि उपभोक्ता कनेक्शन होने के बाद अपना विद्युत भार जैसे, गीजर, हीटर एवं अन्य घरेलू विद्युत उपकरण इत्यादि बिना सूचना दिये बढ़ा लेते हैं जिससे विद्युत लाइनों एवं ट्रांसफार्मर पर दबाव बढ़ जाता है तथा ट्रांसफार्मर जल जाते हैं व उपभोक्ताओं को कम वोल्टेज की शिकायत रहती है। जब विद्युत उपभोक्ता अपने विद्युत भार बढ़ाने की पूर्व सूचना दे देते हैं तो विभाग द्वारा तकनीकी आवश्यकतानुसार लाइनों एवं ट्रांसफार्मर की क्षमता की बढ़ोतरी मांग के अनुसार करने के प्रयास किये जाते हैं। किसी भी क्षेत्र के ट्रांसफार्मर जलने की सूचना मिलने पर विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है तथा उपलब्धि के अनुसार प्राथमिकता से ट्रांसफार्मर बदल दिये जाते हैं। जहां तक आज की स्थिति में वर्णित उपरोक्त तीनों उपखण्डों का प्रश्न है, इनमें ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं हैं जहां कि ट्रांसफार्मर जला हुआ हो या जला हुआ ट्रांसफार्मर बदला नहीं गया हो।

इस क्षेत्र के तीनों ही उपखण्डों में एक-एक ट्रक चालू हालत में उपलब्ध है और इन ट्रकों का उपयोग सामान ढोने एवं विद्युत व्यवस्था हेतु किया जा रहा है।

यह सही नहीं है कि जितने इंजीनियर हैं उतने ही लाइन मैन हैं जबकि वास्तव में संगरिया व सादुलशहर के हरेक उपखण्ड में एक सहायक अभियन्ता एवं तीन कनिष्ठ अभियन्ता कार्यरत हैं तथा तकनीकी कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 46 व 23 है। इन कर्मचारियों द्वारा विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से की जा रही है। चौथ वसूली जैसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत प्राप्त होने पर जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(3.35 म. प.)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

जहां तक विद्युत आपूर्ति का प्रश्न है, ग्रामीण इलाकों में विद्युत की आपूर्ति आठ घण्टे के ब्लाक में बारी-बारी से दी जाती है। विद्युत आपूर्ति में व्यवधान होने की स्थिति में शीघ्र लाइनों का रख-रखाव कर विद्युत आपूर्ति चालू कर दी जाती है। यहां यह बताना भी प्रासंगिक होगा कि राजस्थान के ग्रिड सिस्टम में जब भी विद्युत की आपूर्ति में कमी अथवा बाधा आती है तब थोड़े समय के लिये विद्युत व्यवस्था में व्यवधान हो जाता है। प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसा कोई भी गांव नहीं है जहां कि तार जमीन से चार फीट लटक गये हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि क्षेत्र में खराब ट्रांसफार्मर बदले जा चुके हैं तथा विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से की जा रही है। वोल्टेज समस्या के समाधान हेतु लालगढ़ 33 के. वी. सब स्टेशन को चालू किया जा चुका है तथा 33 के. वी. लाइन व ग्रिड उप चौकी हीरासिंह वाला में लगाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जो विद्युत मंत्री ने इस मेरे क्षेत्र की बिजली व्यवस्था पर अपना वक्तव्य दिया है उससे उठे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं।

(श्री हेतराम बेनीवाल)

माननीय सभापति महोदय, एक बात जो इन्होंने कही है, मैं समझता हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन सब डिवीजन की बात कही, तीन सब डिविजन हैं, वास्तव में गंगानगर सब डिविजन की तीन या चार ढाणियां हैं, छोटे-छोटे चक हैं, इसलिए वह सब डिविजन नहीं है, दो सब डिविजन हैं, सादुलशहर और संगरिया। क्या माननीय मंत्रीजी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उन दोनों में कौन-कौनसे नम्बर का ट्रक है? जहां तक मैं समझता हूं, दोनों में कोई ट्रक नहीं है। दोनों के जितने कभी ढोये जाते हैं, सब लोग प्राइवेट अपने ट्रेक्टर से ढोते हैं। इसलिये ट्रक से ढोने की व्यवस्था सिवाय एक्स ई एन के आफिस के कहीं नहीं है और एक्स ई एन आफिस मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं है वह हनुमानगढ़ में है।

माननीय सभापति जी, मैं आपके द्वारा ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो माननीय मंत्रीजी ने कहा कि हम ट्रांसफार्मर जो जलते हैं उसको बदल देते हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, कितने अरसे में बदलते हैं।? मैं आपसे अर्ज करूं, छापावाले में 14 एस. पी. एम. 3 एस पी. एम, 2 पी.पी. के ट्रांसफार्मर जलने के 6 महीने बाद बदले गये हैं। 6 महीने का अरसा गुजरने तक शिकायत करते रहे उसके बाद वह ट्रांसफार्मर बदले गये। उन ट्रांसफार्मर्स में, माननीय सभापति महोदय, सब में पैसे लिये गये। ऐसा एक भी कोई ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया जिसमें पैसे नहीं लिये गये हों।

श्री सभापति : प्रश्न करें, माननीय सदस्य।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं आपसे निवेदन करूं, जिन गांवों में ट्रांसफार्मर बदले गये हैं, क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि कितने अरसे में बदले गये, जिस-जिस गांव में भी बदले गये उनका क्या अरसा रहा? गांव लुकेरा, जो बहुत बड़ा गांव है उसमें पिछले आठ महीने से स्वीकृत है ट्रांसफार्मर कॉस्ट के. डी. ए. का और एक्स ई एन और एस ई की तरफ से स्वीकृति दे दी गई है, सिर्फ इस बात का इन्तजार कर रहे हैं कि अधिकारियों को पैसे मिलें तो वह बदला जाय, नहीं तो नहीं बदला जाय। क्या माननीय मंत्रीजी मानेंगे कि वह आठ महीने पहले स्वीकार नहीं हुआ? आठ महीने का स्वीकार किया हुआ ट्रांसफार्म,र अगर ट्रक है उनके पास तो क्या वजह है 50 किलोमीटर से रखवा कर वह चालू नहीं हुआ?

माननीय सभापतिजी, इसी तरह से जो माननीय मंत्रीजी ने कहा कि वहां वोल्टेज व्यवस्था ठीक है, मैं एक ही एग्जाम्पल देना चाहूंगा। यह पी. एच. ई. का डिपार्टमेंट बैठा है, पी.एच.ई. डिपार्टमेंट के जो आरोप है वही हमारी सच्चाई जाहिर करते हैं, पी. एच. ई. डी. के पास कोई भी शिकायत की जाय, पानी नहीं मिलता, उनका एक ही जवाब है कि वोल्टेज ठीक नहीं है इसलिये पानी नहीं मिलता। क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि बोर्ड ने इन्स्ट्रक्शन्स दे रखी हैं, आर. एस. ई. बी की इन्स्ट्रक्शन्स हैं, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास, ए ई एन के पास लिखित में, रिटन में इन्स्ट्रक्शन्स हैं कि गांव के अन्दर कितने वक्त पर दी जायगी, शहर में कितने वक्त दी जायगी? गांव के अन्दर शाम को 6 बजे से लेकर

(श्री हेतराम बेनीवाल)

रात को दस बजे तक कोई बिजली सप्लाई नहीं होती। सुबह 6 बजे से लेकर दस बजे तक कोई सप्लाई नहीं हो रही है। माननीय सभापति महोदय, पानी पीने का टाइम कौनसा है? क्या गांव के नागरिक दूसरे नम्बर के नागरिक हैं जो बोर्ड यह इन्स्ट्रक्शन्स जारी करता है कि शाम को दस बजे तक बिजली नहीं मिलेगी उनको? या सुबह छह, यह मैं सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपको और बोलने के लिए समय दिया जायेगा, इसका उत्तर आने दीजिए, वरना घालमेल हो जायेगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। यह मेरे सवाल हैं।

श्री सभापति : नहीं सवाल पूछने की आपको और अनुमति दी जायेगी, इसका जवाब आ जाने दीजिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : नोट कर लेना। जो माननीय मंत्रीजी ने कहा है, वह नहीं है। मैं गांवों के नाम बताता हूं। आबनाबाद, गणेशगढ़, ढ़ाबा, तीन ऐसे बड़े-बड़े गांव हैं जिनके अन्दर हरिजन बस्तियों में 25-25 जनगण, सिखाण और माजंन जिनमें पिछले दो साल से खंभे खड़े हैं और यह खंभे विशेष तौर से हरिजन बस्तियों में है। हरिजन पैसे दे नहीं सकते हैं, इसलिए वहां तार नहीं खींच सकेंगे। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्यों तार दो साल तक नहीं खींचे? इसी तरह से जहां तक लम्बी लाइन का सवाल है, एक जगह लम्बी लाइन नहीं है। किशनपुरा, मुकेरां, मालारामपुरा में 30-30 किलोमीटर की हैं। मैं माननीय मंत्रीजी को बताना चाहूंगा सुन्दरपुरा, मार्जन, खाड़ी, केराचक में भी 35 किलोमीटर लम्बी लाइन है। अगर 11 हजार की लाइन होगी तो निश्चित तौर से वहां वोल्टेज नहीं रहेगा। यही शिकायत मैं आपसे निवेदन करूं जो श्रोवर लोडेड की समस्या है, उसको देखते हुए लगराणा, माणकसर, फतहपुर जो गांव हैं, उनके अन्दर कोई भी ट्रांसफार्मर ढाई, तीन महीने से ज्यादा नहीं चलता और ट्रांसफार्मर वहां जल जाते हैं। इसकी शिकायत जब वहां डिपार्टमेंट के पास होती है तो वही स्थिति है। इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे क्षेत्र में जो सिर पर तार लगाने की बात कर रहे हैं, लाइनमैन की जो संख्या दी है, मैं हाउस के सामने कहना चाहूंगा मंत्रीजी से कि उन्होंने सारे स्टाफ की संख्या दी है। टेक्निकल स्टाफ की नहीं दी। यह जो 23 और 46 की संख्या दी है, क्या मंत्रीजी अपने को करैक्ट करेंगे, इसमें लाइनमैन कितने हैं, बाबू कितने हैं, बिल इकट्ठा करने वाले कितने हैं और चपरासी कितने हैं। यह संख्या लाइनमैनों की नहीं है। लाइनमैन सिर्फ सादुलशहर के अन्दर तीन और सांगरिया के अन्दर चार हैं। इसी तरह से मैं ट्यूबवैल्स के कनैक्शन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

(3.43 म. प.)

(श्री हरिशंकर माभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं सवाल पूछ रहा हूं। मेरे क्षेत्र में अभी 40 ट्यूबवैल्स लगे, उन ट्यूबवैल्स के ट्रांसफार्मर इतने जल्दी क्यों दे दिये गये। छह-छह महीने जले हुए ट्रांसफार्मर नहीं जाते, वह दो-दो, तीन-तीन दिन के अन्दर सारों को ट्रांसफार्मर दे दिये गये। मेरी जो शिकायत है कि इंजीनियर बिना पैसे लिये हुए कोई ट्यूबवैल सैंक्शन नहीं करते, कोई कनेक्शन नहीं देते, यह इस बात का सबूत है, वह बतायेंगे। इसी तरह जहां तक मेरे सादुलशहर में ए. ई. एन. है, उसका दफ्तर सगरिया में है और किसी भी समय सांगरिया में नहीं रहता। गंगानगर में जे. ई. एन. चार-चार हैं सब जगह पर। चारों जे. ई. एन. के हैड क्वार्टर चाहे कहीं बनाये हों, कोई जगह पर नहीं रहता। ट्रांसफार्मर जलने की सूचना देने का जो एक रिकार्ड बना हुआ है रजिस्टर, उस रजिस्टर में दर्ज है। क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि उस रजिस्टर में कितने ट्रांसफार्मर दर्ज होते हैं और उनकी कहां-कहां सूचना जाती है। इसी तरह से यह जो मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि लालगढ़ के अन्दर हमने चालू कर लिया। अध्यक्ष महोदय, लालगढ़ के अन्दर जो चालू किया हैं, उसमें पांच सौ कर रखा है, जबकि खुद उस गांव की क्षमता 450, 500 उपयोग करने की है और उसका चारों तरफ का जो सब स्टेशन है, उसको बनाकर करें, एक साल तक पांच सौ का वहां रखा रहा, जिसका कोई यूज उस इलाके को नहीं हुआ। अभी भी रखा हुआ है। एक....

श्री अध्यक्ष : अब हो गया। यह तो आपका सवाल पूरा हो गया।

श्री हेतराम बेनीवाल : लाइन अभी नहीं जोड़ी।

श्री अध्यक्ष : अब हो गया सवाल। यह पांच सौ का लगाया है। लोड ज्यादा है। हो गया सवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। आखिरी सवाल है मेरा कि क्या माननीय मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस जगह इस तरह की व्यवस्था की हुई है कि गांव के लोग शिकायत करें और उसके बाद वह लाइनमैन आ जाये, क्या लाइनमैनों के हैड क्वार्टर उन गांवों के अन्दर बनाने की कृपा करेंगे, जिन गांवों के अन्दर वह हैं और जिन गांवों के अन्दर बड़े-बड़े ट्रांसफार्मर हैं।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, धन्यवाद। माननीय मंत्रीजी। इन्होंने जो प्रश्न किये हैं, उन्हीं के हिसाब से जवाब दीजिए।

श्री रामनारायण बिश्नोई : अध्यक्षजी, सांगरिया से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बातें स्वीकार की हैं कि मेरे क्षेत्र के दो चार गांव गंगानगर ग्रामीण क्षेत्र में भी आते हैं। इनका सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि सांगरिया के अन्दर पिछले कुछ अरसे से किसी ट्रक की व्यवस्था नहीं थी और सांगरिया इनका विधान सभा क्षेत्र होने की वजह से, वहां ट्रक नहीं होने से जरूर दिक्कत हो रही थी, तो शायद उनको यह मालूम हो गया होगा कि फरवरी 92 में ही सगरिया के अन्दर ट्रक उपलब्ध करवा दिया गया है। अब आइन्दा जहां तक सगरिया क्षेत्र का सवाल है, ट्रक की वजह से कोई सामान सप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगी। सादुल-

(श्री रामनारायण विश्नोई)

शहर में ट्रक पहले से ही उपलब्ध है और उस ट्रक का नम्बर माननीय सदस्य जानना चाहेंगे तो बता देंगे। यह इतनी गलत सूचना नहीं हो सकती कि वहां ट्रक न हो। वहां ट्रक है। वह बता देंगे आपको।

श्री हेतराम बेनीवाल : सवाल ही नहीं उठता। मैं आपको चेलेंज कर सकता हूं। वह गंगानगर में हो सकता है, सादुलशहर में नहीं।

श्री रामनारायण विश्नोई : वह सादुलशहर ए. ई. एन. को ट्रक दिया हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आज उनका कॉल अटेंशन केवल सांगरिया का है। बाकी जवाब क्यों देते हैं। सगरिया के बारे में पूछा है, उसका जवाब दीजिए ना।

श्री रामनारायण विश्नोई : तो जहां तक ट्रांसफार्मर जलने की बात जो कही है, माननीय सदस्य ने....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सगरिया क्षेत्र है। वहां तक जो कवर होता है, वह देंगे जवाब।

श्री रामनारायण विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ट्रांसफार्मर ज्यादा जलने की जो बात कही है और मैं इस बात के लिए उनको धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में इस बात को स्वीकार किया है कि लोग बिना सूचना दिये हुए अपना लोड बढ़ा लेते हैं, उस कारण से एरिया के अन्दर ज्यादा ट्रांसफार्मर जले और इसी कारण से इनके क्षेत्र के अन्दर 41 ट्रांसफार्मर जले। उन 41 ट्रांसफार्मरों को समय-समय पर, कुछ में ज्यादा समय लगा है, कुछ के अन्दर कम समय लगा है और कई जगह तो इतनी तत्परता से बदले गये हैं, जैसे सगरिया प्रोपर में है। सी.के. वी. का एक ट्रांसफार्मर 4-1-92 को जला, जो 6-1-92 को रिप्लेस कर दिया।

श्री हेतराम बेनीवाल : प्रोपर सगरिया में नहीं। गांव बोलो।

श्री रामनारायण विश्नोई : तो किसी जगह ही हो। इसी प्रकार से सगरिया में में 28-1-92 को सौ के. वी. का एक ट्रांसफार्मर जला, जो 30-1-92 को दो दिन के अन्दर ही रिप्लेस कर दिया गया। मेरे पास सूची है।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह बतायें कि इनडिवीज्युअल एक ट्रांसफार्मर जल गया कारखाने का।

श्री रामनारायण विश्नोई : इनडिवीज्यूवल नहीं।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं पूछता हूं गांवों का। जिन गांवों का मैंने पूछा है, वह बदल दिया आपने।

श्री हीरालाल इन्दौरा : एक तो गिना दिया। जिनमें देरी हो रही है, उनको गिनाइये ना। कितनों में देरी हुई है।

श्री रामनारायण विश्नोई : मेरे पास 41 जो ट्रांसफार्मर जले हैं, उन 41 ट्रांसफार्मर कब जले हैं, कब रिप्लेस किया गया है, उनकी सूची है और आज की तारीख में कोई भी ट्रांसफार्मर जला हुआ नहीं है।

(श्री रामनारायण विश्नोई)

जहां तक माननीय सदस्य का यह प्रश्न है कि बहुत सी जगहों पर वोल्टेज की कमी है, वोल्टेज की कमी को दूर करने के बारे में जैसा मैंने निवेदन किया कि लालगढ़ के अन्दर पांच सौ के. वी. की बजाय सोलह सौ के. वी. का ट्रांसफार्मर लगाया गया। माननीय सदस्य को गलत सूचना है कि पांच सौ के. वी. का ट्रांसफार्मर लगाने से वहां अभी तक लोड़ ज्यादा है और दूसरे जो इन्होंने (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सोलह सौ का तो लगा दिया। फिर दो हजार का लगा देंगे। अभी तो बढ़ रहे हैं। तिगुना हो रहा है।

श्री हेतराम बेनीवाल : कब जुड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, सवाल ही नहीं जोड़ने का, जोड़ने की तो कहें हाऊस में।

श्री अध्यक्ष : सोलह सौ का लगा दिया ना। आप पांच सौ का कह रहे थे, अब सोलह सौ का कुछ तो फर्क पड़ेगा।

श्री रामनारायण विश्नोई : 1.6 का ट्रांसफार्मर लगाकर जनवरी 92 में चालू कर दिया गया है और इससे आगे एम. सी. डब्ल्यू. में और इसमें....

श्री अध्यक्ष : ठीक है तो आपने दौरा ही नहीं किया जनवरी 92 के बाद। आपने दौरा ही नहीं किया।

श्री हेतराम बेनीवाल : लाइन ही चालू नहीं की इसकी लाइन नहीं जोड़ी। वह घाटे में ही खड़ा है। वह चाहे पांच सौ का हो।

श्री अध्यक्ष : अभी चालू नहीं हुआ। उसको चालू करवा दीजिए।

श्री रामनारायण विश्नोई : बाकी माननीय सदस्य ने एक एतराज किया यह कि मेरे क्षेत्र के अन्दर इस दफा नये कनेक्शन ज्यादा दे दिये गये। नयी विद्युत नीति के मुताबिक इनके क्षेत्र में आज तक जो ग्राम विद्युतीकृत किये गये थे, उनमें कनेक्शन नहीं मिल पा रहे थे। इस दफा हमने यह निर्णय लिया कि जिन गांवों के अन्दर कनेक्शन कोई भी नहीं है। लोकेलिटीज हैविंग नो कनेक्शन, उनको दो कनेक्शन दिये जायें। उस नीति के अन्दर इनके एरिया में करीब 46 कनेक्शन, करीब 60 कनेक्शन मंजूर हुए है। उनमें से डिमाण्ड नोटिस देकर के उनको ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवा कर जल्दी ट्यूबवैल कनेक्शन दिये गये है। यह उनके हित की बात है, इसमें किसी को कोई नुकसान होने वाली बात नहीं है। आप क्या कहते हैं कि इसके अन्दर कर्मचारियों ने कुछ भ्रष्टाचार किया, तो जो कोई ऐसी शिकायत किसी कर्मचारी के विरुद्ध किसी उपभोक्ता की आयेगी, जांच करवा दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्सट।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए। इन्होंने यह कहा कि उपभोक्ता की शिकायत जो आदमी 30–30 हजार रुपये देकर ट्यूबवैल कनेक्शन लगवाये, बाकी दूसरों को पीछे छोड़कर, वह आदमी शिकायत करेगा ? मैं आपसे हाउस में कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप कर देना शिकायत।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह टोटल कनेक्शन जो हैं, कोई 20 हजार, तीस हजार से कम नहीं रहा है।

श्री अध्यक्ष : नहीं शिकायत करने से आपको किसने रोका है।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं तो करूंगा शिकायत। मैं ही तो कर रहा हूं। शिकायत आपको ही दर्ज करवाई है।

श्री अध्यक्ष : खैर, मंत्रीजी इसकी जांच करवा लीजिए। मंत्रीजी इसकी....

श्री हेतराम बेनीवाल : इससे तो अच्छा जो भण्डारी जी की योजना थी....

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। माननीय मंत्रीजी। आप बैठिये माननीय मंत्रीजी इस सम्बन्ध में जो भी तथ्य आपके सामने आवें तो आप पता लगा लीजिए कि इसमें यदि कहीं कोई हुई है। अब यह समाप्त हुआ।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा सीरियस चार्ज है। This'is a very serious charge. कि 40 कनेक्शन दिये गये अभी नये ट्यूबवैलों को और 40 में ही रिश्वत ली गई। आपको तुरन्त चीफ इंजीनियर को या चेयरमैन को भेज कर इन्क्वायरी करानी चाहिए। जब कभी भी इस प्रकार का मामला यहां पर आया इससे बड़ा सीरियस चार्ज....

श्री अध्यक्ष : हां, जांच करेंगे, ठीक है। हो गया।....(व्यवधान)........मैंने कह दिया जांच करेंगे। माननीय मंत्रीजी जांच के बारे में बोलिये।....(व्यवधान)....आप बैठिये।

श्री परसराम मदेरणा : चार्ज हाउस में लगाये जा रहे हैं, माननीय सदस्य द्वारा लगाये जा रहे हैं और सभी कनेक्शनों के बारे में लगाये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। मंत्रीजी बोलिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा : हरिजन बस्तियों में पोल खड़े कर दिये परन्तु लाइन नहीं दी है।

श्री रामनारायण विश्नोई (ऊर्जा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 66 विद्युत के स्वीकृत हुये थे जिसमें 54 उपभोक्ताओं को डिमाण्ड नोटिस दिये गये। जिन्होंने राशि जमा की है, 20 कनेक्शन अभी तक दिये गये हैं। अगर इन 20 कनेक्शन देने वालों की कोई भी शिकायत या किसी भी व्यक्ति की आयेगी उसकी जांच करवायेंगे।

श्री हेतराम बेनीवाल : उनकी कहां से आयेगी। पैसे देकर करवाये तो क्या शिकायत आयेगी।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मियां बीवी राजी तो आप क्या करें फिर....

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर यह नीति चलेगी....

श्री अध्यक्ष : आप शिकायत भी नहीं करना चाहते और जांच भी चाहते हैं, दोनों बातें कैसे होगी।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह नहीं हो सकता, चलिये आप। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि बजट में....(व्यवधान) ....मैं खड़ा हूं. With my hands up, I

(श्री अध्यक्ष)

am on my legs. आय-व्यय बजट पर भारतीय जनता पार्टी का 3 घंटे 43 मिनट का समय बाकी है, कांग्रेस का 1 घंटा 42 मिनट बाकी है, जनता दल का 1 घंटा 31 मिनट बाकी है, जनता दल 'डी' का 1 घंटा 24 मिनट बाकी है, सी. पी. एम. का 5 मिनट बाकी है, निर्दलीय का 40 मिनट बाकी है। आज बोलने वाले हैं 20 और 6 बजे तक आपको बोलना है। 6 मिनट एक व्यक्ति को मिलते तो पूरे 120 मिनट होते हैं दो घंटे में। दो घंटे का टाइम है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इससे अधिक समय नहीं लें। इसके बीच में अभी एक स्टेटमेण्ट भी आना है जो सुबह आपको कहा था उस पर भी चर्चा होगी। इसलिये आप....(व्यवधान)... वह जब भी देंगे बीच में रोक कर मैं स्टेटमेण्ट करवा दूंगा। आपकी पार्टी का समय है....(व्यवधान).... कल भी तो बोलेंगे ना। इसलिये आप कृपया समय में सीमित रह कर बोलें। श्री रमाकांत।

श्री हेतराम बेनीवाल : 6 मिनट में क्या कहेंगे।

श्री अध्यक्ष : यह विधान सभा है उसमें 6 मिनट में बहुत कुछ कहा जा सकता है तैयारी हो तो।

श्री रमाकांत शर्मा (थानागाजी : अध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों पूर्व इसी चर्चा में तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर एक बात कही····

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शायद खड़े होकर बोलने की स्थिति में नहीं है, इनको बैठकर बोलने की इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ कर बोलना चाहते हैं। बैठ कर बोलिये।

एक माननीय सदस्य : हां, बैठ कर ही बोल लेंगे यही ठीक रहेगा अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : बैठ कर बोलिये।

आय-व्ययक 1992-93 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री रमाकांत शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा के विषय के अन्दर चन्द दिनों पहले तारानगर से आये हुये माननीय सदस्य ने एक यह बताया कि सामाजिक सेवाओं में व्यय कम हो रहा है। यह एक बहुत ही भ्रांतिपूर्ण बात उन्होंने यहां पर कही। उन्होंने इसके लिये जो आय व्यय अध्ययन है, इसमें पेज 4 पर जो पर्सेण्टेज बताया हुआ है कि 1990-91 के अन्दर 42·27 पर्सेण्टेज खर्च हुआ सामाजिक सेवाओं पर और 1991-92 के अन्दर रिवाइज है उसमें 38·94 हुआ और 1992-93 के अन्दर और भी कम हो गया 37·20 कर दिया। उन्होने यह जो पर्सेण्टेज बता करके इतनी बड़ी भ्रांति कर दी, उन्होंने यह नहीं बताया कि····

श्री परसराम मदेरणा : सदन में भ्रांति फैल रही है। जो तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने संवंध और एट्थ प्लान के अन्दर सोसियल सर्विसेज पर्सेण्टेज की बात कही है।

श्री रमाकांत शर्मा : वह अलग से बात कही है।

श्री परसराम मदेरणा : और आप 1991-92 कहा है उसमें यह बड़ा फर्क है।

श्री रमाकांत शर्मा : वह अलग से बात कही है।

श्री परसराम मदेरणा : यही तो बात कही है।

श्री रमाकांत शर्मा : नही यह भी बात कही है उन्होंने। आप उसमें देख लीजिये। मेरे पास जो कुछ उन्होंने विवरण कहा है वह लिखा हुआ है। तो उन्होंने यह बात यहां पर कही। उन्होंने यह नहीं देखा कि 1990-91 के अन्दर 1471 करोड़ रुपये खर्च हुये उसमें और फिर रिवाइज के अन्दर 1640 हुये और आगे 1992-93 के अन्दर 1738 करोड़ रुपये हुये। एक यह बात तो उन्होंने छिपायी परन्तु साथ ही एक यह बहुत अजीब सी बात है वह यह है कि सारा का सारा जो बताया, इन्होंने पेज–4 पर रेवेन्यू एकाउण्ट है। रेवेन्यू एकाउण्ट बाई एण्ड लाजनान प्लाण्ट एक्सपेंडीचर होता है और नान प्लाण्ड एक्सपेंडीचर की अगर किसी भी क्षेत्र में कमी हो तो यह बहुत ही एक तरीके से सराहनीय बात है। परन्तु हो नहीं सकता क्योंकि नान प्लाण्ड एक्सपेंडीचर तो पिछले सालों का कमिटेड एक्सपेंडीचर है और उसके अन्दर भारी प्रयास करना पड़ता है। मुझे बहुत खुशी हुई होती कि इसमें कहीं भी कोई कमी हो गयी होती परन्तु कोई कमी नहीं है। यदि उन्हें बताना ही था तो वह बताते जो कैपिटल एक्सपेंडीचर है पेज 32 और उसके अन्दर जो सोसियल सर्विसेज का है उसमें 1991 के अन्दर 1451 है और रिवाइज है उसमें 1871 है और अनुमान 1992-93 के अन्दर 1964 करोड़ रुपया है। तो यह एक प्रकार की भ्रांति पैदा कर दी जो आज तक अखबार वाले लिख रहे हैं कि सामाजिक सेवाओं के अन्दर जो खर्चा किया है वह कम किया जबकि यह रेवेन्यू एकाउण्ट नान प्लाण्ड एक्सपेंडीचर है उसमें ज्यादा हुआ है।

दूसरी बात, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि केन्द्रीय सरकार बड़ी मजबूत होनी चाहिये। बड़ी सही बात है केन्द्रीय सरकार तो मजबूत होनी चाहिये इसमें कोई दो राय कहां हो सकती है। परन्तु उन्होंने सोवियत रशिया का उदाहरण दे दिया। सोवियत रशिया की केन्द्रीय सरकार कमजोर हो गयी इसलिए सारा का सारा विघटन हो गया। मेरी समझ में नहीं आता सोवियत रशिया की केन्द्रीय सरकार तो इतनी ताकतवर थी कि वहां पर तो मक्खी तक मास्को में नहीं घुस सकती थी। उन्हीं की देश का कोई आदमी मास्को जाना चाहता था तो परमिट के बेस पर ही जा सकता था। हमने पिछले 1917 से लेकर आज तक यह नहीं सुना कि वहां क्या हो रहा है, जोर्जिया के अन्दर क्या हो रहा है या तास्कंद में क्या हो रहा है। वहां पर कौन अध्यक्ष है कुछ पता ही नहीं। वहां पर बातें जो कुछ हुआ करती दुनिया में सोवियत रशिया के अन्दर, मास्को में क्रिमिनल की जो बात हुई थी इतनी ताकतवर सरकार थी पर उसका विघटन हुआ। इसलिये कि उनकी आर्थिक नीतियां बहुत खराब थी और आर्थिक नीतियां जो इतना ताकतवर देश है दुनिया का जो अमेरिका की टक्कर ले रहा था वह आज भिक्षा का पात्र लेकर दुनिया के अन्दर घूम रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यदि इस प्रकार की आर्थिक नीतियां

(श्री रमाकान्त शर्मा)

उनकी फोलो करके यदि हमने हिन्दुस्तान के अन्दर चलायी है तो वह दिन दूर नहीं है मुझे बहुत दुख होगा इस बात को कहने के लिये कि आर्थिक नीतियां हमको विघटन के कगार पर ले जा रही है। इन आर्थिक नीतियों के अन्दर यदि तब्दीली नहीं हुई तो देश निश्चित ही टूट जायेगा जिस प्रकार रशिया टूट गया उसी प्रकार से जरूर टूट जायेगा।

तीसरी बात, उन्होंने यहां पर कही कि बजट में कोई मैसेज नहीं है। बड़ी अजीब बात है। यहां तो कोई भी बात सरकार कहती है उसमें मैसेज होता है परन्तु इस बजट के अन्दर तो बहुत ही क्लियर तरीके से मैसेज दिया गया है,....मुझे टाइम का ख्याल है, अध्यक्ष महोदय। बहुत ही संक्षेप में सदन के अन्दर मैं निवेदन कर रहा हूं। पहला इसके अन्दर मेसेज है, सारा का सारा देख लें, उन्होंने, वित्त मंत्रीजी ने इस बात की सोच की है कि साधारण नागरिक है उसको सरकार से कम से कम काम पड़े। कानूनों को जो जंजाल है उसके अन्दर कम से कम कानून रखे जाय इस बारे में वह चिन्तित है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि राज्य का नियंत्रण जो साधारण निवासी है उस पर कम से कम हो।

दूसरा जो उन्होंने मैसेज दिया है वह यह दिया है कि हमारा प्रदेश ताकतवर जब बन सकता है जब हमारा कृषि का उत्पादन बढ़े। कृषि के उत्पादन के लिये उन्होंने ऊर्जा के अन्दर सुधार किया है। सूरतगढ़ और बरसिंहसर जिसकी रिपोर्ट पर पिछले कई सालों से धूल पड़ी हुयी थी उनको चालू कर देना, पलाना को अलग निकालकर उस पर कार्य करने की बात करना, धौलपुर के अन्दर दिल्ली से मगरमच्छों की बात चल रही है। वह मेरे ख्याल से दिल्ली के मगरमच्छों की बातें ठीक हो जायेगी। धौलपुर की भी इसकी क्रियान्विति कर देंगे। तो आज इतनी बड़ी बात बिजली की बात कही है, सिचाई के लिये बात कही, योजना के आकार की बात कही 76 पर्सेण्ट। तो यह सारी की सारी बातें, कृषि पर 12 पर्सेण्ट ज्यादा खर्च करने की बात कही, एक मैसेज ही है गांव के आदमी को, ग्रामीण आदमी को, किसान को कि सारा का सारा जितना हम योजना के अन्दर पैसा लगाना चाहते हैं इससे हम कृषि का उत्पादन, कृषि का विकास करना चाहते हैं।

चोथा मैसेज और है। मैसेज यह है कि पानी पीने की समस्या। जो सब जगह प्राथमिकता दी है राजस्थान सरकार ने। जहां पिछले सालों से बता दिया गया था, एक बार तो यह बता दिया कि जितने हमारे 35 या 37 हजार गांव हैं सभी में कर दिया, कोई हजार दो हजार गांव बचे हुये हैं और यह प्रत्येक वर्ष हजारों गांवों को, राजस्व गांवों में किया गया और अगले साल के अन्दर दो हजार गांव का प्रोग्राम है और गांवों में ही नहीं मुजरों का प्रोग्राम है, मुजरों में ही नहीं ढाणियों का प्रोग्राम है 500 ढाणियों के अन्दर भी किया जायेगा।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) : मगरमच्छ की संज्ञा दी है उसको हम समझ नहीं पाये, जरा स्पष्ट कर दें।

श्री रमाकांत शर्मा : मगरमच्छ यह है, यह बताया गया था कि धौलपुर के अन्दर....

श्री परसराम मदेरणा : आप दिल्ली से मगरमच्छ धौलपुर क्यों ले गये ? आप दिल्ली से सीधे धौलपुर क्यों ले गये मगरमच्छ को। वहां तो पहले ही गये हुये है।

श्री रमाकांत शर्मा : माननीय सदस्य आपको बता दूं कि धौलपुर के पावर हाउस के लिये यह कहा जा रहा है कि चम्बल के अन्दर मगरमच्छ मर जायेंगे। यह धौलपुर पावर हाउस के लिये कहा गया है।....

श्रीमती विद्या पाठक : यह दिल्ली के मगरमच्छों की बात कर रहे थे।

(4·00 म. प.)

श्री रमाकांत शर्मा : इसमें मैसेज है—प्राइमरी शिक्षा को प्राथमिकता दी गयी है, जबकि आज 44–45 साल के बाद भी अनेक राजस्व ग्राम बाकी बचे पड़े हैं जिनके अन्दर स्कूल नहीं खुले हुये हैं। इसके लिए निदेशालय खोलने की बात है। बालिका शिक्षा के लिए बहुत ख्याल किया गया है और इसमें कहा गया है कि अब जो स्कूल क्रमोन्नत होंगे उसमें 50 प्रतिशत बालिकाओं के होंगे। यह बहुत बड़ा मैसेज है इससे बड़ा मैसेज है रोजगार जो बहुत बड़ी समस्या बनी हुयी हैं, जिसके बारे में वित्त मंत्रीजी बड़े चिन्तित हैं। इस हर विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। और मैसेज दिया है इस बजट के अन्दर सुप्रबन्ध से ही हमारा कार्य बेटर हो सकता है। उसी पैसे से ज्यादा गांव वाटर सप्लाई में आ रहे हैं, उसी पैसे से ज्यादा सड़कें बन रही हैं और उसी पैसे से ज्यादा अस्पताल खुल रहे हैं। राजकीय उपक्रम सारे के सारे इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड की बात अलग है, सारे के सारे वापस प्रोफिट में आ जाना और सहकारिता के उपक्रम, जिसके लिए सोचा भी नहीं जा सकता था कि वह उपक्रम भी कभी प्रोफिट में आयेंगे, उन्होंने भी आज देश के अन्दर नाम कमाया। यह सारा का सारा सुप्रबन्ध है जो इस सरकार ने किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तो वित्त मंत्रीजी ने सारे एम. एल. एज. को 10 लाख तक का मिनिस्टर बना दिया। विकेन्द्रीकरण की बात थी। चाहे कोई पार्टी का एम. एल. ए. हो, वह अपने क्षेत्र के अन्दर 10 लाख रुपये तक के कार्यों की स्वीकृति दिला सकता है। यह एक बहुत बड़ा मैसेज है। योजना में जनता की भागीदारी हो और इस हद तक भागीदारी हो, यह मैसेज भी है। यदि हम को पता नहीं चलता है तो यह हमारा दुर्भाग्य है।

इसके ठीक विपरीत भारत सरकार के बजट के अन्दर जो मैसेज है उस पर भी एक मिनिट के अन्दर अर्ज करना चाहता हूं। जो नेहरूजी ने एक समाजवाद की रचना की बात की थी, जो मिक्स इकानोमी की बात की थी, और उन्होंने बात की थी कि सारी की सारी पूंजी चंद हाथों में एकत्रित नहीं हो जाय, उस सब को एकदम गड्ढे के अन्दर डालकर दबा दिया और इस प्रकार की व्यवस्था पैदा कर दी गयी जिसके अन्दर चंद पूंजीपति ही पूंजी के सहारे, पूंजी से प्राप्त शिक्षा और पूंजी से प्राप्त अनुभव से सारे देश की जितनी सम्पत्ति है अपने हाथों में ले लें। और उन्हीं हाथों में नहीं जायेगी तो अमरिका जापान और यूरोप के पूंजीपति हैं वह हिन्दुस्तान के धनवानों के साथ मिलकर वह सम्पत्ति सिमिट कर उनके पास चली जायेगी। गांवों का जो गरीब आदमी है, पिछड़ा वर्ग का आदमी है, जिसके लिए कभी पहले सोचा गया या मिक्स व्यवस्था में उनका भी कुछ उद्धार होगा, वह नहीं हो सकेगा।

(श्री रमाकांत शर्मा)

अध्यक्ष महोदय, अल्प बचत पर कितना कुठाराघात किया है····

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

आधा मिनट। जो विकासशील देश होते हैं उनके यह आवश्यक है कि ज्यादा से ज्यादा बचत हो और सम्पत्ति का सारे गांवों के अन्दर फैलाव हो। भारत सरकार का बजट है उसमें अल्प बचत पर ही कुठाराघात नहीं हुआ है, परन्तु जो वेतनभोगी लोग हैं, उनके लिए जो 13 हजार का इन्कम टैक्स में बेनीफिट होता था, वह पूर्ण समाप्त करके आज इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गयी है कि वह भी आगे बचत नहीं कर सकेगा। इसके कारण जो गांव-गांव के अन्दर विकास कर सकते थे वह नहीं होगा, उसमें बाधा पहुंचेगी।

मैं अन्त में एक शब्द और कहूंगा कि राय मांगी गयी थी कि सेप कर के बारे में भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है इसलिए हमारी करोड़ों रुपये की जो सैल्स टैक्स की आय आती वह बाहर चली जाती है। मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से बाहर से ट्रक और जीप या बसें आ रही हैं उन पर एण्ट्री टैक्स लगाया है। उसी प्रकार से जो यहां से बाहर सामान ले जाते हैं, कोटा से सूरत ले जाते हैं, दिल्ली ले जाते हैं, बम्बई ले जाते हैं उन पर भी एग्जिट टैक्स लगाया जा सकता है और उसके आधार पर बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरी राय यह है कि निजी क्षेत्र के अन्दर ऐसे उद्योग लगाये जायं जिस पर 100 मैगावाट बिजली की आवश्यकता हो, तो उसे सरकार से बिजली लेने की आवश्यकता नहीं, उसके प्रोजेक्ट के अन्दर ही उसका समावेश कर दिया जाना चाहिये। तीसरी चीज यह है कि जहां बैलों से खेती करते हैं उसका खर्च 450 रुपया पर हैक्टेयर करना पड़ता है। डीजल बिजली से करते हैं उनका खर्च 150-200 रुपया प्रति हैक्टेयर खर्च होता है। वहीं इंदिरा गांधी केनाल और दूसरी केनाल से सिंचाई करते हैं तो 80 रुपये पर हैक्टेयर खर्च होते हैं। उनको इतना सस्ता पानी मिलता है तो बैलों से खेती करने वालों और डीजल से खेती करने वालों को लाभ पहुंचाने के लिए इन पर कर लगाना चाहिए। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, अभी थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने केन्द्रीय सरकार के बजट के बारे में, और सरकार ने भी केन्द्रीय बजट के बारे में साढ़े तीन पैरा में, अपनी भावनाएं व्यक्त की। मैं उसका विरोध करता हूं और बजट प्रस्तावों का विरोध करता हूं। हकीकत यह है कि केन्द्रीय सरकार ने अनुत्पादक व्यय में कमी की है। नोन प्लान एक्सपेंडीचर में 10 प्रतिशत कटौती का उदाहरण पेश किया है कि केन्द्रीय सरकार की तरह वे भी अपने नोन प्लान एक्सपेंडीचर में, अनुत्पादक व्यय में कमी करें। आपने अपने बजट भाषण में यह बात कही है कि केन्द्रीय सरकार ने सोना गिरवी रखा। शायद आपको ध्यान में नहीं है कि वर्तमान सरकार ने आते ही सोने को, जो गिरवी रखा गया था चन्द्रशेखरजी के वक्त में, उसको छुड़वाया है।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

जहां तक हमारे बेलेंस ग्राफ पेमेण्ट का सवाल है, पहली बार केन्द्रीय सरकार ने जो अपनी नीतियां लागू की है उसके परिणामस्वरूप 10 हजार करोड़ की विदेशी मुद्रा हमारे रिजर्व फण्ड में मौजूद है। इसी तरीके से वर्तमान बजट में स्वर्ण बांड की योजना लागू की है। इसका इनके दिल्ली के नेता तारीफ करते हैं और यह यहां निंदा करते हैं। यह दोहरा मापदण्ड किस काम का है? इसी तरह उन्होंने यह बात कही कि भारत सरकार ने....

श्री रमाकान्त शर्मा : क्वालिफाइड सेपोर्ट किया है। सीमित तौर पर कह रहा हूं। यह नहीं कह रहे हैं कि बाहर के लोग यहां आकर इन्वेस्ट करें।

श्री अध्यक्ष : बोलने दीजिए। समय सीमित है इसलिए कृपया इन्टरविन न करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यह....

श्री परसराम मदेरणा : स्वर्ण बांड योजना का आपके वाजपेयीजी ने स्वागत किया है या नहीं किया? पार्टली तो पांच किलो का स्वागत किया, नोन रेजिडेंट इण्डस्ट्रलिस्ट का पार्टली स्वागत किया, गोल्ड बाण्ड स्कीम का फुल्ली किया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार विश्व बैंक या आई. एम. एफ. से लोन ले, वह तो खराब, और यह लोन ले लें तो बहुत अच्छा। इनकी वार्षिक योजना की स्थिति देखिए। 1400 करोड़ में से 150 करोड़ तो अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से लिये हैं। उनको माइनस कर दो तो योजना का आकार 1250 करोड़ रह जाता है। वह गत वर्ष की योजना से केवल 7.2 प्रतिशत ज्यादा बैठता है। उन्होंने बताया कि 20 प्रतिशत ज्यादा सालाना प्लान बनाया। तो यह आंकड़ों की जगलरी ही उन्होंने की है।

इसी तरह से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गत वर्षों में हमारे राजस्थान का प्रशासनिक व्यय बहुत बढ़ गया है। इसको 10 प्रतिशत ओप्टिमम माना गया है, जबकि यह व्यय लगभग 69-70 प्रतिशत बैठता है, और आने वाले समय में 13 प्रतिशत वार्षिक है इसकी वृद्धि दर। तो इसके बारे में चिन्ता करने की आवश्यकता है और इसके ऊपर रोक लगाने की आवश्यकता है। मैं विधान सभा में बताना चाहूंगा कि 13 प्रतिशत की दर से तीन वर्ष में यह लगभग 100 प्रतिशत की दर पर चला जायेगा। फिर सरकार का काम टैक्स रेवेन्यु इकट्ठी करना और एक तरीके से अनुत्पादक व्यय पर नोन प्लान बजट के रूप में उसको खर्च करने का रह जायेगा। कोई नई योजना, वेलफेयर का काम नहीं रह जायेगा। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि उनको गाडगिल फार्मूले में कुछ परिवर्तन करने की बात करनी चाहिए थी। गाडगिल फार्मूले की बात माननीय मुख्यमंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में, जो स्पीच दी उसमें उन्होंने दूरी के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया, सिर्फ जनसंख्या के बारे में ध्यान देने की बात की। वह गाडगिल फार्मूले में है। लेकिन राजस्थान का हित उससे नहीं होता। राजस्थान का हित उसमें होता कि हमारे यहां 142 आदमी एक किलोमीटर में रहते हैं। दूरियां इतनी हैं कि एक गांव से दूसरा गांव 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां बिजली, पानी, सड़क पहुंचाने में हमको

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। इसलिये दूरी के बारे में विशेष ध्यान देना चाहिये था। ऐसा लगता है कि बजट बनाने के लिए बजट आफिसर ने जो आंकड़े इकट्ठे करके दे दिये वही वित्त मंत्रीजी ने संकलित करके सदन के सामने रख दिये। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो दिशा निर्देश मिलना चाहिये या रीति नीति आनी चाहिये वह इसमें स्पष्ट रूप से नहीं आई है।

मेरे जो सुझाव हैं मैं संक्षिप्त रूप में बताना चाहूंगा। एक तो राज्य सरकार की चार सौ करोड़ से अधिक की राशि विभिन्न विभागों में बकाया है, बिक्री कर, रायल्टी, बिजली का शुल्क और यातायात पथ कर वगैरा। यह चार सौ करोड़ रुपये की राशि यदि इकट्ठी कर ली जाये तो हमारे प्रदेश में विकास के काम काफी मात्रा में हो सकते हैं। इसी तरह से जो आबकारी कर है उसकी वेहतर वसूली, और दूसरी बकाया करों की वसूली की जाकर हमारे स्टेट के एक्सचेकर में काफी पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। सार्वजनिक उपक्रम के बारे में मुख्य मंत्रीजी खूब बोले हैं। वह पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी के कई वर्षों तक चेयरमेन भी रहे हैं। उन्होंने कई सुझाव दिये। मैं तो कहता हूं उन सुझावों को भी अगर वह इम्पलीमेंट कर दें तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो इसके लिये सदन की एक कमेटी बने जो दो महीने में अपनी रिपोर्ट दे, और उस रिपोर्ट को लागू करने से पब्लिक सेक्टर के उद्योगों को हम किस तरह से चलाना चाहते हैं इसके बारे में रीति नीति आ जाये। तीसरी बात, हमारे यहां जीरो बजटिंग सिस्टम जब तक हम लागू नहीं करेंगे तब तक हमारे प्रदेश को आगे नहीं ले जा सकेंगे। इसके लिए यह जरूरी है कि बजट की क्या आय है, क्या व्यय है, जो स्टाफ है उसकी आवश्यकता है या नहीं उसका जस्टीफिकेशन करने के साथ उस सिस्टम को हम इम्पलीमेंट करेंगे तो हम काफी कुछ प्रदेश का भला कर सकेंगे। नहरी भूमि, जहां बरसों से पानी आया हुआ है, पिछले दो वर्षों से जहां पानी पहुंच गया है, उसका विक्रय करके लगभग 100 करोड़ रुपये की राशि हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से जो कृषि उपज मण्डियां बनी हैं और जो नहरी क्षेत्र में अवैध रूप से मण्डियां बनी हुई हैं, कुछ जगह निर्माण हुए हैं, उसका नियमन करके लगभग 50 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार प्राप्त कर सकती है। खेप कर को लगाने में भी राज्य सरकार के जो प्रयास होने चाहिये वह नहीं हुए। हम लोग भी प्रयास करेंगे। यदि खेप कर लगता है तो उससे भी राज्य को काफी रेवेन्यू मिल सकती है।

इसी तरीके से सिंचाई और बिजली की योजनाएं अध्यक्ष महोदय, मैं आपको उदाहरण देकर बताना चाहूंगा केवल धौलपुर का। धौलपुर का जो प्रोजेक्ट 750 करोड़ रुपये का शुरु होने वाला था वह आज 1600 करोड़ रुपये में लग नहीं सकता। तो इसलिये कास्ट एस्केलेशन से बचने के लिए राज्य सरकार को इन्दिरा गांधी नहर और बिजली घरों के निर्माण के लिए खासतौर से विशेष बाण्ड जारी करने चाहिये। अभी आई. डी. बी. आई. ने बाण्ड जारी किये हैं, उसमें 2700 रुपये जो व्यक्ति जमा कराते हैं उसको 25 वर्ष बाद एक लाख रुपया मिलता है। तो राज्य

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

के लोगों को, प्रवासी लोगों को और देश के लोगों को इस प्रकार की योजनाओं में अट्रैक्ट करने के लिए राज्य सरकार को एक हजार करोड़ रुपये के बाण्ड जारी करने चाहिये, और इन एक हजार करोड़ रुपयों का हमारी योजना के तीन सालों में बिजली और पानी के ऊपर खर्च करना चाहिये।

मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमारी योजना का 60 प्रतिशत पैसा इरीगेशन और बिजली पर खर्च होता था, उसको इन्होंने 44.9 प्रतिशत कर दिया यानि 15.1 प्रतिशत राशि कम कर दी। इससे राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कम होगा और राज्य दो साल पीछे रह गया। दो सालों में इन्होंने एक मेगावाट बिजली पैदा नहीं की। केवल 15 हजार हेक्टेयर में इरीगेशन का काम किया है जबकि प्रदेश में सन 1987–88 और 1988–89 और उससे पहले भी लगभग 50 से 60 हजार हेक्टेयर में इरीगेशन का नया पोटेन्शिल क्रियेट होता रहा है। अभी इन्होंने इस साल 40 हजार हेक्टेयर में इरीगेशन का लक्ष्य रखा है जो मैं समझता हूं बहुत कम है। इससे प्रदेश का विकास रुकेगा। इन्होंने इन्दिरा गांधी नहर के ऊपर जो बजट का आवंटन किया है यह भी बहुत कम है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे यह भी कहना चाहता हूं।

(समय–समाप्ति–सूचक–घण्टी)

यदि यह नान प्लान का पैसा कम खर्च करना चाहते हैं तो इनको जितनी भी पैट्रोल की गाड़िया हैं उनको डीजल की गाड़ियों में बदल देना चाहिये। इससे इनकी लगभग दो तिहाई राशि कम हो जायेगी। एक साल तक इनको फर्नीचर, ए. सी., कूलर और जो दूसरे सामान हैं, स्टेशनरी के अलावा, कुछ नहीं खरीदें, सत्र के ऊपर बैन लगा देना चाहिये। इसके साथ-साथ दो साल तक स्थानान्तरण पर पाबन्दी लगा देनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, आज मेरे एक प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्रीजी ने जानकारी दी है कि अकेले शिक्षा विभाग में 16783 ट्रांसफर्स किये गये। इसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग में लगभग दस हजार ट्रांसफर्स हुए हैं। पी. डब्ल्यू. डी. में लगभग चार हजार ट्रांसफर्स हुए हैं। इन ट्रांसफर्स के ऊपर लगभग 40 से 50 करोड़ रुपये हर साल खर्च होते है। इस राशि को कम करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि 9वें वित्त आयोग से जो 6500 करोड़ रुपये की राशि राज्य को मिली है इसके बारे में सरकार ने उसका बेहतर उपयोग करने के लिए योजना के क्रियान्वयन में ढिलाई बरती है। मैं स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाना चाहता हूं कि राज्य सरकार को इन 6500 करोड़ रुपयों को अकाल की समस्या का स्थायी हल करने के लिए खर्च करना चाहिये और रेगिस्तान के इलाकों में पहले तो कुए खुदते नहीं थे, आज बादनू और इधर सूडसर से लेकर चुरु और बीकानेर बेनसर वगैरा, जो चूरू के गांव हैं, इनमें लगभग 500 कुए खुद रहे हैं, लेकिन उन कुओं को कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, उनको

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

अनुदान नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थितियों में आप डैजर्ट डवलपमेंट का प्रोग्राम आई. आर. डी. पी. प्रोग्राम और रोजगार के कार्यक्रम चलाकर इन जिलों में····

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मैं पहला स्पीकर हूं, बहुत सजेशन्स दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : रमाकांतजी ने दस मिनट में समाप्त कर दिया, आपको दो मिनट और ज्यादा दे दिये, 12 मिनट हो गये हैं

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक सदस्य का समय दिलवा दीजिये····

श्री अध्यक्ष : एक सदस्य का समय मतलब वह नहीं बोलेंगे, मैं नाम काट देता हूं उनका। आप नाम कटा दीजिये

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं इतनी सजेशन्स दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट और बोल लीजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट में तो मेरा पूरा होगा नहीं। अभी तो शुरुआत की है।

श्री अध्यक्ष : मुझे सब को बुलवाना है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं कोई इरेलेवेंट तो बोल नहीं रहा हूं

श्री अध्यक्ष : मैंने आलरेडी पहले ही रमाकांत जी से दो मिनट ज्यादा दे दिये····

श्री बुलाकीदास कल्ला : इससे तो नहीं बुलवाते तो ठीक रहता।

श्री अध्यक्ष : आप नहीं बोलते तो मैं नहीं बुलवाता।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आप मेहरबानी करके मुझे पांच मिनट का समय और दे दें।

श्री अध्यक्ष : अब नहीं दूंगा। आप लास्ट में बोल लीजिये। सारे लोग बोल जायें तब।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरी पार्टी का····

श्री अध्यक्ष : पार्टी का समय कुछ नहीं होता है, आप किसी सदस्य का नाम बता दीजिये, मैं उसका नाम काट देता हूं। वह बोलने वाले माननीय सदस्य कहेंगे मैं तो बोलूंगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं तो मैं एक मिनट में यह पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अब तक जो सदन में लोगों के बारे में जो बोला है, और बेरी आयोग की जो रिपोर्ट आई है, उस बेरी आयोग की रिपोर्ट में कौन-कौन लोग दोषी हैं और उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आप क्या-क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं। तिलम संघ में नियुक्तियों के बारे में घोटाले हुए हैं उसके बारे में क्या कर रहे हैं? कृषि उपज मण्डी और सहकारिता विभाग ने एक करोड़ की खरीद केवल एक फर्म से की है, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? इसी तरह से ज्वाइंट डाइरेक्टर इण्डस्ट्रीज,

श्री (बुलाकीदास कल्ला)

बीकानेर के रिश्वत के मामले में, आप चाहें तो यह पत्र में यहां रख देता हूं, मैं इसकी पत्रावली यहां रख देता हूं। इसमें साफ लिखा है कि वह खुले आम रिश्वत मांगता है। इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? और अभी हाल ही में जलदाय विभाग में एक पाईप घोटाला हुआ है जिसमें 8 करोड़ रुपये से ज्यादा आर्डर बाहर की फर्मों को दिये गये हैं। उसमें मैं आपसे यह कहना चाहूंगा एम. एस. एस. आई. डी. सी. महाराष्ट्र और औरंगाबाद की एक फर्म है, जिसको तीन करोड़ रुपये के आर्डर बिना टेण्डर मनी के जमा कराये हुए दिये गये हैं····

श्री अध्यक्ष : अब आपकी हो गई सारी बातें, इतनी कह दी, बहुत है····

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप सम अप तो करने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप बीस मिनट बोल चुके हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कहां बीस मिनट? मेरे पास घड़ी है। जो व्यवधान हुआ है उसको माइनस कीजिये, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : बिलकुल नहीं। देखिये, उन्होंने बिलकुल एक्जेक्टली दस मिनट में समाप्त कर दिया, और आपको मैंने उनसे ज्यादा समय दिया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह मेरे सदस्य हैं, इनका समय ले लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : इनका नाम ही नहीं है, जिनका नाम है उनका बताइये, तो दे दूंगा। कौनसे माननीय सदस्य समय देना चाहते हैं? मैं काट देता हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : घासीलाल जी।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, घासीलाल जी। मैं नाम काट देता हूं। बोलिये आप। समझ में आ गयी बात।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से औरंगाबाद की एक फर्म को तीन करोड़ के आदेश दिये गये। मैसर्स बालाजी सीमेण्ट प्रोडक्ट, मैसर्स कालानी इण्डस्ट्रीज, मैसर्स पोद्दार इण्डस्ट्री कार्पोरेशन, इनको 7 फरवरी, 1992 को यह आदेश दिये गये। 10 जुलाई, 1991 को एन. आई. टी. आमन्त्रित की जाती है। कोई फैसला नहीं लिया जाता। 30 अगस्त को टेण्डर खोले गये और उसके बाद 9 सितम्बर 1991 को टेण्डर खोले गये। चार महीने बाद नेगोशिएशन के लिए आमन्त्रित किया गया। एक तरफ अकाल और अभाव की स्थिति, गांवों में पेयजल का अभाव, पाइप लाइन की कमी और दूसरी तरफ 6-6 महीने तक पाइप की खरीद के आदेश नहीं दिये गये। उसके बाद फरवरी में इन लोगों को बुलाया जाता है कि फर्म रेट दे दीजिए।

मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की नीतियां बनी हुई हैं। राजस्थान की जो स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज हैं उनको प्राइस-प्रिफरेंस और परचेज प्रिफरेंस तीन से पन्द्रह

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

प्रतिशत तक देने की बात कहीं गयी है। यहां की स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज की रेट्स बाहर की फर्मों से चार प्रतिशत कम थी, लेकिन उसको इग्नोर करके बाहर की फर्मों को जो खरीद के आदेश दिये गये हैं वे एक तरह से गैरकानूनी आदेश थे। 16 करोड़ के कुल आदेश दिये गये। उसमें से 12 करोड़ के आदेश बाहर की फर्मों को दिये गये जब कि स्थानीय फर्मों के टेण्डर्स में जो रेट कोट की गयी थी वह उससे कम थी।

इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, पी. डब्ल्यू. डी. में जो बिटूमन 6 हजार रुपये प्रति मैट्रिक टन के हिसाब से खरीदा जाता है वह मैसर्स अजय सेल्स कार्पोरेशन के माध्यम से एल्यूमिनिशन के नाम से 18 हजार प्रति मैट्रिक टन के हिसाब से, यानी 12 हजार का नुकसान देकर, खरीदा गया। इस प्रकार लगभग साढ़े चार लाख रुपये का गैरकानूनी तरीके से अजय सेल्स कार्पोरेशन को फायदा पहुंचाया गया। यह अजय सेल्स कार्पोरेशन लोगों का ऐसा कहना है, कि इसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग मन्त्री के लड़के और उनके रिश्तेदार भागीदार हैं। इसकी जांच होनी चाहिए कि कहां तक सत्य है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि पिछले सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब यहां एक रिप्लाई दी थी, उस समय कहा था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सैक्रेटरी के खुद के और उनके लड़के के नाम से दो प्लाट हैं। वे दो प्लाट उन्होंने हाउसिंग को-आपरेटिव सोसाइटी से खरीदे थे। ऐसे प्लाट खरीदने वाला व्यक्ति दूसरों के साथ क्या न्याय करेगा? सीलिंग की जमीन उन्होंने खरीदी, सीलिंग एक्ट का वायोलेशन किया। वही व्यक्ति कैम्प लगाकर लोगों को न्याय देगा? मैं समझता हूं कैसी हास्यास्पद स्थिति है। इन सब चीजों को बेरी आयोग को देना चाहिए। मैं रिपीट करना चाहता हूं कि बेरी आयोग ने अब तक जिन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, लोगों के खिलाफ जांच प्रतिवेदन सरकार को दिया है....

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री): कल्ला साहब, आपके नेता का नाम है बेरी आयोग के अन्दर। आप कहो तो इस सदन की मेज पर रख दूं कागजात। क्या बात कर रहे हो आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला: हमारे नेता के बारे में कोई आरोप नहीं है।

श्री हेतराम बेनीवाल: उनका नाम बताओ, क्या नाम है उनका?

श्री हरि सिंह (महुआ): आप क्यों दबाये बैठे हैं? आपने स्पष्ट क्यों नहीं किया? (व्यवधान) आपमें, सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है।

श्री चतुर्भुज वर्मा: जोशी जी का मकान किस पर बना हुआ है? (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला: अध्यक्ष महोदय, हाउस को आर्डर में लाएं, नहीं तो मेरा समय....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माननीय अध्यक्ष जी, यह पत्र हाउस में रखवाइये।

श्री अध्यक्ष : बहुत लम्बा समय है, रिक्रिएशन के लिए समय और मिल जाएगा अभी तो शुरूआत हुई है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बेरी आयोग ने जिन-जिन अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दी है उसके बारे में जांच करके....

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद, अब आपका छः मिनट का समय भी हो गया पूरा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सर, मैं बस खत्म कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, दस सैकण्ड।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बेरी आयोग का जो भी जांच प्रतिवेदन आया है उनके खिलाफ आप कार्यवाही करें।

राजस्थान के पश्चिमी जिलों में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, अभाव की स्थिति है, गायें मर रही हैं। गायों के नाम पर वोट लेने वाले गायों की तो रक्षा करें। आज मेरे पास बीकानेर से तार आया है कि 10 हजार गायें वहां पड़ी हैं, केवल ढाई हजार को कैम्पों में रखा गया है। इन सब चीजों के लिए आपको समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। सूर-सागरके लिए आपने 11 करोड़ के प्रोजेक्ट में 34 लाख देकर ऊंट के मुंह में जीरा दे दिया। ऐसी अनेक बातें हैं। आपने पांच हजार स्कूल बन्द करके एक हजार स्कूल खोल दिये। यह अध्यक्ष महोदय, काहे का बजट है ? यह आंकड़ों की जगलरी वाला बजट है। इससे राजस्थान का कोई विकास नहीं होने वाला। आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान में सिंचाई, बिजली और पानी की योजनाओं पर पैसा खर्च करके राजस्थान का विकास करें। मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री लक्ष्मीचन्द जी मेहता।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 1400 करोड़ रुपये की योजना खर्च करने के लिए दी, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। आज आदमी की सर्वप्रथम आवश्यकता पानी और अनाज की है। भारत सरकार राजस्थान की सरकार को अनाज नहीं देती है, इस पर किसी को चिन्ता नहीं है। मैंने हमारी सरकार के मुख्यमंत्रीजी को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि आप राजस्थान की सरकार की तरफ से भारत सरकार के सामने धरना दें, अपने मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को ले जाकर बैठें और देश को बताएं कि कांग्रेस की हुकूमत हमें खाने का अनाज उपलब्ध नही करा रही है। इसी के परिणामस्वरूप राजस्थान के मुख्यमंत्रीजी ने अपने मन्त्रिमण्डल के सहयोगियों को धरने पर बैठाया। उसका परिणाम यह हुआ कि भारत के प्रधान मंत्री को बाड़मेर की यात्रा करनी पड़ी। उस यात्रा के फलस्वरूप राजस्थान की जनता का कोटा बढ़ा। इसके लिए मैं राजस्थान की सरकार को बधाई दूंगा। करना तो यह चाहिए था कांग्रेस वालों को कि अनाज सबको मुहैया कराए, मगर उसकी तो वकालत करते नहीं।

दूसरी चीज, हमारी सरकार ने 61.5 प्रतिशत पैसा गांवों की तरफ खर्च करने का लक्ष्य रखा है। हमने पार्टी से ऊंचे उठकर काम किया है, जिसका उदाहरण मैं आपके

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

सामने रखना चाहता हूं । 40 साल तक कांग्रेस जिन लोगों का शोषण करके वोट लेती थी उस जगह पाकिस्तान की बार्डर के नजदीक डूंगरी जैसी जगह में सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल हमारी सरकार ने खोला है, जो कभी भी आप कल्पना नहीं कर सकते थे । पैसा गांव की तरफ जा रहा है । इसी प्रकार 40 करोड़ रुपए........... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आवाज तेज है उनकी ।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता : आप सुनिये । आपको बुरा लगेगा । आपने 40 साल काम नहीं किया है इसलिए आपको बुरा लगेगा ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वे चाहते हैं आप और तेज बोलें । बुरा नहीं, अच्छा लग रहा है उनको ।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता : अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, सड़कों के मामले को लीजिए राजस्थान सरकार ने बाढ़ में क्षतिग्रस्त सड़कों को रिपेयर करवाया है । मैं तो यह दावे के साथ कहना चाहता हूं कि 6 करोड़ रुपए चारों जिलों की रिपेयर पर लगे हैं । हम पैसे का दुरुपयोग नहीं करना चाहते । मेरे यहां अधिशाषी अभियन्ता का कार्यालय खुला था गये साल सड़कों को रिपेयर करने के लिए । सड़कें रिपेयर हो गयी । कोई अधिशाषी अभियन्ता का कार्यालय स्थानान्तरित नहीं करवाता, मगर हम देश का, गरीब जनता का पैसा वेस्ट करना नहीं चाहते, इसलिए र्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने अधिशाषी न्ता का कार्यालय सांचौर से हटाया । मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूं ।

श्री परसादीलाल मीणा : बजट पर बोलो ।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता : यह बजट ही है । गांवों की तरफ पैसा जा रहा है । यह काहे पर है ? बजट बिना काहे पर है ?

श्री अध्यक्ष : आपको आंकड़े तो पहले दोनों विद्वान माननीय सदस्यों ने दिये, बाकी और बातें भी सुनिये ।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता : बजट के आंकड़ों में मत जाओ, आंकड़ों में पड़कर लोगों को गुमराह मत करो, वास्तविक चीज बताओ कि काम क्या हो रहा है । इतना ही नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि आंख मींचकर इनकी सरकार में काम हुए । एक उदाहरण शिक्षा विभाग का आपके सामने रखता हूं । पूर्व सरकार ने कबूली की ढाणी में मिडिल स्कूल खोला, कन्या पाठशाला खोली । (व्यवधान) सुनिये, सुनने का माद्दा रखिये ।

आप देखिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, कन्या पाठशाला खोली । प्रथम कक्षा में चौदह बालिकाएं, द्वितीय में आठ, तृतीय में तीन, चौथी में शून्य....

श्री हीरालाल इन्दोरा : पूरे स्टेट का बजट है ।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता : पांचवीं में दो और सातवीं में एक, इस तरह 28 कन्याओं पर मिडिल स्कूल खोला राजनीतिक कारणों से पूर्व सरकार ने ।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

आज स्थिति यह हो रही है कि वहां तीन महिलाओं का पोस्टिंग किया गया। वे महिलायें वहां गयीं। मगर उनकी सुरक्षा नहीं होने से वे महिलायें अपनी इज्जत बचाकर जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में आकर बैठ गयीं कि हमारी इज्जत की रक्षा करनी है तो ऐसे स्कूल में नहीं भेजें जहां बालिकाएं नहीं हों और मास्टर हमारे पीछे पड़ें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक पानी की समस्या का सवाल है, चालीस सालों में जिन गांवों में पानी नहीं पहुंचा, पीने का पानी आप मुहैया नहीं करा सके हैं, वहां हमने ढाणियों में पानी मुहैया कराया है। मैं गांव के गांव उदाहरण के तौर पर आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में माननीय पूनमचन्द जी और नाथूराम जी का आना-जाना रहता है। राजस्व मंत्री गंगाराम जी और ये लोग परिचित हैं, इनको मालूम है खेजड़ियाली जैसा गांव। उस खेजड़ियाली गांव में पानी नहीं जाता था, जो बार्डर पर है। वहां हमारी सरकार ने पानी पहुंचाया। 700 ढाणियों को पानी देने का जो लक्ष्य बनाया था उस लक्ष्य को हमने पूरा किया है। इस साल इस बजट के अन्दर पानी पर पैसा खर्च हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री रामेश्वर जी यादव।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता : एक भ्रष्टाचार का नमूना रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : किसका भ्रष्टाचार ?

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता : यह भ्रष्टाचार है पंचायत समिति सांचौर के अन्दर। जीवन धारा के पैसे का, 40 लाख रुपये के गबन का मामला मैंने विधायक बनने के बाद प्रकाश में लाया, सरकार ने उस पर मुकदमा दर्ज किया और चार गजेटेड आफिसर्स और सात ग्राम सेवकों के खिलाफ एफ. आई. आर. हमारी सरकार ने लाज कराई है, जो 40 लाख रुपये का गबन हो रहा था, उस गबन को मिटाने के लिये।

अकाल के मामले में भ्रष्टाचार इतना था कि राजीव गांधी जी ने स्वयं कहा था कि हम एक रुपया देते हैं, और 15 पैसे खर्च होते हैं। उस हालत में 15 सरपंचों को फर्जी मस्टर रोलों में पकड़वाया और उन पर मुकदमा दर्ज करवाया। भ्रष्टाचार को पनपाने वाली आपकी सरकार थी। हमारी सरकार तो भ्रष्टाचार को बन्द करना चाहती है।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री रामेश्वर दयाल।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 मार्च, 1992 को माननीय मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के रूप में जो बजट पेश किया है, उस पर वाद-विवाद चल रहा है, उस पर मैं भी अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

एक बात मैं पहले निवेदन कर दूं कि हमारे दल के तीन सदस्यों के नाम इस सूची में हैं, जिनमें से दो ही बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : किसका नाम काटना है ?

श्री रामेश्वर दयाल यादव : राव कमलेन्द्र सिंह जी।

श्री अध्यक्ष : उनका नाम काट दूं ?

श्री रामेश्वर दयाल यादव : जी हां।

श्री अध्यक्ष : अच्छा। आप बोलिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आपने बजट के अन्दर विद्युत की चर्चा की है। वीरसिंहपुरा सूरतगढ़, मांडलगढ़ और धौलपुर में आपने प्रोग्रेस जरूर की है....(व्यवधान).... जो अच्छा काम होगा, उसको तो हम सराहेंगे। यह बात भी सही हैं कि पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने जब इन योजनाओं को रिजेक्ट करने का काम किया था, तो राजीव गांधी जब जयपुर आये थे तो आपको याद होगा, इसी सदन के माननीय सदस्य श्री जगमाल सिंह जी, सम्पतसिंह जी जगतसिंह जी, रामेश्वर दयाल यादव और मोहन प्रकाश जी ने उनके सामने सांगानेर में प्रदर्शन करके इन चारों योजनाओं को लागू करने की मांग रखी थी और इन माननीय सदस्यों पर लाठी चार्ज हुआ।

मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि जो योजनायें आपने लागू कराई हैं, अच्छा काम किया। आपने 700 गांवों और 25000 कुओं का जो ऊर्जीकरण करने का प्रावधान पिछले बजट में रखा था और आपने अपने भाषण में फरवरी, 1992 तक 700 गांवों और 18300 कुओं के विद्युतीकरण करने का उल्लेख किया है और साथ ही आपने यह भी कहा है कि हमने वर्ष के प्रारम्भ में ही बजट प्रावधान देकर हर विभाग को सुचारू रूप से कार्य करने का मौका दिया है। यह इसी बात को इंगित करता है कि 25000 में से 18300 कुओं का जो ऊर्जीकरण आपने 11 महिनों में किया है और एक माह के अन्दर आप 6700 कुओं का ऊर्जीकरण करना चाहते हैं, मैं इसमें सन्देह व्यक्त करता हूं।

31 मार्च, 1991 तक जिन लोगों को डी.एन.जारी किया गया था, जिनको कनेक्शन इश्यू नहीं हुआ है उनको किस टारगेट में शामिल करते और विद्युत मन्त्री नजर नहीं आते, मैं उनको सलाह देना चाहता हूं कि आप अपने टारगेट्स को फिर रिवाइज करें। इन 18300 के अन्दर वह मामले भी शामिल हैं जिनको मात्र आपने इस चालू वित्तीय वर्ष में डी.एन. जारी किया है, कनेक्शन इश्यू नहीं किया है।

आपने 1992-93 के बजट के अन्दर 750 गांव और 25000 कुओं का ऊर्जीकरण करना दर्शाया है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आइ.सी.एस. के अन्दर जो पेंडिंग कनेक्शंस हैं, आपने 4000 का उल्लेख किया है, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि आप 4000 को फिर रिवाइज कीजिये, यह चार हजार से ज्यादा हैं। आई.सी.एस. के अन्दर जिन लोगों ने तीस-तीस हजार और चालीस-चालीस हजार रुपये जमा करा दिये, उनके डी.एन. आपने जमा कर दिये, लेकिन बारह-बारह महीने हो गये, उनका कनेक्शन नहीं हो रहा है। जयपुर जिले के चौमूं और आमेर विधान सभा क्षेत्रों के अन्दर 252 कनेक्शन ऐसे हैं जिन्होने दो साल पहले पैसा जमा कराया था लेकिन आज तक उनको कनेक्शन नहीं दिया गया।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

सरकार ने पिछले बजट में और राजस्थान विद्युत मण्डल ने भी, जो विद्युत कनेक्शन देने की रीति-नीति का उल्लेख किया, उसमें कहा था कि 31 मार्च, 1982 तक के साधारण कनेक्शन हैं, उनको हम विद्युत कनेक्शन देने का काम करेंगे और अनुसूचित जाति और जनजाति के जो 31 मार्च, 1985 तक पेंडिंग हैं उनको हम कनेक्शन देने का काम करेंगे। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि मार्च, 1982 तक के मामले दो साल से पेंडिंग हैं और अभी तक उन प्रार्थना पत्रों का डिस्पोजल नहीं किया गया। और मार्च, 1985 तक के अनुसूचित जाति और जनजाति के फार्म्स का डिस्पोजल नहीं किया। उनका जो विद्युतिकरण कर रहे हैं, मैं यह सलाह देना चाहूंगा कि जहां ओवरलोड लाइन, एल.टी., एच.टी. लाइन्स हैं, उस आधार पर आप उन गांवों को निगलेक्ट कर रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 12 और आमेर विधान सभा क्षेत्र में पश्चिमी इलाके में 17 गांव ऐसे हैं जहां पिछले तीन साल में आपने एक भी कनेक्शन नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी जो ओवरलोडेड लाइन्स हैं, एल.टी., एच.टी, और कन्जुमर लाइन ओवरलोडेड हैं, आप क्यों नहीं उनका आगमेन्टेशन करके 33 के.वी. या 132 या 220 के.वी. का जहां अलाइनमेंट होता है, उसका प्लान बना कर विधिवत रूप से क्यों नहीं करते? मैं यह भी आपको सलाह देना चाहता हूं कि ट्रांसफार्मर्स जहां जलते हैं, एक नीति निर्धारित कीजिये, इसके पहले भी मैंने आपसे कहा था सदन के अन्दर, कि आप आठ रोज या दस रोज का एक निश्चित समय दीजिये। पिछले समय में चौमू डिवीजन के अन्दर 31 ट्रांसफार्मर्स 18–20 दिन से नहीं दिये जा रहे थे, जब लोगों ने वहां आन्दोलन का रुख अपनाया तो फिर दूसरे रोज ही ट्रांसफार्मर्स आ गये। आप यह स्थिति पैदा क्यों होने देते हैं? मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आमेर से आने वाले माननीय सदस्य तो इस बात को कहेंगे ही लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराना चाहत हूं कि आमेर विधान सभा क्षेत्र में, एक विधायक के क्षेत्र में जहां 6 ए.ई.एन. लगते हैं, आप कम से कम आमेर विधान सभा क्षेत्र में एक ए.ई.एन. सब डिवीजन आफिस तो कायम कीजिये। वहां के जो विधायक हैं उनको 6–6 ए.ई.एन. आफिस में जाना पड़ता है। इससे विधायक को ही नहीं उपभोक्ताओं को भी परेशानी होती है।

पावर कंजम्पशन के साथ आपको निश्चित तौर से आगमेंटेशन करना पड़ेगा और जब तक आगमेंटशन करके जहां 33 के.वी. है वहां 132 या 220 के जी.एस.एस. कायम नहीं करेंगे तब तक पावर आपके पास होते हुए भी ट्रांसमिशन कंजम्पशन के लिए नहीं दे पायेंगे।

आपने जो पूरे राज्य में पावर दी है, मैं निश्चित तौर से इस बात के लिए आपत्ति नहीं करता कि आपने 8 घण्टे बिजली देने का काम किया हैं, लेकिन पावर एलोकेशन जो करते हैं उसमें असमानता क्यों? कहीं आप दिन में बिजली देते हैं; कहीं रात में देते हैं। मेरा कहना यह है कि इन सारी बातों के बावजूद विद्युत विभाग के मन्त्री यहां पर नहीं हैं, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि....

श्री अध्यक्ष : नोट कर रहे हैं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : इस पीक सीजन के अन्दर अगर राजस्थान के किसानों को 8 घण्टे के बजाय मात्र एक महिने के लिए 10 घण्टे बिजली दी जाती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हू कि राजस्थान की उपज 10 पर्सेन्ट बढ़ सकती है। यह प्रेक्टिकल अनुभव की बात है। मैं श्री विश्नोई साहब से कहना चाहूंगा कि आप अगर 1 महीने 10 घण्टे किसानों को बिजली देते हैं, तो राजस्थान का अन्न उत्पादन निश्चित तौर से 10 पर्सेन्ट बढ़ेगा। इसलिए सीरियसली टेक-अप करके एक महीने आप 10 घण्टे बिजली देने का काम करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं कृषि और सहकारिता के बारे में अपना दृष्टिकोण पेश कर रहा हूं, जहां खाद, बीज और दवाइयों के बारे में केन्द्रीय सरकार ने कहा कि हम बड़े किसानों को सब्सिडी नहीं देंगे, जो छोटे किसान हैं उनको हम सब्सिडी देंगे। छोटे और बड़े किसान के बीच में एक विवाद पैदा कर दिया है, एक भ्रष्टाचार को आपने जन्म दिया है। मुख्य मन्त्री जी और आप लोग यह कहते हैं कि केन्द्रीय सरकार की नीतियां या कांग्रेस की नीतियां खराब हैं। यहां खराब बता रहे हैं और वहां समर्थन कर रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं कि आज खाद के बारे में या बीज के बारे में या दवाइयों के बारे में आपकी नीति क्या है यह आपको स्पष्ट करना चाहिए। पिछले समय या साल के अन्दर राजस्थान में जो खाद की बिक्री हुई वह निश्चित तौर से करीब 25 पर्सेन्ट बढ़ी है लेकिन इसमें सरकार की कोई मेहरबानी नहीं है। सरकार ने व्यवस्थापकों की हड़ताल को इतना लम्बा खींचा कि राजस्थान के किसी ग्राम सेवा सहकारी समिति में खाद के एक कट्टे की बिक्री नहीं हुई। गांव के अन्दर महाजन की दुकान के अन्दर चाहे गुड़ और शक्कर का कट्टा नहीं मिला, लेकिन उसकी दुकान के अन्दर 20 और 50 कट्टे खाद के जरूर मिले हैं, उन्होंने मुनाफा कमाया। एक-एक कट्टे पर 10-10, 20-20, 30-30 रुपये का मुनाफा लिया, राजस्थान में किसानों को उन्होंने लूटा है। मैं आपसे फिर यह कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार की चाहे कुछ भी नीति हो, आपको राजस्थान में इस लाइन को एडाप्ट करना चाहिए। यहां बड़े-छोटे किसानों को लेकर, छोटे किसानों को पिछली बार कितनी सब्सिडी दी गई, कितने कम कीमत पर दी गई ? इसकी आप निश्चित तौर से नीति दीजिये कि हम छोटे किसानों को लाभ देंगे। चाहे तो आप खाद, बीज और दवाइयों की कीमत समानता के रूप में रिड्यूस कर दीजिये ताकि ग्राम किसानों को उसका बेनिफिट मिल सके।

प्रत्येक ग्राम पंचायत के अन्दर जब तक ग्राम सेवा सहकारी समिति का कार्यालय नहीं होगा तो चाहे केन्द्रीय सरकार की कैसी नीति हो, चाहे राज्य सरकार की कैसी नीति हो, वितरण प्रणाली में कहीं सुधार नहीं आवेगा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां मार्केटिंग सोसाइटीज को हर तहसील में पहले सोल एजेन्ट बना रखा था, आपकी सरकार ने उनको हटाकर प्राइवेट एजेन्सी को दे दिया। यह अच्छा काम नहीं है, अगर आपकी सरकार इसको अच्छा

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

समझती है तो मैं समझता हूं कि यह सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। जयपुर जिले के अन्दर जितने मार्केटिंग सोसाइटीज थीं, सोल एजेन्ट हर तहसील में थी, उनको आपने हटाकर प्राइवेट लोगों को, जयपुर के महाजनों को आपने एपाइन्ट किया है। मेरे चौमू विधान सभा क्षेत्र में मात्र दो बार गेहूं गये हैं और वह सोल एजेन्ट एक ही काम करता है कि आपका एलोकेशन 50 बेग्स का है, ठीक है आप 30 बेग्स ले जाइये और 20 बेग्स आपके छोड़ जाइए? मेरा यह चार्ज है, चाहे आप इसकी जांच करवा लीजिए। खाद्य मन्त्रीजी यहां पर नहीं है, आप इसकी जांच करवाइए और अगर इस तरह के सोल एजेन्ट हैं तो ऐसे सोल एजेन्ट्स को हटाइए और राजस्थान में जो मार्केटिंग सोसाइटीज हैं, जो बिजनेस कर रही हैं, इनकी फाइनेन्सियल पोजिशन देखते हुए वापस सोल एजेन्ट उनको एपाइन्ट किया जाय। एक तरफ हम सहकारिता को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी तरफ सहकारिता को घटा रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व अभियान के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा, राजस्व अभियान अच्छा है, नामान्तरण खुलने चाहिए, निश्चित तौर से खुलने चाहिए, पेंडिंग वर्क निपटाना चाहिए। लेकिन इस राजस्व अभियान के जरिये जहां किसानों को मुर्गा बनाया गया हो, जहां पट्टे शुदा भूमि हो, भूमि पर बने निर्माण को आपके राजस्व अधिकारी के सामने ध्वस्त किया गया हो, जहां अतिक्रमण के नाम पर राजस्व अधिकारी ने आग लगाने का काम किया, अगर इस तरह से राजस्व अभियान चलाकर राजस्थान के किसानों को लाभ देना है तो मैं समझता हूं कि इससे बुरा कृत्य राजस्थान में किसी सरकार के द्वारा नहीं हो सकता। जब माननीय मुख्य मन्त्री जी यहां पर विरोधी दल के नेता के रूप में बैठा करते थे तो राजस्थान में किसान उपभोक्ता संघ का संघर्ष हुआ था, लाखों किसान जेल गये थे, पूर्व मुख्य मन्त्री, श्री हरिदेव जोशी से टेबल टाक करके, श्री भैरोंसिंह जी ने विरोधी दल के नेता के रूप में एक फैसला करवाया था। राज्य सरकार ने एक बुकलेट जारी की थी, उसमें यह कहा था कि हम फसल बीमा के तहत 66 करोड़ रुपये राजस्थान के किसानों को भुगतान करेंगे। उस बुकलेट में कहा था कि राजस्थान में माफी मन्दिर की लैण्ड है, उससे प्रभावित जो किसान हैं उनको हम शिकमी काश्तकार बनाने का अधिकार देने का काम करेंगे। उन्होंने यह भी वायदा किया था कि राजस्थान में शिकमी काश्तकारों को खातेदारी अधिकार देने का काम करेंगे। माननीय मुख्य मन्त्री से मैं कहना चाहूंगा कि जब आप यहां बैठकर जो सिफारिशें करते थे, शेर की तरह गूंजा करते थे, आप वहां जाकर कैसे भूल गये? राजस्थान में टिनेन्सी एक्ट की धारा 19 में सबसे पहले जनता शासन के समय में शिकमी काश्तकारों को खातेदारी अधिकार देने का प्रावधान निश्चित तौर से किया गया था। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 15-एएए में संशोधन कर सिंचित क्षेत्र के अन्दर किसानों को खातेदारी अधिकार देने का काम था। परन्तु दुर्भाग्य से 26 दिसम्बर, 1979 को केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हुई, 29 दिसम्बर, 1979 को राज के गजट में प्रकाशित हुई और उसी

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

दौरान राजस्थान में सरकार बदल गई और दूसरी सरकार ने वह लाभ राजस्थान के किसानों को नहीं दिया ।

निश्चित तौर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपने उपनिवेशन क्षेत्र के अन्दर जो नियमन करने का काम किया है । अगर आप सद्भावना से करते हैं तो राजस्थान के लिए अच्छा है । साथ ही, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि 1977 के अन्दर शिकमी काश्तकारों की संख्या 4 लाख 89 हजार थी तो निश्चित तौर से सन् 1992 के अन्दर, एक बाप के 5 लड़के थे और बाप की मृत्यु हो गई, वह पाचों लड़के शिकमी काश्तकार बन गये । राजस्थान में आज की तारीख में करीबन 10 लाख शिकमी काश्तकार हैं । इसीलिए मेरी सलाह है कि राजस्थान में काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 19एएए के अन्दर संशोधन करके जो जनता शासन के समय में शिकमी काश्तकारों को खातेदारी अधिकार देने का प्रावधान किया था उसकी अवधि बढ़ाई जानी चाहिए और राजस्थान के 10 लाख किसानों को बेनिफिट दिया जाना चाहिए । धारा 13-एएए के अन्दर आप संशोधन करके सिंचित क्षेत्र के अन्दर जिन किसानों को खातेदारी अधिकार नहीं मिले हैं उनको अधिकार देने का आपको काम करना चाहिए ।

मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि....

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करिए । मैंने 4 मिनट और दे दिये हैं, दोनों के समय के अलावा 4 मिनट और दे दिये हैं ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : विदिन टाइम समाप्त कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय, पंचायत राज राज्य मंत्रीजी यहां पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हू कि आपके विधान सभा क्षेत्र में दिवराला गांव के अन्दर, जहां 27 पर्सेण्ट भूमि माफी मन्दिर की है, हजारों की तादाद में जो किसान हैं उनके साथ अन्याय हुआ है । हर गांव के अन्दर, उनके साथ अन्याय हुआ है । 4 तरह के किसान हैं जिन किसानों को धारा 19 के अन्दर खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिए गए, जिन किसानों ने रेकार्डेड खातेदारी के प्रतिफल के पैसे देकर सैल डीड के जरिए भूमि को क्रय किया, लाखों रुपये लेकर जिन किसानों को सरप्लस सीलिंग लैण्ड अलाट की गई है, जिन किसानों को भूमि विकास बैंक ने पब्लिक आक्शन में लाखों रुपयों में भूमि बेचान की । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह के 4 तरह के किसान राजस्थान में हैं । सैटलमेंट डिपार्टमेंट ने उनके खातेदारी अधिकार समाप्त करके कानून को ताक में रखकर माफी मन्दिर या मन्दिर के नाम से वापस भूमि दर्ज कर दी । उन किसानों ने क्या गलती की है ? मैं फार एग्जाम्पल आपको बताता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, रामपुरा, डाबरी जो तहसील आमेर में पड़ती है, वहां के किसानों ने ढ़ाई लाख रुपये देकर इस जमीन को परचेज किया चौमू में इस तरह के हजारों किसान हैं, और हर जगह हजारों की तादाद में हैं । इन किसानों के खातेदारी अधिकार सैटलमेंट डिपार्टमेंट ने समाप्त किए हैं । और सरकार अगर मौन रहती है तो आप निश्चित तौर से क्रांति और विद्रोह को आमंत्रित कर रहे हैं । इसलिए आप राजस्व कानूनों में चाहे

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

संशोधन करके इन शिकमी काश्तकारों की खातेदारी दर्ज करवाए, इनको अधिकार दें। आपने कहा है कि पास बुक के जरिये सांविधानिक अधिकार देने जा रहे हैं। अच्छी बात है, आप दीजिए, लेकिन आप अगर इनके सम्बन्ध में भी कोई अधिकार देते हैं तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के किसानों के लिए अच्छा होगा, भला होगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में, आगजनी के मामले हैं, राहत मंत्रीजी यहां बिराजे हुए हैं, जयपुर जिले में जून, 1991 से लेकर अब तक कहीं भी एक पैसा नहीं दिया गया। "गरीब को छप्पर" योजना आपने चालू कर रखी है। मैं समझता हूं कि ऐसे आगजनी के मामलों में पंचायत समिति से टेंट वितरण होता है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, इन आगजनी के मामलों में प्रभावित लोगों को टेंट भी नहीं दिए गए। मेरे विधान सभा क्षेत्र के हाड़ौता, जैतपुरा, आलीसर, देवथला आदि में जनवरी, 1991 के बाद जितने भी आगजनी के मामले हुए वहां तीन-तीन रोज तक लोग भूखों बैठे रहे, आस-पास के लोगों ने खाना दिया लेकिन राज्य सरकार की ओर से एक किलो आटा या एक किलो अनाज देने के लिए आज तक जिला कलेक्टर ने या जिला अधिकारियों ने कोई व्यवस्था नहीं की जो बड़े अफसोस की बात है।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ न कुछ घोषणाएं आप लोग कहीं न कहीं करते हैं। मेहरबानी करके घोषणाएं करने के बाद यह देखें कि जो आपने घोषणा की हैं उसकी क्रियान्विति होती है या नहीं। मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्य मंत्रीजी के बारे में कहना चाहूंगा कि पिछले सत्र के अन्दर उन्होंने घोषणा की थी, कि पंचायतों के पुनर्गठन के बारे में जन-प्रतिनिधियों को विश्वास में लिया जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर जिला कलक्टर ने जयपुर जिले के विधायकों को कोई विश्वास में नहीं लिया, उनकी मीटिंग नहीं बुलाई और बिना प्रकाशन के उन्होंने प्रस्ताव पास करके ऊपर भेज दिए। अब वापस राज्य सरकार को फिर से देखना पड़ रहा है....

श्री परसादी लाल मीणा : किसी कलक्टर ने नहीं बुलाई।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मुख्य मंत्री जी की घोषणाएं हम अखबारों में पढ़ते हैं कि हमने राजस्थान में बारानी भूमि का लगान माफ करने का काम किया है। अच्छा काम किया है। मैंने पहले भी इसके लिए धन्यवाद दिया है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि....(व्यवधान).... मैं इसलिए कह रहा हूं, आप सुनिए। राजस्व मण्डल, अजमेर के चेयरमैन ने राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी के आदेशों को ओवर रुल करके राजस्थान के किसानों से बारानी लगान वसूल करने का काम किया है। बड़े अफसोस की बात है।

एक माननीय सदस्य : गलत है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आपके दो मन्त्री मेरे क्षेत्र में गए हैं, उनके सामने पब्लिक ने बताया है उनको, और अगर यह बात गलत साबित हो जाए तो I will

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

resign from the post. (व्यवधान) और अगर यह सोचते ही जाएं तो आप रिजाइन कर दीजिए। ऐसी बातें करते हो आपके दो मन्त्रियों के सामने कहा है, हरिलाल सिंह जी को पूछ लीजिए, भंवरलाल जी को पूछ लीजिए।

मैं तीसरी बात यह भी कहता कि सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी, जब घोषणा करते हैं तो हम निश्चित तौर से यह समझते हैं कि इसमें काफी दम होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को तो नोटिस नहीं था, आप चौमू पधारे और वहां पर थाने के सामने जो टूटी फूटी सड़कें थी वह इनको दिखायी गयी और इन्होंने कहा आज तक मुझे क्यों नहीं बताया। हमने पहले पत्र लिखा, अध्यक्ष महोदय, आज 6 महीने हो गए वह सड़क वैसी की वैसी ही है (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी घोषणा जब आप करते हैं तो घोषणा के बाद आप उस पर विचार मन्थन तो करें कि मेरी घोषणा पर क्रियान्विती हो रही है या नहीं हो रही है। आप तो माननीय शिवचरण माथुर की तरह ही घोषणाएं करते जा रहे हैं और आपकी कोई घोषणा पूरी नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष : आपने सारी घोषणाएं गिना दी, अब आप सारी ही कराओगे तो बहुत लम्बा हो जाएगा।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मुख्य मंत्री जी ने ओल्ड एज पेन्शन के बारे में बजट के अन्दर पहले भी कहा।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट लागू करने के बारे में हर राजनीतिक दल ने राजस्थान नहीं देश की जनता से वायदा किया था। पूर्व प्रधान मन्त्री और जनता दल के नेता माननीय विश्वनाथ प्रतापसिंह जी भी और कांग्रेस के अधारी मंत्री जो हैं, उन्होंने भी नतमस्तक हो करके मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का वादा किया है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी ने यह तय किया कि जहां हमारी सरकार है वहां मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, और यू. पी. में आपने लागू किया है। मैं मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर मण्डल आयोग की रिपोर्ट आप कब लागू कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अन्त में...

श्री अध्यक्ष : अब अन्त हो गया है, आपने कई बार अन्त कर दिया।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अन्त में मैं माननीय गृह मन्त्री जी से, एक ही सेन्टेन्स में, कहना चाहूंगा कि, गृह मन्त्री जी जयपुर के अन्दर जो थ्री व्हीलर टैक्सी चलाते हैं, या तो उनके मीटर आप हटवा दीजिए और या सख्ती से मीटर को लागू करवा दीजिए। आज यातायात विभाग भी आपके पास है। नेशनल हाइवे के ऊपर जितनी टैक्सियां चलती हैं रोजाना बीस, पच्चीस आदमी मरते हैं। नेशनल हाइवे पर टैक्सी गाड़ी में टैक्सी परमिट से ज्यादा आदमी होंगे उसका

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

परमिट कैंसिल करें । टैक्सी बिल्कुल चलनी ही नहीं चाहिए । राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को अगर फायदे में लाना चाहते हैं आप तो इन टैक्सी परमिटों को या तो कैंसिल करिए या इनके साथ सख्ती कीजिए।

मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया वह राजस्थान की जनता के लिए दिशाहीन होने के नाते मैं अपनी असहमति व्यक्त करता हूं।

सदन की कार्यवाही

विधानसभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है सदन का समय 6 बजे तक के लिए बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृति)

(सदन का समय 6 बजे तक के लिए बढ़ाया गया।)

आय व्ययक 1992-93 पर सामान्य वाद विवाद

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ (चुरु) : सम्माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री होने के नाते राज्य के चहुंमुखी विकास के संकल्प के साथ जो बजट पेश किया उसका मैं पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं। अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी ने बजट का मुख्य आधार व केन्द्र बिन्दु गांव के गरीब किसान व विकलांग रखा। इस बजट को देखते हुए यह महसूस होता है कि गांवों में रहने वाले लोगों के लिए और विकलांग व्यक्तियों के लिए उनके मन में पीड़ा है।

श्री यदुनाथ सिंह : आप तो सचेतक हैं, आप क्यों बोल रहे हैं, किसी गरीब को बोलने दो।

श्री चन्द्रभान : अध्यक्ष जी, यह पढ़ रहे हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : आपको क्या तकलीफ हो रही है ? बजट कोई आंकड़ों का माया जाल नहीं। यह सरकार के दर्शन, सरकार की रीति नीति और सरकार के कार्यक्रमों को परिलक्षित करता है।

(4.55 म. प.)

(श्री रघुवीरसिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

इस बार बजट के अन्दर मुख्यमंत्री जी ने जो गांवों के विकास के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है और बजट के 61 फीसदी राशि को गांवों के विकास में लगाने का फैसला किया है वह स्वागत योग्य है।

सभापति जी, विपक्षी सदस्य यह कह रहे थे कि इस बजट के अन्दर गांव के विकास में पिछले बजट के अनुरूप कोई कार्य नहीं हुआ। पिछली बार जो कार्य हुआ उसका मूल्यांकन न तो कांग्रेस के सदस्यों से करवाने की आवश्यकता है सरकार को, ना ही जनता दल (अ) जनता दल (ब) और जनता दल (स) के माननीय सदस्यों से करवाने की आवश्यकता है।

(श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़)

सभापति जी, राजस्थान की जनता के लिये जो गांवों के अन्दर पिछले एक वर्ष के अन्दर काम हुआ है उसका सर्टिफिकेट राजस्थान की जनता देगी। इसके साथ ही केन्द्रीय सरकार ने पिछले सारे कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के पश्चात बीस सूत्री कार्यक्रम में प्रदेश को जो प्रथम स्थान दिया है उससे भी यह साफ महसूस होता है कि राजस्थान के गांवों में काम हुआ है। बजट पर लगातार आज तीसरे दिन बहस चल रही है। कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। मुझे अफसोस है कि फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य और बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य के अलावा किसी भी सदस्य ने इस बजट के अन्दर कोई सकारात्मक सजेशन, कोई इस तरह की बात जिसके सुझाव पर सरकार अमल करें, नहीं बताया।

सभापति जी, बजट के अन्दर सरकार ने अपनी वित्तीय स्थिति को स्पष्ट किया है। सरकार की जो वित्तीय स्थिति है वह सीमित है, हमारे जो रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं वह सीमित हैं, केन्द्र सरकार से मिलने वाली सहायता सीमित है। इसलिए केन्द्रीय सरकार से मिलने वाली आय और हमारे जो रेवेन्यू हैं इनका दोहन किस तरह हो, अगर इस पर चर्चा होती तो मैं समझता हूं ज्यादा उपयुक्त होता।

मुख्यमंत्री जी ने अपने कौशल से व कुशल वित्तीय प्रशासन से प्रदेश की 1630 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना का प्रारूप योजना आयोग के समक्ष पेश किया और 1400 करोड़ की वार्षिक योजना का प्रारूप मन्जूर कराया है यह अपने आप में इस चीज का द्योतक है कि राजस्थान निरन्तर विकास की ओर बढ़ रहा है। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी बात कहते हुए स्वयं ने माना है कि यह जो वार्षिक योजना 1400 करोड़ की है, इसका बेस राजस्थान के भावी भविष्य को उज्ज्वल करेगा। परन्तु कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि वार्षिक योजना का आकार सेवन्थ फाइनेन्स कमीशन के कारण बढ़ा है। मैं बताना चाहता हूं कि सेवन्थ फाइनेन्स कमीशन की रिकमण्डेशन तो 1989–90 में भी थी और 1988-89 में भी थी। तब यह जो हमारा एनुअल प्लान है यह क्यों नहीं बढ़ा।

सभापति जी, कांग्रेस की सरकार दो वर्ष पहले 203 करोड़ रुपये का घाटा छोड़ कर गई थी और उसके साथ ही बेबुनियाद और बिना वित्तीय प्रावधानों के अनुसार लम्बी चौड़ी घोषणाएं भी करके गई थी इस बार इन दो वर्षों के अन्दर न केवल उस घाटे को पूरा किया गया है बल्कि राजस्थान के वित्तीय प्रशासन के लिये योजना आयोग ने भी यह कहा है कि राजस्थान सरकार का जितना अच्छा वित्तीय प्रशासन है उतना देश के अन्दर दूसरे किसी प्रदेश के अन्दर नहीं है।

सभापति जी, कुछ माननीय सदस्यों ने, और खास तौर से तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने, नान डवलपमेंट एक्सपेण्डीचर की बात कही। इसमें कोई शक नहीं कि नोन डवलपमेंट एक्सपेण्डिचर

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

(श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़)

के अन्दर 138 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। परन्तु यह बढ़ोतरी क्यों हुई, अगर इसके पीछे हम जाएं तो इसके पीछे केन्द्रीय सरकार की गलत नीतियां रहीं। कांग्रेस पार्टी ने यह घोषणा की थी कि अगर वह सत्ता में आए तो 100 दिन के अन्दर महंगाई कम करेंगे। उसका नतीजा दूसरा निकला। आज केन्द्रीय सरकार की गलत नीतियों के कारण जो मुद्रा स्फीती बढ़ी, जो रुपए का दो बार अवमूल्यन हुआ उसका नतीजा यह हुआ कि राज्य सरकार को लगातार दो बार महंगाई भत्ते का भुगतान करना पड़ा। इसलिए यह नोन डवलपमेंट एक्सपेण्डिचर बढ़ा है।

सभापति जी, इस बार सदन के अन्दर अकाल के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हुई। अकाल और राजस्थान दोनों एक-दूसरे का पर्याय बन गए। इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रदेश के अन्दर चालीस साल में पैंतीस बार अकाल पड़े....

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : सभापति जी, दो मिनट तो बोलने दो।

श्री दिग्विजय सिंह : अभी तो बहुत टाइम है, बोलने दो।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : अकाल के अन्दर कार्य करने के लिए धन कहां से आए इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। पूर्व में जो केन्द्रीय सरकार की व्यवस्था थी अकाल के लिए, राज्य सरकार के प्रतिवेदन के बाद वहां से एक अध्ययन दल आता था और अध्ययन दल की रिपोर्ट के आधार पर अकाल में वित्तीय सहायता मिलती थी। सम्वत् 2044 के अन्दर एक वर्ष के अन्दर करीब 960 करोड़ रुपये का अकाल राहत के तहत काम होगा। परन्तु, सभापति जी, इस बार जो नाइन्थ फाइनेन्स कमीशन है उसके अन्दर जो नया प्रावधान किया है प्राकृतिक विपदा कोष बनाने का, उससे राज्य सरकार को मिलने वाली आय सीमित होगी। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि अच्छा तो यह होता कि पूरा सदन इस बारे में सर्वसम्मत प्रस्ताव करके केन्द्रीय सरकार पर यह दबाव डालने का प्रयास करता कि, राजस्थान की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुये, राजस्थान में पड़ने वाले निरन्तर अकाल को देखते हुए, जो प्रावधान नवें वित्त आयोग में हुआ है उससे थोड़ा आगे बढ़ करके, अधिक से अधिक और रुपया मिले।

सभापति जी, अभी हमारे चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, और किसान की बात को ले करके बार-बार यह कह रहे थे कि इस सरकार के आने के बाद कृषि विकास के कार्य में सरकार ने कम खर्च किया है। मैं बताना चाहता हूं कि सन् 1989-90 के अन्दर, जब कांग्रेस का शासन था, उस समय कृषि, भू-संरक्षण व फल विकास पर जो एक वर्ष में खर्च हुआ वह 17 करोड़ था और, सभापति जी, इस बार सरकार ने बजट के अन्दर 87.75 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है तो लगभग 6 गुना अधिक है। इससे यह मालूम पड़ता है कि इस सरकार की कृषि के प्रति कितनी रुचि है। इस सरकार ने पिछले दो साल के अन्दर खजाने का 60 फीसदी हिस्सा तो गांव पर खर्च किया ही है, इसके साथ ही,

(श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़)

सब किसानों को राहत मिले, इसके लिए बारानी भूमि का लगान भी माफ किया है। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि बारानी भूमि पर लगान माफ नहीं हुआ और रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन ने सरकार के निर्देशों के बावजूद भी लगान की वसूली के लिए निर्देश जारी किये हैं। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि सन् 1990-91 और 1991-92, इन दो सालों के अन्दर जो लगान था उस लगान की कोई वसूली हुई हो तो आप बतायें। पहले का जो बकाया लगान था उसको वसूल करने के लिए जरूर निर्देश जारी हुये। यह दो साल का जो लगान है इसको वसूल करने का इसमें किसी भी तरह का कोई निर्देश न तो रेवेन्यू बोर्ड ने दिया और न राज्य सरकार ने दिया है... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : उदाहरण पेश करूं तो सरकार करने को तैयार है क्या ? आपके मंत्रिमण्डल के सदस्यों को किसानों ने 50 रसीदें बताई हैं पब्लिक मीटिंग में। आप एक्शन लेंगे क्या ?

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : आपका स्पेसिफिक होगा तो लेंगे।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मैं टेबल पर रख दूंगा। हाऊस में बोलने से पहले कलेक्टर साहब से पूछ लें। कलेक्टर को पूछ लें, वह बतायेगा कि कितनी से वसूल किया है।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : मैं भी उस इलाके का हूं। उसमें पूरी की पूरी भूमि बारानी भूमि है, आपके यहां कोई अलग नियम लागू हो गये हों तो मेरे को मालूम नहीं है।

श्री सभापति : यदि वसूली हुई है तो यह गम्भीर बात है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह घोषणा हुई है उससे पहले की वसूली है, घोषणा के बाद की वसूली नहीं है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मैं असत्य बात नहीं करता। मैं सही बात कहता हूं। जो माफ किये हैं उसी साल के वसूल किये हैं। कमाल करते हो। जिस साल की माफी की है उसी साल की वसूली की है।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : सभापति जी, विपक्ष के माननीय सदस्यों ने केन्द्रीय सरकार से संवैधानिक अधिकारों के अन्तर्गत राज्य सरकार की अपने वित्तीय अधिकारों की मांग, केन्द्र को कमजोर करना बताया है। मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय बजट अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंकों की शर्तों पर बने, उससे केन्द्र कमजोर नहीं होता ? अगर कोई भी राज्य सरकार अपने संवैधानिक अधिकारों के अन्दर, चाहे वह उत्पादन शुल्क पर सरचार्ज का मामला हो या कारपोरेशन टैक्स का मामला हो, इसके बारे में मांग करें तो उससे केन्द्र कमजोर हो यह मेरी समझ में नहीं आता।

सभापति जी, बिजली के बारे में सदन में काफी चर्चा हुई। सबसे ज्यादा राजस्थान का काश्तकार दुःखी हुआ है। वह कांग्रेस की सरकार ने 10-5-84 के अन्दर जो समझौता अन्तर्राज्यीय ताप गृहों के अन्दर राजस्थान

(श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़)

पंजाब और हरियाणा के बीच किया था, जिसके अन्दर राजस्थान के हितों को कुठाराघात किया गया, राजस्थान के हितों की बलि चढ़ाई गई, उससे हुआ है। आज उसी का परिणाम है कि ताप गृहों से उत्पादन होने वाली बिजली के अन्दर हमारा हिस्सा नगण्य है। हमारी विद्युत उत्पादक क्षमता है वह पिछले सालों में बढ़ी है। बरसिंगसर परियोजना का जो प्रोजेक्ट था उसके अन्दर पूर्व में किसानों की भूमि का मुआवजा पूरा नहीं दिया जा रहा था। राजस्थान सरकार ने एक तीन मंत्रिमंडलीय समिति बना कर किसानों को मुआवजा भी उनकी भूमि की कीमत के अनुरूप दिलवाया है और आज वह परियोजना धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। आशा है कि आने वाले समय में उस परियोजना से काफी कुछ लाभ होगा। मैं फलोदी से आने वाले माननीय सदस्य के इस प्रश्न का स्वागत करता हूं कि कब तक हम राजस्थान विद्युत मण्डल, जो कि हमारे प्रदेश के विकास का एक आधार है, उसको निरन्तर घाटे में जाता हुआ देखेंगे। इसलिए उन्होंने जैसे कहा, हमें एक सकारात्मक रुख अपनाते हुए बिजली की रेट के अन्दर परिवर्तन हो, उपभोक्ता को ज्यादा अखरे नहीं परन्तु साथ ही इस घाटे से हम उभर पायें, उसके बारे में सोचना चाहिए।

सभापतिजी, चिकित्सा के बारे में कई माननीय सदस्यों ने सदन में कहा कि अस्पताल के अन्दर, स्वास्थ्य उप केन्द्रों के अन्दर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अन्दर चिकित्सक नहीं है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पिछले एक साल के अन्दर लगभग 1750 चिकित्सकों को अपाइन्टमेंट राजस्थान सरकार ने दिया है। वह अपने आप में स्वागत योग्य है परन्तु आपके माध्यम से एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि चिकित्सा के अन्दर कितने चिकित्सक कार्यरत हों, कितने पैरामेडीकल स्टाफ में हों, अभी तक कोई स्टाफ पेटर्न राजस्थान के अन्दर नहीं आया है। इसके लिए दो बार समिति जरूर बनाई। एक बार डॉक्टर जी. सी. शर्मा समिति बनी, परन्तु इनकी रिकमण्डेशन के अनुरूप काम नहीं हुआ। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि स्टाफ पेटर्न के बारे में सरकार जल्दी से जल्दी निर्णय करे।

सभापतिजी, पूरे सदन के अन्दर आज इतने दिनों से बजट पर चर्चा हो रही है। इन्दिरा गांधी परियोजना एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है। जब कभी सदन चलता था तो हमेशा इस परियोजना में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के नाम पर घटिया सामग्री इस्तेमाल हो रही है, घटिया लाइनिंग हो रही है, घटिया टाइल्स इस्तेमाल हो रही है, सम्माननीय सदस्य आरोप लगाते थे। इस बार पूरे सदन में इतने दिन की बहस के बाद भी एक भी आरोप इस तरह का नहीं लगा। मैं माननीय इन्दिरा गांधी नहर मंत्रीजी को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। उनकी सजगता के कारण जो इन्दिरा गांधी नहर का काम चल रहा है वह गुणात्मक आधार पर बिल्कुल ठीक चल रहा है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : अपने हक से पीछे हट रहे हो क्यों ?

श्री हेतराम बेनीवाल : नहर बनेगी तो बेइमानी होगी ना।

श्री समापति : समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : सभापतिजी, भ्रष्टाचार पर काफी माननीय सदस्यों ने चर्चा की। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जितने भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रकरण, और भ्रष्टाचार विभाग ने जितने अपराध पंजीकृत किये हैं, 218 अपराध पंजीकृत किये, उतने अभी तक कभी नहीं हुये। 92 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा, 97 अधिकारियों के खिलाफ चालान हुये जिसके अन्दर 80 गजेटेड आफिसर हैं और पहली बार किसी आई. ए. एस. अधिकारी पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने हाथ डालने का प्रयास किया। 2 आई. ए. एस. अधिकारियों को पकड़ा, एक डी. आई. जी. को पकड़ा, एक चीफ इंजीनियर पी. एच. ई. डी. को पकड़ा, एक एडीशनल चीफ इंजीनियर को पकड़ा यह इस बात का द्योतक है कि सरकार इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मन्शा रखती है। (व्यवधान)···· 97 अधिकारियों के खिलाफ आज चालान सरकार ने पेश किया। 97 अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन है। समापति महोदय, इससे भी इस बात का मालूम पड़ता है कि सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए संकल्पबद्ध है।

हमारे विपक्षी सदस्यों ने अल्पसंख्यकों के हिमायती होने का ढोंग रचा। उनके भोलेपन का फायदा उठाकर, लुभावनी बातें करके हमेशा उनके मतों को ठगते रहे। मैं कांग्रेस के माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या वे एक भी ऐसा काम बता सकते हैं जो 40 साल के शासन काल में अल्पसंख्यकों के हितों के लिए हुआ हो।

श्री समापति : समाप्त करें।

श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़ : इस सरकार ने अजमेर दरगाह शरीफ के लिए 8 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, जमायते हिदायत संस्था को जमीन दी, वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। उसके साथ ही नगीनों के काम पर, जिस पर ज्यादातर अल्पसंख्यक भाई काम करते हैं, उस पर टैक्स माफ किया। समापतिजी, अधिक कुछ नहीं कहते हुये मैं इस बार जो बजट आया, जिसके अन्दर मुख्य मंत्रीजी ने बीज पर टैक्स माफ किया और जो विकलांगों के उपकरणों पर टैक्स माफ किया, मैं उसके लिए बधाई देना चाहता हूं।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता विभाग ने इस बार पहली बार 120 लाख गबन किये पैसे की वसूली की है। मैं आपके माध्यम से निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि भरतपुर जिले के अन्दर सहकारी विभाग में काफी बड़े घोटाले हुये हैं। मैं मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि लम्बे समय से जांच पैण्डिग है उस पर भी जल्दी से जल्दी विचार करके, उसमें भी जो सफेद पोष लिप्त हैं उनको भी कटघरे में खड़े करने का प्रयास करें। समापति महोदय, नये पशु चिकित्सालय इस प्रदेश में खुलें, इसका इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इसका भी प्रावधान करें।

(श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़)

आपने जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : विराजिये।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : राजस्थान के चहुमुखी विकास के संकल्प के साथ जो बजट माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने पेश किया, उसका मैं पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री किशन गोपाल कोगटा।

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, गृह मन्त्रीजी ने यह कहा था कि आज सदन में शाम को एक बयान देंगे, कल जो चौमूं में सड़क दुर्घटना हुई उसके सम्बन्ध में। सवा पांच बजने जा रहे हैं, वह बयान आप पहले दिलवा दें।

श्री सभापति : आप अपना बयान दे रहे हैं क्या ?

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मन्त्री) : आपने अलवर के सम्बन्ध में कहा था, उस पर मैं बयान दूंगा। वह बयान मेरे पास तैयार है और जो कल दुर्घटना हुई है, उसके ऊपर मैं कल तैयारी करके बयान दूंगा। आज अलवर वाले के ऊपर बोल लूं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कल देंगे। कल दे दीजिये।

श्री परसादी लाल मीणा : सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर। हमारा अब तक एक माननीय सदस्य बोला है जबकि भारतीय जनता पार्टी के दो माननीय सदस्य बोल चुके हैं। बी. जे. पी. का तीसरा माननीय सदस्य बोल रहा है। हमने पहले भी एक दिन कहा था कि जो सूची क्रमवार बनाई जाती है, गलत बनाई जाती है, हमको कांफिडेन्स में लेकर नहीं बनाई जाती है। जो क्रम लगाये जाते हैं, वह गलत होते हैं। उधर से दो माननीय सदस्य बोल चुके हैं, हमारा एक सदस्य बोला है। फिर डिबेट क्या हुई ? आप उन्हीं से बुला लें, फिर हमारी क्या जरूरत है ? हमारा बैठने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री सभापति : संख्या के हिसाब से बोलते हैं।

श्री परसादी लाल मीणा : नहीं, नहीं, संख्या के हिसाब से है। उधर से यदि दो बोले तो एक तो हमारा भी बोलेगा।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय सभापति महोदय, संख्या भी है और समय भी है।

श्री सभापति : विराजिये।

श्री परसादी लाल मीणा : समय की बात नहीं है।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : साढ़े तीन घण्टे हैं और सवा घण्टा बाकी है।

श्री परसादी लाल मीणा : नहीं, जब तक सवा घण्टा है तब तक तो बुलवावो। फिर आप बोलते रहना।

श्री सभापति : आपका समय आपकी पार्टी के लिए है।

बोलिये माननीय सदस्य।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मन्त्रीजी, जो राजस्थान सरकार में वित्त मन्त्री भी हैं, के द्वारा विधान सभा में रखा गया 1992-93 का जो बजट पेश किया गया है, उसका मैं और राजस्थान की आम जनता स्वागत करती है। गठ बन्धन की सरकार जब से बनी है, उसका तीसरा बजट है, और यह जो सरकार बनी है, उसकी दूसरी वर्षगांठ पर जो बजट रखा गया, उसमें छोटे किसानों, महिलाओं, विकलांगों, छात्रों, कारीगरों, और कुटीर उद्योगों में काम आने वाली अनेक वस्तुओं को करों में छूट दी गई। उसके साथ-साथ छोटे व्यापारियों को करों में राहत दी गई, उसके लिए सारे राजस्थान में स्वागत किया गया है। दूसरी ओर सम्पन्न वर्ग के लिए जो उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, उसमें बिक्री कर में वृद्धि की गई है। राज्य के बाहर जो वाहन खरीदे जाते हैं और अपने राज्य में लाते हैं, उस पर राज्य में जो बिक्रीकर लगा उसके बराबर टैक्स लगाया है। इस तरह जो कमी आई है उसकी पूर्ति करने का प्रयत्न किया। तमाम छूट व राहत से लगभग पांच करोड़ रुपये का जो घाटा है वह बढ़ेगा और लेकिन उसके साथ-साथ जो कर लगाये हैं, उससे लगभग ढाई करोड़ रुपये की बचत का प्रावधान रखा गया है बढ़ोतरी के लिए। जो बजट पेश किया गया, उसमें 24. 75 करोड़ रुपये का घाटा अपूरित रखा गया है। और विकास के लिए जो लगभग 22 करोड़ रुपये की घोषणाएं की गई, उसको इस बजट में मिला लिया जाय तो करीब 49 करोड़ रुपये का घाटा रहता है। लेकिन इस घाटे की पूर्ति खनिजों में बढ़ाई गई रायलटी, आबकारी एवं अन्य शुल्क से प्राप्त कर राशि से की जायेगी और अन्त में घाटे की बजाय यह एक बचत के बजट के रूप में पेश हुआ है।

मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो वार्षिक योजना है उसमें वर्ष 1992-93 में 61 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए खर्च किया जायेगा। इतना ही नहीं, विद्युत विकास के लिए जो घोषणाएं की गई, जो 1991-92 में घोषणाएं की गई कि 25000 कुओं को कनेक्शन दिये जायेंगे, 700 गांवों में बिजली पहुंचाई जायेगी, इस वर्ष में उसकी पूर्ति होगी। और उसके साथ-साथ, नये बजट में लगभग इतनी ही, यानी 25000 कुओं को, फिर कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया और 750 गांवों को विद्युतीकरण से जोड़ा जायेगा। इस प्रकार यह सरकार गांवों की तरफ, किसानों की तरफ विशेष ध्यान दे रही है। साथ ही मेरा यह भी कहना है कि कांग्रेस के राज में बिजली की कमी थी, बिना प्लानिंग के चल रहा था, हर उद्योग धन्धे में कहीं 8 घण्टे बिजली दी जाती थी, कहीं 10 घण्टे बिजली दी जाती थी और विद्युत विभाग के आदमी कनेक्शन काट रहे थे और लाइट बन्द करने के आदेश दे रहे थे। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि वर्तमान सरकार ने पिछले दो साल में न

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

किसी प्रकार की कटौती की, न किसानों के लिए कटौती की और न ही उद्योग-धन्धों में कटौती की। विपक्ष के माननीय सदस्य यह बोलते थे कि दो साल में एक यूनिट भी बिजली उत्पादन का लक्ष्य नहीं रखा गया या बढ़ाई गई और उसके लिए कोई योजना नहीं बनाई। लेकिन मेरा यह कहना है कि प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने से, लीकेज कम करने से जो बचत हुई है, उसी की वजह से दो साल में विद्युत का उत्पादन इतना बैलेंस किया गया कि उद्योग-धन्धों और किसानों की कोई समस्या नहीं रही।

लेकिन मुझे इसके साथ-साथ यह कहना है कि ब्यावर क्षेत्र में, जो कि औद्योगिक क्षेत्र भी है, वहां ग्रामीण क्षेत्र में सहायक अभियन्ता का कार्यालय एक ही है। लगभग 200 किलोमीटर के अन्दर ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 4-5 हजार कनेक्शन हैं और औद्योगिक क्षेत्र में भी कनेक्शन हैं। तो मेरा विद्युत मन्त्रीजी से कहना है कि ब्यावर में सहायक अभियन्ता का कार्यालय ग्रामीण क्षेत्र में और खोला जाय।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा क्षेत्र में पिछले साल 1500 प्राथमिक स्कूल, 25 उच्च प्राथमिक स्कूल, लगभग 120 उच्च माध्यमिक स्कूल और सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल 28 खोली गई, इसमें 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में खोली गई। इस प्रकार से इस साल के बजट में भी 1000 के करीब प्राथमिक स्कूल माध्यमिक स्कूल और उच्च माध्यमिक स्कूल खोले गये हैं। इसमें इस बार विशेष रूप से बालिकाओं का ध्यान रखा गया है और 50 प्रतिशत जो स्कूल खुलेंगी वे बालिकाओं के लिए होंगी। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा का एक स्वतन्त्र निदेशालय खोला जाने वाला है, वह भी एक स्वागत योग्य कार्य है।

श्री सभापति : समाप्ति करें।

श्री परसादी लाल मीणा : हैड आफिस कहां पर होगा ?

श्री किशन गोपाल कोगटा : हैड आफिस भी ग्रामीण क्षेत्र में रहेगा।

मान्यवर, मेरा इसमें यह कहना था कि बालिकाओं की तरफ विशेष ध्यान रखा गया है।

अजमेर जिले की वर्षों से मांग है बालिका महाविद्यालय की, तो मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से कहूंगा कि अजमेर जिले की जो बहुत पुरानी बालिका महाविद्यालय की मांग है, इसको बजट में पूर्ण करके इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र की शिक्षा के लिए सहयोग दें।

मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो घोषणायें की गई, जो 60 करोड़ रुपये रखे गये हैं, मेरा यह कहना है कि 1971 की जनसंख्या के अनुसार 1500 की जनसंख्या वाले गांव सड़कों से जुड़ जाने चाहिये। 1990 तक तो हर हालत में जुड़ जाने चाहिये थे लेकिन पिछली सरकार ने इस ओर अनदेखी की और अपने-अपने क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किया। उसकी वजह से 259 गांव ऐसे रह गये जहां 1971 की जनगणना के अनुसार 1500 से ज्यादा जनसंख्या है लेकिन सरकार जोड़ नहीं पायी।

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

वर्तमान सरकार में जो सार्वजनिक निर्माण मन्त्री हैं, उन्होंने इस ग्रोर विशेष ध्यान रखा ग्रौर 259 जो गांव बाकी रह गये थे, उसको दो सालों में पूर्ण किया है। लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में, सुनकर के ग्रापको ताज्जुब होगा, सन् 1971 की जनगणना के ग्रनुसार जिन गांवों की जनसंख्या 4000 से ज्यादा थी ऐसे तीन गांव रह गये थे। उनको ग्राज तक सड़कों से नहीं जोड़ा गया। सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी ग्रभी नहीं है लेकिन मैं उनका ध्यान इस ग्रोर ग्राकर्षित करना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने जो गल्तियां की हैं, उसको सुधारते हुए इस क्षेत्र में विशेष ध्यान दें....

श्री सभापति : बिराजिये। श्री ग्रनंग कुमार जैन।

श्री किशन गोपाल कोगटा : मेरे पास इसके डाटाज हैं। सन् 1971 में 3000 से ज्यादा पापुलेशन के जो गाव हैं. मेह, जहाज, लूलवा, नया गांव। मैंने मन्त्री महोदय से बात की तो ग्रापने एक बार फरमाया कि जो ग्रकाल राहत में कार्य हुए....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ग्रापको डिमांड पर बोलने का समय मिलेगा। ग्रापका समय हो चुका है। ग्राप बिराज जाइये।

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय सभापति महोदय....

ग्रन्त में मैं ग्राबकारी मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं....

श्री सभापति : ग्रब ग्राप बहुत कह चुके हैं, माननीय सदस्य कृपया बिराज जाइये, डिमाण्ड्स पर ग्रापको बोलने का मौका मिलेगा।

श्री ग्रनंग कुमार जैन।

श्री ग्रनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : माननीय सभापति महोदय, वर्ष 1992–93 का जो बजट माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस सदन में रखा है वह वास्तव में पहली बार प्रदेश के सभी वर्गों के लिए हितकारी है। विशेष रूप से गरीबी की रेखा....

डा. चन्द्रभान : सभापति महोदय, पाइंट ग्रॉफ ग्रार्डर। एक ही पक्ष के लोगों को बुलाया जा रहा है, विपक्ष के लोगों को नहीं बुलाया जा रहा है।

श्री सभापति : श्री राठौड़ जनता दल (दिग्विजयसिंह) के थे। इनकी संख्या दुगनी है तो दो बोलेंगे, ग्रापका एक बोलेगा।

डा. चन्द्रभान : ठीक है दोनों बोले, एक जनता दल (डी) का बोले, फिर बी.जे. पी. का बोले लेकिन फिर कांग्रेस का बोले फिर वो बोलें।

श्री सभापति : ग्राप बिराजिये, संख्या के हिसाब से दुगुनी संख्या है। ग्राप बिराज जाइये, ग्रापका बहुत जल्दी नम्बर ग्रा जायेगा।

डा. चन्द्रभान : संख्या दुगुनी कहां है इनकी? (व्यवधान) हमारी संख्या 84 है।

श्री परसादी लाल मीणा : सभापति महोदय, पाइन्ट ग्रॉफ ग्रार्डर। इनके चार बोल दिये, हमारा एक भी नहीं बोलेगा?

डा. चन्द्रभान : इनके 4 बोले और विपक्ष का एक भी नहीं बोले ।

श्री परसादी लाल मीणा : दो हमारे बुलवाओ, दो इनके बुलवाओ ।

श्री समापति : अब आप बिराज जाइये ।

श्री परसादी लाल मीणा : इनके चार-चार बोल लिये, हमारा एक भी नहीं बोला ।

डा. चन्द्रभान : समापति महोदय, आप इनको बाद में बुलाइये, कुछ क्रम तो होना चाहिए ।

श्री परसादी लाल मीणा : यह क्या तरीका है ?

श्री समापति : आप बिराज जाइये ।

डा. चन्द्रभान : समापति महोदय, तीन-तीन लोग लगातार बोल रहे हैं ।

श्री समापति : उनका दल है, जनता दल (दिग्विजय सिंह) के राजेन्द्र सिंह राठौड़ बोले । ये दूसरे बोल रहे हैं । आप टाइम खराब मत करिये ।

श्री परसादी लाल मीणा : यदि समय की हेरा-फेरी बुलाने में की तो हम वाद-विवाद में भाग नहीं लेंगे ।

डा. चन्द्रभान : इसके लिए आप अलग से व्यवस्था दीजिये कि वे जनता दल (डी) के कोटे में बोलेंगे लेकिन हमारा भी एक-एक सदस्य बोले, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे जनता दल हो, दोनों को मिलाकर मेम्बर 80 हैं ।

श्री समापति : पहले तीन बोल लिए एक साथ ।

डा. चन्द्रभान : कहां बोले हमारे तीन एक साथ ? एक-एक बोले हैं । हमारी पार्टी से कुल एक बोला है अभी तक ।

श्री समापति : अच्छा, आप बिराज जाइये ।

आप बोलिए ।

श्री परसादी लाल मीणा : समापति महोदय, पहले आप हमारी सुन लीजिये ।

श्री समापति : हां सुन ली आपकी बात । वो बोल रहे हैं आप उनको बीच में डिस्टर्ब न करें । कृपया आप बिराज जाइये ।

श्री परसादी लाल मीणा : क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं ? उनके दल से चार बोल लिए, हमारा एक बोला है । हमारे दल के सदस्य फालतू बैठे हुए हैं क्या यहां ? हमारे पांच सदस्यों के नाम हैं, इसमें से एक ही बोला है अभी ।

श्री समापति : बिराज जाइये, माननीय सदस्य । आपके कहने से तो मैं नहीं बुलवाऊंगा ।

श्री परसादी लाल मीणा : यदि नहीं बुलवायें तो फिर हम यहां से चले जायें । हमारे दल के सदस्य चले जायें फिर ? ठीक है, आप बुलवाइये इनको । चलो भाई ।

श्री समापति : आपके दल का नम्बर आयेगा तब आप बोलिये ।

डा. चन्द्रभान : समापति महोदय, यदि

(डा. चन्द्रभान)

आप क्रम को नहीं बदलेंगे तो फिर हम लोगों को सोचना पड़ेगा।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले इनके माननीय सदस्य को बोलने की इजाजत दी जाय (व्यवधान)।

डा. चन्द्रभान : सभापति महोदय, ये वाक आउट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपनी व्यवस्था के बारे में दुबारा सोचेंगे ही नहीं? ये वाक आउट करेंगे तो ही सोचेंगे? लगातार तीन सदस्य बोल गये हैं और हमारे विपक्ष की ओर से एक सदस्य नहीं बोला है।

श्री सभापति : नहीं दो बोले हैं।

डा. चन्द्रभान : यहां भारतीय जनता पार्टी के तीसरे सदस्य बोल रहे हैं और जनता दल (ड) के मेम्बर माननीय राजेन्द्र सिंह जी बोल रहे हैं। चार लोग लगातार एक साथ बोल गये। विपक्ष के एक-एक सदस्य बोले हैं।

श्री सभापति : बीच में बोल गया दूसरा एक।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, ऐसा है, डिबेट का आनन्द तब आयेगा जब एक इधर से और एक उधर से बोले।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक बार नाम पुकार लिया है इसलिए ठीक नहीं होगा, अगली बार बोल लें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आखिर में बुलवा लेना इनका समय हो तो। डिबेट सुनने में भी मजा नहीं आता जब एक ही एक तरफ की बातें आती हैं।

श्री परसादी लाल मीणा : नाम ही मत लो फिर हमारा।

श्री सभापति : आपके बोले बिना तो सदन की शोभा ही नहीं होगी। विरोधी पक्ष नहीं बोलेगा तो फिर क्या हुआ?

श्री परसादी लाल मीणा : क्या बोलें, एक बोला है, उधर के चार बोल गये।

श्री सभापति : अच्छा आप बिराजिये। (व्यवधान)।

डा. चन्द्रभान : सभापति महोदय, इनके बाद हमारे दोनों सदस्यों को बुलवाया जाय।

श्री सभापति : श्री अनंग कुमार जैन।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : एक एक कर सभी पक्षों का नम्बर आ रहा है लेकिन निर्दलियों में से एक का भी नम्बर नहीं आया इसलिए निर्दलियों को भी मौका दिया जाय।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : इस बजट के अन्दर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले और प्रदेश के खेतिहर लोगों के लिए, काश्तकारों के लिए विशेष रूप से प्रावधान किया गया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को बधाई देना चाहूंगा। कांग्रेस के 40 साल के कुशासन के अन्दर बजट को बनाया जाता था उसमें विशेष रूप से यह ध्यान रखा जाता था कि विकास के ऊपर कुछ लिमिटेड क्षेत्रों के अन्दर खर्चा किया जाय। लेकिन

(श्री अनंग कुमार जैन)

माननीय मुख्य मन्त्री जी महोदय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने पूरे राजस्थान को अपनी निगाह के सामने रखा कि प्रदेश के हर क्षेत्र के अन्दर विकास हो और विकास में ही राजस्थान के खजाने का पैसा खर्च हो। उन्होंने कांग्रेस की जो गलत नीतियां चल रही थीं उनको समाप्त करने की कोशिश की और इस बजट के अन्दर प्रदेश के सभी हिस्सों में विकास का प्रावधान रखा। माननीय कल्ला साहब लम्बे समय तक मन्त्री रहे। उनकी 10-12 साल से मैं सुन रहा हूं, जब मन्त्री रहे तब भी और न रहे तब भी। सूरसागर की माला यहां फेरते रहे लेकिन सूरसागर की सफाई आज तक नहीं करा पाये। अब माननीय मुख्य मन्त्री जी ने उसकी सफाई के लिए 34 लाख का बजट रखा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि चाहे किसी क्षेत्र का मामला हो, हर क्षेत्र के विकास की दृष्टि से उन्होंने ध्यान दिया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरा क्षेत्र नहीं है।

श्री अनंग कुमार जैन : आप राजस्थान के मन्त्री थे और मन्त्री के लिए पूरा राजस्थान क्षेत्र होता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विशेष रूप से अपने जिले के बारे में निवेदन करना चाहूंगा और हाड़ौती क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा जिसमें आपका क्षेत्र भी आ जाता है। पूरे हाड़ौती क्षेत्र में पिछले 40 वर्षों में जो विकास की गति है वो कांग्रेस शासन के दौरान अवरुद्ध होती रही है लेकिन इस बार मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। वे काफी उदारवादी हैं और अत्यधिक उदार दृष्टिकोण से वे विकास पूरे राजस्थान में करना चाहते हैं। पिछले 40 साल से हाड़ौती के विकास की गति को अवरुद्ध किया गया है और जो बैकलॉग रहा है उसको पूरा करने के लिए मेरा विशेष रूप से निवेदन है कि विकास की दृष्टि से राजस्थान के दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले जो हाड़ौती का क्षेत्र पीछे रहा है उन कमियों को आने वाले एक-दो वर्षों में पूरा किया जाय।

माननीय सभापति महोदय, आज आप देखते हैं कि करोड़ों, अरबों रुपये खर्च करके राजस्थान नहर का निर्माण कराया जा रहा है और सैकड़ों किलोमीटर दूर उसका पानी पहुंचाया जा रहा है। मैं उसका विरोध नहीं करता, वो भी राजस्थान के लिए लाइफ लाइन है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि झालावाड़ राजस्थान का एक मात्र ऐसा जिला है जहां कई नदियों का पानी बरसात में बहकर निकल जाता है। भारत वर्ष को आजाद हुए आज 40 वर्षों से अधिक हो गये लेकिन उनके बारे में कोई योजना नहीं बनी। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तब पहली बार इस बात का प्रयास किया गया था और नदियों पर बांध बनाने के लिए या सिंचाई की दृष्टि से या उपयुक्त साधनों की दृष्टि से कई योजनायें तैयार की गई थीं। 1977 के अन्दर जो योजनायें तैयार की गई, उनमें प्रयास करके कुछ योजनाओं को सी.डब्ल्यू.सी. भी भिजवाया गया लेकिन उसके बाद उन पर कोई न कोई ऑब्जेक्शन लगकर लगातार वे वापस लौटती रहीं तथा 11 साल का पीरियड गुजर गया लेकिन

(श्री अनंग कुमार जैन)

उन योजनाओं पर कोई क्रियान्विति नहीं हुई ? तो मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, एक तरफ पूरा प्रदेश पानी की समस्या से त्रस्त है, पानी के अभाव से परेशान है और दूसरी तरफ हमारे जिले में, झालावाड़ में काफी पानी बहकर बेकार चला जाता है। अगर उस पानी का उपयोग किया जाय तो सिंचाई के साधनों की वृद्धि होगी, पीने के पानी की समस्या हल होगी और राजस्थान, जो कि कृषि प्रधान प्रदेश है, वहां सिंचाई के साधन उपलब्ध होंगे तो राजस्थान प्रदेश की बहबूदी उससे बढ़ेगी।

माननीय सभापति महोदय, इरिगेशन मन्त्री यहां नहीं है लेकिन मैं आपके माध्यम से, उनसे विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि झालावाड़ जिले में दो योजनायें चल रही हैं, छापी सिंचाई योजना और भीमसागर सिंचाई योजना। भीमसागर योजना 1977 से प्रारम्भ हुई, उसमें आज 15 साल हो गये लेकिन उसके बावजूद भी पूरी क्षमता से सिंचाई नहीं हो पा रही है। उसके बारे में मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय मन्त्री महोदय विशेष रूप से ध्यान देकर उसकी पूरी सिंचाई क्षमता का उपयोग करवायें। दूसरी, माननीय सभापति महोदय, जो छापी योजना चल रही है उस योजना के बारे में भी, जो कि 12 या 14 करोड़ की थी, वो आज बढ़कर तिगुनी हो गई है। प्रशासनिक अक्षमता के कारण उसकी कीमत दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही। उस योजना के ऊपर कार्य में तेजी लाने के लिए ध्यान दिया जावे। विशेष रूप से लघु सिंचाई योजनायें और लिफ्ट इरिगेशन के बारे में मेरा आपसे निवेदन है कि सिंचाई विभाग के माध्यम से जिले के अन्दर इस प्रकार की योजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित कराया जाय।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री अनंग कुमार जैन : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सिंचाई विभाग के अन्दर जो अधिकारी वहां नियुक्त हैं वह किसी प्रकार से कोशिश करके अपनी पोस्टिंग तो वहां करवा लेते हैं लेकिन उनका मन कोटा के अन्दर रहता है और शरीर झालावाड़ में रहता है। इसलिए वह विभाग का कोई काम नहीं कर पाते हैं। महीने में आठ दिन से ज्यादा वह झालावाड़ नहीं रहते है और अधिकांश अधिकारी कोटा रहते हैं। इस बात की जांच करके यदि आप विभाग से पूरा काम लेना चाहते हैं तो इस बात को सुनिश्चित करें कि जिन अधिकारियों की नियुक्ति वहां पर की जाती है वह मौके पर वहीं रहें और उस कार्य को गति प्रदान करें।

श्री सभापति : समाप्त करें। डिमांड्ज पर बोलने का मौका मिलेगा आपको।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमन् आप बोल रहे हैं ?

श्री अनंग कुमार जैन : हां, बोल रहा हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि हाड़ोती क्षेत्र में सिर्फ कोटा के अन्दर ही बालिका महाविद्यालय है। मैं

(श्री अनंग कुमार जैन)

झालावाड़ जिले के लिए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जिले की सांसद....

(5·30 बजे सायं)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : आप बिना तैयारी के बोल रहे हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : एक ही मिनट में समाप्त कर रहा हूं साहब। अध्यक्ष महोदय, आपके पधारने के बाद तो मैं एक सैकण्ड ही नहीं बोला।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं अन्दर बैठा सुन रहा था आप जो बोल रहे थे।

श्री अनंग कुमार जैन : तो आपके आने के बाद दो मिनट तो दो साहब।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, अब आप समाप्त करिये।

श्री अनंग कुमार जैन : मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हाड़ौती क्षेत्र में मात्र कोटा के अन्दर एक महिला महाविद्यालय है, झालावाड़ के अन्दर भी महिलाओं की शिक्षा की प्रगति की दृष्टि से एक महिला महाविद्यालय खोला जाय। विशेष रूप से वहां की सांसद भी महिला है और जब वह पूरे क्षेत्र के दौरे पर जाती है तो उनसे वहां की महिलाओं और बालिकाओं द्वारा बराबर यह मांग की जाती रही हैं कि आप अब यहां की महिला सांसद हैं तो कम से कम एक महिला महाविद्यालय हमारे यहां खोला जाय। तो मैं निवेदन करूंगा कि झालावाड़ में एक महिला महाविद्यालय खोला जाय।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री दलजीत सिंह।

श्री दलजीत सिंह (बाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, 1992–93 के बजट पर जो चर्चा चल रही है उस विषय में मैं कहना चाहता हूं कि सफेद बालों को काला करके कोई इन्सान जवान नहीं हो जाता है। बजट, प्रति बजट इस सदन में....

श्री हरि कुमार औदिच्य : किस के लिए कह रहे हैं यह ?

श्री अध्यक्ष : आपके बाल तो काले हैं ? आपके तो सही काले हैं।

श्री दलजीत सिंह : मेरे बाल तो सफेद हैं।

बजट, प्रति बजट, जितने भी सदन में पेश किये गये हैं उनमें किसी एक क्षेत्र में भी कोई मेजर इकोनोमिक थर्स्ट नहीं हुआ है। चाहे वह एग्रीकल्चर में हो, चाहे वह शिक्षा में हो, चाहे वह इण्डस्ट्रीज में हो, चाहे माइनिंग में हो, ऐसा कोई मेजर थर्स्ट नहीं है। बल्कि जो किया जा रहा है हरेक बजट मे, एक फर्स्ट एड की अप्लीकेशन की जा रही है जबकि चाहिए एक इकोनोमिक सरजरी फस्ट-एण्ड। अध्यक्ष महोदय, हर बजट में हर पॉलिटिकल पार्टी एक राजनीतिक ग्लोरीके लिए नई-नई घोषणा करती जाती है और जो पुरानी घोषणायें की गई हैं उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि हमारे यहां 34,968 गांव हैं

Page No. 186

(श्री दलजीत सिंह) जिनमें से 33,630 गांवों के अन्दर पानी की सप्लाई के लिए यहां लिखा गया है कि दिया गया है। मैं एक-एक विधायक से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है। क्या यह सच है कि आपके एक-एक हैण्डपम्प काम कर रहे हैं? मैं यह कहना चाहता हूं कि इन पैंतीस हजार, तैंतीस हजार गांवों के अन्दर जहां पर भी पानी दिया गया है उनमें से पांच हजार गांव भी ऐसे नहीं होंगे जिनमें पानी का लाभ मिला होगा।

इसी तरीके से 27,737 गांवों को विद्युतीकृत बताया गया है। कितने गांव ऐसे हैं जिनमें वास्तव में विद्युतीकरण हुआ है? स्कूलों के अन्दर टीचर्स का अभाव है और नई-नई घोषणा की जा रही है, अभाव और बढ़ता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, अगर इन पुरानी घोषणाओं की कोई देख-रेख नहीं होगी, तो यह सारी जितनी भी चीजें हैं, हमारे सामने जो पहले की उपलब्धियां हैं, वह सब मिट्टी में मिल जायेंगी। हर बजट के अन्दर, जो मुख्य बीमारियां हैं, उनकी कोई देख-रेख नहीं है।

And there is no check on a run way economy for reasons of revenue losses

इसी विषय के अन्दर मैं आपको कम्प्ट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल ऑफ इण्डिया की जो रिपोर्ट है उसके कुछ उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं—हमारे राजस्थान के अन्दर 19 गवर्नमेंट कम्पनियां हैं जिनके अन्दर केपिटल जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, 90 करोड़ का है और 120 करोड़ के उनके लोसेस हैं। इनमें से एक पैसा वापस अपनी सरकार में नहीं आया है। बल्कि छः कम्पनियां ऐसी हैं जिन्होंने तीन-तीन करोड़ का घाटा दिखाया है। चार या पांच कम्पनियां ऐसी हैं जिन्होंने एक साल से लेकर पांच साल तक, अपने अकाण्टस पेश नहीं किये और ऑडिटर जनरल का कहना है कि इन कम्पनियों में 11 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसके अलावा हमारे चार निगम हैं और हरेक निगम में, मुझे दोबारा कहने की जरूरत नहीं है, आप सब लोगों को मालूम है, कि कितने-कितने लोसेज हुए हैं। एक साल के अन्दर बिजली निगम के अन्दर 57 करोड़ का लोस हुआ है, टोटल लोस आपके राजस्थान स्टेट रोडवेज में, 27 करोड़ का हुआ है। इसी तरह से और निगम में, जैसे आपका राजस्थान फाइनेन्सियल कार्पोरेशन है, 33166 यूनिट ऐसी हैं जिनमें 72 करोड़ रुपये डूब गये हैं और वह इन्स्टीट्यूशन्स बन्द हो चुकी हैं।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, एक बात यह कहना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लोसेज के कारण यह हमारी रेवेन्यु डाउन होती है तो यह समझ में नहीं आता है। सामाजिक लोसेज के कारण यदि हमारे लोसेज होते हों तो हमें कोई दुःख नहीं है। एक ऐसा लोस ऑडिटर जनरल ने बताया है कि राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में, कि— non-completion by the Rajasthan Electricity Board of Sixth Five Year Plan scheme for construction of transmission line from Dudri to Reengus as priority at the end of the Seventh Plan period regulated in a loss of 228 lakhs of rupees.

इसके अलावा the expenditure

(श्री दलजीत सिंह)

incurred on incomplete section of line remaining largely unproductive".

और इसका नेट लोस 220 लाख रुपये का हुआ है। इसी तरह "failure of R. S. E. B. to Sikar-Dadri subdivision of Pilani and at much low capacity led to the non-realisation of the object of the scheme involving a total investment of 2.07 crores upto the end of March".

तो मेरे कहने का मतलब है, जो अन-प्राडक्टिव इन्वेस्टमेंट, जो हम लोग टैक्स पेयर के ऊपर लगाते जा रहे हैं, यह सहन नहीं होगा। इनके घाटे के कारण टैक्सेज हमारे बढ़ाये जा रहे हैं जिसका भार गरीब जनता के ऊपर पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, चाहे हमारे फेमिन के हों, they would be on the rocks. हमारी जितनी भी उपलब्धियां पहले हुई हैं। फेमिन के अन्दर, कितने करोड़ों-अरबों रुपये खर्च किये होंगे, आखिर वह भी कुछ काम किया गया है। पर उन कामों के लिए जो मैं कह रहा हूं उनके लिए, जैसे मिट्टी का काम किया गया है, आज उनको पक्का काम कर देना चाहिए था, इनको प्रायर्टी देनी चाहिए थी वरना जो करोड़ों रुपये खर्च हुए हैं उन कामों के अन्दर, वह सब मिट्टी में मिल गये हैं, बरसात में डूब गये हैं सारे या वह बरसात से बह गये हैं सारे काम।

इस तरीके से जो आर.एल.जी.पी. में एन.आई.ई.पी. में और अन्य जो भी हमारी स्कीम्स हैं उनके अन्दर जो रोड्स बनाई गई हैं, उनको सबसे पहले प्रायर्टी देनी चाहिए, नई-नई स्कीम्स को नहीं। क्योंकि उनके ऊपर करोड़ों रुपये खर्च किये गये हैं और वह करोड़ों रुपये सब मिट्टी में गये हैं। उन पर जब तक डामर नहीं लगाई जायेगी या गिट्टियां नहीं लगाई जायेंगी, वह रोड्स किसी मतलब की नहीं रहेंगी और जो भी इन्वेस्टमेंट उन रोड्स पर हुआ है वह सब इन्वेस्टमेंट डूब गया है। इसी तरह....

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : एन.आर.ई.पी. और आर.एल.जी.पी. तो काफी टाईम हो गया, बन्द हो गई है।

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आप उनका टाइम क्यों ले रहे हैं, अब उनको बोलने दीजिए।

श्री दलजीत सिंह : मैं उनके लिए यह नहीं कह रहा हूं कि एन.आर.ई.पी. और यह खत्म हो गई है, मैं यह कह रहा हूं कि कि जितना पैसा उनमें इन्वेस्ट किया गया है जब तक वह कन्सोलिडेट नहीं किया जाय....

श्री अध्यक्ष : ठीक कह रहे हैं आप।

श्री दलजीत सिंह : और उनके अन्दर उन स्कीम्स की पूर्ति नहीं की जाय उन स्कीम्स में जितना पैसा लगा हुआ है वह सब पैसा डूबत में है।

ऐसे सिंचाई के इम्बैलेन्सेज हैं, इकोनोमिक इम्बैलेन्सेज हैं हर जिले के अन्दर सारा सिंचाई का पैसा जो जा रहा है वह राजस्थान कैनाल में जा रहा है और अब माही में जा रहा है। और भी जो जिले हैं वह अपेक्षित रह गए हैं। मैं अपने जिले के बारे में कहना चाहूंगा उदाहरण के नाते, हमारे जिले धौलपुर के अन्दर बारह लाख रुपये एक डिवीजन के लिए पैसा दिया

(श्री दलजीत सिंह)

जाता है, जिसमें ग्यारह लाख रुपये केवल वेतन में जाता है, बाकी बचता कितना है, एक लाख रुपया, उनकी स्कीम्स के लिए।

एसी अनप्रोडक्टिव स्कीमों के लिए राजस्थान में कोई जगह नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, कहने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन समय के अभाव में गृह-मंत्री जी से यही कहना चाहूंगा कि धौलपुर जिला एक डेकोइट इनफेस्टेड डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज हमारे जिले में एक पुलिस स्टेशन के अन्दर जीप बिलकुल नहीं है। पिछले 5 महिने से वहां पर एक थाने के अन्दर एक जीप नहीं है और 5 महीने के बाद जब एक जीप आई है तो वह भी टूटी-फूटी।

इस तरह से आखिर में कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि एक मदारी का काम हाथ की सफाई का काम, काम होता है, इसी तरह से किसी भी फाइनेन्स बजट में आंकड़ों की सफाई होती है, वह भी हाथ की सफाई होती है। हम ऐसी सफाई से अपनी जनता के ऊपर धूल-मिट्टी नहीं फेंके और रियलिटी पर पहूंचे और अपने पैर धरती पर ले आयें ताकि जितना भी मिसमैनेजमेंट हो रहा हैं इस मैनेजमेंट की देखरेख हो, और इस बजट की मैं कद्र करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल मीणा।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1992-93 के बजट प्रावधानों में जो सम्पूर्ण बजट का 61.5 प्रतिशत ग्रामीण विकास के लिए प्रावधान रखा गया है उसका मैं स्वागत करता हूं। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा जो विशिष्ट योजनाये गांवों में लागू की गई हैं वह अपने आप में परिपूर्ण होते हुए भी प्रभावी समन्वय के अभाव में अच्छे परिणाम नहीं दे पाये हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सरकार इस सम्बन्ध में प्रभावी कदम उठाये। साथ ही ग्रामीण विकास के लिए भी यह आवश्यक होगा कि सरकार प्रत्येक गांव की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विधान सभा क्षेत्र वाइज एक विवरणिका तैयार करें और उसमें प्राथमिकता के आधार पर मूलभूत आवश्यकताओं को दर्ज किया जाये और उसमें जो आवश्यक कार्य हों उनको प्राथमिकता के आधार पर कराया जाये। होता यह है कि ऐसे गांवों को छोड़ दिया जाता हैं जिनमें पानी की कमी होती है, पेयजल की कोई स्कीम नहीं होती है, और ऐसी जगह जहां प्रचुर मात्रा में पेय-जल उपलब्ध हो फीर भी वहां करोड़ों रुपये पेयजल पर खर्च हो जाते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि इसमें जो राशि खर्च की जाये वह प्राथमिकता के आधार पर और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की जाये।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, शिक्षा विभाग के ऊपर, कि प्राथमिक शिक्षा ग्रामीणों के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। इसलिए शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना एक सराहनीय कदम है। साथ ही जो जुम्बिश योजना और दत्तक बालक योजना है वह भी अपने आप में एक सिद्ध साबित होगी। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

प्राथमिक स्कूलें हैं, और प्राइमरी स्कूल से लेकर मिडिल स्कूल तक जितनी भी कक्षायें हैं, उतने अध्यापकों का होना अतिआवश्यक है। लेकिन ऐसा सब जगह लागू नहीं है। से आपने निवेदन करना चाहूंगा कि कक्षा 8 तक मिडिल स्कूलों में जहां 200, 300, 400 तक बच्चे हैं वहां कहीं एक अध्यापक है, कहीं 4 अध्यापक हैं, कहीं दो अध्यापक हैं और बहुत ही कम ऐसी स्कूलें होंगी जहां पूर्ण अध्यापक होंगे। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी कक्षायें हैं उतने अध्यापक हर स्कूल में होने चाहिए तभी यह शिक्षा गांवों के लिए लागू हो सकती है।

साथ ही बच्चियों की शिक्षा को जब प्रोत्साहन सरकार की तरफ से मिल रहा है तो कम से कम हर विधान सभा क्षेत्र में एक सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल खोलना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए जिससे वहां की जो छात्रायें हैं, उनको वहां से 60-60 किलोमीटर दूर जाकर शिक्षा प्राप्त करने जाना पड़ता है, जो कि इसके लिए असमर्थ हैं उनको सुविधा मिले। इसलिए हर विधान सभा क्षेत्र में सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल होना अतिआवश्यक है।

माननीय, परिवार कल्याण केन्द्र के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी ने राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में जनसंख्या नियन्त्रण के बारे में जो सुझाव दिये, और बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के और धर्म के जो एक समिति का गठन किया गया केन्द्र सरकार द्वारा, और उसको जो लागू किया गया, वह सराहनीय है। लेकिन साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि जब तक सामुदायिक मानसिक क्रान्ति गांवों में नहीं आयेगी तब तक यह बात प्रभावशाली साबित नहीं हो सकती है। सरकार ने बजट प्रावधानों में जो परिवार कल्याण बाण्ड्स जारी किये हैं और एक बच्ची के लिए जो एक हजार रुपये का प्रावधान किया गया है फिक्स्ड डिपोजिट जमा कमा कराने का, वह लड़कियों के लिए ही नहीं बल्कि लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए होना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है।

वनों के विकास के लिए विदेशी सहायता के साथ स्थानीय लोगों की समितियां बनाकर जो ग्रामीणों की सहभागिता प्राप्त की है वह भी एक सराहनीय कदम है।

अकाल राहत के सम्बन्ध में अकाल राहत मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल त्रिसयों साल से पड़ रहा है और तब से ही हर गांव में लाखों रुपया सड़कों के ऊपर, तालाबों के ऊपर खर्च हो रहे हैं। लेकिन अकाल राहत में जो खर्च हुआ और कहीं 20 किलोमीटर लम्बी सड़क, कहीं 10 किलोमीटर लम्बी, कहीं 5 किलोमीटर लम्बी सड़क बनी है और वहां पर मिट्टी का कार्य पूर्ण हो गया और क्रान्क्रीट का काम हो गया, ग्रेवल का भी काम होने के बाद में आज वह सड़कें ज्यों की त्यों स्थिति में पड़ी हुई हैं, और जब भी बरसात का समय होता है सड़कें टूटती जा रही हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल राहत कार्य जब भी चालू किये जायें तो वह अकाल राहत कार्य जो पहले से अपूर्ण हों, पहले उनको पूर्ण किया जाये। अकाल राहत के लाखों रुपये के ऐसे एनीकट्स चलाये गये हैं जो गांवों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन उनकी आज कोई

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

देखरेख करने वाला नहीं है, उनकी मरम्मत करने वाला नहीं है। दुबारा अगर कार्य चालू हो जाते हैं तो कहीं माडा योजना में चालू होते हैं तो कहीं सिचाई विभाग के माध्यम से चालू होते हैं, वह दूसरी जगह होते हैं। लेकिन वह कार्य जिन पर कहीं 60 लाख रुपया अकाल राहत में खर्च किया हुआ पड़ा है और कहीं 30 लाख रुपया खर्च हुआ पड़ा है वह ज्यों के त्यों पड़े रहते हैं और वह जब भी अकाल पड़ता है तब चालू होते हैं। इसलिए अकाल राहत में ऐसे कार्यों को पहले हाथ में लेना चाहिए।

विद्युत विभाग के बारे में माननीय विद्युत मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एक साल के अन्दर अभी जो विद्युत तारों की चोरी हो रही है, अकेले जयपुर जिले की कम से कम सौ रिपोर्ट हैं जहां तारों की चोरी हुई है। उस चोरी के अन्दर जगह-जगह सैकड़ों काश्तकार चक्कर काट रहे हैं और चीफ इन्जीनियर आफिस में आकर रोजाना कहीं 5 खम्बों की एक गांव में से कट रही है, कहीं 10 खम्बों के तार काटकर ले जा रहे हैं, इस सम्बन्ध में पांच साल से लगातार कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये हैं बल्कि काश्तकारों को दोषी ठहराया जाता है कि दो बार कट गई, तीसरी बार कट गई तो आपसे तारों की कीमत लेकर ही तार दिये जायेंगे। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तारों की जो चोरी है उसको रोकने के लिए प्रभावी कदम उठायें।

श्री अध्यक्ष : प्रभावी क्या, उसमें करेन्ट दे दें?

श्री कन्हैयालाल मीणा : वह करेन्ट के बावजूद भी तार ले जाते हैं।

अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र जो स्कूलों में पढ़ते हैं, प्राइमरी में लेकर हाईस्कूल तक उनको हर साल जाति प्रमाण-पत्र पटवारी से लेना पड़ता है, सरपंच से लेना पड़ता है, उसके बाद में स्टाम्प खरीद कर उसको नोटरी पब्लिक से अटेस्टेड कराना पड़ता है और उसके बाद तहसीलदार को देना पड़ता है और उसके बाद उनका जाति प्रमाण-पत्र बनता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है और प्रधानाध्यापक जब उसकी जाति को लिखता है कि यह जाति से मीणा है या जाति से रैगर है तो वह ज्यादा प्रमाणित होता है, जबकि आप पटवारी के द्वारा या तहसीलदार या नोटेरी पब्लिक द्वारा दिया गया मानते हैं। जाति प्रमाण-पत्र लेने के लिए कम से कम 200 रुपया एक बच्चे का खर्च होता है

श्री अध्यक्ष : आपने बहुत पाइण्ट उठा दिये. श्री चुन्नीलाल खण्डार।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय।

श्री कन्हैयालाल मीणा : कुल मिलाकर

श्री अध्यक्ष : अब हो गया आपका। कुल मिलाकर आपका धन्यवाद।

श्री कन्हैयालाल मीणा : मैं बजट का स्वागत करता हूं। धन्यवाद।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी द्वारा 1992-93 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह राजस्थान की जनता के लिए बहुत हितकारी

(श्री चुन्नीलाल)

है और उस बजट का लाभ हर गांव के हर वर्ग के व्यक्ति को मिलेगा। बजट में कई ऐसी बातें दर्शाई हैं, जिससे गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक गरीब और अमीर सभी तबके के लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सड़कों का विकास किया है। राजस्थान के कोने-कोने में सडकों की जो दयनीय स्थिति थी उसमें काफी पैसा खर्च हुआ है और गांवों और ढाणियों को जोड़ने की कोशिश की है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने कई स्कूलों को क्रमोन्नत किया है, कई बालिकाओं के स्कूल खोले गये हैं और कई जगह महिलाओं को 50 प्रतिशत नियुक्ति देने की भी सरकार ने घोषणा की है।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर जिले में दो-दो, तीन-तीन नदियां बह रही हैं और उन नदियों के पानी को रोककर अगर सरकार लिफ्ट इरीगेशन में काम में लेती है तो खण्डार क्षेत्र की ऐसी जमीन है कि जो राजस्थान में कहीं भी इस तरह की जगह आपको नहीं मिल पायेगी। यह पिपलेट और पिपलर्दा, दो स्कीम सन् 1977 में बनकर भारत सरकार के पास गई थीं। वह करीब 28 करोड़ की योजना है और इस स्कीम को राज्य सरकार ने यहां से समेट, कर भारत सरकार को भिजवा दी। अगर वह दोनों लिफ्ट इरिगेशन योजना आयोग स्वीकृति देता है तो खण्डार तहसील के चार चांद लग जाते हैं और काश्तकारों की माली हालत काफी अच्छी हो सकती है। 40 साल से कांग्रेस पार्टी ने खण्डार क्षेत्र को, सवाई माधोपुर जिले को, उपेक्षा की दृष्टि से देखा। खण्डार तहसील को बनास नदी ने दो हिस्सों में बांट रखा है और 6-6 महिने तक लोगों का आवागमन रुक जाता है और काश्तकार की उपज का जो माल है वह मार्केट में नहीं आ सकता। तो मैं राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1977 में भारत सरकार ने एक कमेटी भेजी थी, पुल का निर्माण करने का सरकार का लक्ष्य था। उसकी सड़कें तो बन चुकी हैं और पुल के प्रयोजन भी यहां से जा चुके हैं। राज्य सरकार से मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार को थोड़ी इस सम्बन्ध में जानकारी दें तो बनास नदी का पुल भी अवश्य बन सकता है। अभी माननीय मुख्यमंत्रीजी जब सवाई माधोपुर के दौरे पर पधारे तो उन्होंने जब हेलिकॉप्टर से उस एरिये को देखा तो उनको भी आश्चर्य हुआ कि यहां भी कोई मानव रहते हैं। तो वन विकास के लिए मुख्य मंत्रीजी द्वारा एक अधिकारी को भेजकर जांच करवाई जा रही है और उसमें हमने सुना है कि सवाई माधोपुर सहित जिले को एक करोड़ रुपया सड़कों के विकास के लिए दिया जायेगा। इसके लिए मुख्य मंत्रीजी के हम बहुत आभारी हैं।

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार जब सत्ता से विदा हुई थी तो सरकार के खजाने में एक पैसा नहीं था लेकिन इस सम्बन्ध में मैं जितनी भंवरजी की प्रशंसा करूं वह बहुत कम है। भंवरजी ने पी. एच. ई. डी. में जिस तरह से, जहां-जहां भी आवश्यकता हैण्डपम्प की बनी...

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

महोदय, मेरा यह एतराज है कि माननीय सदस्य कह रहे है "भंवरजी" What is meant by Bhanwarji ?

श्री अध्यक्ष : सरकार कहिये (व्यवधान) सरकार कहिये।

श्री चुन्नीलाल : हां, मंत्री महोदय।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आप इस तरह से मन्त्रियों को भंवरजी-भंवरजी कहकर पुकारते हैं। सरकार को सरकार नहीं मानते है आप।

एक माननीय सदस्य : दो भंवरलालजी हैं। दोनों मंत्री भी हैं। कौन-से भंवर जी हैं ?

श्री अध्यक्ष : जिनसे इनको काम है। ....(व्यवधान)....

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय अध्यक्ष जी, यह स्नेह का शब्द है।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : पी. एच. ई. डी. मंत्री।

श्री चुन्नीलाल : जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्रीजी हैं।

राजस्थान में जिस तरह से पेयजल समस्या को हल किया, वह बजट भाषण की जितनी प्रशंसा की जाय वह कम है और इस बजट का लाभ हर वर्ग को मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री घासीलालजी चौपड़ा, आपने अपना समय छोड़ दिया था, उनकी जगह श्री गणपतराम। विराजिये।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुछ माननीय सदस्य अभी बोलना बाकी हैं और माननीय गृह मंत्रीजी....(व्यवधान)....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कल बतायें साहब। 6 बजे के बाद, तय हो गया समय नहीं बढ़ेगा।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय गृह मंत्रीजी अपना स्टेटमेण्ट देना चाहते हैं और आपने निर्देश दिया था....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सुबह के लिए कह दिया।

कई माननीय सदस्य : कल, कल।

श्री बुलाकीदास कल्ला : स्टेटमेण्ट आज दे दो।

डा. **चन्द्रभान** : आप कल देंगे स्टेटमेंट।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : यह तो तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन का मूड समय बढ़ाने का नहीं है ?

कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। बिराजिये।

श्री गणपत राम। **(अनुपस्थित)**

श्री हरीश (अनुपस्थित)

Page No. 193

(श्री अध्यक्ष)

श्री दिलसुख राय ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, यह घासीरामजी चौपड़ा का नम्बर था । मतलब कांग्रेस का नम्बर था ।

श्री अध्यक्ष : श्री दिलसुख रायजी ।

श्री हरिसिंह : कांग्रेस का नम्बर था और कांग्रेस के दूसरे सदस्य हैं आप उनको दें ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, उन्होंने अपना समय छोड़ दिया ।

श्री हरिसिंह : छोड़ दिया है तो कोई नम्बर थोड़े ही छोड़ा है ।

श्री अध्यक्ष : कल आ जायेगा नम्बर ।

श्री दिलसुख राय (फतेहपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मुख्यमंत्रीजी ने बजट प्रस्तुत किया है उसके बारे में एक-दो शब्द कहना चाहता हूं । इधर पक्ष वाले सदस्य कहते हैं कि मुख्यमंत्रीजी ने ऐसा कर दिया और उधर बैठने वाले कहते हैं कि भाई, आपने क्या कर दिया । मैं तो यह सोचता हूं कि जो इधर बैठने वाले यह कहते हैं कि हमने ऐसा किया तो यहां बैठने वालों के वक्त में इनको भी मालूम चल जायेगा कि इन्होंने क्या किया है । जनता अपने आप फैसला कर देगी । जनता ने ही फैसला किया है जिसका नतीजा आज यह इधर बैठे भोग रहे हैं और जनता ही फैसला करेगी जो इधर मेजें थपथपा रहे हैं उनको भी मालूम चल जायगा कि क्या कहा । हकीकत यह है कि यह भाषणों में आंकड़े देते हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला है । आज जो प्रदेश की स्थिति है, गांव में जाकर प्राइमरी स्कूल ही देख लो....

श्री अध्यक्ष : दो मिनट विराजिये ।

मैं चाहता हूं कि कल चूंकि जवाब 4 बजे शुरू होगा, इसलिये आज जितने माननीय सदस्य हैं वह बोल लें, क्योंकि कल शायद कुछ इम्पोर्टेण्ट लोगों के बोलने की संभावना है इसलिए समय नहीं मिल पायेगा । इसलिए समय बढ़ाने पर आप सहयोग करिये ।

कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ....(व्यवधान)....

सदन की कार्यवाही

विधानसभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : मैं प्रस्ताव करता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि सदन का समय माननीय गृह मंत्रीजी के वक्तव्य तक बढ़ा दिया जाय ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : वक्तव्य की तो बात हो गयी, कल देंगे वे ।

श्री अध्यक्ष : अब छोड़िये वह आप । मत लेना आप । बोल तो जायेंगे लोग ।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाय ।

श्री अध्यक्ष : देखिये, माननीय सदस्य सुबह से बैठे हुए हैं । आप उन बोलने वालों को समय दीजिए । कोई बात नहीं आज एक घण्टा और बैठ जाएं । क्या फर्क पड़ेगा ? रोज नहीं बैठेंगे । आज बैठ जाएं । तो क्या

(श्री अध्यक्ष)

सदन की सहमति है कि समय बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय मंत्री परिषद् के वक्तव्य तक बढ़ाया गया।

आय व्ययक 1992-93 पर सामान्य वाद विवाद

श्री दिलसुख राय : माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट भाषणों में तो सिर्फ आंकड़े देते हैं, हकीकत में कुछ नहीं होता है। यह बजट रख दिया है, महिलाओं के लिए स्कूलें। लड़कों की शिक्षा एक जुलाई से होती है और एक जुलाई से शुरू होने के बाद अब यह कहते हैं पंचायत राज मंत्री और शिक्षा मंत्री जी ने अबआदेश निकाले हैं कि इतने प्राइमरी स्कूल खोलेंगे, इतने उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलेंगे, इतने माध्यमिक विद्यालय खोलेंगे, जबकि शिक्षा सत्र एक जुलाई से शुरू होता है। यह सिर्फ आंकड़े-आंकड़े हैं हकीकत में कुछ होने को तो है नहीं।

बिजली के मामले में यह है कि किसानों से करोड़ों रुपये इकट्ठे कर लिये। अब घोषणा कर दी 700 गांवों को, 25 हजार कुओं को बिजली देंगे। देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ कागजों में काम है। फिर किसानों से पैसा इकट्ठा करेंगे कि तुरन्त बिजली लागू है, एडवान्स स्कीम में देंगे। लोगों ने 50-50, 60-60 हजार एक-एक लाख रुपये एक-एक किसान ने जमा करवा दिये। और आज 12-12 महीने से कनेक्शन नहीं मिले, उनका किसी को सोच नहीं। मेरे सिद्धान्तों से मैं इन आंकड़ों में विश्वास नहीं रखता हूं और हकीकत में कुछ होने वाला है नहीं इसलिये, आपके माध्यम से, आपने भी साहब, कल कहा था, यह जनसंख्या वाला मामला है, इसमें मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा है कि 35 साल की आयु में स्त्री या पुरुष में से कोई नसबंदी करायेगा तो लड़की के नाम से एक हजार रुपये का फिक्स डिपाजिट करवायेंगे। जबकि लड़की होने पर ही अगला आपरेशन करवाये, दो लड़के होने के बाद आपरेशन करवाये, लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को समान मान कर एक हजार रुपये का फिक्स डिपाजिट करवाया जाय, मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं।

(6.00 सायं)

बिजली के मामले में यह है, स्कूलों के मामले में बता ही दिया आपको, सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं। चौमूं से आने वाले माननीय विधायक ने सब कुछ बातें बता दी, एक बात में बताना चाहता हूं कि चौमूं पर बाईपास होना चाहिये। नहीं तो वहां आने जाने में साहब, घंटा-घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा लगता है। आप भी अध्यक्ष महोदय, आपके एरिया में जाते हैं तब आपको मालूम है कि चौमूं में से कैसे गुजरना पड़ता है, तो चौमूं में बाईपास होना जरूरी है।....धन्यवाद। बजट भाषण की खिलाफत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री खंगार सिंह। अब मैं जो माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, नाम बोल देता हूं। वह बैठे रहें, जायें नहीं। सर्वश्री हेतरामजी, इन्दलियाजी, रामेश्वरजी भारद्वाज, लक्ष्मीलाल गुर्जर, जगजीत सिंहजी, रामस्वरूपजी मीणा, चुन्नीलाल जी और

(श्री अध्यक्ष)

रामकरण जी । सबका नम्बर आ जायगा । आप शांति से बैठे रहिये ।....(व्यवधान).... उसके बाद आपका आ जायगा ।

श्री हेतराम बेनीवाल : तो हमारे सिवाय कोई नहीं रहेगा, आपने नाम बोल दिये ।

श्री अध्यक्ष : बोलने वाले तो बैठे रहें ।

श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने 1992-93 का जो बजट पेश किया है वह बहुत सराहनीय है, इस बजट के लिये मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं । इसमें सब प्रकार की समस्याओं के विषय में बजट आपने किसी न किसी रूप में रखा है और सबको राहत पहुंचायी है । इसके अन्दर टैक्सों में काफी बड़ी राहत दी गयी है । मेरे को समय का अभाव है और समय थोड़ा दिया गया है इसलिये मैं मैन समस्याए अपने जो काश्त में हैं उन पर आपका थोड़ा ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं । चाहे इधर बैठे, चाहे उधर बैठे, गांवों में जब पंचायत होती है, सब मिल बैठकर पंचायत करते हैं । यह भी एक बडी पंचायत है और इसका बजट एक साल के लिये बनाया जाता है । उसमें इधर बैठने वाले कुछ कहते हैं, उधर बैठने वाले कुछ कहते हैं । आखिर जाकर सही रास्ते पर यह लोग आते नहीं क्योंकि इनकी चालीस साल से यह परम्परा पड़ी हुई है कि हर साल इन लोगों ने घाटे का बजट पेश किया है । इस साल घाटे का बजट पेश नहीं करने की वजह से इनके मन में चालीस सालों की खुमार भरी हुई है और यह लोग चाहते हैं कि इनके हाथ से भी घाटे का बजट पेश होना चाहिये था । मैं मुख्य मंत्रीजी को इस बात का धन्यवाद देता हूं कि अगर इन लोगों ने चालीस साल में घाटे का बजट पेश नहीं करके अपने प्रान्त की समस्याओं के लिये कुछ कार्य किये होते तो आज यह समस्या, आज यह नौबत हमारी नहीं आती क्योंकि जिस समय इलेक्ट्रिसिटी का काम था, अगर यह जितने भी प्लान थे उनकी मंजूरी लेते और उस पर बजट खर्च करते तो रुपये का चार आने में होता और आज हमें इस लाइट के लिये दूसरों का मुंह नहीं ताकना पड़ता । आप मानते हैं, इस साल 25 हजार कनेक्शन इलेक्ट्रिक के देने हैं और किसानों को कुओं के लिये कनेक्शन देने हैं । उन पर खर्चा कितना होगा ? एक कुए पर चालीस हजार रुपये का खर्चा बोर्ड का होता है । इस तरह से 100 करोड़ रुपये सिर्फ 25 हजार कनेक्शनों पर खर्च होंगे । तो अगर यह प्लान पहले से बसता होता तो आज एक अरब रुपये का खर्च का काम नहीं होता, उसमें काफी बड़ी बचत होती । इस प्रकार अपने यहां पर लाइट की कमी होने के कारण दूसरे प्रान्तों से हमें जो इलेक्ट्रिक लेकर आप देते हैं उसमें काफी बड़ा अन्तर भी होता है । इस साल जो भी लाइट की समस्या रही है, उसमें बहुत अच्छे ढंग से रही है । किसानों को जो पहले के सालों में जितनी तकलीफ लाइट के लिये थी वह इस साल कम हुई और हम यह चाहते हैं कि भविष्य में भी इस प्रकार इलेक्ट्रिक के अन्दर थोड़ा सुधार करना चाहते हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो हमारे देश का उत्पादन बढ़ सकता

(श्री खंगार सिंह चौधरी)

है और इस प्रकार काफी बड़ा फायदा हो सकता है।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पाली जिला एक पिछड़ा हुआ जिला है। वहां पर दो तिहाई जमीन क्षारीय और लवणीय है। उस जमीन के सुधार के लिये, जमीन तो वही है मीठी, जिसमें मीठा पानी है, क्षारीय और लवणीय भूमि है उसके अन्दर खारा पानी है। मीठे पानी का लेवल काफी नीचे चला गया है, खारे पानी का लेवल ऊपर है। अब जहां भी वहां पहले मीठे पानी के कुएं थे, अब जमीन में रिस करके जो मीठे पानी के स्रोत थे वह भी खारे होते जा रहे हैं। इसके लिये हमें क्षारीय और लवणीय भूमि सुधारने के लिये जिप्सम का उपयोग सब जगह करना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके लिये निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक जिप्सम के प्रयोग का सवाल है उसके अन्दर बड़े और छोटे, लघु और बड़े काश्तकारों में भेदभाव बरता गया है उसको खतम करके सब्सिडी 90 प्रतिशत सब काश्तकारों को देनी चाहिये जिससे जमीन का सुधार हो और उत्पादन भी बढ़े क्योंकि लवणीय और क्षारीय भूमि के अन्दर 10 साल में एक बार काश्त होती है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसका कई समय उपयोग किया गया है और इससे काफी बड़ा फर्क पड़ता है और उत्पादन में इससे बहुत बड़ी राहत मिलती है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) हमारे पाली जिले के अन्दर जितनी भी बांध बनाने की योजना थी, एक बांध सुमेर 1985 के अन्दर मंजूर हो चुका था, एक करोड़ 35 लाख की स्कीम थी परन्तु उसको वन विभाग की मंजूरी नहीं देने की वजह से उस बांध का अभी तक काम चालू नहीं हुआ। उसका कारण बताते हैं कि यह गेम्स सैंक्चुरी एरिया है और इसके अन्दर बांध नहीं बनेगा। इसी प्रकार से गड़वाली नाल, कोटा का बांध ऐसे तीन चार तरह के बांध हैं अगर उनको बनाया जाता है तो काफी बड़ा फर्क पड़ जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं कई बार वन मंत्रीजी से मिला और उनसे भी मैंने निवेदन किया परन्तु यह केन्द्र का मामला है; इस प्रकार के मामले राज्य सरकार अपने हाथ में लेकर केन्द्र से इनकी मंजूरी लावे और इस काम को पूरा करवाये।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। अब श्री हेतरामजी।

श्री खंगारसिंह चौधरी : धन्यवाद।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं निवेदन आपसे यह करना चाहूंगा कि समय बढ़ाया है उसमें थोड़ा हमारा भी समय का ध्यान रखें।

श्री अध्यक्ष : आपका भाषण रुचिकर हुआ तो बढ़ जायगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं आपके माध्यम से जो राज्य सरकार ने हमारे सामने बजट प्रस्तुत किया है, विशेष तौर से जो इस देश

(श्री हेतराम बेनीवाल)

की राजनैतिक और आर्थिक स्थिति अब पैदा हो रही है, जो आज क्षणिक कठिनाई हमारी केन्द्र सरकार ने इस देश के सामने पैदा की है, जिस तरह की महंगाई इन पिछले सात-आठ महीनों में देश में बढ़ी है, मुद्रा स्फीति बढ़ी है, जो सैण्ट्रल बजट के प्रपोजल हैं उसमें निश्चित रूप से कोई भी सरकार हो, उस सरकार को बहुत बड़ा आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं जो सत्ता पक्ष के एक नौजवान शेखावतजी ने बोला, इस मामले में बिल्कुल उनसे उम्मीद रखता हूं कि वह भावनाएं इस पक्ष के और लोगों की भी हों कि केन्द्र सरकार ने जिस तरह से आई. एम. एफ. के सामने घुटने टेक कर हिन्दुस्तान के बजट को बनाया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हिन्दुस्तान में पहला मौका है कि उत्पादन कर तो बड़ा है और आयात, सीमा-शुल्क घटा है। इस देश में इतनी बड़ी दुर्दशा कभी पैदा नहीं हुई कि जो बाहर से आने वाली चीजें हैं दूसरे उद्योगपतियों की दुनिया में पैदा होने वाली, उसकी कीमतें तो घटायी जाये और जो हमारे देश के अन्दर इस देश का पूंजीपति पैदा करता है। इस देश का मजदूर पैदा करता है, उसकी कीमतें बढ़ायी जाए और वह भी 2000-2100 करोड़ रुपये टैक्स का फर्क डाला है। अभी हमारे देश के जो माननीय प्रधान मंत्रीजी हैं, उन्होंने जिस तरह से घोषणाएं की हैं, मैं समझता हूं पार्लियामेंट के अन्दर यह स्वीकारोक्ति कि हम चावल, गेहूं मंगायेंगे विदेश से और खास तौर से अमरीका से। अमरीका ने हमारे ऊपर शर्तें रखी हैं कि हम गेहूं आपको तब देंगे जब आप अपने व्यापार का लेखा-जोखा हमको बताओगे कि आप किस-किस देश को क्या-क्या चीज बेचोगे ? यह फैसला भी हमको अमरीका से पूछकर करना पड़ेगा। आई. एम. एफ. से पूछकर करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में जो मुख्यमंत्रीजी ने बजट पेश किया है, निश्चित तौर से मैं उनको चतुराई समझता हूं। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि माननीय राजपाल सिह जी ने उनसे पूछा नहीं। इस बजट को पेश करते वक्त सबसे पहले अगर कोई उन्होंने तारीफ की है तो मनमोहन सिह की तारीफ की है। मुझे बड़ी शर्म आती है कि कोई भी विधान सभा, जिसके इसने राइट्स को कर्टेल कर दिया, कोई भी राज्य सरकार जिसके आर्थिक अधिकारों को इतना संकुचित कर दिया, उस वित्त मंत्री की तारीफ करे, यह + + + और निश्चित ? तौर से महसूस करना चाहिए कि वह अपने कमेण्टस वापस ले कि मनमोहन सिह जी ने अच्छा बजट पेश किया।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : दोनों मिले हुए हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्रीजी ने बजट में जो रियायतें पेश की हैं, मैं इसका हामी नहीं हूं कि बजट इस तरह का पेश किया जाये, जिसमें कोई टैक्स न लगे, बजट इस तरह का पेश

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हेतराम बेनीवाल)

किया जाये जिसमें कोई आमदनी न हो। पिछली बार बजट एक्सपेण्डीचर था 61 सौ करोड़ रुपया, अब के उन्होंने 62 सौ करोड़ रुपये कर दिया। क्या फर्क पड़ा? जो महंगाई और जिस तरह की मुद्रा स्फीति बढ़ी है, उसमें यह बजट एक्सपेण्डीचर, 3/4 रह गया ऐसी हालत में मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकार निश्चित तौर से हमारे आय के साधन को बढ़ाने के लिए इस प्रदेश के बड़े-बड़े लोगों पर टैक्स लगाये। इस प्रदेश के भूपतियों पर, इस प्रदेश के दूसरे साधनों पर टैक्स लगाये, तभी इस प्रदेश की जनता को राहत हम पहुंचा सकते हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके सम्मुख इन्होंने एक आंकड़ा दिया है कि हमने जो आय बढ़ायी है, वह 9·6, यानि 15 प्रतिशत बढ़ी है उन कीमतों पर, जो कीमतें हैं 1991 की और प्रचलित जो कीमतें हैं, उन पर बढ़ी है 9 प्रतिशत। मैं निवेदन करना चाहूंगा यह 9 प्रतिशत क्या गरीब लोगों की आमदनी बढ़ी है? इस प्रदेश के उन लाखों करोड़ों जो भूमिहीन, गरीब आदिवासी और हरिजन हैं, उनकी कीमतें नहीं बढ़ी हैं। इस प्रदेश के धन्ना सेठों की कीमतें बढ़ी हैं, जिनके पास खानें हैं, जिनके पास बड़े-बड़े कारखाने हैं, उन्हीं ने दौलत बढ़ायी है। सबको मिलाकर हमको आप आंकड़े दे रहे हो कि 9 प्रतिशत बढ़ गई।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा राज्य सरकार से कि अगर वह वास्तव में राज्य सरकार चाहती है कि इस प्रदेश का भला हो, मैं कुछ स्रोत आपके सामने रखना चाहूंगा, जिनसे हम पैसे इकट्ठे कर सकते हैं और मैं निवेदन करूंगा 96 करोड़ रुपये बिजली बोर्ड के बड़े-बड़े सेठों में बकाया हैं। क्या राज्य सरकार उन अदालतों के अन्दर, जिन हाईकोर्टस् और सुप्रीम कोर्ट में हमारे यह मुकदमें अटके हुए हैं, उसमें राज्य सरकार की तरफ से पूरी कार्यवाही नहीं हुई। आज वसूली नहीं हो रही, राज्य सरकार अगर इस मामले में ईमानदार हो और सेठों से कोई हमदर्दी नहीं हो तो 96 करोड़ की आय सिर्फ बिजली बोर्ड की वसूली से हो सकती है। इसी तरह से मैं पोंग डेम के विस्थापितों के बारे में बात करना चाहूंगा। सात हजार पोंग डेम विस्थापित है। माननीय अध्यक्षजी, सात हजार के पास तीन लाख एकड़ जमीन थी, सारी जमीन उन्होंने बेच दी और सारी जमीन राजस्थान के नागरिकों के पास है। अब वहां सौदा चल रहा है। इस बात का सौदा चल रहा है, उस भूमि का क्या किया जाये? अगर राज्य सरकार रूपान्तरण करने के लिए उन पर जुर्माना लगाकर, पेनल्टी लगाकर भूमि का रूपान्तरण सही कर दे तो राजस्थान सरकार को 68 करोड़ और 70 करोड़ के बीच में आमदनी होगी। एक सिर्फ सात हजार फैमिलीज को सैटल करने के लिए, अगर उन नागरिकों को, जिन्होंने जमीन खरीद ली, रेगुलाइज कर दे, 70 करोड़ का मुनाफा एक लाइन से हो जायेगा मैं इसी तरह निवेदन करना चाहूंगा कि.... (व्यवधान) 70 करोड़ रुपये फिर आपके बजट में जोड़कर कोई प्रोवीजन तो रखो, क्या किया आपने बजट में (व्यवधान) आप बजट में यह ऐलान करो कि यह 70 करोड़ रुपये कमाकर हम राजस्थान को देंगे.... (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी को चाहिए था, अगर मुख्य मंत्रीजी वाकई, उनसे सौदेबाजी

(श्री हेतराम बेनीवाल)

हो रही है। मेरा आरोप यही है कि उन व्यक्तिगत लोगों से सौदेबाजी हो रही है, जिससे कि राजस्थान के खजाने में पैसा नहीं आये और व्यक्तिगत रूप से लोगों को लूटने का मौका मिले।

अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगा आज राजस्थान में अगर कोई सबसे बड़ा अमीर है, जो फौरन अमीर होता है, तो वह पत्थरों की खानों का मालिक है। छोटी-छोटी खानों से एक साल के अन्दर दस-दस लाख रुपये कमाता है। राजस्थान सरकार को ठेंगा दिखाता है, राजस्थान सरकार अगर इस मामले में गम्भीर हो और पूरी तरह से उनकी दोस्ती छोड़ दे तो करोड़ों रुपयों की आमदनी राजस्थान में अकेले उदयपुर जिले की खानों से हो सकती है।

इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो बड़े-बड़े राजा महाराजाओं की जमीनें हैं, मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा मुख्य मंत्री राजस्थान का, उसने प्रस्ताव रखा है कि जो भूमि है, वह राजाओं को छोड़ दी जाये शहर के अन्दर बड़े-बड़े सेठों की जोभूमियां हैं, उनको छोड़ दी जाय। मैं चाहता यह हू कि उस भूमि को राजस्थान सरकार ले और गरीब लोगों को आवंटित करे तो करोड़ों रुपयों की आमदनी राजस्थान सरकार को हो सकती है।

इसी तरह से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, भ्रष्टाचार के बारे में दोनों पक्ष की तरफ से बड़े उछल-उछल कर बोले, मैं उस भ्रष्टाचार की बात नहीं करता जो पूरे राजस्थान में हरेक कर्मचारी और हरेक जगह व्याप्त है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। राजस्थान के मुख्य मंत्री ने जब वह सत्ता में आये 1978 में, उन्होंने गंगानगर जिले में बड़े-बड़े भूपतियों ने जो भूमियां छिपाई थीं उनके बारे में एक कानून बनाया, हमने उनका तहेदिल से स्वागत किया कि राजस्थान में ये पहला मुख्य मंत्री है, जो छुपाई हुई भूमि को ईमानदारी से निकालेगा। उन्होंने 1600 केस बनाये। जयपुर में सीलिंग के लिए एक डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट क्रियेट की और सीलिंग के 1600 केसेज की जांच हुई। सारे केसेज ए. डी. एम. को दे दिये गये। ए. डी. एम. से लेकर हाईकोर्ट तक केस पैण्डिंग हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह केस एक-एक करके वापस लिये जा रहे हैं। उनमें से सैकड़ों केस बिना किसी कैबिनेट के फैसले के, बिना किसी बात के वापस लिए जा रहे हैं। एक मंत्री बैठता है और उन केस को वापस ले लेता है। यह किसलिए हो रहा है, यह क्या है? अगर राज्य सरकार वाकई चाहती है, मुझे कोई ऐतराज नहीं। अगर बड़े-बड़े भूपतियों को जमीन लौटाना चाहती है, इनकी दोस्ती है, वापस लौटा दे। पर एक-एक केस का फाइल का डिसीजन करने का मतलब यही है कि एक-एक, डेढ़-डेढ़, दो-दो लाख रुपया वसूल करता है। एक वकील बैठा है गंगानगर का पता नहीं किसको देता है, सिवाय उसके कि जो उस पर एक लाइन लिखता है कि इस केस को वापस लिया जाता है, वह कौन लेता है? अभी कांग्रेस के खिलाफ बड़े आरोप लगे थे पाइप स्कैण्डल के, यह पाइप बदकिस्मती से चीज ही ऐसी है, यह सबको ले बैठती है। आठ करोड़ रुपये के पाइप खरीदने के हमारी इस सरकार ने आर्डर दिये अगस्त के महीने में। हम बड़े खुश थे कि पाइप हमारे पहुंच

Page No. 200

(श्री हेतराम बेनीवाल)

जायेंगे अक्टूबर, नवम्बर तक, वह पाइप नहीं पहुंचे, वह सौदे कैंसिल कर दिये गये और दूसरा सौदा फरवरी में जाकर हुआ। उससे 15 प्रतिशत ज्यादा और उन लोगों से हुआ जो प्रदेश के नहीं है और बड़े-बड़े सप्लायर्स हैं, राजस्थान के उन गरीब पाइप बनाने वालों का, जो छोटे-छोटे पाइप बनाने वाले लोग हैं, उनके हित का कोई ध्यान नहीं रखा गया। क्यों किया यह सौदा ?

मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर निश्चित तौर से अगर राजस्थान सरकार चाहती है, दो बातें बहुत आवश्यक है इस सारे हमारे उत्तरी भारत के लिए। वह यह कि अगर हम ईमानदारी से चाहते हैं कि इस प्रदेश के अन्दर लोगों को कुछ मिले, इस बात से कोई राहत नहीं मिलने वाली कि बेलन का टैक्स छोड़ दिया, चिमटे का टैक्स छोड़ दिया, चमचे का टैक्स छोड़ दिया, क्या चीज है यह ? यह तो वही बात हुई कि कोई अगर नाई यह कहे कि मैं गंजों की हजामत मुफ्त करता हूं, नाई अपना बोर्ड लगा दे कि मैं गंजों की हजामत मुफ्त करता हूं, वैसे ही भैरोंसिंह जी ने किया। कोई टैक्स लगता ही नहीं था इसका। कौन आदमी टैक्स वसूल करता था इसका और किसके वाउचर्स हैं ? आपने टैक्स माफ किया फसल का, मुझे ताज्जुब होगा माननीय अध्यक्ष महोदय, फसलों में कौनसी चीज का दिया ? मूंग का 1 एक मूंग है, जो सर्टिफाइड बीज बिकते हैं और बाकी किसी का टैक्स नहीं किया। न कपास का किया, न दूसरी उन चीजों का किया, जो लाखों मन किसान इस्तेमाल करता है। तो वास्तव में किसान को, गरीब को हित देने की बजाय सिर्फ आंकड़े दिखा दिये कि 60 प्रतिशत लोगों को राहत दी गई है। मैं मानता हूं, मुझे कोई ऐतराज नहीं यह कहते हुए कि राजस्थान के मुख्य मंत्री बहुत ही चुस्त हैं, बहुत ही चालाक हैं और इस मामले में इतने चालाक हैं कि उन्होंने इस प्रदेश की योजना 1400 करोड़ रुपये की बनायी। मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने योजना का आकार बढ़ाया परन्तु यह जो बात कही है कि हम किसान को ज्यादा देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान को ज्यादा नहीं देंगे, कम दे रहे हैं। 60 प्रतिशत देने का मतलब क्या हुआ। 81 प्रतिशत किसान है राजस्थान में। अगर ईमानदारी से इनकी बात मान लेते हैं, आप 60 प्रतिशत देते हो, इसका मतलब 81 प्रतिशत वाले का 60 प्रतिशत का मतलब एक आदमी को 75 पैसे। गांव के रहने वाले एक आदमी को योजना का 75 पैसे और जो शहर में रहते हैं उसको 19 प्रतिशत लोगों को 40 रुपये। इसका मतलब जो शहर में रहता है उस पर आप खर्च करेंगे। ढाई रुपये और जो गांव में रहता है उस पर आप 75 पैसे खर्च करेंगे। यहां तालियां बजवाकर कहलवाओगे कि यह ग्रामोन्मुख, गांव की तरफ चलने वाला बजट है। यह किस तरह से मान लें, अध्यक्ष महोदय, कि गांव की तरफ चलने वाला बजट है। निश्चित तौर पर आंकड़ों में बन्धा हुआ बजट है। सिर्फ यह जरूर है कि कांग्रेस के जो लोग थे वे अंधेरे में चलते थे। न इनको राजस्थान की जनता का पता था और न राजस्थान में गरीबों का पता था।....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री हेतराम बेनीवाल)

इसलिये इन्होंने इस तरह की योजनाएं बनायी और अंधेरे में चलते रहे हैं। और माननीय मुख्य मंत्रीजी से फिर एक ड्रामा करके यह साबित किया कि जैसे मैंने बहुत बड़ी राहत पहुंचायी है।

मैं दो बात अंत में कहना चाहूंगा। वह मेरे जिले से सम्बन्धित है और यह है कि एक तो मेरा गंगानगर जिला नहर के बिना बिल्कुल सूना है और वो नहरें हैं, एक तो राजस्थान कैनाल। जिस राजस्थान कैनाल के लिये इस बजट में पैसा रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सन् 2003 की कहते हैं, मैं सन 2020 की कहता हूं। यह इस तरह से नहीं बन सकती। जिस रफ्तार से हम बना रहे हैं इस नहर को। यह नहर कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। हमने चार नहरें छेड़ दी। हमने 6-7 लिफ्टें शुरू कर दी। हर लिफ्ट पर और हर नहर पर थोड़ा-थोड़ा पैसा रखकर भ्रष्टाचार में डूबो रहे हैं। हम राजस्थान की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। चाहिये हमको यह था कि फेजवाइज प्रोग्राम से कोई एक नहर बनानी चाहिये उसके बाद फिर दूसरी शुरू करनी चाहिये।

मैं निवेदन करूंगा, सबसे पुरानी नहर गंगानगर जिले की जिसमें 10 लाख लोगों का जीवन है। वह राजस्थान की गंग कैनाल जिस गंग कैनाल पर इस बजट में एक भी नया पैसा नहीं रखा। माननीय मंत्रीजी बैठे हैं बहुत लम्बे, चौड़े हैं, उछलते भी बहुत हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी से ऐलान कराओ आप कि यह जो बजट शुरू हो रहा है इस बजट के काल में कितना पैसा उस नहर को बनाने में खर्च करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो राजस्थान का पानी भी बरबाद होगा और हमारी नहर भी नहीं बनेगी।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना राज्य मंत्री : नहर कम्पलीट हो गयी। पैसा कहां से।

श्री हेतराम बेनीवाल : नहर कम्पलीट नहीं हुई है। नहर आपको मालूम ही नहीं है।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : पैसा जितना सरकार को देना था वह दे दिया है और कम्पलीट कर दिया गया।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय मंत्री जी आपको पता ही नहीं है।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : पूरी कर दी गयी है। यह नई बात आप कैसे कह रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : गंग कैनाल की शुरूआत ही नहीं हुई। लिंक तो अलग बनी है। वह लिंक चैनल है श्रीमान् मंत्रीजी। गंग कैनाल तो अभी शुरू ही नहीं हुई। बन्द होगी तब बननी शुरू होगी। उसकी रिपेयर पर 100 करोड़ रुपया लगेगा। वह हमारी चिन्ता का विषय है। अगर उस पैसे को नहीं लगाया गया तो हमेशा के लिये राजस्थान कैनाल का तीन हजार क्यूसेक पानी घट जायेगा। यह चिन्ता का विषय है। दूसरा मेरा निवेदन है कि सारी कैनाल हमारी 60-60, 70-70; साल की है उनके लिये····(व्यवधान)····

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : वही तो कह रहा हूं कि कम्पलीट हो गयी।

श्री हेतराम बेनीवाल : मंत्रीजी आपको पता ही नहीं नहर क्या है ? मंत्रीजी आप समझते नहीं हैं। आप समझ नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्लीज। माननीय मंत्रीजी आप दोनों समझते हैं मैं नहीं समझता इसलिये चुप हो जाइये।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्षजी मैं, आपसे निवेदन करूंगा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि 1970 में इतना बड़ा आन्दोलन हुआ। माननीय भैरोंसिंहजी जो इस सदन के नेता हैं वह उस आन्दोलन में प्रमुख भूमिका निभाने गंगानगर गये थे। उस आन्दोलन का सबसे बड़ा फैसला था कि सारी नहरों की रि-माडलिंग करेंगे, फिर पानी डिस्ट्रीब्यूट (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) करेंगे। यह बहुत बड़ी बात है जो गंगानगर जिले में होनी चाहिये। मुझे उम्मीद है कि राजस्थान के जो सत्तापक्ष में बैठे हैं, परिवर्तन करेंगे। अगर इस परिवर्तनों को करेंगे तो हो सकता है मैं इस बारे में कोई सोचूं अन्यथा यह जो बजट है यह तो एक नकली ड्रामा है। मैं ऐसे बजट का समर्थन नहीं करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। धन्यवाद। श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : अध्यक्ष महोदय, सदन में राज्य के मुख्यमंत्री जी महोदय ने जो बजट पेश किया है मैं उस बजट पर मेरे विचार प्रस्तुत कर रहा हूं....

एक माननीय सदस्य : अन्तरात्मा से।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अन्तरात्मा मरी नहीं है जिन्दा है मगर साथ देने वालों की मर चुकी है। अध्यक्ष महोदय, लम्बे अर्से से मैं देख रहा हूं कि इस बजट में दूसरे बजटों की अपेक्षा काफी गुंजाइश है, अच्छे ढंग का बजट है परन्तु अध्यक्ष महोदय, खाली बजट से नहीं होगा। इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में, कहते हुए मुझे बहुत दुःख है कि जिन भूमिहीन लोगों को भूमि आवंटन की गयी थी सन् 1976 में, लगभग 17 साल पूरे होने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी कैनाल के आसपास में खास तौर पर ज्यादा शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों को जमीन दी गयी और परसों मेरे एक क्वेश्चन का जवाब आया, मैंने पूछा कि शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों को कितनी जमीन खारिज करके इस अर्से में दूसरे लोगों को अलाट की गयी है।

अध्यक्ष महोदय, जवाब आया 610 व्यक्ति और वे अनुसूचित जाति के हैं और अन्त्योदय परिवार के हैं और 17 साल पहले अलाट हुई उन लोगों को। इधर से हमारा बजट है, बजट में काफी गुंजाइस है, अच्छा है लेकिन राजस्थान के जिन भूमिहीन हरिजनों को जो अन्त्योदय परिवार के सदस्य थे और सन् 1976 में उनको पट्टा अलाट किया गया था लेकिन आज तक उस इलाके में पानी नहीं लगा और जब पानी लगने की स्थिति आयी पिछले साल खाले बने तो अध्यक्ष महोदय, इन लोगों की सारी जमीनें खारिज कर दी और खारिज करके और दूसरे लोगों को पैसा लेकर अलाट कर दी, यह बहुत ही दुःख का विषय है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह राजस्थान के सरकार के उपनिवेशन विभाग का मेरे प्रश्न का जवाब है, उसका मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। उनमें से काफी लोगों को जमीन

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

तो दे दी और करीब 245 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी भूमि आज की तारीख तक किसी को अलाट नहीं की गयी।

अध्यक्ष महोदय, यह बजट किसके काम का है ? जो गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्ति हैं, राजस्थान का गरीब से गरीब हरिजन ऐसे लोगों की जमीन निरस्त करके अगर पूंजीपति और धनाढ्य लोगों को अलाटमेंट, सरकारी अधिकारी कर देते हैं तो सरकार को चुनौती इस बात की है कि इस राज्य का कर्मचारी सरकार के बजट को चैलेन्ज करता है और गरीब की अन्तर्रात्मा, आंतड़ी काट कर पूंजीपति लोगों को राजस्थान कैनाल पर वह जमीन देता है तो सरकार के लिये बहुत गम्भीरता का विषय है।

मंत्री महोदय और खास तौर से दल के दिग्विजयसिंहजी साहब जो हमारे लीडर हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि राज्य के नीचे के अधिकारी जो सरकार की नीतियों को चैलेन्ज करते हैं और गरीब के पेट को काट करके सरकार को बदनाम करते हैं ऐसे व्यक्तियों को अगर यह सरकार माफ करेगी तो सरकार के लिये एक सोचने का गम्भीर विषय है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने दो-तीन बार राज बदलते देखा है। भैरोंसिहजी पहले मुख्यमंत्री बने और अभी भी बने। यह राज कौन बदलता है ? राज बदलता है राज्य का कर्मचारी। कर्मचारी की नीयत खराब होगी तो गांव का छोटा कर्मचारी पम्प ड्राइवर जो ट्यूब वैल, कुआं चलाता है वह गांव की गायों को प्यासा मार देता है। पानी के अभाव में गाय मर जाती है और मनुष्य संकट में रहता है और मंत्रीजी या विधायक जाकर उसको कहें कि कुआं चलाओ तो कहा जाता है कि जा, जा आप जैसे बहुत देखे हैं हमने। यह इसी तरह की जो परिपाटी है अध्यक्ष महोदय, गांव में एक मास्टर है। कई जगह मास्टर ही नहीं है। उसको गांव के लोग जाकर समझाये कि ड्यूटी दें तो कहे कि आप जैसे बहुत फिरते हैं, जाइये आप। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात बड़े दुःख के साथ कह रहा हूं कि सरकार को वोटों से कोई खतरा नहीं है। सरकार को अगर खतरा है तो उन कर्मचारी और अधिकारी लोगों से है जो आपकी नीति को आये दिन चैलेन्ज के साथ उस नीति को; रीति को मसलते जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस गम्भीर विषय को राजस्थान के बहुत जिम्मेदार मंत्री बैठे हैं, वे यहां मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं न राजस्व मंत्री है, यहां नहर मंत्रीजी भी नहीं हैं, उन तक बात पहुंचाये और साथ ही जांच का बोर्ड बैठायेंगे तब तो आप गरीबों का भला करेंगे नहीं तो सदियां बीत गयी देश की पूंजीवादी व्यवस्था है वही मजा करेगा और गरीब, गरीब ही रहेगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि मामले को आप गम्भीरता से लें।

नहर से सिंचाई के बारे में मैं कहना चाहूंगा, आज सिंचाई किस काम की है अध्यक्ष महोदय, उन्हीं लोगों के काम की है जो धनाढय लोग हैं। गरीब तो भिखमंगों की तरह निराश हो चुका है। लेकिन उन लोगों की निराशा क्रान्ति में बदलेगी अध्यक्ष महोदय, और क्रान्ति आयेगी पोलिंग के दिन और जो सरकार बढ़िया बजट पेश कर रही है उसको चैलेन्ज उस दिन करेगी। मैं चाहूंगा आप ऐसा मौका उन गरीबों को

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

नहीं दें। गरीब ही आपकी धरती है और गरीब ही इस राज की रीढ़ की हड्डी है, उनके बलबूते पर, अन्त्योदय परिवारों के बहुत से गरीब लोग जो यहां पर जीत कर आये हैं। आज अगर हमने ऐसे लोगों की मदद नहीं की अध्यक्ष महोदय, तो जीतने का हम सपना लेंगे, विधान सभा की दीवार के हमको कोई हाथ नहीं लगाने देगा। अगर चालीस साल तक इन लोगों ने सही ढंग से काम किया होता तो राजस्थान में इतना बड़ा बदलाव नहीं आता कल्लाजी। लेकिन मैं विरोध में बैठा होता और कल्लाजी आपको कहता कल्लाजी यह काम करो लेकिन आपको उन दिनों फुर्सत नहीं थी। इसी तरह हमारे पक्ष के लोगों को भी इन दिनों फुर्सत नहीं है (व्यवधान) मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं सुनिये। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि आपको तो विरोध करने का ज्ञान नहीं है और मेरे पक्ष में जिन लोगों के साथ मैं हूं उनको राज करने का ज्ञान नहीं है। अब बताइये मैं क्या करूं। मैं बड़ी मुसीबत में हूं अगर सही बात कहूं तो उससे सरकार को लाभ होगा लेकिन भाषा मेरी विरोध की होगी और शक की दृष्टि से आप देखोगे यह कुछ कर तो नहीं देगा। करने के लिए डरो मत कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपको वोट से खतरा नहीं है और न ही सरकार को बर्खास्तगी से खतरा है। आप तीन साल तक ठोक कर राज करो लेकिन तीन साल के बाद की आप सोचिए कि तीन साल के बाद हम विधान सभा में किस जरिये से पहुंचेंगे। वह जरिया हम समाप्त तो नहीं कर रहे हैं (व्यवधान) आप शान्त रहिए। उस जरिये को अध्यक्ष महोदय, यदि हमने समाप्त कर दिया, हम जागरूक नहीं रहे, हमारे विधायकों की शिकायत सही ढंग से नहीं सुनेंगे तो अध्यक्ष महोदय, हमारी औलाद इस दीवार पर, इस विधान सभा की दीवार के हाथ लगाने के लिए नहीं पहुंचेगी और अगर हम उन लोगों की वकालत करेंगे तो आपको रोकने वाला राजस्थान में कोई नहीं है। दुनिया कुछ भी कहे, राजस्थान का मतदाता बदल चुका है। आपके सामने कोई तीसरी पार्टी नहीं है। राजस्थान में ही नहीं, हिन्दुस्तान में कोई तीसरा दल नहीं है। इसलिए टकराव है आपके दोनों दलों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। कांग्रेस पक्ष के लोग अगर विरोध पक्ष में बैठकर सही ढंग से विरोध नहीं करेंगे, सही ढंग से पार्ट अदा नहीं करेंगे तो अध्यक्ष महोदय, बहुत खतरे में रहेंगे और नशे में रह जायेंगे और राजस्थान की सरकार है अगर मीठे भाषण से मन्त्री राजी हो तो हम बोलना कम कर देंगे, खूब मीठा बोलेंगे लेकिन मीठा आपके लिए घातक बहुत होगा। इसलिए आप खारी भाषा को सुनें और उस पर ध्यान दीजिए। अध्यक्ष महोदय, गांव के गांव सूने पड़े हैं, कोई स्कूल नहीं, कोई मास्टर नहीं है। मेरे क्षेत्र बीकानेर जिले में सारे स्कूल खाली पड़े हैं। उस तारीख को याद रखिए। उस दिन साथ कौन देगा? इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार वह काम करे जिससे वह मजबूत हो।

अध्यक्ष महोदय, सिंचाई के बारे में हमारे जिले में दो बड़े काम हैं। एक तो इन्दिरा गांधी नहर का व दूसरा कुओं का। मैं चाहूंगा कि इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

जो खालों का काम अधूरा है उसको पूरा करके उन भूमिहीन गरीबों को भूमि दी जाय। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं सन् 1976 से अलाटमेण्ट कमेटी का मेम्बर हूं पर 1976 के बाद से आज तक अलाटमेण्ट कमेटी की मीटिंग में मैं नहीं गया। सिर्फ दो मीटिंग में पिछले दिनों गया पर कोरम के अभाव में दोनों मीटिंग बन्द थी। आयोग बैठाओ अध्यक्ष महोदय, और आप चेयरमेन हो और फाइलों के सामने हमारे जैसे मेम्बर हो तो नानी याद आ जायेगी, और जेल में सारे सरकारी अधिकारी होंगे। अध्यक्ष महोदय, 10 हजार रुपए मुरब्बा काटने के। गरीब, हरिजन, काश्तकार का मुरब्बा काट दीजिए यह दस हजार लिजिए। रात को अलाटमेण्ट होता है। उस पर कमेटी बैठा दी जाय तो अध्यक्ष महोदय, गरीब को लाभ मिलेगा सरकार मजबूत होगी और अन्तर्रात्मा से लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और उसके उम्मीदवारों को वोट देंगे....

एक माननीय सदस्य : आपके पास क्या रास्ता है ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : हमारे रास्ते बहुत हैं चिन्ता न करो। कल्लाजी। इन्वाइट कर रहे हैं लोग, जनता। इसलिए चिन्ता आपकी कीजिए।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, मैं लम्बा भाषण नहीं देकर के, कुओं से सिंचाई के लिए जीवन धारा एक ऐसी योजना है कि गरीब काश्तकार की खातेदारी भूमि है उसके लिए कुआ बना लेता है तो उसके कुओं को खारिज करने वाली आज कोई शक्ति पैदा नहीं हुई। इसलिए मैं मन्त्रीजी से चाहूंगा कि बीकानेर जिले में जो जीवन धारा योजना है आप मीटर से पैसा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, जहां 100 फुट पानी है उसको उतना ही पैसा और जहां पर पौने तीन सौ फीट पर पानी हो तो भी उतना ही पैसा। इसलिए मैं चाहूंगा इस जीवन धारा में मीटर की खुदाई के हिसाब से पैसा दीजिए ताकि हमारे काश्तकार वहां पनप सकें।

अध्यक्ष महोदय, हम आपके पड़ोसी हैं। मेरे इलाके में आज एक-एक गांव में 200–200, 250–250 कुऐ खुद रहे हैं। वह काश्तकार न बैंकों के पास गया, न डी. आर. डी. ए. के पास गया, हिम्मत से काम कर रहा है और इसलिए कर रहा है कि एक कुएँ पर 29 बीघा, 30 बीघा 25 बीघा भूमि पर चार लाख से सात लाख की मूंगफली पैदा होती है। इससे ज्यादा पैदा आपके भजनलालजी और बलराम जाखड़ के यहां भी नहीं हो रही है। जहां नरमा है। नरमें पर दुनिया भर की दवाई छिड़कने पर, वहां पर अपने जैसा कोई आदमी चला जाय, पेशाब करने जाये तो वहीं रह जायें। हमारा साफ सुथरा इलाका है। जहां 30 बीघा भूमि में 7 लाख की मूंगफली होती है, फिर सरसों होती है, गेहूं की फसल होती है और चने की फसल होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा इसमें बड़ा गरीबी और अकाल को समाप्त करने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं हैं। मैं राज्य सरकार से चाहूंगा कि पश्चिमी राजस्थान से और इस प्रान्त से इस अकाल को समाप्त करना चाहते हैं तो जीवन धारा में 28 बीघा से नीचे भूमि वाले काश्तकार

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

को बैंक से पैसा दिलावें और आप दूसरे रास्ते से मदद कीजिए।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

हम अकाल को समाप्त करके छोड़ेंगे और आपको दिखा देंगे कि हम पश्चिमी राजस्थान के वह किसान हैं जिन्होंने अकाल को समाप्त किया है।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, बिजली। बहुत कम समय लूंगा। अध्यक्ष महोदय, अगर अकाल को समाप्त करना चाहते हैं तो राजस्थान नहर के पानी से कई जगह बिजली पैदा कर सकते हैं जैसे सत्तासर के पास है, डण्डी गांव के पास है सरकार इस प्लाण्ट को जगह-जगह तैयार कर रही है और बरसिंगसर है जब तक बिजली नहीं पैदा करेंगे, तब तक अकाल आपके सामने मुंह बाये खड़ा रहेगा और इस अकाल से हमारी अच्छी नस्ल की गाय भी समाप्त हो सकती है। मैं इस बात को मेरी आत्मा से कह रहा हूं, आत्मा को दबा नहीं सकता हूं। गायें खत्म हो रही है, सड़कों पर हड्डी के ढेर हैं। अगर हम गायों के पक्ष में बोल गये तो आपका टिकट कट जायेगा। मेरा तो टिकट है ही नहीं। मुझे टिकिट दिग्विजय सिंहजी देंगे और वोट देंगे अपने इलाके के लोग। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि वहां पर चारे की नाम मात्र की व्यवस्था है। बजट में इनका जरूर प्रावधान है लेकिन मौके पर कुछ भी नहीं है आज की तारीख में अध्यक्ष महोदय, एक भी आदमी रोजगार पर बीकानेर जिले में नहीं लगा है। 27 आदमी गडवाला गांव में लगे हुए हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इस तरह से सरकार चली तो इस प्रान्त को और गरीब को और हम को खतरा है या नहीं है लेकिन आपको बहुत सतर्क रहना है। इस खतरे से यदि बचना है तो आप जागरूक रहिये और गरीब का काम कीजिए और बिजली पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें। अभी काफी लोग बोलने वाले हैं। सात बजे तक करना चाहता हूं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : एक मिनट और लूंगा। सड़कों के बारे में कहना चाहूंगा, सार्वजनिक निर्माण मन्त्रीजी यहां है नहीं लेकिन दूसरे मन्त्री महोदय कहेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक इन्च भी पिछले लम्बे समय से सड़क मुझे तो नहीं दिखी (व्यवधान) मैं बैठा ढोल बजा रहा हूं। मैं वह काम कर रहा हूं जो कल्लाजी को पता है। मेरा वह इलाका हैं जहां बिना बिजली कोई गांव नहीं है। मेरा इलाका वह इलाका हैं जहां पी. एच. ई. डी. स्कीम के बिना कोई गांव नहीं है....

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस ने किया है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। कल्लाजी मेरा एक प्रस्ताव है आज इस सरकार के सामने इतने बड़े नोखा में एक भी कॉलेज नहीं है। आप शिक्षा मन्त्री रहे। यह बात यहीं रहने दीजिए। अन्दर का दर्द अन्दर ही रखें। मैं भी अन्दर ही रखूंगा।

श्री अध्यक्ष : सड़क भी इनके पास थी।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, मैं लम्बी बात नहीं कहकर अपना भाषण समाप्त करता हूं। सड़क के लिए राज्य सरकार से मांग करता हूं, बहुत बडा इलाका है। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर।

श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर (आसीन्द) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्रीजी और मुख्य मन्त्रीजी ने जो वर्ष 1992–93 का बजट सदन में प्रस्तुत किया और उसमें अपने विस्तृत बजट भाषण में इसका पूरा विश्लेषण प्रस्तुत किया। इसमें कोई शक नहीं है कि बजट में जो 1400 करोड़ की वार्षिक योजना रखी गयी है। उसके मुकाबले लक्ष्य और उपलब्धियां भी उसी तरह से बढ़ाकर इसमें अंकित की गयी है। लेकिन जहां तक इस बजट का सवाल है केन्द्र का जब बजट प्रस्तुत हुआ था तब सदन के अन्दर मुख्य मन्त्रीजी ने यह टिप्पणी की थी कि केन्द्रीय वित्तमन्त्रीजी ने बजट प्रस्तुत करके ऐसा दिखाया मानो भारत वर्ष से समाजवाद को मुक्ति मिल गयी और अभी बजट के अन्दर उन्होंने इस बात की भी तारीफ की कि केन्द्रीय वित्त मन्त्रीजी ने बजट प्रस्तुत करके कई गम्भीर समस्याओं के ऊपर सकारात्मक रूप लिया। जिसकी तारीफ पर माननीय हेतरामजी भी नाराज हो रहे थे और यह बात सच भी है। इस बजट से ऐसा प्रतीत होता है। मान लो मुख्य मन्त्रीजी ने राजस्थान को साम्यवाद से मुक्ति देने की सोच ली हो। जहां इस बजट के आंकड़ों का सवाल है और उपलब्धियों का सवाल है, इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं कि पिछले दो साल के बजट इस सदन में प्रस्तुत हुए और उस बजट के बारे में सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों की यह धारणा थी कि वह इस बजट के जरिये राजस्थान में ऐसी बात कर रहे हैं जिससे राजस्थान का कायाकल्प हो जायेगा। दो साल के आंकड़े हमारे सामने हैं। राजस्थान की प्रगति जिस अनुपात में बजट बढ़ा है उस अनुपात में सामान्य प्रगति है कोई विशेष उपलब्धि नहीं है और अगला बजट भी 20.7 पर्सेंट वार्षिक बढ़ाकर आया है। उसमें भी वह प्रगति सामान्य ही रहेगी। आप इन सारी बातों का विश्लेषण कर लें, तो आपको पता पड़ेगा कि इस बजट के बाद में जब हम इसका मूल्यांकन करेंगे और दो साल का हमने मूल्यांकन किया। उसमें एक ही बात आती है कि दो साल के मूल्यांकन में हम यथा स्थिति में हैं और वहीं हैं। यहां पर हमने इसका अनुपात बताया है कि हमने इस बजट के अन्दर 76 प्रतिशत की वृद्धि की है और 76 प्रतिशत की वृद्धि के बाद भी हम यथा स्थिति में हैं और एक साल बाद जब इस बजट का मूल्यांकन होगा तब भी हम यह सोचेंगे और उसका नतीजा यही आयेगा कि एवरेज ज्यों का त्यों और हम डूबे क्यों? इस बजट में भी जो मुख्य रूप से बातें हैं और बजट भाषण में आनी चाहिये उन बातों पर मुख्य मन्त्री जी ने विशेष ध्यान नहीं दिया। इसलिये हमारे बजट की जो उपलब्धि है और प्रगति है वह शून्य रहेगी। मुख्य रूप से मैं पांच मुद्दे जिन पर मुख्य रूप से मुख्य मन्त्रीजी को इस बजट में जोर देना चाहिये था मैं

(श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर)

रचनात्मक तौर पर उन्हीं बातों को ले रहा हूं।

मुख्य मन्त्रीजी ने भ्रष्टाचार के मामले में अपने शुरूआत के बजट में बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बात कही थी। भ्रष्टाचार का जो मामला आता है तो सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष पर इस तरह से हावी होते हैं जैसे यह उनकी देन है। और जब विपक्ष की बात आती है तो सत्ता पक्ष वालों को इसके लिए जिम्मेवार बताया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दावे से कहता हूं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष किसी को भी इस भ्रष्टाचार की जन्म तिथि याद नहीं है उनको पता नहीं है कि इसकी जन्म तारीख कौन-सी है। आप अगर सत्ता पक्ष के लोग यह कहते हैं कि भ्रष्टाचार है और यह जिन्दा है तो इसको पालने पोसने और इसको संरक्षण देने का सारा दायित्व भी आप लोगों का है। अगर यह जिन्दा है तो आप इसको समाप्त कीजिये, इसको आप मारिये, यह आपकी जिम्मेदारी है। विपक्ष को कोसने से कोई बात नहीं है। भ्रष्टाचार आन दी कास्ट आफ दी गवनमेंट यानि राज्य की कीमत पर और सामान्य नागरिक की कीमत पर पूरी तरह से इस राज्य में व्याप्त है। इसकी अनुभूति आपको करनी चाहिये....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मुख्य मन्त्रीजी ने टैक्स के बारे में अपनी अनुभूति की लेकिन भ्रष्टाचार किस-किस जगह और किस-किस रूप में हो रहा है इसकी अनुभूति भी उनको करनी चाहिये और इसके लिये मैं निवेदन करता हूं कि राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार के निवारण के लिए विभाग तो है लेकिन एक ऐसा नान आफिशियल बोर्ड का गठन करें जिसके पास भ्रष्टाचार की तमाम बातें पहुंचे हर महीने वह बोर्ड अपनी मीटिंग करके राज्य को, जो इस के बारे में काम करना हो उसके बारे में अपने रचनात्मक सुझाव दे।

इसी तरह से दूसरी बात महंगाई की है माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि बजट का घाटा पेश करके महंगाई और मुद्रा स्फीति बढ़ाते हैं। हमारा बजट भी 54 करोड़ रुपये के घाटे का बजट है तो माननीय मुख्य मन्त्रीजी स्वयं इसमें अपना हाथ डाल रहे है कि महंगाई बढ़े। महंगाई के लिए भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं। इसके लिए मैं कहता हूं कि आज का सामान्य नागरिक कोई साबुन आज 3·75 रुपये में बिक रही है और कोई दुकानदार उससे 4 रुपये ले लेता है तो उसको यह पता नहीं है कि यह कीमत कहा से बढ़ती है और इसकी कीमत बढ़ाने की अथारिटी कौन है और इसको घटाने की अथारिटी कौन है? राज्य सरकार इस चीज के लिए विचार करें और प्रदेश में इसके बारे में कोई बोर्ड गठित करें जो छोटी से छोटी चीजों की कीमतों के ऊपर भी इस बात का ध्यान दे कि बाजार में वह चीज किस हिसाब से बिक रही है उसकी प्रोडक्शन कास्ट क्या है और क्या लेना चाहिये? इन बातों का जब तक ध्यान नहीं होगा तब तक आम नागरिक इसी तरह से लुटते रहेंगे और इस महंगाई पर कोई कन्ट्रोल नहीं होगा।

इसी तरह से आपके जनसंख्या की वृद्धि है। आप सारी कितनी योजनायें चला लीजिये लेकिन जब तक जनसंख्या पर

(श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर)

नियन्त्रण नहीं होगा तब तक इन योजनाओं का लाभ नहीं होगा। कितने ही आंकड़े आप बढ़ाते जाइये लेकिन जनसंख्या को कारगर रूप से रोकने के लिए माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने अपना ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया। एक सुझाव दे दिया किसी के दो बच्चे हो जायें तो उसका बीमा हम कर देंगे और इससे जनसंख्या रूक जायेगी। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनसंख्या की भयंकर समस्या है और इस पर बहुत गम्भीरता से सोचने की बात है। केवल फार्मीलिटी के तौर पर विभाग द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है वह कतई सफल नहीं है और उसके आधार पर अगर हम चलेंगे तो आगे हमें इन योजनाओं में डूबे क्यों, वही बात हमारे सामने आयेगी। इसलिए इसके ऊपर गम्भीरता से सोचना चाहिये और एक नान आफिशियल कौंसिल स्टेट लेवल पर इसके लिए होनी चाहिये जो जनसंख्या की दृष्टि से प्रचार की दृष्टि से, लोगों को मानसिकता की दृष्टि से तैयार करने के लिए और सब बातों पर विचार करे और इस नान आफिशियल कौंसिल से और सरकार से मिला जुला सहयोग होकर इसका नियन्त्रण करे।

अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन की जब बात आती है इस बजट भाषण में भी यह कहा जाता है कि जहां पर लोगों को जाना ही नहीं पड़े वह सबसे अच्छा प्रशासन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई कार्यालय के अन्दर जाता है वह आदमी हर तरह से उसको परेशान करेंगे इसका काम जब तक डिले नहीं हो जाये, तब तक नहीं होगा। वह जाता है तब भी उसका काम नहीं होता है। इसी तरह से छोटे से छोटे मामले में भी जैसे विभाग के कर्मचारी वर्ग का महंगाई के लिए दो-दो बार आन्दोलन हुआ। उनके वेतन भी सुधार दिये गये। करोड़ों रुपये का बजट का भार हमारे प्रशासन के ऊपर, इन हड़तालों के जरिये उनको दिया लेकिन उनके सामान्य कार्यकुशलता में क्या बढ़ोतरी हुई इसका मूल्यांकन हमको करना चाहिये। इसी तरह से छोटी से छोटी जो प्रशासन की बात है उसके अन्दर विभागाध्यक्ष को जिम्मेदार बनाना चाहिये। उसके कार्यालय में जो भी पत्र आये, जो भी काम हो तो उस आदमी के बिना गए ही उसको उसी तरह से निपटाया जाये और उसके पत्र का उत्तर दिया जाये तब तो मैं सोचता हूं कि प्रशासन की कोई इस तरह की बात हो सकती है जब तक यह नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, जो पांचवां बिन्दु है प्राकृतिक विपदा वाला मामला है, प्राकृतिक विपदा के अन्दर कभी हमारे यहां बाढ़ आ जाती है, कभी हमारे यहां अकाल पड़ जाता है। अकाल की वजह से किसान की आर्थिक कमर टूट जाती है। दो साल में हमें जो उपलब्धि मिली है वह वापिस सामान्य और धरातल के नीचे आ जाती है। इस तरह की विपदाओं से निपटने के लिए इस तरह की कार्यवाही होनी चाहिये कि हमारे विभाग के जो कार्यक्रम हैं उनको कोआर्डिनेट किया जाना चाहिये। आज राजस्थान के अन्दर अकाल की स्थिति है। अकाल के अन्दर मानलो 93 करोड रुपया है तो मैं निवेदन

(श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर)

करना चाहता हूं कि जवाहर रोजगार योजना और जो दूसरी योजनाएं हैं हर विभाग के द्वारा जो दिये जाने वाले कार्यक्रम हैं उन सब के कार्यक्रमों का कोआर्डिनेशन होना चाहिये। कई हमारे अधूरे कार्य पड़े हुए हैं। कई हमारे दूसरे अच्छे-अच्छे कार्य है हम हाथ में ले सकते हैं तो अकाल के समय में दूसरे विभाग के सामान्य बजट के साथ जोड़कर सारी चीजों का हम एक साथ काम करेंगे तो अकाल में भी हम लोगों को ज्यादा राहत दे सकेंगे और विभाग की प्रगति भी इस स्तर पर अच्छी ला सकते हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक इन बातों की ओर हम ध्यान नहीं देंगे तब तक यह सरकार ने जो बजट पेश किया हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

उससे आम लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है और हमारी प्रगति कोई विशेष आगे नहीं बढ़ने वाली है। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री जगजीत सिंह जी।

श्री जगजीत सिंह (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1992–93 का बजट जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है वह प्रशंसनीय है और मैं उसका स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारत की आत्मा, हमारे देश की आत्मा गांवों के अन्दर रहती है और इसी को मद्देनजर रखते हुए माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बजट की 61.5 प्रतिशत राशि गांवों में लगाने के लिए रखी है किसी भी राज्य के उत्थान के मुख्य स्तम्भ कृषि, बिजली, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा, रोजगार, औद्योगिक विकास इत्यादि होते हैं। इनके विकास के लिए जिन योजनाओं को प्रस्तुत किया गया है वे सराहनीय हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में तकनीकी शिक्षा पर काफी जोर दिया गया है। मैं अपना यह सुझाव देना चाहूंगा कि तकनीकी शिक्षा के छात्रों को गांवों में शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि ग्रामीणों को इसका लाभ मिल सके। आपने जयपुर और बीकानेर में उद्योग और तकनीकी शिक्षा के समन्वय के लिए एक प्रकोष्ठ स्थापित किया है, वह सराहनीय है। बड़े-बड़े शहरों में जनसंख्या की वृद्धि होती जा रही है, गांवों के लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इसके लिए आपको छोटे शहरों, कस्बों का चुनाव करना चाहिए। मैं साथ ही साथ यह सुझाव भी देना चाहूंगा कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए इन्जीनियरिंग कालेज का सहयोग लिया जाना चाहिए और राज्य के सभी इन्जीनियरिंग कालेजों को मिलाकर एक इन्जीनियरिंग विश्वविद्यालय खोला जाना चाहिए।

इसके बाद मैं अपने इलाके की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। महोदय, अजमेर जिले में 1970 से 1972 तक भू-संशोधन हुआ था। भू-संशोधन के तहत अजमेर के किसानों को खातेदारी के राइट दिये गये। पर 1981 में इसकी मान्यता समाप्त कर दी गयी। जिस काश्तकार को 1971 में आपने खातेदारी राइट दे दिये, उसको खातेदार मानते हुए बैंकों ने उनको ऋण दे दिया। ऋण लेकर उन्होंने कुएं

(श्री जगजीत सिंह)

खुदवा दिये, एग्रीकल्चर डवलपमैण्ट कर लिया। 1981 में जाकर उनकी खातेदारी समाप्त कर दी जाती है, तो उसके साथ कैसा कुठारघात हुआ है। हम, अजमेर जिले के सभी जन प्रतिनिधियों ने मिलकर माननीय मुख्य मन्त्रीजी से यह निवेदन किया था कि इस समस्या का समाधान करें। मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि हमारी बात मान-कर अजमेर के सभी जन प्रतिनिधियों, वहां के अधिकारियों और जयपुर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग बुलायी। मीटिंग बुलाकर जानकारी ली कि मान्यता नहीं देने का क्या कारण है। तब कहा कि कई जगह रास्तों की जमीन, खातेदारी में दे दी, नाले की, शमशान की, कब्रिस्तान की, तालाबी पेटे की जमीन दे दी। इस तरह की गड़बड़ियां हुई। मुख्य मन्त्रीजी ने उस मीटिंग में यह कहा कि रास्तों, नालों, कब्रिस्तान, शमशान और तालाबी पेटे; इनके अलावा वर्ष 1970-72 को आधार मानकर संशोधन कर दिया जाय। मगर वह संशोधन अभी लागू नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि भू-संशोधन को अजमेर में शीघ्रातिशीघ्र मान्यता दी जानी चाहिए।

इसके बाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बीसलपुर योजना की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जैसा सभी को मालूम है, हमारे अजमेर की हालत ऐसी हो रही है जैसी पश्चिमी इलाके की। अजमेर, ब्यावर और किशनगढ़, तीनों जगह पानी की भारी कमी है। आज की तारीख में कहीं 72 घण्टे में एक बार और ब्यावर में तो 96 घण्टे में एक बार पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। मैं पी. एच. ई. डी. मन्त्री महोदय का बड़ा आभारी हूं कि अकाल पड़ने के बावजूद भी पिछले साल टैंकरों के द्वारा इन नगरों को पानी उपलब्ध कराया गया। मगर यह स्थायी समाधान नहीं है। बीसलपुर योजना की 35 किलोमीटर-पाइप लाइन बनना बाकी है, हमने बार-बार यह निवेदन किया कि इस समस्या की ओर ध्यान दिया जाना जरूरी है। इस सम्बन्ध में मैं पी. एच. ई. डी. मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बीसलपुर योजना के तहत तीन एक्स. ईएन. लगे हुए हैं और तीनों के तीनों अजमेर में बैठे हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक एक्स. ईएन. को जहां बीसलपुर में काम चल रहा है वहां बैठाया जाय, एक एक्स. ईएन. को नसीराबाद पम्पिंग सेट का जो निर्माण कार्य चालू होने वाला है वहां बैठाया जाना चाहिए और एक एक्स. ईएन. को किशनगढ़ में बैठाया जाना चाहिए क्योंकि किशनगढ़ और नसीराबाद की 35 किलोमीटर की पाइप लाइन का जो टैस्टिंग का काम हो रहा है उसको सुचारू रूप से वह देख सके। यह मेरा सुझाव है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब अजमेर जिले का विलीनीकरण राजस्थान में हुआ तब राव कमेटी के साथ एक समझौता हुआ था। अजमेर जिले की यह मांग थी कि राजस्थान की राजधानी अजमेर होनी चाहिए। मगर पानी की कमी की वजह और पहाड़ियों से घिरा होने की वजह से राजस्थान की

(श्री जगजीत सिंह)

राजधानी जयपुर हुई। तब राव कमेटी के साथ यह वायदा किया गया था कि रेवेन्यू बोर्ड को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। इसके बाद जैसाकि अजमेर में चल रहा है कि सर्किट बैंचों को अलग करने से वहां के रेवेन्यू बोर्ड का विखण्डन होना है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षा का स्वतन्त्र निदेशालय अजमेर में खोला जाय। आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूं और इस बजट का समर्थन करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट भाषण पर बहस हो रही है। सबसे बड़ी खुशी है कि लोक सभा में जो मतदान हुआ था उसमें नरसिंह राव जी की विजय हुई है। उसके साथ ही मुझे अवसर मिला बोलने का, यह और भी खुशी की बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य दुबारा।

श्री रामस्वरूप मीणा : वह तो आप सुन लेना, मेरी सुन लो।

श्री अध्यक्ष : आपकी चुप्पी से आपका टाइम जा रहा है। आप बोलते जाइये।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो यह बजट पेश किया है, जो पैसा इसमें रखा गया है, जितना पैसा खर्च किया जाता है, बहुत ही दुःख की बात है कि गांवों के लिए नहीं शहरों के लिए खर्च किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के एस. एम. एस. हास्पिटल में, जिस पर स्वास्थ्य का बहुत पैसा खर्च होता है, जो बेचारे गांव से मरीज आते हैं, दुर्घटनाग्रस्त जो लोग आते हैं, बड़े दुःख की बात है कि 100 रुपए फीस देने के बाद उन लोगों को देखा जाता है, बाकी किसी की ओर नजर भी नहीं डाली जाती। आप कहते हैं हमने अस्पतालों में डाक्टरों को बढ़ाया, बहुत बड़ा बजट का पैसा इस पर खर्च किया जाएगा। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि शहरों में ही यह हालत है कि राजधानी में गांवों के मरीजों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, 100 रुपए लेकर उनको देखा जाता है।

श्री अध्यक्ष : ज्यादा दुःख मत करिये वर्ना थक जाएंगे आप। दुःख कम करिये, थकावट आ जाएगी।

श्री रामस्वरूप मीणा : ऐसा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तो थकावट नहीं आएगी, माननीय मंत्री महोदय को थकावट आ जाएगी जो सुन रहे हैं।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि सारा पैसा जो गांवों मे खर्च होना चाहिए, केवल कागजों में खर्च कर दिया जाता है। वास्तव में सारी तरक्की शहरों में हो रही हैं। शहरों में सड़कें बन रही हैं, शहरों में और निर्माण कार्य हो रहे हैं। लेकिन गांवों में, मैं यहां तक बताऊं कि अस्पतालों में, डाक्टर तक नहीं हैं। माननीय मंत्रीजी यहां

(श्री रामस्वरूप मीणा)

मौजूद नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि गांवों में अस्पताल एक तरह से खोली पड़े हुए हैं। तब आखिर यह पैसा बजट का जो खर्च किया जाएगा स्वास्थ्य के ऊपर इसका सदुपयोग कौन करेगा जब मरीजों को देखने के लिए गांवों में डाक्टर नहीं होंगे? गांवों में डाक्टर लोग जाते नहीं। सारे अच्छे डाक्टरों को शहरों में लगा दिया जाता है। गांवों के डाक्टर ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहे, 6–6 महीने से मेडिकल लीव लेकर पड़े हैं। लेकिन आज तक इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। अस्पतालों में पट्टियां तक नहीं हैं। मरीज आते हैं, उनको लिख दिया जाता है कि बाजार से पट्टी खरीद लाइये। जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, जो आदमी बेहोश पड़ा है, खून निकल रहा है, उसको लिख दिया जाता है कि पट्टी लेकर आइये, बाद में आपका इलाज किया जाएगा, दवाइयां लेकर आइये उसके बाद आपका इलाज किया जाएगा। सारा बजट गांवों में आप खर्च करते हैं फिर भी, बड़े दुःख की बात है कि गांवों में पट्टी तक अस्पतालों में नहीं। गांवों के अस्पतालों में डाक्टर नहीं, यह हालत है गांवों की। और कहते हैं कि बजट का 61 प्रतिशत पैसा गांवों में खर्च किया जाएगा। कहां हुआ गांवों में खर्च? राजस्थान के जितने गांव हैं, उनके बारे में निवेदन कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय। आप धैर्य रखिये, आपके क्षेत्र में भी यही हाल है। इसलिये सारी आवश्यक सेवाएं अस्पताल वगैरह हैं, इनके बारे में बजट में जो प्रावधान रखा गया है, वास्तव में इसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। रैफरल अस्पताल खोलने की आपने घोषणाएं की हैं। पहले से हास्पिटल में जब डाक्टर्स नहीं है, तथा और आपने खोलने की घोषणा कर दी लेकिन जब डाक्टर नहीं होगा तो उसका बनेगा क्या? कौन आपके पैसे को काम में लेगा? आप सबसे पहले सुधार की बात करिये। जो वहां पर व्यवस्थाएं नहीं है, दवाई नहीं है, और कुछ नहीं है, उनके बारे में आप सोच-विचार करिये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

इसके साथ-साथ मैं दूसरा निवेदन करना चाहूंगा कि बजट का पैसा सड़क के लिये बताया गया है लेकिन मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सवाई माधोपुर सबसे बड़ा धार्मिक स्थान है—कैलादेवी सबसे बड़ा धार्मिक स्थान, श्रीमहावीरजी धार्मिक स्थान और श्रीगणेशजी महाराज का धार्मिक स्थान और मेहंदीपुर के बालाजी। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि वहां की सड़कें भी अधूरी पड़ी हुई हैं। श्री महावीरजी में जब राज्यपाल महोदय पधारे थे, वहां भी हमने मांग रखी थी कि श्री महावीरजी से जो सीधी नेशनल हाईवे को मिलाती है, उससे 40 किलोमीटर का फर्क पड़ता है। जो हिण्डौन होकर आती है उससे 40 किलोमीटर का फर्क पड़ता है। श्री महावीरजी आप जाते रहते हैं, आपको पता है। जो श्री महावीरजी को सीधी नेशनल-हाईवे से जोड़ती है, जो कच्ची बनी हुई है, वह दो साल से कच्ची पड़ी है। मैं, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की सड़क, जो

(श्री रामस्वरूप मीणा)

हिन्दुस्तान के सबसे बड़े तीर्थ स्थान में है, उनको बजट में प्राथमिकता दी जाय। आप नई सड़कों की घोषणा करते हैं, लेकिन उन सड़कों को जो अधूरी हैं, जिन सड़कों पर आपका पैसा लगा हुआ है, गांवों में जिनके लिये पैसा आपने खर्च करना बता रखा है, उन सड़कों पर बड़े-बड़े रोड़े और मिट्टी डालकर आपने छोड़ रखी है, उससे अच्छा तो कच्चा ही रास्ता था। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कम से कम धार्मिक स्थान पर जहां हिन्दुस्तान भर से लोग आते हैं. जिले की और राजस्थान की शान बढ़ाते हैं और जिससे आय होती है सरकार को, उन सड़कों को सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर लें ताकि जो पैसा आपका खर्च होगा उसका तुरन्त लाभ मिलेगा। आप नई सड़कों की घोषणा कर दोगे और फिर उनको अधूरी छोड़ दोगे इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिये जिला सवाई माधोपुर में जितनी भी अधूरी सड़कें हैं, कम से कम विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम का निवेदन कर रहा हूं कि वहां एक भी सड़क का निर्माण पिछले दो सालों में नहीं हुआ। माननीय मंत्री महोदय खुद घोषणा कर रहे हैं कि गांवों में विकास कर रहे हैं, गांवों में पैसा खर्च किया जायेगा, जिले तक में नहीं हुआ। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा आप कम से कम सड़कों पर तो निष्पक्ष रहे। यह नहीं सोचे कि हम विपक्ष में बैठे हुए हैं। आप हमेशा यही सोचते रहोगे कि हम विपक्ष में बैठे हुए हैं और हमको वहां की जनता हमेशा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

बनाती रहेगी, यह सोचकर आपने वहां विकास करना बिल्कुल छोड़ दिया। बहुत अच्छी बात है अगर आपने यह सोच रखा है तो जनता ने भी आपके बारे में यही सोच लिया। इसलिये आप वहां कम से कम इतना ध्यान दें। राज में बैठे हो, राजस्थान के मंत्री हो आप, कम से कम भेद-भाव तो मत बरतो इतना। अधूरी सड़कें पूरी करवा दो, नई नहीं बना सकते तो। इसलिये मेरा निवेदन है कि सड़कें जो अधूरी हैं, उनको पूरा किया जाय।

तीसरा मेरा निवेदन है कि पानी की सबसे बड़ी समस्या है। मंत्री महोदय, यहां विराजमान हैं। आप एक बार हमारे क्षेत्र में गये थे। चार नल योजनाएं, जिनके बारे मैं आपसे व्यक्तिगत भी मिला हूं, चारों नल योजनाओं में से एक भी स्वीकृत आपने नहीं की। इतना बड़ा भेद-भाव पानी के बारे में। पानी तो कम से कम दुश्मन को भी पिला देते हैं हम, हम तो विपक्ष में बैठे हैं। क्या फर्क पड़ता है ? मंत्री महोदय, बड़े दुःख की बात है। इसलिये मेरा निवेदन है कि पानी के बारे में जो बजट में रखा गया है, वह निष्पक्ष होकर इस पर खर्च किया जाय। आप एक बार मेंहदीपुर के बालाजी पधारे थे। आपके सामने वहां की नल योजना की बात आयी थी। आपने मन्दिर के सामने घोषणा की थी सबसे बड़ी योजना जल्दी मन्जूर कर दी जायेगी, टंकी बना दी जायेगी। आप बालाजी के मन्दिर में असत्य बोल सकते हो। मंत्री महोदय, + + +जवाब देना पड़ेगा आपको। आप

+ + +अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

वहां बराबर जाते हो, घोषणा कर आते हो कि बाई-पास बना देंगे। आज तक बाई-पास कहीं नहीं बना वहां पर। आप कहते हो कि पानी की बड़ी योजना पास कर देंगे। हिन्दुस्तान के

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

लोग वहां आते हैं और पानी के लिये तरसते हैं। आपने वहां आज तक टंकी तक नहीं बनाई। इसलिये, मंत्री महोदय, घोषणा आप मन्दिर में सोच-समझ कर किया करो।

माननीय गृह मंत्रीजी विराजमान हैं, मन्दिर-मस्जिद की हमेशा बात करते रहते हैं। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सबसे अधिक डकैती कहीं पड़ रही है तो मन्दिर में ही पड़ रही है। मेरे जिले सवाई माधोपुर के हिण्डोन के अन्दर देख लो, चोरी हो गई। हरदेवजी के मन्दिर से मूर्ति को लोग ले जा रहे थे। वह तो भाग्य से कैसे बच गया पुजारी। छह लाख की डकैती पड़ गई, अमूल्य हीरों को ले गए। इस तरह की हालत हो रही है। आप सुरक्षा पर पैसा खर्च कर रहे हो बजट में। आपने सुरक्षा पर रखा सारा मामला। मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है कि आप सुरक्षा के ऊपर पैसे को खर्च करने के बजाय पुलिस की व्यवस्था को सुधारो। जो लोग बैठे हैं पुलिस में, रात में दारू पीकर पड़े रहते हैं। एक भी वहां नहीं जाता थाने से। मस्ती मारते हैं। कोई पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है तो ये तब जाते हैं जब डकैत चले जाते हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं इस सम्बन्ध में रामकिशोरजी से कहूंगा। देवस्थान विभाग की व्यवस्था सुधारो, रामकिशोरजी से कहूंगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : बड़ी खुशी की बात है अगर आप उनको....

श्री भंवर लाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री) : माननीय सदस्य, जहां बालाजी की बात करते हैं, तो सबसे पहली योजना बालाजी में चालू की है इस सरकार ने। न कोई घोषणा की है हमने....

श्री रामस्वरूप मीणा : आज तक कोई टंकी बनाई है क्या ? कोई बाई-पास बनाया है क्या आपने ?

श्री भंवर लाल शर्मा : न कोई घोषणा की है, न कोई बात कही है।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिये कोई पानी की पूर्ति नहीं हो रही है।

श्री भंवर लाल शर्मा : जितना काम इस सरकार ने किया है, आपने कभी किया भी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल धाकड़।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसके साथ-साथ में निवेदन करना चाहूंगा परिवार नियोजन के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष : आखिर में बोले हैं, इसलिये सबसे ज्यादा टाइम दिया है आपको।

श्री रामस्वरूप मीणा : एक मिनट। परिवार नियोजन के लिये। माननीय

(श्री रामस्वरूप मीणा)

अध्यक्ष महोदय, आपने परिवार नियोजन के लिये सदस्यों को विशेष टाइम दिया है।

मेरा तो एक ही निवेदन है। परिवार नियोजन को वास्तव में व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाय तो जब तक हम सैद्धान्तिक रूप से नहीं अपनायेंगे, परिवार नियोजन को स्वयं को अपने पर अपनाना चाहिये। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी के कितने बच्चे हैं, देखना चाहिये। एम. एल. ए. साहिबान के कितने बच्चे हैं, देखना चाहिये। हम अपने जीवन में पहले परिवार नियोजन को लागू करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सहित हम सब को शामिल कर लेना चाहिये। परिवार नियोजन हमारी नीति है, हमारे पर लागू कर दी जाय। मैं तो घोषणा करता हूं यहां पर सदन के सामने आज के बाद मैं परिवार नियोजन के बारे में पूर्ण पालन करूंगा, जैसा भी आप कहोगे। इस प्रकार की सब घोषणा करें यहां पर। करो आप सब ब्रह्मचर्य का पालन, बनो ब्रह्मचारी। बहुत पैदा कर लिये बच्चे अब तक तो, अब इसके बारे में घोषणा करो सदन के अन्दर अगर आप असलियत में परिवार नियोजन की सहायता करना चाहते हैं तो। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, आप मेरी मदद कीजिये इस मामले में और सबसे घोषणा कराइये कि अब के बाद हम परिवार नियोजन अपनाकर एक भी बच्चा पैदा नहीं करेंगे। बुड्ढे हो गये, 60–60 साल के हो गये, बच्चों की लाइन लगा रखी है और बात करते हैं परिवार नियोजन की।

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छा। श्री चुन्नी लाल धाकड़।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पेश किया है, मैं उसकी सराहना करते हुए यह कहना चाहता हूं कि इस बजट में जो समुचित ध्यान रखा गया है, वह बहुत ही सराहनीय है। विशेषतौर से जो गांव पिछड़े हुए थे, जिन गांवों की कोई देखभाल नहीं हो पाई थी और, पिछली सरकार, कांग्रेस सरकार ने जिस भाई-भतीजावाद की नीति के साथ गांवों के साथ जो अनदेखी की थी, उस तरफ इस बजट में और इसके पिछले वाले बजट में पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है।

मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बेंगू में जहां चित्तौड़गढ़ जिले में पूरे 142 गांवों में हैण्ड पम्प नहीं थे। मेरे विधायक बनने से पूर्व केवल बेंगू तहसील में जिसके साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार किया गया था। जिसके अन्दर 142 गांवों में से 76 गांव ऐसे बचे हुए थे जहां पर हैण्ड पम्प नहीं थे। यहां पर जो बजट प्रस्तुत किया गया है, आपने उसको देखा है, इस बजट से बाजार में किसी प्रकार की कोई हल-चल आपने नहीं देखी होगी। जब कांग्रेस सरकार का बजट आता था तो बाजार के अन्दर दैनिक रोजमर्रा की चीजें गायब हो जाती थीं। इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण बात होती थी, लोग-बाग सकड़ाई में आ जाते थे लेकिन इस बजट से किसी को दुःख नहीं पहुंचा, आराम से लोग अपनी आवश्यकता की चीजें लेते रहे, खरीदते रहे।

इस बजट में बिजली के ऊपर विशेष तौर से ध्यान दिया गया है, वह भी सराहनीय है। योजनाबद्ध तरीके से काम हाथ में लिए गए हैं कि इस साल तक हम

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

इतने गांवों को कनेक्शन दे देंगे इस तरह की योजना बनाकर चल रहे हैं। उससे भ्रष्टाचार कम हुआ है। कांग्रेस के जमाने में जिसकी खूब चलती थी, जिसके पास पैसा होता था वह ले लेते थे। 10-10, 12-12 साल से जो फाइलें जमा थी, पड़ी रह गई कोई पूछने वाला नहीं था। वहां के अधिकारी, इंजीनियर्स और नेता आदि सब मिलकर रिश्वत बांट खाते थे, जो दे देते थे उनके कनेक्शन हो जाते थे और गरीब आदमी की पूछ नहीं होती थी। परन्तु इस सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से काम हाथ में लेकर सबको कनेक्शन देने की योजना बनाई है। जिसके कारण से सबको विश्वास हो गया कि हमारा नम्बर आ जायेगा, हमारे साथ अब कोई पक्षपात नहीं किया जायेगा।

जिन किसानों के यहां पानी नहीं बरसने से कुओं में पानी नहीं था, दो-दो वर्ष तक वह मोटरें भी कुओं पर नहीं ले गए थे उन किसानों से मिनिमम चार्जेज के नाम से पिछली सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने किसानों का जो शोषण किया है उस पीड़ा को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने समझते हुए मिनिमम चार्जेज की जगह एक्चुअल चार्ज लिए जाने की व्यवस्था की है।

इसके साथ-साथ कुछ जो कमियां थोड़ी बहुत हैं उनकी ओर मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस तरह से छोटे-छोटे उद्योगों को कनेक्शन में प्राथमिकता दी जाती है उसी तरह से किसानों को भी जो इस देश का अन्नदाता है, उनको भी प्राथमिकता दी जाय। क्योंकि खेती जो सबसे अहम् चीज है, किसान की रोजी-रोटी के साथ-साथ देश के सब लोगों का पेट भरने का धंधा है, जो वह करता है इसलिए सबसे पहले किसान के खेत में पानी पहुंचे। कुओं में पानी हो और कनेक्शन नहीं हो, तो किस काम का। अतः इस चीज को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

हमारी सरकार ने सामूहिक नलकूप योजना लागू की है, क्योंकि कई किसान मिलकर इस तरह से नलकूप खुदवा रहे हैं, उनको फायदा भी मिल रहा है। अगर मान लो कि पानी नहीं आया, मेरे इलाके में कई किसान ऐसे हैं जिनके यहां पानी नहीं आने से उनके घरों के गहने, जेवर वगैरह गिरवी रख गए या बिक गए। ऐसे किसानों के लिए जो बीमा योजना लागू की है वह वास्तव में अच्छी है। साथ ही मैं मुख्य मन्त्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो किसान नलकूप खुदवा रहे हैं उनको बिजली के कनेक्शन दिए जाने में प्राथमिकता दी जाय। क्योंकि नलकूप खुद जाता है और कनेक्शन नहीं होता है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है।

इसी तरह से अभी कांग्रेस के माननीय सदस्य बता रहे थे कि धार्मिक स्थानों को कोई महत्व नहीं दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे इलाके में, प्रजा मण्डल के जमाने में रूपाजी करपाजी, जो गोली खाकर शहीद हुए थे इस राज को लाने के लिए और उस राज को आप लोग भोगते रहे मगर आज दिन तक जिस स्थान पर वह शहीद हुए थे वहां पर सड़क बनाने की बात कभी नहीं सोची। पिछले वर्ष हमारे सार्वजनिक निर्माण मन्त्रीजी वहां पर पहुंचे थे, उन्हें इस बात को देखकर बड़ा आश्चर्य

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

हुआ था। उनका कहना था कि यह तो पूज्यनीय स्थान है, शहीद स्थल गोविन्दपुरा। जहां पर बड़े-बड़े दिग्गज और कांग्रेस के केन्द्रीय नेता तक पहुंचे थे लेकिन कभी उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा था। माननीय श्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी, सार्वजनिक निर्माण मन्त्रीजी के प्रयत्नों से आज वहां डामर की सड़क बन रही है। इसलिए आप लोग भूल में नहीं रहें कि यह सरकार काम नहीं कर रही है। धार्मिक स्थानों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। जिस तरह से सार्वजनिक निर्माण विभाग निर्माण कार्य कर रहा है, जो पंचायत मुख्यालय। किलोमीटर से कम है उनको प्राथमिकता दी जाय और सड़कों से जोड़ा जाय। अगले साल यह काम पूरा कर अगला काम लिया जाय। इस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है। जिसकी सब लोग, पंचायत के लोग, गांव के लोग सराहना कर रहे हैं।

सिंचाई के लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि जिस बांध का, डोराई बांध का स्वर्गीय श्री सुखाड़िया साहब ने शिलान्यास किया था वह इतने वर्षों तक अधर-झूल में झूलता रहा और आज हमारी सरकार उस काम को पूरा करने का प्रयास कर रही है, डोराई बांध का कार्य पूरा हो जायेगा। अगर वह बांध बन जाता है तो बेगूं इलाके के लिए वह एक वरदान सिद्ध होगा। इसी तरह से मैं सिंचाई मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां कहीं भी बहता हुआ पानी बहकर समुद्र में जा रहा है, उसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि किसान के खेत के एक-एक क्यारे में, जमीन में पानी पहुंच सके, इसका फायदा गांव को मिलेगा, किसान को मिलेगा, देश को मिलेगा।

मेरे इलाके में इस तरह की योजनाएं हैं, मेनाली बांध है, रूपारेल है, करेना बांध हैं, इनके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इनका सर्वे करवाया जाय। आज यह 40 साल पहले बांध बन जाते तो गांवों की स्थिति अच्छी होती, गांव की स्थिति अच्छी होती तो गांव वाले सड़क भी बनाते, स्कूल भवन बनाते, अस्पताल बनाते और उनके बच्चे-बच्चियां अच्छी तरह से पढ़ लिख सकते थे।

चिकित्सा के क्षेत्र में भी योजनाबद्ध कार्य चल रहे हैं। जहां पर पंचायत समिति है वहां पर रैफरल अस्पताल होगा। मेरे इलाके में 2 पी. एच. सी. निर्माण चल रही है, इनके अलावा 7 सब सेन्टर्स का काम चल रहा है। इस प्रकार के कार्य, गवर्नमेंट के कार्य गांवों की तरफ हो रहे हैं। वह बहुत ही सराहनीय है।

अपना गांव अपना काम योजना के अन्दर गांव वालों का इन्टरेस्ट जगा है, वह रुचि ले रहे हैं और काम कर रहे हैं। मेरे इलाके में स्कूल बिल्डिंग का काम चल रहे हैं, सड़कों के काम चल रहे हैं और लोग अपना काम समझ कर कर रहें हैं। अगर वह काम सरकार के भरोसे होते थे दो रुपये की जगह एक रुपया ही दिखता मगर आज वह ढाई रुपये का दिखाई देता है। गांव वालों की रुचि है।

इसी प्रकार से 30 जिले 30 काम की योजना है। मेरे इलाके में पीने के पानी का काम दिया गया है। मेरे यहां पर एक गांव ऐसा था जहां पर लोग 2–ढाई किलो

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

मीटर से पानी ला-ला कर पीते थे। आज उनके घरों में, गाड़ियों में कोठियां बन्धी हुई हैं लेकिन इस काम को हाथ में लेकर 4 किलोमीटर दूर से ट्यूब वैल लगाकर पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। पाइप पड़ चुके हैं।

इस प्रकार से मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है वह बहुमुखी विकास का बजट है। इसका फायदा हर वर्ग को मिलेगा।

शिक्षा के जगत में लड़कियों के लिए जो योजना रखी गई है, लड़कियों को छात्रवृत्ति देने की, उनको प्रोत्साहन देने की, वह भी गांव के विकास की बात है और इसका फायदा भी गांव के लोग उठायेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ में इस बजट की सराहना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंहजी गुर्जर। (अनुपस्थित)।....माननीय गृह मन्त्रीजी।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

अलवर में 10 साल की बच्ची की हत्या

श्री दिग्विजयसिंह (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 27–2–1992 को 8.30 ए. एम. पर टेलीफोन द्वारा थाना कोतवाली अलवर पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने सूचना दी कि सागर के पास जनाना महल चौक के खण्डहर में एक अज्ञात लड़की की लाश पड़ी हुई है। सूचना अपूर्ण थी, अतः थाने पर उपस्थित उप निरीक्षक मय पुलिस जाब्ते के तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचा। मृतका की लाश को देखकर पहिचान कराने का प्रयास किया। उसी समय श्री महावीर निवासी मोड़का फतेहपुर हाल लालखाना अखेपुरा ने भीड़ में से निकल कर लाश को पहचान कर बताया कि वह उसके बुआ के लड़के सम्पतराम की पुत्री "पूनम" की लाश है।

श्री महावीर ने एक लिखित रिपोर्ट घटनास्थल पर ही उपस्थित उप निरीक्षक थाना कोतवाली को दी कि उसके बुआ के लड़के सम्पतराम की लड़की पूनम उम्र करीब 10 साल कल दिनांक 26–2–1992 को करीब 3–4 बजे सायं से घर से गुम थी। जिसकी वे लोग तलाश कर रहे थे। सम्पतराम का दिमागी सन्तुलन ठीक नहीं हैं, इसलिए प्रार्थी स्वयं पूनम को तलाश कर रहा था। उसे सूचना मिली की एक लड़की की लाश महल चौक के पीछे एक फूटे हुए कमरे में पड़ी है तब वह यहां आया है। लाश को देखकर पूनम की होना मालूम हुआ। पूनम के मुंह में उसकी सलवार ठूंस रखी है, जिसके साथ बुरा काम करने से उसके गुप्तांगों पर निशान व खून आये हुए हैं। किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों ने उसकी भतीजी के साथ बलात्कार कर जान से मारा है।

उपरोक्त रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 166/92 दिनांक 27–2–1992 अन्तर्गत धारा 376,302 भारतीय दण्ड सहित थाना कोतवाली, अलवर पर पंजीबद्ध किया जाकर अन्वेषण आरम्भ किया गया। लाश का पंचनामा बनाया गया, मृतका को मारने के घटनास्थल से खून व बाल, चप्पल आदि सामान जब्त किया गया। लाश का

(श्री दिग्विजयसिंह)

मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम दिनांक 27–2–92 को करवाया गया एवं लाश मृतका बाद शव परीक्षण के वारिसान को दाह संस्कार हेतु सौंप दी गई। घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया, फोटो खिंचाए गए व सम्बन्धित गवाहान के बयान लिए गए। पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट के अनुसार पूनम की मृत्यु का कारण गला घुटने व दम घुटने से पाया गया। प्रधानाध्यापक ब्रह्मचारी माध्यमिक विद्यालय, अलवर के द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार कुमारी पूनम की जन्म तिथि 5–10–82 होना अंकित किया है। मृतका की मां श्रीमती राजो ने अपने पति के चाचा के लड़के से सम्पत्ति सम्बन्धी मामले की पुरानी रंजिश के कारण यह घटना कारित करने का शक किया है। परन्तु इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है। इस प्रकरण में बदमाश एवं दूषित चरित्र व संदिग्ध व्यक्तियों से भी गहनता से पूछताछ की जा रही है।

अन्वेषण की महत्ता को मध्य नजर रखते हुए पुलिस अधीक्षक, अलवर ने अपर पुलिस अधीक्षक, अलवर के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस दल गठित किया है। इस प्रकरण की तफतीश पुलिस उप अधीक्षक अलवर द्वारा की जा रही है।

दिनांक 27–2–92 को धानका समाज का एक प्रतिनिधि मण्डल पुलिस अधीक्षक, अलवर के सम्मुख अन्वेषण में अभियुक्तों का पता लगाने के सम्बन्ध में मिला था। इसी प्रकार दिनांक 2–3–92 को शिव सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा अलवर बन्द का आयोजन भी किया था, जिसके फलस्वरूप बाजार आंशिक रूप से 12 बजे तक बन्द रहे थे।

(7-22–सायं)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय सदस्य द्वारा अपने प्रस्ताव में यह आरोप लगाया है कि 25 फरवरी, 1992 को अपने घर से गायब हुई पूनम के पिता सम्पतराम ने स्थानीय कोतवाली को गुमशुदगी की रिपोर्ट दी, उसके बारे में पुलिस ने खोजबीन का कोई प्रयास नहीं किया। यह आरोप तथ्यों के अनुरूप नहीं है, क्योंकि कुमारी पूनम प्रथम सूचना रपोर्टकर्ता के कथनानुसार दिनांक 26–2–1992 को सांय 4 बजे से गुम होना बताया गया है।

यह भी सत्य नहीं है कि पुलिस अधीक्षक, अलवर ने अखेपुरा मौहल्ले के गरीब धानका समाज के लोगों से उपेक्षा-पूर्ण व्यवहार किया है। वास्तविकता यह है कि पुलिस अधीक्षक अलवर ने अपनी अभिरुचि दिखा कर विशेष पुलिस दल का गठन किया है व अन्वेषणकर्ता को तुरन्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। परन्तु सामान्य जन मानस में इस घटना को लेकर आक्रोश अवश्य है। मुकदमें की कामयाबी के लिए हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मन्त्री जी ने जो यह स्टेटमेंट दिया है, मैं समझता हूं कि जिस पुलिस ने अपने यहां यह कृत्य देखा है और जिस क्षेत्र में यह घटनाएं हुई हैं उसी पुलिस ने यह रिपोर्ट दी है। वास्तव में पूनम के पिताजी और पूनम की जो मां है वह

(श्री हेतराम बेनीवाल)

बीमार है और वह बिस्तर से उठ नहीं सकती। पूनम का बाप एक गरीब हरिजन है वह रिपोर्ट देने जब थाने में गया, उसने दुबारा जो जिला अधीक्षक के पास जाते हैं जुलूस लेकर उसको यह बात बताई है और वह सारे हिन्दुस्तान के उन अखबारों में छपी है जो प्रतिष्ठित अखबार हैं। हिन्दुस्तान का हिन्दुस्तान टाइम्स मेरे पास है, हिन्दुस्तान टाइम्स में यह खबर छपी है कि जो लोग गए उनको यह कहा तो निश्चित तौर से गुमशुदा की रिपोर्ट जिसके लिए जो मैंने आरोप लगाया है वह सही है कि 25 तारीख को गुमशुदा के लिए कहा। गुमशुदा की रिपोर्ट लिखी नहीं और यह कह दिया कि तुम देखकर आओ तब लिखेंगे। शाम को चार बजे जाकर लिखी मान लीजिए चार बजे भी लिखी तो पुलिस ने उसके बाद क्या कार्य किया?

उपाध्यक्ष महोदय, दस साल की बच्ची गुम गई और पुलिस ने उसके सिलसिले में कुछ भी नहीं किया। ना किसी पुलिस के कान्सटेबल को भेजा, ना किसी पुलिस के थानेदार को भेजा ना उस परिवार के किसी बच्चे को खोजने की कोशिश की कहीं भी और जब लाश मिली तब पुलिस के पास 200–250 हरिजन गए। शहर का सिर्फ हरिजनों का मोहल्ला अखेपुरा का वह गया और तब बिल्कुल सही है माननीय उपाध्यक्ष महोदय पुलिस अधीक्षक ने उनको यह कहा कि तुम मेरे पर 250–300 का रोब दिखाने आए हो। हमारी कार्यवाही जैसे चलेगी-चलेगी और उनको निकाल दिया। निकालने के बाद शिवसेना के लोग आए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब शिव सेना के लोग आए और शिव सेना के लोगों के साथ शहर के और नागरिक भी आये, व्यापारी भी आए और उन्होंने जाकर जब बाजार बन्द कर दिया, पूरा बाजार जब बन्द हो गया। माननीय मन्त्री महोदय मान रहे हैं कि बाजार बन्द हो गया तब जाकर अधीक्षक ने इसकी कार्यवाही शुरू की तो निश्चित तौर से इस तरह की घटना में जो देरी हुई है वह इस बात का कारण है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि बच्ची की लाश कहां मिली? लाश मिली कचहरी के पास वहां मिली जहां लोगों की आमदो रफ्त है जहां आना जाना है। सारा शहर जहां से गुजरता है उस सड़क के ऊपर लाश मिली। किस समय वह लाश डाली गई, किन ने डाली उनके प्राम, ताज्जुब की बात यह है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस लाश के पास लड्डू मिले एक थैली के अन्दर लड्डू मिले जो पुलिस पूरी तरह से या तो छिपा गई या माननीय गृह मन्त्री जी को किसी ने बताया नहीं। उन लड्डुओं के लिफाफे से, उन सारी चीजों से इस बात का, अगर वाकई पुलिस सीरियस होती तो इस बात का पता लगाया जा सकता था कि किसके हाथ लगे उन लड्डुओं को, क्या निशान लगे, उन्होंने कब्जा नहीं किया। ना तो लड्डू कब्जे में लिए ना उसकी और कोई चीज कब्जे में ली। वह निश्चित तौर से इस चीज को सीरियस न समझ कर के और यह समझते थे कि एक लड़की मर गई और हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि गृह मन्त्रीजी यह बताएं कि आज तक उन्होंने क्या कार्यवाही की? पुलिस किस जगह गई, किस-किस को इन्टेरोगेट किया? क्या वहां के

(श्री हेतराम बेनीवाल)

जो नगर के इस तरह के बदनाम लोग हैं उनको किसी को इण्टरोगेट किया, थाने में बैठाया, कुछ किया ? परसों भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पांच हजार महिलाएं जिलाधीक्ष के पास जुलूस लेकर प्रदर्शन करने गई। तो निश्चित तौर से जो इतना सीरियस मामला है कि सारा शहर जिससे ग्रान्दोलित है उसमें पुलिस की कार्यवाही इस तरह की रही है कि उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। माननीय गृह मन्त्रीजी बताएंगे कि ग्राप किसी भी ग्रधिकारी के खिलाफ जिसने वह रिपोर्ट लेने के बाद कार्यवाही नहीं की उसके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे ?

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा निवेदन है, यह ग्रलवर का मामला है, मैं भी इसमें दो मिनट चाहूंगा ग्रापसे। यह बहुत गम्भीर मामला है ग्रौर संगरिया से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही वह करीबन 75 परसेंट सही बात है।

श्री हेतराम बेनीवाल : 25 परसेंट कौनसी गलत है ?

श्री जगत सिंह दायमा : सुनिए ग्राप, यह ऐसा मामला नहीं है जिसको कि कोई राजनीति से जोड़ा जाए। सबसे गम्भीर मामला ग्रौर सबसे निकृष्ट मामला इससे बुरा कोई नहीं होगा कि एक ग्रबोध बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार हो ग्रौर उसमें भी हम किसी को बचाने के लिए करते हैं हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे इस बात में। यह सही है कि वह लड़की कचहरी के पीछे मिली, कचहरी में नहीं मिली, कचहरी के पीछे तालाब ग्रौर कुण्डा है तो उधर लोग बाग सुबह शाम ग्राते जाते हैं तो एक तो वह ऐसी जगह थी। दूसरी जो ग्रापने कही, मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस की जो बात है निकृष्टता की, मैं मेहरबानी करके ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं कि, मैं दो दिन वहां पर रह कर ग्राया हूं इसी मामले में वहां घर भी गया हूं उनके ग्रौर ग्रास-पास पड़ोसियों से भी मैंने जांच की है पूछा है ग्रौर वहां भी गया हूं मैं, सब जगह बात-चीत की है मैंने पुलिस की जहां तक बात है बहुत ग्रच्छे तरीके से वह काम कर रही है। 200 के करीब जो पहले इधर उधर पहले बलात्कार केस में या इस तरह के गलत कैसेज में जो फंसे हुए थे उन लोगों को बुलाकर के वह पूछ भी रही है।

श्री हेतराम बेनीवाल : 200 कौन-कौन से, किस-किस को बुलाकर बात की।

श्री जगत सिंह दायमा : ग्रब यह कोई बात नहीं है, मैं कह रहा हूं, मैं ग्रापकी भावना के साथ हूं परन्तु पूछ-ताछ कर रही है, बहुत गम्भीरता से पूछताछ कर रही है ग्रौर वहां के ग्रधीक्षक हैं जो बहुत ही ग्रच्छी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। कृपा करके इसको यहां ग्रभी सी. ग्राई. डी में देने की मांग मत कर देना क्योंकि जो काम वहां की पुलिस कर सकती है ग्रौर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापको निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें किसी ने कोई राजनीति या कुछ नहीं की, बाजार भी बन्द रहा, सारे पत्रकार, ग्रलवर की जनता चाहे वह किसी भी बिरादरी की हो, कोई भी हो सबने इसमें साथ दिया है ग्रौर सब यह चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ग्रभियुक्त पकड़े जाएं। ग्रब हुग्रा क्या कि कुछ ग्रभियुक्त जैसे पूछताछ करने के लिए पुलिस छापा मारने लगी,

(श्री जगतसिंह दायमा)

आने-जाने लगी तो कुछ इस तरह के लोग भाग कर के पहाडों में चले गए, बाहर चले गए यह सच्चाई है अब वह मिल नहीं रहे हैं। तो यह काम हो सकता है दो आदमियों ने किया हो, तीन आदमियों ने किया हो परन्तु इस तरह के जो गुण्डा तत्व हैं कम से कम 30–40 इस तरह के लोग हैं जो बाहर हैं कि इसी तरह से पता नहीं हमारे साथ क्या हो तो पुलिस तो बहुत ठीक तरह से काम कर रही है और पुलिस काम नहीं करेगी तो हम लोग भी बैठे हैं और आप लोग भी सब साथ हैं। इसमें उनको हर तरह से कि वो काम करें इसके लिए हम प्रयास करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं ने, पुलिस ने 500 रुपए तो इसके लिए इनाम के घोषित किए हैं और मैं स्वयं अपनी तनख्वाह से एक हजार रुपए घोषित करके आया हूं जल्दी से जल्दी इसका पता पड़ेगा तो मैं अपनी तनख्वाह से एक हजार रुपये दूंगा। इस तरह से सारे पत्रकारों से भी मैंने निवेदन किया है कि आप लोग तो गोलीबारी जहां होती है वहां पर भी जाकर फोटो खेंचते हैं, पता लगाते हैं तो आप भी जाकर पता लगाइये कि कौन ऐसा आदमी हो सकता है। सारी जनता का हमको सहयोग ले करके ऐसे जघन्य काण्ड की निन्दा भी करनी चाहिए और अपराधी पकड़े भी जाने चाहिए मैं इस पक्ष में हूं। धन्यवाद।

श्री केदारनाथशर्मा : मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं। इस स्टेटमेंट के दो पार्ट हैं। लाश मिलने के बाद आपने एफ. आई. आर. ली, मुआयना करवाया, कुछ लोगों से आपने पूछताछ भी की, आपने एक्टीविटीज की वहां तक तो ठीक है। मगर जब लड़की चली गयी घर से, गुम गयी और लाश तक, दूसरे दिन तक आपका स्टेटमेंट बिल्कुल साइलेन्ट है। इस दौरान आपने क्या कोशिश की, बच्चा जब गुम हो गया और शक हो गया तो आपकी पुलिस की कोई भी कार्यवाही, कोई भी एक्शन नहीं हुआ इसमें बताइये।

श्री जीतमल जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सांगरिया से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस घटना का वर्णन किया है वह अलवर से सम्बन्धित है। घटना के बाद मेरा भी अलवर जाना हुआ, उस मौहल्ले के अन्दर मैं गया, लगभग दो ढाई सौ लोगों से मेरी बात-चीत भी हुई केवल इस सारे कथन के अन्दर एक बात मैं माननीय सदस्य को करेक्ट करना चाहूंगा कि जैसी चर्चा हुई थी लाश जो है वह उस ग्राम रास्ते पर नहीं पड़ी थी। कचहरी के पीछे टैंक का सागर जो कहलाता है। हालांकि सागर तो बहुत बड़ा होता है लेकिन वहां जो टैंक है वह सागर के नाम से प्रसिद्ध है, उसके अन्दर कुछ खण्डहर है उस खण्डहर के अन्दर यह सारा जघन्य अपराध कुछ लोगों ने किया है। मैं वहां जब दो दिन रहा इस बीच में मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उसमें सभी राजनैतिक दलों के चाहे वह सत्तारूढ पार्टी के कार्यकर्ता हों चाहे विपक्ष में आज जो बैठे हैं उनके कार्यकर्ता हों, सब इस जघन्य अपराध के प्रति बड़े सचेत हैं और चाहते हैं कि किसी तरह

(श्री जीतमल जैन)

अपराधियों का पता लगे इसलिए पूरे प्रयास मे पुलिस पर पूरा दबाव डाल रहे हैं। मेरी इस बारे में रोज अधीक्षक से वार्ता होती है लेकिन मुश्किल यह है कि किसी प्रकार की पुलिस ने अभी तक अपराधी को पकड़ने में सफलता प्राप्त नहीं की है। जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, मेरी भी जानकारी है लगभग दो सौ लोगों को इन्टेरोगेट पुलिस कर चुकी है। यह बात बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी बात का पता नहीं लगा। किसी भी व्यक्ति को जब पुलिस इन्टेरोगेट करने के लिए बुलाती है तो उसी मौहल्ले के सौ दो सौ लोग वहां पहुंच जाते हैं कि आप इसको कैसे पकड़ते हैं यह तो निरपराध व्यक्ति है, प्रमाण-पत्र कि भई यह तो निर्दोष व्यक्ति है इस स्थिति के अन्दर काम बढ़ रहा है। लेकिन, मैं इसको राजनीति से परे करके इस प्रकार के अपराध कहीं भी हो हमें राजनीति से परे करके, इस प्रकार के जघन्य अपराधों के लिए हम सबको मिलकर अपराधियों का पता लगाने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। मैं आपको कह सकता हूं कि पुलिस इस बारे में बड़ी सतर्कता से और बड़े ढंग से काम कर रही है। कई बार जैसे पंकज हत्या काण्ड का मामला मैं समझता हूं राजस्थान की राजधानी में हुआ लेकिन आज इतने महीने पश्चात् भी पुलिस कोई सुराग नहीं पा सकी है। लेकिन इस कारण केवल पुलिस को, प्रशासन को बदनाम करने का कर सकते हैं लेकिन कम से कम अलवर के मामले में कह सकता हूं कि पुलिस पूर्णरूप से सजग है और बराबर काम कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ. चन्द्रभानजी। (व्यवधान) चन्द्रभानजी पूछ रहे हैं पहले।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्षजी, मैं पूछ रहा हूं कि अलवर वाले यह क्यों बोल रहे हैं कि इसमें अलवर को बदनाम मत करो इसमें अलवर क्या है। सबसे बड़ी बात यह है, मैं माननीय सदस्य अलवर से आने वाले से कहना चाहूंगा कि ये सारी सूचना उसके बाप ने पुलिस को दी और पुलिस ने उसको कोई, बहुत बड़ा सीरियस मामला है। आप यह कह रहे हैं कि पुलिस बड़ी अच्छी है। आप भी माननीय मन्त्रीजी खड़े हुये कि पुलिस बड़ी अच्छी है और जब पुलिस अच्छी है तो फिर खराब कौन है। जब पुलिस ठीक है तो फिर क्या वजह है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हेतरामजी साहब आपको सवाल हीं तो पूछना है।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्षजी, अगर यह लड़की किसी बहुत बड़े रईसजादे की होती तो निश्चित तौर से वहां की पुलिस और सारा प्रशासन लगता ढूंढने में। गरीब आदमी की लड़की थी इसलिए पुलिस ने.....

श्री उपाध्यक्ष : डॉ. चन्द्रभान।

श्री जगतसिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें गृह मन्त्रीजी और यहां से कुछ विशेष व्यक्ति अगर इसमें जा करके हमारा सहयोग करें, यहां से भी कोई टीम का गठन कर दें और अधिकारियों को लगा दें तो इसमें तो है। परन्तु इसमें यह नहीं कि वहां से यहां मामला हट जाये तो फिर यहां वाले इतना इन्ट्रेस्ट नहीं लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है। डॉ. चन्द्रमानजी।

डॉ. चन्द्रमान : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही दुःख की बात है कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य इस घटना को इतना जनरलाइज कर रहे हैं कि कृष्णा या पंकज के हत्यारे 6 महिने 4 महिने नहीं पकड़े गये तो 15 दिन में यहां यह जो लड़की पूनम है इसके हत्यारे नहीं पकड़े जाते हैं तो इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं है। इससे मैं इत्तफाक नहीं रखता और मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा और माननीय हेतरामजी ने वक्तव्य दिया कि उस लाश के पास में लड्डू का लिफाफा पाया गया और उसके घर वालों ने सन्देह भी प्रकट किया है कि उनके परिवार के नजदीक कोई रंजिश थी। चूंकि लड्डू का लिफाफा पाया गया है। दस साल की अबोध लड़की थी उसको ललचा कर के जरूर ले गये हैं। तो क्या जिन पर सन्देह व्यक्त किया गया उनमें से किसी व्यक्ति को इन्टेरोगेट किया गया या नहीं किया गया है?

दूसरा जो 100 लोग या 200 लोग हैं या 40 लोगों की चर्चा माननीय बचत राज्य मन्त्रीजी ने और अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी की है उन लोगों के बारे में जानकारी दें और उन लोगों को छुड़ाने के लिए कौन लोग जाते हैं। जब पूरा अलवर शहर, सब राजनैतिक दलों के लोग सब इस मामले में एक मत हैं, इसके विरोध में है तो इन लोगों को छुड़ाने के लिए कौन लोग जाते हैं इसकी जानकारी कृपया दें। और यह जो प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ रही हैं, गिरफ्तारी के मामले में, आज हमको पूरा आश्वासन दे, अन्यथा यह पुलिस की प्रशंसा करना छोड़ें कम से कम सरकार की तरफ से।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मन्त्रीजी।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि मेरे वक्तव्य में यह बात मैं भूल गया था जो आप कह रहे हो इसमें लिखी हुई है कि लाश का पंचनामा बनाया गया मृतका को मारने की घटना स्थल से खून, बाल एवं चप्पल एवं लड्डू आदि सामान जब्त किया या वह है।

दूसरा प्रश्न जो आपने कहा कि 25 तारीख को रिपोर्ट दर्ज की जैसा मैंने आपसे कहा कि 25 को नहीं 26-2-92 को सांय चार बजे इसकी रिपोर्ट का पता लगा। जैसी मेरी जानकारी है, मैंने मालूम किया कि 26 की रात को शाम को कोई बरात निकल रही थी उसको उस समय जब पैसे वगैरह फैंकते करते हैं तो पैसे उठाते हुए भी किसी ने देखा। यह भी मालूम किया। उसके बाद में फिर सवेरे 27-2-92 को साढ़े आठ बजे तो उसकी लाश मिल ही गयी, पता लग गया इसलिए 26 की शाम को यदि घटना हुई और 27 को सुबह साढ़े आठ बजे मृत मिली तो आप ही अन्दाज लगा सकते हैं कि उस दरमियान पुलिस ने जितनी कोशिश की। उसकी बात आई है, 25 को रिपोर्ट दर्ज हुई।

श्री हेतराम बेनीवाल : पुलिस को 26 की रात को गया हुआ मान लें।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह गम्भीर मसला है और मैं भी इसको गम्भीर रूप से लेता हूं और मैंने पुलिस को भी इसके सम्बन्ध में कड़े से कड़े निर्देश दिये हैं कि इस मामले के अन्दर कोई भी दोषी हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी असामाजिक तत्व हो शीघ्रातिशीघ्र उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके और यह जघन्य अपराध जिसने किया है उसको दण्डित किया जाना चाहिए। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि इसमें कोई दुर्भावना या कोई राजनीति वाली बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तद्‌नन्तर सदन की बैठक सायंकाल 7.37 बजे मंगलवार, दिनांक 10–3–92 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

———————

227

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 215 की सूची

जिलेवार डार्क जोन भूमि का क्षेत्रफल :

क्र.सं.	जिला	डार्क जोन (वर्ग कि.मी.)
1.	अजमेर	801·92
2.	अलवर	4131·99
3.	बाड़मेर	1626.46
4.	बांसवाड़ा	शून्य
5.	भरतपुर	690.97
6.	भीलवाड़ा	50.12
7.	बीकानेर	शून्य
8.	बून्दी	101 78
9.	चूरू	130.19
10.	चित्तौड़गढ़	959.01
11.	धौलपुर	1246.99
12.	डूंगरपुर	शून्य
13.	जयपुर	5472.23
14.	दौसा	
15.	जैसलमेर	शून्य
16.	जालौर	5333.41
17.	झालावाड़	1859 04
18.	झुन्झुनू	2385.34
19.	जोधपुर	4157.29
20.	कोटा	151.50
21.	बांरा	
22.	नागौर	1547.47
23.	पाली	1474.18
24.	सवाईमाधोपुर	1062.94
25.	सीकर	1698.83
26.	सिरोही	1426.76
27.	टोंक	2.57
28.	उदयपुर	शून्य
29.	राजसमन्द	शून्य
	योग :	36310.99 वर्ग कि. मी.

वर्गीकृत जोनस् की सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	संख्या		वर्गीकरण		
		पं. सं.	जोन	व्हाईट	ग्रे	डार्क
1.	अजमेर	8	22	5	13	4
2.	अलवर	14	28	3	2	23
3.	बांसवाड़ा	8	18	18	—	—
4.	बाड़मेर	8	19	15	1	3
5.	बारां	7	14	12	1	1
6.	भरतपुर	9	15	7	3	5
7.	भीलवाड़ा	11	25	19	4	2
8.	बीकानेर	4	14	14	—	—
9.	बूंदी	4	11	9	1	1
10.	चित्तौड़गढ़	14	41	24	10	7
11.	चूरू	7	26	23	1	2
12.	दौसा	4	14	3	–	11
13.	धौलपुर	4	9	3	1	5
14.	डूंगरपुर	5	10	9	1	–
15.	जयपुर	13	39	10	6	23
16.	जैसलपुर	3	25	25	–	—
17.	जालौर	7	56	14	6	36
18.	झालावाड़	6	9	6	1	2
19.	झुंझुनूं	8	26	9	2	15
20.	जोधपुर	9	55	36	3	16
21.	कोटा	5	11	10	–	1
22.	नागौर	11	86	67	6	13
23,	पाली	10	55	29	8	18
24.	राजसमंद	7	19	19	–	—
25.	सवाईमाधोपुर	11	29	19	3	7
26.	सीकर	8	27	5	6	16
27.	सिरोही	5	20	11	1	8
28.	टौंक	6	15	11	2	2
29.	उदयपुर	11	28	26	2	–
	योग:	227	766	461	84	221

परिशिष्ट-2

तारांकित प्रश्न संख्या 224 की सूची

राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	जिला कार्यालय	कुल बीमेदार	क्र.सं.	जिला कार्यालय	कुल बीमेदार
1.	अजमेर	27191	21.	जालोर	9755
2.	ब्यावर	5230	22.	जोधपुर शहर	22067
3.	अलवर	25242	23.	जोधपुर ग्रामीण	8170
4.	भरतपुर	18669	24.	नागौर	19191
5.	धौलपुर	8543	25.	पाली	15868
6.	जयपुर	60895	26.	सिरोही	8269
7.	सचिवालय	16265	27.	बीकानेर	31020
8	दौसा	8431	28.	चूरू	17552
9.	झुंझुनू	15535	29.	श्री गंगानगर	16193
10.	सवाई माधोपुर	24931	30.	हनुमानगढ़	9311
11.	सीकर	17331	31.	बून्दी	13430
12.	टोंक	12709	32.	झालावाड़	13204
13	बांसवाड़ा	14514	33.	कोटा	24075
14.	भीलवाड़ा	20268	34.	सी. ए. डी. कोटा	1241
15.	चित्तौड़गढ़	22143	35.	बारां	11450
16.	डूंगरपुर	13114			
17.	उदयपुर	33244			
18.	राजसमन्द	12393		योग	593023
19.	बाड़मेर	8790			
20.	जैसलमेर	6789			

क्र.सं. जिला/कार्यालय का नाम	पत्रावलियों के स्थानान्तरण के अभाव में बकाया बीमा स्वत्व मामले दि. 31-1-92	क्र.सं. जिला/कार्यालय का नाम	पत्रावलियों के स्थानान्तरण के अभाव में बकाया बीमा स्वत्व मामले दि. 31-1-92
1. अजमेर	—	22. नागौर	20
2. ब्यावर	—	23. पाली	29
3. अलवर	11	24. सिरोही	—
4. भरतपुर	—	25. बीकानेर	—
5. धौलपुर	26	26. चूरू	4
6. दौसा	—	27. गंगानगर	—
7. झुन्झुनू	—	28. हनुमानगढ़	4
8. स. माधोपुर	—	29. बूंदी	—
9. सीकर	18	30. झालावाड़	—
10. टौंक	—	31. कोटा	32
11. बांसवाड़ा	7	32. बांरा	3
12. भीलवाड़ा	2	33. सी. ए. डी	—
13. चित्तौड़गढ़	6		
14. डूंगरगढ़	—	योग :	
15. उदयपुर	2		
16. राजसमंद	16	जयपुर जिला	—
17. बाड़मेर	1	सचिवालय	17
18. जैसलमेर	—	मुख्यालय	
19. जालौर	—		
20. जोधपुर (शहर)	26	कुल योग :	224
21. जोधपुर (ग्रामीण)	—		

परिशिष्ट–3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित

प्रश्न एवं उनके उत्तर

राज्य के शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के आधार पर वरिष्ठता निर्धारण

226. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) एवं **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग में विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षणार्थियों की स्थायी वरिष्ठता सूची नहीं होने या उनके लिये बोनस अंकों की अलग से व्यवस्था नहीं होने की वजह से अन्य प्रान्तों के नवीन प्रशिक्षणार्थियों की तुलना में वे चयन हेतु पीछे रह जाते हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार प्रशिक्षित व्यक्तियों की स्थायी वरिष्ठता सूची बनाने, बोनस अंक देने या अपने प्रान्त के व्यक्तियों को प्राथमिकता दिये जाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं ।

आयुर्वेद औषधालय मिर्जापुर में रिक्त पद

227. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बारां) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम मिर्जापुर जिला बारां के आयुर्वेदिक औषधालय में कितने पद कब से रिक्त हैं ?

(2) रिक्त पदों को सरकार अब कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजकीय आयुर्वेद औषधालय मिर्जापुर जिला बारां में आयुर्वेद चिकित्सक, नर्स/कम्पाउण्डर एवं परिचारक के पदों पर पदस्थापन किया हुआ है। कोई भी पद रिक्त नहीं है ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

लक्ष्मणगढ़ (अलवर) मुख्यालय पर जल आपूर्ति

228. **श्री ईश्वरलाल सैनी** (लक्ष्मणगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर मुख्यालय के लिए पर्याप्त जल आपूर्ति बाबत जलदाय विभाग द्वारा पानी की बड़ी टंकी का वर्ष 1980 में निर्माण प्रारम्भ किया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त टंकी की गलत डिजाइन तैयार होने के कारण एवं तकनीकी त्रुटियों से वह आज तक अधूरी पड़ी हुई है ?

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

(3) क्या यह सही है कि उक्त टंकी की जगह एक अन्य टंकी का निर्माण किया गया किन्तु वह इतनी छोटी बनी है कि उससे कस्बे में पानी की आपूर्ति अपर्याप्त है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त अधूरी पड़ी टंकी की गलत डिजाइन एवं त्रुटिपूर्ण निर्माण के लिए कोई जांच की गई थी ? क्या जांच में कोई अधिकारी या अधिकारीगण दोषी पाये गये ? यदि हां, तो उनको क्या सजायें दी गई ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या यह सही है कि छोटी टंकी से कस्बे को जल आपूर्ति पर्याप्त नहीं होने के कारण जिला अधिशाषी अभियन्ता द्वारा राज्य सरकार को दूसरी बड़ी टंकी निर्माण के लिए कोई योजना प्रस्तावित की गई है ?

(6) राज्य सरकार ने प्रस्तावित योजना की स्वीकृति हेतु अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) निर्माण वर्ष 1983 में प्रारम्भ किया गया था ।

(2) जी हां ।

(3) दूसरी टंकी जिसका निर्माण किया गया वह अधूरी पड़ी टंकी से छोटी नहीं अपितु बराबर की क्षमता की बनाई गई, अतः इस कारण से पानी की आपूर्ति अपर्याप्त होने का प्रश्न नहीं उठता है ।

(4) प्रारम्भिक जांच के पश्चात अग्रिम कार्यवाही प्रगति में है ।

(5) जी नहीं ।

(6) योजना प्रस्तावित नहीं है ।

पंचायत समिति सपोटरा की आय

229. **श्री प्रभूलाल पटेल** (सपोटरा) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सपोटरा पंचायत समिति ने अपनी निजी आय को वर्ष 1990-91, 1991-92 में किस-किस कार्य में खर्च किया तथा कितनी राशि शेष रही ?

(2) पंचायत समिति को कितनी आय किस-किस मद से होती है ? आय बढ़ाने के लिए पंचायत समिति ने क्या साधन अपना रखे हैं ?

(3) शिक्षा कर की कितनी राशि किस-किस स्कूल में या अन्य किस कार्य में खर्च की गई ?

उत्तर

(1) कार्यों की सूची सदन के पटल पर रख दी है । उक्त वर्षों को निजी आय को क्रमशः 1,77,503.90 एवं 1,83,475·75 रुपये की राशि शेष रही है ।

(2) मदवार आय की सूची संलग्न है । अपनाये गये साधन मदवार सूची में अंकित हैं ।

(3) शिक्षा कर की कुल राशि 21, 769·60 रु. व्यय की गई है । स्कूलों पर खर्च राशि व कार्यों की सूची सदन की पटल पर रख दी गई है ।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तारांकित प्रश्न संख्या 230 (स्थगित)

वर्ष 1991-92 में बैंक व बस डकैती के मामले

231. श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जनवरी, 1991 से जनवरी, 1992 तक कुल कितनी बैंक डकैती, बस डकैती और लूटपाट हुई है ?

(2) इन मामलों में कितने केसेज में अपराधियों का पता लगा, कितना माल बरामद हुआ और कितने केसेज ऐसे हैं जिनका कोई सुराग नहीं मिला ? जिन केसेज में अपराधी पकड़ लिये उन मामलों में क्या हुआ ?

उत्तर

(1) जनवरी, 1991 से जनवरी, 1992 तक की अवधि में राज्य में 2 बस डकैती तथा 1360 लूट पाट की घटनाएं हुई हैं। इस अवधि के दौरान कोई बैंक डकैती की घटना घटित नहीं हुई है।

(2) बस डकैती के दोनों अभियोगों में अपराधियों को गिरफ्तार कर 1 बस व 1,00,000 रुपये बरामद किये जा चुके हैं। लूटपाट की घटनाओं में से 637 अभियोगों में बाद गिरफ्तारी एवं रुपये 1,15,62,035 रुपये का माल बरामद किया जाकर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है तथा 204 अभियोगों में अपराधियों का पता नहीं लगा है। 132 अपराध, अनुसंधानाधीन है तथा 387 अपराध अनुसंधान से असत्य पाये गये। जिन अभियोगों में अभियुक्तों का पता नहीं लग सका है उनकी पतारसी के भरसक प्रयास किये जा रहे हैं।

जिला बीकानेर के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

232. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक एवं अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त जिले में अध्यापकों के अभाव में कई उच्च प्राथमिक विद्यालय बन्द पड़े हैं ? यदि हां, तो इन विद्यालयों में कब तक अध्यापकों की पूर्ति कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रधानाध्यापकों (वरिष्ठ अध्यापकों) के 11 पद रिक्त हैं।

(2) जी नहीं।

आयुर्वेदिक औषधालय, पीपली का भवन

233. श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय पीपली "अ" पंचायत भवन में चल रहा है और पंचायत मुख्यालय पीपली "ब" में है ?

(श्री दयाराम परमार)

(2) क्या यह भी सही है कि औषधालय भवन पीपली "अ" में बनकर तैयार हो गया है? यदि हां, तो उक्त भवन में औषधालय चलाने में क्या कठिनाइयां हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं । राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, पीपली वर्तमान में पीपली "ब" में चल रहा है, जहां पंचायत द्वारा भवन की व्यवस्था हुई है ।

(2) जी हां । पंचायत द्वारा प्रस्ताव दिनांक 6-3-92 को ही प्राप्त हुआ है । उस पर विचार किया जा रहा है।

बाली (पाली) नगर की पेयजल आपूर्ति

234. **श्री अमृतलाल परमार** (बाली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही कि बाली नगर की पेयजल समस्या के निवारण के लिए हुडको की स्कीम के तहत जुवाई नहर से बाली तक पानी लाने की योजना केन्द्र सरकार से स्वीकृत हो चुकी हैं ?

2) सरकार यह कार्य कब से प्रारम्भ करने जा रही है व अब तक इस योजना में क्या प्रगति हुई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) योजना का कार्य आवश्यक धनराशि के उपलब्ध होने पर प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है । योजना की स्वीकृति विचाराधीन है ।

जमवारामगढ़ में न्यायालय की स्थापना

235. **श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर** (जमवारामगढ़) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार की तहसील मुख्यालय पर न्यायालय खोलने की योजना है ? यदि हां, तो तहसील जमवारामगढ़ मुख्यालय पर सरकार कब तक मुंसिफ न्यायालय खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता है ।

थाना रूपनगढ़ (अजमेर) में महिलाओं के साथ बलात्कार का मामला

236. **श्री बिरधाराम चौधरी** (मकराना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि थाना रूपनगढ़ जिला अजमेर में अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ बलात्कार, करने का मामला मु. नं. 19/89 दर्ज हुआ था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त बलात्कार से पीड़ित महिलाओं ने बयान दिये थे ? यदि हां, तो उक्त बयानों में बलात्कारी मुल्जिम कौन-कौन थे ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री बिरधाराम चौधरी)

(3) क्या यह सही है कि महिलाओं एवं गवाहन के बयानों के बाद अभी तक मुल्जिमान के खिलाफ चालान प्रस्तुत नहीं किया गया है ?

(4) क्या यह भी सही है कि रिपोर्टकर्ता व पीड़ित महिलायें जो अनुसूचित जाति की हैं, ने गृह विभाग को मुल्जिमान के खिलाफ चालान कराने बाबत निवेदन किया है ? यदि हां, तो उस पर विभाग ने क्या कार्यवाही की है ? क्या सरकार मुल्जिमान को गिरफ्तार कर चालान पेश करने की कार्यवाही शीघ्र करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि थाना रूपनगढ़ जिला अजमेर पर अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ बलात्कार के सम्बन्ध में प्र. सं. 19/87 दर्ज किया गया था न कि प्र. सं. 19/89 ।

(2) यह सही है कि बलात्कार से पीड़ित उक्त महिलाओं ने बयान दिये थे कि उनके साथ सोना, छोटू, भंवरलाल द्वारा अलग-अलग बलात्कार किया था ।

(3) बलात्कार के संबंध में प्र. सं. 19/87 धारा 147, 366 भा. द सं.

(4) पंजीकृत किया गया सर्व प्रथम इस अपराध का अन्वेषण स्थानीय पुलिस द्वारा किया गया था, तत्पश्चात् अपराध का गहन अनुसंधान विशिष्ट महानिरीक्षक पुलिस, अपराध एवं सतर्कता, राज. जयपुर के आदेश से सी. आई. डी. (सी. बी.) द्वारा करवाया गया । गृह विभाग में इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ । हर तीनों मगवाईया श्रीमती उकड़ी, चन्द्री, अन्तर के कथन धारा 164 जा. प्रो. के अन्तर्गत लेखबद्ध कराये गये । उसी के क्रम में सम्बन्धित साक्षीगण के कथन श्री अन्वेषण के दौरान लेखबद्ध किये गये जिसके अनुसार अभियोग झूठा पाया गया । जिसके फलस्वरूप अपराध में अंतिम प्रतिवेदन अदम वकू दिया गया एवं परिवादी के विरुद्ध धारा 182 भा. द सं. के अन्तर्गत इस्तगासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

शिक्षकों की स्थानान्तरण नीति

237. श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) एवं श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में इस वर्ष (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) सहायक अध्यापकों, वरिष्ट अध्यापकों, कनिष्ठ प्रवक्ताओं एवं प्रधानाध्यापकों के कुल कितने स्थानान्तरण किये गये ? जिलेवार संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) विभागीय स्थानान्तरण नीति की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उक्त स्थानान्तरणों में स्थानान्तरण नीति का विभाग ने पालन किया है ? शिक्षा विभाग (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) में स्थानान्तरण नीति के उल्लंघन के कितने मामले राज्य सरकार के पास आये उनमें से कितने विचाराधीन हैं ?

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

(4) राज्य सरकार ने विभाग में स्थानान्तरण से संबंधित कितने राज्यादेश दिये ?

उत्तर

(1) सत्र 1991-92 में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणी शिक्षकों के स्थानान्तरण की जिलेवार सख्या का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) विभागीय स्थानान्तरण नीति की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) जी हां । नीति विरुद्ध स्थानान्तरण के 3567 अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से 942 उचित पाये जाने पर निष्पादित कर दिए गए ।

(4) कोई नहीं ।

(विवरण व प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

जिला बूंदी के मदिरालय

238. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बूंदी जिले में कितनी अधिकृत देशी वं भारत निर्मित अंग्रेजी शराब की दुकानें इस वर्ष खोली गई हैं ? मय गांव व स्थान के सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) शराब की दुकान खोलने के क्या नियम हैं ? क्या बूंदी जिले में इन नियमों का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) शराब की दुकानों को खोलने व बन्द करने का नियमानुसार समय क्या है ? उक्त नियम व समय का पालन न किये जाने पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जाती हैं ?

(4) क्या शराब की दुकानों की जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों द्वारा सन् 1991 में जांच की गई है ? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी द्वारा किस-किस तारीख को तथा क्या-क्या अनियमितताएं पाई गईं व उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि जांच नहीं की गई, तो क्यों ?

(5) क्या शराब के ठेकेदारों द्वारा जिले में अनाधिकृत स्थानों पर मनमाने दामों पर शराब बेची जाती है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं ? अब कब तक क्या कार्यवाही सरकार करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्व जिला बूंदी में देशी मदिरा की मुख्य 70 व देशी मदिरा उप दुकान 25 एव भारत निर्मित विदेशी मदिरा खुदरा की 8 दुकान इस प्रकार कुल 103 दुकाने इस वर्ष में खोली गई हैं ।

विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है ।

(2) राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 के अन्तर्गत व देशी मदिरा की लाइसेंस की शर्त संख्या 11 व भारत निर्मित विदेशी मदिरा के लाइसेंस की शर्त सं. 27 के अन्तर्गत क्रमशः देशी एवं भारत निर्मित

(आबकारी मंत्री)"

विदेशी मदिरा की दुकानों की अवस्थिति (लोकेशन) स्वीकृत की जाती है। नियम व शर्तों की प्रतिलिपि संलग्न है "परिशिष्ट 'ब' राजस्व जिला बूंदी में दुकानों का लोकेशन स्वीकृत करते समय इन नियमों का पालन किया गया है।

(3) शराब की दुकानों को खोलने व बन्द करने के लिए देशी मदिरा/भारत निर्मित विदेशी मदिरा शर्त सं. क्रमश: 12 (क)/12 के अन्तर्गत मदिरा का विक्रय का समय प्रातः 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक तक है। तथा उक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 58 (सी) के अन्तर्गत विभाग द्वारा अभियोग पंजीकृत किया जाकर आवश्यक कार्यवाही की जाती है। धारा 58 (सी) की प्रति संलग्न है (परिशिष्ट "स")

(4) शराब दुकानात राजस्व जिला बूंदी की कलक्टर तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा वर्ष 1991 में कोई जांच नहीं की गई है। विभागीय अधिकारियो में आबकारी निरीक्षक बूंदीनगर द्वारा दिनांक 30-10-91 को देशी मदिरा उप दुकान मीरागेट बूंदी तथा दिनांक 30-10-91 को भारत निर्मित विदेशी मदिरा खुदरा दुकान बूंदी नं. 1 का निरीक्षण किया गया निरीक्षण करने पर मदिरा दुकानात पर कार्यरत नौकर का नौकरनामा, स्टाफ पंजिका तथा स्वीकृत अवस्थिति (लोकेशन मानचित्र) की प्रति दुकान पर नहीं पाई जाने के कारण अनुज्ञा-पत्र की शर्तों एवं आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 58 (सी) के अन्तर्गत अभियोग क्रमश: 50/91-92 तथा 31/91-92 पंजीकृत किये गये हैं। जो गैर कार्यवाही है।

(5) अनाधिकृत स्थानों पर शराब विक्रय की शिकायत आने पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है। शराब के ठेके एकाकी विशेषाधिकार की राशि पर टेण्डर प्रणाली द्वारा दिये गये हैं। जहां तक शराब की दुकानों पर विक्रय मूल्य का प्रश्न है उस पर विभाग का कोई नियंत्रण नहीं है।

(विवरण व प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला भरतपुर हेतु जल आपूर्ति

239. श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भरतपुर जिले की पेयजल आपूर्ति हेतु क्या चम्बल नदी से कोई योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो योजना की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) इस योजना की स्वीकृति में विलम्ब के क्या कारण हैं ? सरकार इसे कब तक स्वीकृत करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) लगभग 160.54 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि के बताये गये प्रारम्भिक प्रस्ताव के अनुमान की प्रति संलग्न है।

(2) योजना भारत सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत की गई है।

RAJASTHAN WATER SUPPLY PROJECT BHARATPUR DISTRICT AND ADJOINING VILLAGES OF DHOLPUR DISTRICT FROM CHAMBAL RIVER

GENERAL ABSTRACT OF COST

S. No.	Particulars.	Amount (Rs. in lac)	Gross Amount (Rs in lac)
PACKAGE—1			
1.1	Provision for feeder pipe line from Chambal to Dholpur.	1818.70	
1.2	Provision for feeder pipe line from Dholpur to Roopbas.	4483.00	
1.3	Provision for feeder pipe line from Roopbas to Sewar.	4549.14	
1.4	Provision for feeder pipe line from Sewar To Mallah.	151.25	
		11002.09	11002.09
PACKAGE—2 :			
2.1	Provision for feeder pipe line from Sawar to Kumher.	937.39	
2.2	Provision for feeder pipe line from Kumher to Deeg	748.35	
2.3	Provision for feeder pipe line from Deeg to Kaman.	503.36	
2.4	Provision for feeder pipe line from Kaman to Pahari.	358.11	
2.5	Provision for Feeder pipe line from Kumher to Nadbai.	429.73	
2.6	Provision for feeder pipe line from Deeg to Nagar.	413.00	
		3389.94	14392.03

S No.	Particulars.	Amount (Rs. in lac)	Gross Amount (Rs. in lac)
	PACKAGE--3 :		
3.1	Provision for feeder pipe line from Roopbas to Bayana.	1067.52	
3.2	Provision for feeder pipe line from Bayana to Weir.	404.02	
3.3	Provision for feeder pipe line from Weir to Bhusawar.	189.53	
		1661.07	16053.10

फतेहपुर-मण्डावा-दिल्ली वाया झुंझुनूं डीलक्स-बस सेवा

240. डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा विगत एक वर्ष में फतेहपुर, मण्डावा दिल्ली एक्सप्रेस बस मण्डावा से जयपुर वाया हनुमानपुरा ढ़िगाल मुकुन्दगढ़ और पिलानी से जयपुर वाया झुंझुनू की डीलक्स बस सेवा को बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या निगम उक्त बस सेवाओं को पुनः प्रारम्भ किये जाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या निगम झुंझुनूं से हेतमसर, मण्डावा, फतेहपुर और झुंझुनू से ढ़िगाल हनुमानपुरा, मण्डावा फतेहपुर के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बस सेवाओं में सुधार हेतु कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। इन वाहन सेवाओं को आय लगातार कम आने के कारण बन्द कर दिया गया है।

(2) फतेहपुर से दिल्ली सेवा का संचालन ग्रीष्मकालीन समय सारिणी में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। शेष मार्गों मंडावा से जयपुर वाया हनुमानपुरा-ढिगाल-मुकन्दगढ़ सीकर एवं पिलानी से जयपुर वाया झुंझुनूं डीलक्स बस सेवा का संचालन वर्तमान में अनार्थिक होने के कारण फिलहाल इन सेवाओं को पुनः प्रारम्भ किये जाने का कोई विचार नहीं है।

(3) झुंझुनूं से मण्डावा-फतेहपुर वाया डिगालनुआ-हेतमसर-जयसिंहपुरा-हनुमानपुरा एवं झुंझुनू से फतेहपुर वाया आबूसर-हेतमसर-वहीदपुर-मण्डावा-चलोद-ताजसर राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम द्वारा वर्तमान में संचालित की जा रही वाहन सेवाओं को क्रमशः औसतन 43 प्रतिशत एवं 58.5 प्रतिशत यात्री भार ही उपलब्ध हो रहा है जिसे देखते हुए इन मार्गों पर बस सेवाओं में और वृद्धि किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

नावां क्षेत्र में सीनियर हायर सैकण्ड्री, सैकण्ड्री एवं मिडिल स्कूलों की क्रमोन्नति

241. हरिश चन्द्र कुमावत (नावां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) नावां विधान सभा क्षेत्र में चालू वर्ष में कितने सीनियर हायर सैकण्ड्री, सैकण्ड्री एवं मिडिल स्कूल खोले गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या ग्राम श्यामगढ़ के माध्यमिक विद्यालय को सीनियर हायर सैकण्ड्री में क्रमोन्नत करने को जनता द्वारा मांग की गई थी ? ग्राम श्यामगढ़ जहां पर्याप्त भवन है, को माध्यमिक विद्यालय से सीनियर हायर सैकण्ड्री में क्रमोन्नत नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या ग्राम चितावा तहसील नावां के उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की मांग

(श्री हरीश चन्द्र कुमावत)

बार-बार की जाती रही है ? यदि हां, तो अब तक माध्यमिक विद्यालय नहीं खोले जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) नावां विधान सभा क्षेत्र में चालू वर्ष में एक प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया विभिन्न श्रेणी के विद्यालय मानदण्ड गुणावगुण एवं वित्तीय साधनों की उपलब्धता के आधार पर खोले जाते हैं।

(2) जी हां। इस वर्ष के उपलब्ध वित्तीय प्रावधान के अनुरूप गुणावगुण के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जा चुके हैं। जिसमें यह विद्यालय शामिल नहीं किया जा सका।

(3) जी हां। राज्य के सीमित वित्तीय साधनों में विद्यालय क्रमोन्नति सम्बन्धी सभी मांगों को पूरा करना सम्भव नहीं है।

ट्रेडीशनल सोर्स वाटर सप्लाई स्कीम

242. **श्री रमाकान्तशर्मा** (थानागाजी) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ट्रेडीशनल सोर्स वाटर सप्लाई स्कीम जिन-जिन गांवों में अब तक प्रारम्भ हुई है उनको सरकार के निर्णयानुसार विभाग को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेना था।

(2) यदि नहीं लिया गया, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य मंत्रिमण्डल द्वारा इस आशय का एक निर्णय दिसम्बर, 1989 में लिया गया था।

(2) विभाग, मंत्रिमण्डल को किये गये निर्णय पर पुर्नविचार करने की कार्यवाही कर रहा है।

एकता यात्रा की व्यवस्थाओं पर व्यय

243. **श्री केदार नाथ शर्मा** (श्री गंगा-नगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) एकता यात्रा पर राज्य का विभिन्न आवश्यक प्रबन्धों पर कितना खर्चा हुआ ?

(2) इस एकता यात्रा के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या विशेष प्रबन्ध किये गये ?

उत्तर

(1) पुलिस विभाग द्वारा किये गये उपरोक्त सभी प्रबन्धों पर कुल 5,78,779/ रुपये 66 पैसे का खर्चा हुआ।

(2) एकता यात्रा के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस विभाग द्वारा समुचित मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया।

तारांकित प्रश्न संख्या 244 (स्थगित)

डीग (भरतपुर) की पेयजल व्यवस्था

245. **श्री अरुण सिंह** (डीग) एवं **श्री यदुनाथ सिंह** (नदबई) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या डीग में पीने के पानी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से यमुना के पानी के लिये कोई वार्ता चल रही है ? यदि हां, तो इस आधार पर सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) इस बातचीत का अब तक क्या परिणाम रहा ?

उत्तर

(1) जी हां। योजना का अनुमान संलग्न है।

(2) नहर से पानी दिये जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक करोड़ रुपये की राशि की मांग की है जिसके प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है।

(243)

Augmentation of Urban Water Supply Scheme : DEEG DISTT. BHARATPUR

General Abstract of cost from Agra Canal off take Point. to Bahaj

PART—'A'

S. No.	Particulars.	Amount (in lac Rs.)
1.	Provision for construction of outlet channel and shutter at Agra Canal off take point.	2.00
2.	Provision for construction of pump and pump house at Agra Canal.	1.74
3.	Provision for providing laying and jointing of 500 mm. dia AC Pr. Pipe class-10 in a length of 68 Km. and, 450 mm. dia A.C. Pr. Pipe class-10 in a length of 12Km.	129.11
4.	Provision for providing and installation of pump set at Agra Canal off take point and raw water tank at Bahaj. (i) Agr. Canal Q-84.38 LPS, H-48M. HP 110 (3 Nos) (ii) Raw Water Ta k at Bahaj. Q=62. 5 LPS, H=15 M and HP 25 (3 Nos.).	8.10
5.	Provision for construction of raw water tank 1 03 LPS and apacity for 7 days storage with pump house and pump at head works Bahaj @ Rs. 14.56 per Cu.m.	15.00
6.	Provision for construction of RG filter plant to treat 2 MGD water including chemical equipments @ Rs. 12 lacs per MGD.	24.00
7.	Construction of RCC CWF. 625 Kl. capacity with Pump house at Head works Canaj.	3.93
8.	Construction of Civil works at Head works Bahaj. (i) J-2 Type quarter-2 Sets. (ii) J. En. Quarter with office one Set.	6.10

	(iii) Store Shed at Bahaj (1 No.)	
	(iv) Compound Wall.	
9.	Provision for Power connection at Agra canal and Bahaj.	13.50
10.	Provision for land acquisition.	7.50
11.	Provision for T. & P.	0.50
12.	Provision for non-exchange Telephone Line.	3.40
	Total (Part 'A')	214 88

PART — 'B'

1.	Provision for providing laying and jointing of A.C. Pressure pipe class-10 300 mm dia in a length of 4 Km. from Bahaj C. W. R. to City C. W. R. Deeg.	10.60
2.	Provision for providing and installation of pumping machinery at C.W.R. Bahaj.	1.80
3.	Provision for Construction of RCC, SR at Deeg 450 KL capacity 18 Mtr. Stagging.	8.00
4.	Provision for providing laying and jointing of pipe line including modification of old distribution system.	5.10
5.	Provision for construction of Civil works.	10.70
6.	1- 'D' Type quarter 1 set. 2- 'E' Type quarter 1 set. 3- E.E. Office Building 1 No. 4- J-2 type quarter 2 sets.	
	Total (Part 'B')-	37.26

Total of Part 'A'-		214.88
Total of Part 'B'-		37.25
	Total (A+B)-	252.13
Add 4.5% contingencies & Supervision charges-		11.3
	Total-	263.4
Add 11% prorata charges-		28.9
	Total 1-	292.4
	Say- Rs.	292.50 Lacs.

246

परिशिष्ट—4

तारांकित प्रश्न संख्या 213 की सूची

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, नीमकाथाना

नीमकाथाना क्षेत्र में स्वीकृत खनन पट्टा की सूची मय खनिज के

क्रमांक—नाम पट्टाधारी	क्षेत्र		खनिज
1. सर्व श्री ओरियन्टल टाल्क प्रोडेक्ट—प्रा. लि. नीमकाथाना	200 × 150 मीटर	रामपुरा सह, नीमकाथाना	मारबल
2. श्री किशन अग्रवाल	100 × 100 मीटर	मूदोली	मारबल
3. श्रीमती कमला देवी	100 × 100 मीटर	छावनी नीमकाथाना	मारबल
4. श्री जीवणराम हरिजन	100 × 100 मीटर	करजी	,,
5. श्री दोलतराम गोयल	,,	नामोद	,,
6. श्री बनवारीलाल चौधरी	,,	दरिबा	,,
7. श्रीमती भगवती देवी	,,	मूदोली	,,
8, ,, ,,	,,	छावनी नीमकाथाना	,,
9, श्री बनवारी लाल अग्रवाल	150 × 150 मी,	माकडी	,,
10. सर्व श्री वेस्ट केमिकल्स एण्ड लाईम एण्ड लाईम स्टोन इ. नीमकाथाना	884·50 है.	मावण्डा	लाईम स्टोन
11. सर्व श्री मोदी मिनरल ग्राईंडिंग मिल्स प्रा. लि. नीमकाथाना	100 × 100 मी.	माकडी	मारबल
12. ,, ,,	,,	माहवा	,,
13. श्री रुडमल अग्रवाल	,,	बगडावा	,,
14. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल	,,	हीरोद	,,
15. सर्व श्री लक्ष्मी मारबल एण्ड ग्रेनाईट प्रा. लि. नीमकाथाना	,,	छावनी नीमकाथाना	,,
16. ,, ,,		,,	,,
17. श्रीमति सीता देवी	,,	दरीबा	,,
18. श्री सीताराम अग्रवाल	,,	हीरोल	,,
19. ,, ,,	,,	,,	,,
20. श्री हनुमान सैनी	,,	,,	,,
21. सर्व श्री हरिओम मिनरलर्स स्थानान्तरण श्री अजय जैन ।	150 × 150 मी.	असामपुर	,,
22. श्री चिरंजीलाल सोनी	100 × 100 मी.	दरीबा	,,

23. श्री गोरी शंकर	,,	माच्याखरखडा	,,
24. श्री छगनलाल मोदी	,,	नीमोद	,,
25. श्री रुडमल अग्रवाल	,,	पाच्याखरखडा	,,
26. श्री शिम्भूदयाल	,,	हीरोद	,,
27. श्री सोहन सिंह	,,	टोडा	,,
28. श्रीमति गीतादेवी	,,	जीटला	ग्रेनाईट
29. श्रीमति चन्द्र राठोड	,,	जीटला	,,
30. श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल	,,	नाथरोडी	मारबल
31. श्रीमति सावित्री देवी	,,	टोडा	,,
32. श्री ओमप्रकाश	,,	माकडी	,,
33. श्री परमेश्वलाल मोदी	,,	मामतोडाकी ढानी	,,
34. श्री आचार्य धर्मेन्द्र नाथ	,,	जीटला	ग्रेनाईट
35. ,, ,,	,,	,,	,,
36. श्री दयाल चन्द	,,	,,	,,
37. श्री ,,	,,	,,	,,
38. श्री रघुनाथ प्रसाद	,,	,,	,,
39. कालू सिंह	100 × 100 मी.	डाबला नीमकाथाना	ग्रेनाईट
40. श्री दिनेश कुमार भूपेश	,,	,,	,,
41. श्रीमति प्रेमलता अग्रवाल	,,	मिडालाकीढानी	मारबल
42. श्री सुरेश कुमार अग्रवाल	,,	नैनगवास	ग्रेनाईट
43. श्री रामकिशोर अग्रवाल	,,	जैतपुरा	,,
44. श्री मालीराम गुंर्जर	,,	रायपुर	मारबल
45. श्री गणपत चारण	9,200 वर्ग मी.	जैतपुरा	ग्रेनाईट
46. श्री देवीसिंह तंवर	100 × 100 मी.	रायपुर	मारबल
47. श्रीमति फूल कंवर	,,	जैतपुरा	ग्रेनाईट
48. कुमारी कौशल्या मोदी	,,	,,	,,
49. श्री ओमप्रकाश कुमावत	,,	मालियों की ढानी निमोद	मारबल
50. श्री चन्द्रशेखर शर्मा	,,	कानीखोरी	,,
51. श्री जीतेन्द्र नाथ स्वामी	,,	जैतपुरा	ग्रेनाइट
52. श्री महावीर प्रसाद	,,	,,	,,
53. श्री नृपतसिंह राठोड़	,,	डाबला	,,
54. श्री मदनसिंह राठोड़	,,	,,	,,
55. श्रीमति नजहत बानो	,,	भगवानपुरा	,,
56. श्रीमति सन्तरा देवी	,,	जैतपुरा	

57. श्रीमति विजय लक्ष्मी	,,	,,	,,
58. श्री तन्द्रादेवी	,,	,,	,,
59. श्री प्रदीप शर्मा	,,	,,	,,
60. श्री नन्द किशोर सोनी	,,	डाबला	,,
61. श्री नृपतसिंह शेखावत	,,	,,	,,
62. श्री सुशील कुमार सुनदरिया	,,	भगवानपुरा	,,
63. श्री राजेश सुन्दरिया	,,	रापासर	,,
64. श्रीमति सुशीला देवी	,,	रापासर	,,
65. श्री रामवतार अग्रवाल	,,	जैतपुरा	,,
66. श्री ओमप्रकाश गुप्ता	,,	जीटला	,,
67. श्री बीरबल गुप्ता	100×50 मीटर	मादरवाली	चेजा" पत्थर
68. श्री राम साई	200×50 मीटर	मूदोली	,,
69. श्री मूलचन्द जाट	150×50 ,,	प्रितमपुरी	,,
70. ,, ,,	120×50	,,	,,
71. श्री रामलाल जाट	230×70 ,,	,,	,,
72. ,, ,,	250×70	,,	,,
72. श्री सत्यनारायण चमार	100×60 ,,	भराला	,,
73. ,, ,,	130×50 ,,	,,	,,
74. शिव ब्रिक्स फैक्ट्री	100×80 ,,	ढानी डूगरवाली मूदोली	ईट मिट्टी
75. श्री महेशचन्द भारद्वाज	7525 वर्ग मीटर	प्रमसिंह की डूंगरी गांवडी	चेजा पत्थी
76. श्री रामजीलाल जाट	100×100 ,,	मावण्डाकला	चेजा पत्थर
77. श्री रघुवीर सिंह	,, ,,	,,	,,
78. श्री नरेन्द्र जाट	,, ,,	,,	,,
79. श्री ज्ञानचन्द बलाई	,, ,,	मूदोली	,,
80. श्री रामजीलाल जाट	,, ,,	मादरवाली डूगरी	,,
81. श्री रघुवीर सिंह	,, ,,	,,	,,
82. सर्व श्री मोदी मिनरल ग्राईडिंग मिल्स प्रा लि. नीमकाथाना	32·5423 हैक्टर्स	मावण्डाकला	सिलिकासेण्ड
83. ,, ,,	38·85 है.	खडकबीजपुर	बैरायटीज
84. ,, ,,	32·37 है	नोराया	कैलसाईट
85. ,, ,,	32·37 है.	किशोरपुरा	क्वार्टज
86. ,, ,,	32·37 है.	मावण्डा	कैलसाईट
87. ,, ,,	96·56 है.	,,	डोलामाईट

1	2	3	4	5
88.	,, ,,	72·52 है.	रायपुरटीलीवाली	कैसलाईट
89.	श्री बनवारीलाल अग्रवाल	114·38 है.	काली डूंगरी (माकडी)	डोलामाईट
90.	सर्व श्री लक्की मिनिमेट प्रा. लि. नीमकाथाना ।	996 हैक्टर	रामपुरा, बनुपुरा	लाईम स्टोन
91.	श्री नन्दलाल अग्रवाल	32·37 है.	मावण्डा	डोलामाईट
92.	सर्व श्री मोदी मिनरल ग्राईडिग मिल्स प्रा. लि. नीमकाथाना	38·85 है.	मुलकपुरा. रायपुर	कैलसाईट
93.	सर्व श्री मोदी लेवीगेटेड कोम्रोलीन प्रा. लि. नीमकाथाना	44·03 है.	नरेडा	आयरनओर डोलामाईट
93.	सर्व श्री ओरियन्ट टाल्क प्रा. लि. नीमकाथाना	41·13 है.	रामपुरा	कैलसाईट लाईम स्टोन
94.	श्री मोदी मिनरल ग्राईण्डिज मिल्स प्रा. लि. नीमकाथाना	36 हैक्टर	किशोरपुरा	क्वार्टज एण्ड सिलीकासेण्ड
95.	,, ,,	46·51 है.	खडकवीजपुर	वैरायटीज
96.	,, ,,	259 हैक्टर	माहवा	डोलामाईट
97.	,, ,,	49·9435 है.	बिहारीपुर	कैलसाईट
98.	,, ,,	32·50 है.	माकडी	गारनेट एण्ड फैलसपार
99.	श्री विष्णु कुमार अग्रवाल	166·33 है.	दूदावासा	फेलसपार एण्ड क्वार्टज
100.	श्री फूलचन्द खटाणा	39 हैक्टर	सोहनपुरा	क्वार्टज एण्ड सिलिकासेण्ड
101.	सर्व श्री रामसिंह ओमप्रकाश नारनोल (हरियाणा)	99·5781 है.	खरवडा	क्वार्टज एण्ड सिलिकासेण्ड
102.	सर्व श्री बेस्ट केमिकल्स लाईम एण्ड लाईम स्टोन इड.	98·50 हैक्टर	दूदावास	फलस्पार
103.	श्री महेन्द्र कुमार गोयल	51·75 हैक्टर	हीराजी की ढानी	क्वार्टज, ग्रेफाई क्रिस्टिल क्वार्टज यलोओकर

1	2	3	4	5
104.	श्रीमति मधु अग्रवाल	36 हैक्टर	बागावाला	क्वार्ट्ज
105.	श्री हरीकिशन मित्तल	200 हैक्टर	रायपुर	कैलसाईट
106.	श्री आनन्द कुमार अग्रवाल	141·6750 हैं.	आदिया	सिलिकासेण्ड एण्ड क्वार्ट्ज
107.	श्री प्रेमसिंह शर्मा	87·5 हैक्टर्स	रामसिंह की	एण्ड सिलिकासेण्ड
108.	सर्व श्री हरिओम मिनरलर्स	150 हैक्टर	अलामपुर	क्वार्ट्ज
109	श्री हरीकिशक मितल	129·50 है.	डाकप	क्वार्टज एण्ड ऐब्रेसिव गानेट।
110.	श्री बनवारीलाल अग्रवाल	37·6838 है.	नानगवास	आयरओर
111.	,, भरतकुमार बंसल	42·31 है.	मावण्डा ऊपरला	सिलिकासेण्ड एण्ड क्वार्ट्ज
112.	,,मति मधु अग्रबाल	36·63 है.	गनेश्वर	क्वर्टिज
113.	श्री बनवारीलाल	143 है.	गांवडी	क्वाटर्ज एण्ड सिलिकासेण्ड
114.	,, ,,	158·23 है.	नानगकावास	आयरओर
115.	श्रीमति मधु अग्रवाल	67·35 है.	चिफलाटा	क्वार्ट्ज
116.	श्री मोदी मिनरल ग्राईण्डिग मिल्स प्रा. लि. नीमकाथाना	35 है.	कुण्डाला की ढाणी	क्वार्टज
117.	सर्व श्री लक्की मिनिमेट प्रा. लि. नीमकाथाना	884·50 है.	रामपुरा, बल्लूपुरा	लाईमस्टोन
118.	सर्व श्री वेस्ट केमिकल्स लाईम स्टोन इड. नीमकाथाना।	967·63 है.	मावण्डा	लाईम स्टोन
119.	सर्व श्री वेस्ट केमिकल्स लाईम स्टोन इ.ड नीमकाथा	32·37 है.	जीलो	कैलसाईट लाईम स्टोन
120.	श्री फतेहचन्द	43·16 है.	गुहाबा	कैलरजाइह
121.	,, भरत कुमार बंसल	44 है.	जोली	सिलिकासेण्ड एण्ड क्वार्ट्ज
122.	,, भरत कुमार बंसल	32·33 है.	जैतपुरा	क्वार्टज

ह०

सहायक खान अभियन्ता नीमकाथाना

251

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनिज अभियन्ता, नीमकाथाना।

खण्डेला श्री माधोपुर में स्वीकृत खनन पट्टो की सूची मय खनिज :—

क्रमांक	नाम पट्टाधारी	क्षेत्र	खनिज
1.	श्री गणेश कुमार अग्रवाल	533·63 है. नि. ग्राम दावरा—रामपुरा	मारबल
2.	,, नाथूराम जाट	100×मी.×100 मी. नि. ग्रा. नारपुरा	मारबल
3.	,, निरंजन लाल अग्रवाल	100 मी.×100 मी. निकट ग्राम कारोई	मारबल
4.	,, निरंजन लाल अग्रवाल	100 मी.×100 मी. निकट ग्राम करारेइ	मारबल
5.	,, प्रभाती लाल	100 मी.×100 मी. निकट ग्राम कोटडी	मारबल
6.	,, प्रभाती लाल जाट	100 मी.×100 मी. निकट ग्राम कोटडी	मारबल
7.	श्री महेन्द्र सिंह	100 मी.×100 मी. नि. ग्राम नारपुरा	मारबल
8.	,, रघुनाथ जाट	100 मी.×100 मी. नि. ग्राम नारपुरा	मारबल
9.	सर्व श्री सुप्रीम मारबल	100 मी.×100 मी. नि. ग्रा. कारोई	मारबल
10.	सर्व श्री सुप्रीम मारबल	100 मी.×100 मी. नि. ग्राम कारोई	मारबल
11.	श्री सम्पत कुमार शर्मा	154·44 है. निकट ग्राम अजीतगढ़	चेजा पत्थर बजरी एण्ड ग्रेनाईट
12.	श्रीमति गीता देवी	100 मी×100 मी. निकट ग्राम पारोरा	ग्रेनाईट
13.	श्रीमति पुष्पा देवी	100 मी.×100 मी. नि. ग्रा. पारोरा	ग्रेनाईट
14.	सर्व श्री पाईराईट फास्फेट	500 मी.×100 मी. नि. ग्रा. सुलेल	मारबल
15.	,, ,,	200 मी.×100 मी. नि. ग्रा. केरपुरा	मारबल
16.	,, ,,	100 मी.×100 मी. नि. ग्रा. पनीहारवास	ग्रेनाईट

Page No. 252

(252)

1	2	3	4
17.	श्री सोहन लाल आर्य	100 मी.×100 मी. नि. ग्राम नाखडी	,,
18.	,, श्रीमति चमेली देवी	100 मी.×100 मी. नि. ग्रा. कोटडी	मारबल मारबल
19.	श्री धर्मेन्द्र शर्मा	100 मी.×100 मी. नि. ग्रा मानाकान	(कोटडी—मारबल
20.	,, अमित कुमार गुप्ता	100 मी.×100 मी. नि. ग्राम. पारोरा	ग्रेनाईट
21.	श्री भवानी सिंह	9815 व. मी. निकट ग्राम नारपुरा	मारबल
22.	श्री कुतुबुदीन	100 मी.×100 मी. निकट ग्रा. कोटडी	मारबल
23.	श्री हरी प्रसाद कुमावत	100 मी.×100 मी. निकट ग्रा. मानाकावाली ढानी (कोटडी)	मारबल
24.	मर्व श्री पाईराईटस फास्फेट लिमिटेड सलादीपुरा	518 है. निकट ग्राम सलादीपुरा	पाईराईट, फास्फेट (सल्फर श्रोर)
25.	श्री फूलचन्द मीणा	60×50 मी. नि. ग्रा. खण्डेला	चेजा पत्थर
26.	श्री कैलाश चन्द	250×75 मी. नि. ग्राम. मऊ-पहाड़ी	चेजा पत्थर
27	,, ,,	100×50 मी. ,,	,,
28.	,, ,,	50×75 मी.	,,
29.	श्री अमरजीत सिंह	60×60 मी. नि. ग्रा. अऊ	ईंट मिट्टी
30.	,, सोहन सिंह चौधरी	100×210 मी. नि. ग्रा. कांवट	चेजा पत्थर
31.	,, मोहन लाल गुर्जर	100 मी×100 मी. नि. ग्रा. सेवली	,,
32.	श्री भंवर सिंह	100×1100 मी. नि. ग्रा. मऊ पहाड़ी	,,
33.	श्री बजरंग लाल सैनी	100 मी.×100 मी. नि. ग्रा. थोई	,,
34.	कैप्टीन शिवराम सिंह	100×100 मी. नि. ग्रा. मऊ पहाड़ी	,,
35.	श्री गोपी लाल शर्मा	39·00 है. नि. ग्राम. रिवरोटी	क्वार्टज
36.	,, ग्यारसी लाल अग्रवाल	35·00 है. नि. ग्राम शिपर	,,
37.	श्री पोकर मल	42.33 है. नि. ग्रा. झांडली	,,
38.	,, महेश कुमार मोदी	5·75 है. नि. ग्रा. पाथलपुर	,,

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न संख्या 331 की सूची

क्र. सं.	नाम किरायेदार	किराया प्रतिमाह	कब से किराये पर दी गई।
1	2	3	4
1.	सुरेश चन्द्र वर्मा	100	11-2-77
2.	कैलाश प्रसाद पाटोदिया	100	17-2-79
3.	कैलाश प्रसाद पाटोदिया	100	28-8-85
4.	श्रीराम माली पुत्र श्री घेवर	100	22-12-71
5.	राम प्रताप पुत्र पन्नालाल शर्मा	170	2-10-68
6.	हरेन्द्रसिंह गुर्जर	100	2-7 -87
7.	राम लाल सैनी पुत्र श्री नारायण	100	26-7-67
8.	रामस्वरूप बड़ाया पुत्र मांगीलाल	200	16-7-86
9.	कैलाशचन्द्र शर्मा पुत्र श्री नारायण	100	1-9 -80
10.	जगूमाली	100	9-8 -89
11.	मोतीलाल पुत्र बाबूलाल	100	1-2 -68
12.	लच्छा माली	40	8-2 -68
13	बाबुमाली	40	26-8-68
14.	नाथूलाल सैनी पुत्र भौंरी लाल	50	2-8-68
15.	लच्छीराम सैनी पुत्र लादुराम	50	3-6-70
16.	नारायण माली	50	1-6-68
17.	रामजी लाल माली पुत्र चन्द्रा	100	23-4-74
18.	किशोरी लाल कोली	50	23-12-83
19.	मिठुराम सैनी पुत्र रामलाल	50	24-12-70
20.	मूलचन्द सैनी पुत्र भोलाराम	30	26-12-70
21.	रामनारायण सैनी पुत्र चन्दर सैनी	30	4-6-76
22.	लच्छीराम सैनी पुत्र लाडुराम	30	1-6-70
23.	गंगासहाय सैनी पुत्र टीपुराम	30	12-12-70
24.	नानक राम सैनी पुत्र ग्यारसा लाल	30	9-6-76
25.	ओंकार नाथ भार्गव	30	1-6-79
26.	टीकूमल पुत्र मोजूमल	40	1-9-79
27.	बाबूलाल पुत्र पन्नालाल	50	6-11-79

(254)

1	2	3	4
28.	नरेश चन्द्र स्वामी	250	1-4-86
29.	बाबूराम सैनी	40	4-2-86

खाम–दुकान

1. श्री रामकिशोर पुत्र श्योबक्स सुनार	5.06 पैसे	1956 से
2. श्री जगन्नाथ पटवा पुत्र रघुनाथ पटवा	7.00 पैसे	1956 से
3. श्री गंगासहाय पुत्र छाजूराम हरियाणा	3.19 पैसे	1956 से
4. श्रीमान लाल पंजाबी पुत्र सूरजमान	1-31 पैसे	1-2-66

ह०
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका, बांदीकुई
जिला जयपुर (राज.)

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 332 की प्रति

Rajasthan Municipalities (Disposal of Urban Land) Rules 1974.

18. Allotment of land to Public and Charitable Institutions.--

** ('(1) No land shall be allotted for a price less than the sanctioned reserve price except for categories covered under Rule 17; provided that land for schools and other public and charitable institutions may be allotted on payment of 50% of the sanctioned reserve price or with the prior approval of the State Government, free of any charge or at concessional rates.)

(2) If any land is required by the Government from the Board the following price shall be paid by Government :--

(a) Cost of land, if the land was acquired by the Board by making compensation and cost of development plus 20% to cover administrative and other establishment charges to the Board.

(b) In case of Nazool land, the Government shall pay only the cost of development plus 20% to cover the establishment and administrative charger to the Board.

(c) If the land required by the Government was alredy developed before it was transferred to Board, no development charge shall be payable but if any additional development has been undertaken by the Board that development charge plus 20% thereof shall be paid by Government to the Board.

(d) Above mentioned principles shall also apply in case of land belonging to the Board if allotted to Universities or other statutory or non-statuory bodies under Government orders.

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 345 का विवरण

फलासिया क्षेत्र के उ. प्रा. माध्यमिक एवं सीनियर उ. मा. वि. में स्वीकृत रिक्त पदों की विद्यालयवार स्थिति

क्र. सं. शाला नाम	स्वीकृत पद			अध्यापक										रिक्त पद			
रा.सी.उ मा.वि. (छात्र)	प्रधानाचार्य	उपप्रधा.	व्या.	व. अ.	अ. III	शाशि III	शाशि III	पुस्त III	प्रशा. III	उद्योग II	वलि	वलि	चश्रेक	प्रशासे	प्रध	व्या	शा.	कलि
1. फलासिया	1	1	–	9	8	1	–	1	1	—	1	1	3	1	–	1	–	–
2. झाडोल	1	1	7	9	5	1	1	–	1	—	2	1	7	1	–	1	1	–
3. कोटड़ा	1	1	12	3	5	1	–	1	1	—	1	1	4	1	1	4	1	1
	3	3	19	21	18	3	1	2	4	—	4	3	14	3	1	6	2	1

रा.मा.वि. (छात्रा) शाला नाम	प्रधानाध्यापक	व्या.	व.अ.	अध्या.	प्रशासं.	शाशि	पुस्त	वलि.	कलि.	चश्रेक	प्रशासे	प्रअ	वअ	अ	व	क	प्र.
1. मामेर	1	–	6	3	1	1	1	1	1	3	1	–	–	1	–	–	–
2. गोगणा	1	–	6	3	1	1	1	1	1	3	1	–	–	–	1	–	–
3. कोल्यारी	1	–	6	3	1	1	1	1	1	3	1	–	1	–	–	1	–
4. ओड़ा	1	–	6	3	1	3	1	1	1	3	1	–	1	–	–	–	1
5. टीमड़ी	1	–	6	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	–	–	1	–
6. खांखड	1	–	6	3	1	1	1	1	1	3	1	–	–	–	–	–	–
7. गोराणा	1	–	5	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	–	1	–	–
8. मादड़ी	1	–	5	5	1	1	1	1	1	3	1	–	1	1	1	–	–
9. बदराड़ा	1	–	3	8	1	1	1	1	–	1	1	1	1	–	1	–	–
10. मगवास	1	–	3	–	1	1	1	1	–	1	1	1	–	–	1	–	1
रा.बा.मा.वि. (छात्रा)																	
1. झाडोल	1	–	6	3	1	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	1	–

फलासिया से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/छात्र/छात्रा में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की विद्यालयोंवार स्थिति

	स्वीकृत				रिक्त			
रा.उ.प्रा.वि. (छात्र)	व. अ.	अध्या.	चश्रेक	दवेमो	व.अ.	अध्य.	चश्रेक	दवेनमो
1. आमलिया	1	6	—	1	—	—	—	—
2. ब्रा. खोरवाड़ा	1	6	—	1	—	—	—	—
3. बिछीवाड़ा	1	7	—	1	—	—	—	—
4 बिरोठी	1	5	—	1	—	1	—	—
5. चन्दवास	1	4	—	1	—	—	—	—
6. दमाणा (मवावास)	1	3	—	1	—	2	—	—
7. देवास	1	5	—	1	—	1	—	—
8. गरणवास	1	5	—	1	—	—	—	—
9. करेल	1	5	—	1	—	—	—	—
10. कनथारिया	1	3	—	1	—	2	—	—
11. नालवा	1	4	—	1	—	—	—	—
12. सड़ा	1	4	—	1	—	—	—	—
13. दमाणा (पीपलवाड़ा)	1	3	—	1	—	—	—	—
14. सुलखेरवाड़ा	1	6	—	1	—	—	—	1
15. थोबावाड़ा	1	6	—	1	—	1	—	—
16. मानपुर	1	3	—	1	—	1	—	—
17. गोगला	1	—	—	—	—	—	—	—
रा.बा.उ.प्रा.वि.								
1. फलासिया	1	7	—	—	—	1	—	1
	18	82	—	17	—	9	—	2

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 342 की सूची

तहसील सांचोर (जिला जालोर) में प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय के रिक्त पदों की सूची :—

विद्यालय का नाम	प्रधानाध्यापकों के रिक्त पद
1. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, हड़िया	1
2. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, चितलवाना	1
3. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पुर	1
4. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, हेमागुड़ा	1
5. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, वरणवा	1
6. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मांलवाड़ा	1
7. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, लियादरा	1
8. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ड़ावल	1
9. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, केरिया	1
10. राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, सांचोर	1
	10

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 348 की सूची

बाढ़ के दौरान सिवाना में क्षतिग्रस्त स्कूलों की मरम्मत के लिए जारी स्वीकृतियों एवं कार्यों का स्कूलवार विवरण :–

क्र. सं.	स्कूलों का नाम	स्वीकृति राशि	कार्य का प्रकार
1.	राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिवाना	13,000/–	साधारण मरम्मत का कार्य किया जाना है। कार्य पूर्ति रिपोर्ट अपेक्षित हैं।
2.	राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, मवास।	20,000/–	साधारण मरम्मत का कार्य किया जाना हैं। कार्य पूर्ति रिपोर्ट अपेक्षित हैं।

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 353 की रिपोर्ट

अपराध संख्या 519/91 धारा 147, 148, 149, 307, 302, 332, 353 भाद.दं.सं. दिनांक 15-10-91 थाना करौली ।

(श्री बालकृष्ण हैड कानि. हत्या काण्ड)

दिनांक 15-10-91 को श्री प्यारेलाल पुत्र श्री भौंरेलाल मीना निवासी मण्डरायल हाल हैड कानि. नं. 316 ने थाना करौली पर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि आज दिनांक 15-10-91 को समय 6.20 पी. एम. पर मैं एच. सी. प्यारे लाल नं. 316, बाल कृष्ण एच. सी. 323 व शिव नारायण सिंह कानि. नं. 830 के सादा कपड़ों में वी· आई. पी. ड्यूटी राज्य खनिज मंत्री श्री कालूराम गुर्जर की फूटाकोट से नगर पालिका जाने वाली सड़क कस्बा करौली रवाना हुये और फूटाकोट से नगर पालिका जाकर अपनी ड्यूटी दे रहे थे । करीब 7.30 पी. एम. पर नगर पालिका के सामने हलवाईयों की दुकान के सामने श्रीमत पुत्र श्यामलाल मीना निवासी रूंधकापुरा और उसके 6–7 साथी जिनमें से 4 के पास हॉकियां थी, श्रीपत के पास फरसा व एक के पास घारिया, एक के पास 12 बोर की बन्दूक थी ने एक राय होकर बाल कृष्ण हैड कानि. को जान से मारने को हमला किया । उन लोगों ने घारियां फरसा हांकियों से बालकृष्ण को मारा-पीटा । मैं व शिवनारायण सिंह बचाने लगे तो बीच-बचाव में हमारे चोटे आई है । बन्दूक वाले ने फायर किया, जो मिस हो गया । फिर उसने बन्दूक की नाल पकड़कर बट की मारी जो बन्दूक का बट टूट गया । बालकृष्ण को फरसा व घारियों से व उसके हाथों को जगह-जगह से काट दिया । जिससे बालकृष्ण सड़क पर गिर पड़ा । पड़े हुए को भी मारते पीटते रहे, जिससे काफी खून निकल रहा है । मुलजिम बालकृष्ण को मरा समझकर भाग गये । बालकृष्ण हैड कानि. से श्रीपत मीना निवासी रूंधकापुरा पहले से ही रंजिश रखता था । मैं शिवनारायण सिंह कानि. को मौके पर छोड़कर पुलिस चौकी टाऊन करौली पहुंचा व टेलीफोन से थाने पर सूचना दी व मौके पर वापिस आया । थोड़ी देर बाद थाने से जीप लेकर भगवती प्रसाद एल. एच. सी. नं 401, छोटेलाल एल एच सी 565 व रामबाबू सिंह एल. एच. सी. 331 मौके पर आ गये । अब हम सबने बालकृष्ण हैड का नि. को बेहोशी अवस्था में जीप से करौली अस्पताल में भर्ती कराया, जो जेर ईलाज है । इस पर अपराध संख्या 519/91 जुर्म धारा 147, 148, 149, 307, 323, 332, 353, भा. दं. सं. थाना करौली पर पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया गया । अनुसंधान के दौरान घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका तैयार किया व गवाहन के बयानात लिये गये । अनुसधान से श्रीपत, रामबाबू, पिसरान श्याम लाल, बद्री पुत्र सांवलिया, मीनगान निवासी रूंधकापुरा, मेघराम गुर्जर निवासी सकूलपुरा थाना मासलपुर, दयाराम मीना नि. खरौसी व 2-3 अन्य व्यक्तियों के नामजद हुए । बद्री के पास 12 बोर बन्दूक, जिससे फायर किया

लेकिन फायर नहीं हुआ और कारतूस मिस हो गया, श्रीपत ने फरसा की चोट मारी व रामबाबू ने धारियां से सिर व हाथ काटे। दि. 16-10-91 को श्री बालकृष्ण हैड का नि. की अस्पताल करौली में मृत्यु हो गई जिससे इस अभियोग में धारा 302 भा. दं. सं. जोड़ी गई। मृतक की लाश का पोस्ट मार्टम करवाया और लाश परिवारजनों को सुपुर्द की गई। उपरोक्त अभियुक्तों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 332, 353, 323, 302, 307 भा. दं. स. प्रमाणित पाया गया। अभियुक्तगण घटना के दिन से ही अपने निवास से रूपोश हैं। अभियुक्तों की पतारसी सरगर्मी से जारी है। ऐसा भी ज्ञात हुआ है कि अभियुक्तगण आदतन अपराधी है तथा इन्होने अपने आपकी मौजूदगी अज्ञात स्थान पर बना रखी है। अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु करौली, मासलपुर, सरमथुरा आदि क्षेत्रों में एवं स्थानों पर हर संभव तरीके से तलाश की गई, लेकिन कोई पता नहीं चला। मुलजिमान की पतारसी हर संभव तरीके से सरगर्मी से की जा रही है। अभियुक्तगण के विरुद्ध वारंट गिरफ्तारी न्यायालय से प्राप्त किए जा चुके हैं। इनके विरुद्ध शीघ्र ही 82/83 जाप्ता फौजदारी के तहत आगामी कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न संख्या 355 की सूची

जिला बांसवाड़ा में पुलिस आरक्षियों की कमी के पदों के बारे में।

	जिला बांसवाड़ा में जहां पुलिस कानि. के पद रिक्त है।	पुलिस कानि. के रिक्त पदों की संख्या
	1. पुलिस लाईन, बांसवाड़ा	24
थाना	2. कोतवाली, बांसवाड़ा	2
	3. थाना, माही डेम	1
	4. थाना, लोहरिया	1
	5. थाना, पीपल खूंट	2
	6. थाना, कुशलगढ़	1
	7. थाना, आनन्दपुरी	2
	8. थाना, सलोपत	1
	9. थाना, पाटन	1
पुलिस	10. चौकी, नरवाली	1
चौकी	11. चौकी, गोदीतेजपुर	2
	12. चौकी, गनताली	1
	कुल योग :	39

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 358 की सूची

जिला जैसलमेर में जिन-जिन व्यक्तियों के पास अवैध एवं खतरनाक हथियार होना पाया गया है कि सूची :—

नाम व्यक्ति जिससे अवैध एवं खतरनाक हथियार पकड़े गये हैं	निवास स्थान	विवरण हथियार	मुकदमा नम्बर धारा एवं थाना
1. लोला पुत्र महुरा जाति मुसलमान	आडतरा	12 बोर गन	मु. नं. 5/91 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नाचना विचाराधीन न्यायालय है।
2. रहमान पुत्र गुलाम रसूल	मडाऊ	303 बोर राईफल	मु. नं. 18/91 धारा 307 भा. द. सं एवं 25 आर्म्स थाना मोहम्मद विचारधीन न्यायालय हैं।
3. सेरियो पुत्र बलाणा मुसलमान	मडाऊ हाल गमनेवाला	303 बोर राईफल	मु. नं. 32/91 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रामगढ़ विचाराधीन न्यायालय हैं।
4. नूरदीन उर्फ नूरिया पुत्र जमालुदीन	रोला	ए. के. 56 राईफल 2 मेग्जीन 44 कारतूस	मु. नं. 41/91 धारा 3/4 टाडा एक्ट थाना नाचना जेर तफ्तीश हैं।
5. मोलीबक्श उर्फ मोवलिया पुत्र मीठा	खेंईवाला	एक राईफल 303 बोर, व 23 कारतूस	मु. नं 12/92 धारा 5 टाडा एक्ट व 3/25 आर्म्स थाना मोहनगढ़ जेर तफतीश हैं।

(262)

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 361 की प्रतियां

कार्यालय महा निरीक्षक पुलिस सी. आई. डी. अपराध एवं सतर्कता

राजस्थान—जयपुर

क्रमांक सं. 9 (2) अपराध/अन्वेक्षण/जोधपुर/92/209-14 दिनांक—8/92

कार्यालय आदेश

अभियोग सं. 81/91 दिनांक 13·8·91 धारा—308, 498 ए भा. दं. सं. थाना सूरसागर जिला जोधपुर का अनुसन्धान करने हेतु—श्री सुगनाराम, उप अधीक्षक पुलिस सी. आई. डी. (सी. बी.) मुख्यालय जयपुर को मनोनीत किया जाता हैं।

उक्त अभियोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार स्थानीय पुलिस से स्थानान्तरित किया जाकर श्री सुगनाराम, उप अधीक्षक पुलिस सी. आई. डी. (सीबी) राज. जयपुर को दिया जाता हैं।

अतः ये शीघ्र ही अनुसन्धान को आरम्भ कर तथ्यात्मक रिपोर्ट शीघ्रातशीघ्र निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

पुलीस अधीक्षक (प्रथम)
सी. आई. डी. (सी. बी.) (राज. जयपुर)

प्रतिलिपि—

1. उप महानिरीक्षक पुलिस, जोधपुर रेंज, जोधपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला जोधपुर।
3. श्री सुगनाराम, उप अधीक्षक पुलिस सी. आई. डी. (सी. बी.) मुख्यालय जयपुर को संलग्न अभियोग पत्रावली प्रेषित कर लेख है कि वे उक्त अभियोग का अनुसन्धान करने हेतु तुरन्त मोकें पर पहुंचे।
4. रीडर, अ. पु. अ. सीबी जयपुर।
5. गार्ड फाईल।
6. कम्प्यूटर पत्रावली।

संलग्न—अभियोग पत्रावली

(पुलिस अधीक्षक प्रथम)
सी. आई. डी. (सी.बी.) राज जयपुर।

कार्यालय महानिरीक्षक पुलिस, सी. आई. डी. (अपराध एवं सतर्कता)

राजस्थान—जयपुर

क्रमांक सं. 9 (2) अपराध/अन्वे,/जोधपुर/92 645-601, दिनांक-21-1-92

कार्यालय—आदेश

इस कार्यालय के सम संख्यक आदेश क्रमांक-209-14 दिनांक 8·1·92 को संशोधित करते हुए अभियोग सं. 81/91 दिनांक 13·8·91 धारा—306, 498 ए भा. द. सं. पुलिस थाना सूरसागर जिला जोधपुर का अनुसन्धान करने हेतु श्री पुखराज, उप अधीक्षक पुलिस सी. आई. डी. (सीबी) मुख्यालय जयपुर को दिये जाते हैं।

अतः ये उक्त अभियोग का अनुसन्धान शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करेंगें।

पुलिस अधीक्षक (प्रथम)
सी. आई. डी. (सी. बी.) राजस्थान
जयपुर।

प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप महानिरीक्षक पुलिस, जोधपुर रेंज जोधपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला जोधपुर।
3. श्री पुखराज, उप अधीक्षक पुलिस, सी. आई. डी. (सीबी) जयपुर को संलग्न अभियोग पत्रावली प्रेषित कर लेख है कि वे उक्त अभियोग का अनुसन्धान करने हेतु तुरन्त मौके पर पहुंचे।
4. श्री सुगनाराम, उप अधीक्षक पुलिस सी. आई. डी. (सीबी) मुख्यालय जयपुर।
5. रीडर, अ. पु. अ. सीबी, जयपुर।
6. गार्ड फाईल।
7. कम्पूटर पत्रावली।

संलग्न—अभियोग पत्रावली।

पुलिस अधीक्षक (प्रथम),
सी. आई. डी. (सीबी) राजस्थान
जयपुर।

(264)

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 362 की प्रति

प्रतिलिपि पत्र क्रमांक प्रति/5 वेतन/71/7798-99 दिनांक 20·3·73
द्वारा निदेशक, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर वास्ते जिला आयुर्वेद अधिकारी
जयपुर (पूर्वी क्षेत्र)

....

विषय :—श्री रामस्वरूप शर्मा, उपवैध औषधालय मण्डावरी (जयपुर) के बकाया क्लेम के सम्बन्ध में।

———×———

उक्त कर्मचारी ने अपने पत्र दिनांक 10·3·73 से इस कार्यालय को रिर्पोट प्रस्तुत की है कि उसे निम्नांकित बकाया राशि का भुगतान आपके कार्यालय से नहीं किया गया है :—

1. नवम्बर 1962 का वेतन,
2. जनवरी व फरवरी का 63 वेतन,
3. जून से सितम्बर 68 का वेतन,
4. अगस्त 69 का वेतन,

अक्टूबर 71 से मार्च 72 तक का वेतन,

(1) अतः कृपया वस्तुस्थिति की जानकारी तुरन्त इस कार्यालय को प्रेषित करें (2) कोई वैधानिक आपत्ति न हो तो उक्त अवशिष्ठ राशि का चुकारा 15 दिन के भीतर किया जाकर पालना से इस कार्यालय को अवगत करावें।

S. D.——
निदेशक

क्रमांक : प्रति 5/वेतन/71/7798-99 दिनांक 20·3·73

प्रतिलिपि :—

(1) जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर (पूर्वी)

(2) श्री रामस्वरूप शर्मा उपवैध राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय मण्डावरी जयपुर को भेजकर लिखा जाता है कि यदि आपको उक्त अवधि में व्यक्त की गई राशि का चुकारा न हो तो पुनः इस कार्यालय को लिखे और यदि चुकारा हो जाय तो वैसी सूचना प्रेषित करें।

ह/-
निदेशक

परिशिष्ट—15

अतारांकित प्रश्न संख्या 365 की सूची

भीलवाड़ा जिले की आसीन्द तहसील में संचालित आयुर्वेद औषधालयों, पदस्थापित चिकित्सक, नर्स/कम्पाउण्डर, एवं परिचारकों का विवरण—

क्र. सं.	स्थान औषधालय	पदस्थापित स्टाफ का विवरण		
		चिकित्सक	नर्स/कम्पाउण्डर	परिचालक
1	2	3	4	5
1.	बारसनी (5 शैय्यायुक्त)	1. श्री मूलचंद 4/73 2. ,, रामस्वरूप 12/86	1. श्री राधेश्याम 6/86 2. श्रीमति उमारानी 6/86	1. श्री पूरण मल 1/90 2. श्री बंशीधर 4/91
2.	मोडका निम्बाहेडा	श्री रामस्वरूप 9/75	1. श्री मदनलाल 10/77 2. रतनलाल 11/84	श्री रामस्वरू 6/89
3.	शम्भूगढ़	श्री सन्तोष कुमार 1/91	श्री कंवरलाल 5/71	श्री हीरालाल 9/91
4.	कटार	श्री सुरेशराय 6/86	श्री रामस्वरूप 8/91	श्री कड़जो मल 9/74
5.	मादसी	श्रीमति रीटा ग्रोवर 2/92	श्री लक्ष्मीनारायण 10/78	श्री गोपीदास 11/91
6.	श्री लाछूडा	श्री सत्यानारायण 9/84	श्री सोभागमल 7/78	श्री हीरालाल 4/86
7.	पडासोली	श्री कैलाशचंद 8/88	श्री लाल बहादूर 12/89	श्री मूलचन्द 10/81
8.	संग्रामगढ़	श्री सतीशचन्द 6/89	श्री पृथ्वीराज 3/91	श्री अजीज मो. 9/91
9.	आकडसादा	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार 1/86	पद सृजित नहीं	श्री भंवरलाल 4/88
10.	तिलोली	श्री सामरमल 8/88	श्री अब्दुल सोकत 10/88	श्रीमति बदामदेवी 9/87
11.	पाटन	श्री विजय कुमार 3/86	श्री शंकरलाल 1/79	श्री रामेश्वरलाल 5/91
12.	जगपुरा	श्री लल्लू प्रसादा 7/90	श्री बालूराम 7/86	श्री देवीलाल 6/88

1	2	3	4
13. बराना	श्री कैलाशचंद 1/91	श्री भंवरसिंह 11/84	श्री देवी 11/91
14. बाजून्दा	श्री सूरजमल 1/90	श्री डायालाल 11/88	श्री मूला 11/91
15. मोगर	श्री हरिशचंद व्यास 11/89	श्री रूप शंकर 2/89	श्री नवाब खां 7/90
16. घोली	श्री दिनेश कुमार 7/89	श्री हीरालाल 9/91	श्री बंशीलाल 7/89
17. कालियास	श्री जनार्दन त्रिपाठी 4/91	श्री शान्तिलाल 8/72	श्री कहैयालाल 9/84
18. रामपुरा	श्री ओमप्रकाश 1/85	पद रिक्त 31·12·91 से	श्री मोहम्मद कासम 9/82

नोट :—औषधालय में कनिष्ठ लिपिक का एक पद सृजित है व वर्तमान में यह पद रिक्त है।

परिशिष्ट—16

अतारांकित प्रश्न संख्या 364 का विवरण

परबतसर—नॉवा तहसील में अधीकृत अंग्रेजी व देशी शराब की दुकानों की सूची।

(1) तहसील परबतसर

मुख्य देशी मदिरा दुकान का नाम 1	2	ग्राम व स्थान जहां स्थित हैं। 3
1. मकराना	—	कस्बा मकराना में ओमप्रकाश टॉक की दूकान चल रही हैं।
2. पीलवा	—	ग्राम पीलवा में चोखाराम रेगर की दुकान चल रही हैं।
3. बूडसू	—	ग्राम बूडसू में सुलेमान की दुकान चल रही है।
4. जावला	—	ग्राम जावला में भैरुसिंह की दुकान स्थित है।
5. बस्सी	—	ग्राम बस्सी में सूरजाराम खटीक की दुकान चल रही है।

1	2	3
6. बड़ू	—	ग्राम बड़ू में श्री नाथू खां की दुकान चल रही है।
7. बोरावड	—	ग्राम बोरावड में मेरू बगस की दुकान चल रही है।
8. परबतसर	—	कस्बा परबतसर में विहारीलाल की दुकान चल रही है।
9. मखरी	—	ग्राम मखरी में भंवरलाल की दुकान
10. रीड	—	रीड में परसाराम मेघवाल की दुकान
11. बेसरोली	—	ग्राम बेसरोली में रोशन पुत्र मवरू खां की दुकान
12. गच्छीपुरा	—	गच्छीपुरा में सुलेमान की दुकान
उप दुकानें देशी मदिरा :—		
1. गुणावती	—	गुणावती में मोहनलाल की दुकान।
2. मंगलाना	—	ग्राम मंगलाना में सलाउद्दीन की दुकान।
3. कालानाड़ा	—	कालावाड़ा में दातारसिंह चौहान की दुकान।
4. पेट्रोल पम्प मकराना	—	पेट्रोल पम्प के पास बाबूखां की लकड़ी की केबिन में दुकान चल रही है।
5. बोराबड़	—	ग्राम बोरावड़ में अब्दुल लोहार की दुकान में सेठ टीकम चन्द की फैक्ट्री के पास,
6. बाजवास	—	ग्राम बाजवास में ओंकारसिंह की दुकान चल रही है।
7. कालेटड़ा	—	ग्राम कालेटडा में अमरसिंह राजपूत की दुकान चल रही है।
अंग्रेजी शराब की दुकानें		
तहसील परबतसर :—		
1. मकराना नं. 1	—	मुस्ताक ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के पास कल्याण सिंह की दुकान।
2. उप दुकान परबतसर	—	पेट्रोल पम्प के पास श्री सत्यनारायण राठी की दुकान चल रही है।
तहसील नांवा की देशी मदिरा मुख्य दुकानें :—		
1. नांवा	—	नांवा में मोहम्मद रमजान की दुकान।
2. कुचामन सिटी	—	कुचामन सिटी में श्री दीपचन्द गंगवाल की दुकान।

1	2	3
3. नारायण-पुरा	—	नारायणपुरा में गोमारा की दुकान ।
4. गुढा	—	गुड़ा में मदनलाल महाजन की दुकान ।
5. लूणवा	—	ग्राम लूणवा में बालूराम मीणा की दुकान ।
6. घाटवा	—	ग्राम घाटवा में कानसिंह की दुकान ।
7. मारोठ	—	ग्राम मारोठ में रामलाल रेगर की दकान ।
8. चितावा	—	ग्राम चितावा में मोहनलाल बलाई की दुकान ।
9. मीन्डा	—	ग्राम मीन्डा में नरपतजी की पडत जमीन में दुकान ।
10. देवली	—	ग्राम देवली में अर्जुनसिंह की दुकान ।
11. जिलीया		ग्राम जिलीया में गंगाराम माली की दुकान ।
12. मीठड़ी	—	ग्राम मीठड़ी में नारायणसिंह की दुकान ।
13. लिचाणा	—	ग्राम लिचाड़ा में श्यामलाल के मकान के पास दुकान ।
14. पांचवा	—	ग्राम पांचवा में शाबुद्दीन शेख की दुकान ।
देशी मदिरा उप दुकान :—		
1. कुचामन नं. 2	—	कुचामन में श्री इब्राहीम खां की दुकान ।
2. जाबदी नगर	—	ग्राम जावदीनगर में लकड़ी के केबीन में मान्कि मदार बक्श की दुकान ।
3. लालस	—	ग्राम लालस में श्री गंगाराम डूडी की दुकान ।
अंग्रेजी शराब की दुकानें तहसील नांवा :—		
1. मुख्य दुकान नावाँ	—	नावाँ में मोहम्मद रमजान की दुकान ।
2. उप-दुकान कुचामन सिटी	—	कुचामन सिटी में दिलीपसिंह की दुकान ।

269

परिशिष्ट—17

अतारांकित प्रश्न संख्या 365 की सूची

प्रारम्भ से 89—90 तक ग्राम सिदाना (बाड़मेर) में खादी बोर्ड द्वारा लाभान्वित कामगारों से काम की जानकारी

क्र. सं.	नाम कामगार मय पिता	जाति	उद्योग	ऋण	सहायता	वर्ष	एससी/एस.टी	जमा राशि विवरण मूल जमा	शेष मूल
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10
1.	श्री हुकाराम/सरदारा	सरगरा	बासबेस	1100	100	83–84	एस. सी	—	1100
2.	,, बालाराम/देवाराम	मेघवाल	प्र.दा.प्र.	750	250	81–82	,,	395	355
3.	,, पूनम/हजारी	हरीजन	रेशा	500	—	82–83	,,	—	500
4.	,, मीठा/नवा जी	,,	,,	500	—	82–83	,,	—	500
5.	,, जवारा/चेला	,,	,,	500	—	82–82	..	—	500
6.	,, बगदा/नरसिंग	,,	,,	500	—	82–83	,,	—	500
7.	,, सोना/रामेश्वर	मेघवाल	रंगाई	3750	750	83–84	,,	1800	2750
8.	,, रामेश्वर/हिस्सा राम	मोची	चर्मजूता	2250	250	83–84	,,	—	2250
9.	,, राजमल/गेनाराम	,,	,,	1050	50	81–82	,,	366	634
10.	,, केवलचन्द/घीसा जी	,,	,,	1050	50	81–82	,,	700	350
11.	,, मांगीलाल/लालचन्द	,,	,,	1050	50	81–82	,,	950	100
12.	,, केवलचन्द/पूनम जी	,,	,,	1050	50	81–82	,,	50	1000
13.	,, दीपाराम/गेनाजी	,,	,,	1050	50	81–82	,,	12	1038
14.	,, हगदाजी/रूगा जी	,,	,,	1050	50	81–82	,,	416	634
15.	,, चम्पालाल/जीवा जी	,,	,,	2050	50	81–82	,,	825	225
16.	,, मांगीलाल/खीता जी	,,	,,	1050	50	81–82	,,	398	652
17.	,, मोहनलाल/जीवा जी	मोची	चर्मजूता	1050	50	81–82	,,	250	300
18.	,, मंगला/मीमा	मेघवाल	,,	1050	50	82–83	,,	14	1036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	,, प्रताप/माला जी	मोची	,,	1050	50	82–83	,,	100	850
20.	,, राजू/भीमाराम	मेघवाल	,,	1050	50	82–83	,,	14	1036
21.	संतोष/रंग जी	मोची	,,	1050	50	81–82	,,	380	670
22.	,, हीराराम/छोगाराम		मेघवाल	1050	50	81–82	,,	366	684
23.	,, कानाराम/पन्जूराम	,,	मेघवाल	1050	50	81–82	,,	14	1036
24.	,, आईदान हरका जी	,,	बान्दी	2250	250	81–82	,,	750	1500
25.	,, पूनमाराम/खूबा जी	मोची	चर्म जूता	2250	250	83–84	एस. सी	1000	1250
26.	,, जीवाराम/जेनाराम	,,	,,	2250	250	83–84	,,	1000	1250
27.	कुन्दन मल मिस्त्रजी	,,	,,	2250	250	83–84	,,	1000	1250
28.	,, गैनाराम खवाश्री	,,	,,	2250	250	83–84	,,	—	2250
29.	,, उकाराम/धन्नाराम	,,	,,	2250	250	83–84	,,	—	2250
30.	,, जगदीश/घनराज	,,	,,	2250	250	84–83	,,	1000	1250
31.	,, मरवलाल/मधाराम	,,	,,	2250	250	84–85	,,	1363	887
32.	,, गोमाराम/सब्जी	मेघवाल	,,	2250	250	84–85	,,	1000	1250
33.	,, फरसाराम/मघा जी	मोची	,,	2250	250	85–86	,,	250	2000
34.	,, लक्ष्मण राम/लखमा जी	,,	,,	2250	250	85–86	,,	—	2250
35.	,, केशाराम/बत्तीराम	,,	,,	2250	250	85–85	,,	—	2250
36.	,, तेजाराम/पारसमल	,,	,,	2250	250	85–86	,,	—	2250
37.	,, हरीराम/शिवराम	,,	,,	2250	250	86–87	,,	—	2250
38.	,, अमृतलाल/मगा जी	,,	,,	2250	250	87–86	,,	800	1450
39.	,, रणछोड़मल/वृद्धा जी	,,	,,	2250	250	87–88	,,	—	2250
40.	,, भीमा/जाला जी	,,	,,	2250	250	87–88	,,	400	1850
41.	,, अब्दा/जवरा जी	,,	,,	2250	250	87–88	,,	—	2250
44.	,, केवलराम/लक्ष्मीराम	,,	,,	2250	250	87–88	,,	—	2250

271

परिशिष्ट—18

अतारांकित प्रश्न संख्या 366 की सूची

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर

दिनांक 31-12-91 तक रिक्त पदों की स्थिति

—x—

क्र. सं.	नाम पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	2	3	4
1.	सचिव	1	—
2.	वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी	1	—
3.	निजी सचिव, अध्यक्ष	1	1
4.	सहायक सचिव	2	1
5.	उपनिदेशक (मोने)	1	—
6.	सहायक निदेशक	11	—
7.	उप निदेशक (खादी)	8	1
8.	जिला उद्योग अधिकारी	8	—
9.	अंकेक्षणाधिकारी	1	—
10.	विकास अधिकारी (केन्द्र)	1	—
11.	विकास अधिकारी (ऊन)	1	—
12.	विकास अधिकारी (सहकार)	1	—
13.	लेखाधिकारी	2	1
14.	सहायक निदेशक (चर्म)	1	1
15.	मुख्य संगठक खादी	1	—
16.	मुख्य संगठक (ग्रामोद्योग)	1	—
17.	विधि अधिकारी	1	1
18.	सहायक लेखाधिकारी	4	1
19.	सांख्यिकी अधिकारी	1	—
20.	मार्केटिंग आफीसर	1	1
21.	लेखाकार	13	1
22.	कनिष्ठ लेखाकार	19	—
23.	निरीक्षक सहलाकार	12	2
24.	जिला उद्योग निरीक्षक	31	3
25.	संगठक	20	—
26.	पर्यवेक्षक (प्रथम)	257	31

1	2	3	4
27.	पर्यवेक्षक (द्वितीय)	8	5
28.	सांख्यिकी सहायक	3	2
29.	कार्यालय अधीक्षक	1	—
30.	कार्यालय सहायक	3	1
31.	शीघ्र लिपिक	4	—
32.	निरीक्षक सह-अकेक्षक	23	2
33.	वरिष्ठ लिपिक	30	—
34.	कनिष्ठ लिपिक	52	15
35.	मैकेनिक (प्रथम)	2	1
36.	मेकेनिक (द्वितीय)	2	2
37.	टेलीफोन आपरेटर	1	—
38.	ऐपारिस्ट	1	—
39.	मशीन मैन	1	—
40.	चालक	6	1
41.	जमादार	2	2
42.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	26	—
43.	फिल्ड मैन	2	1
	कुल स्वीकृत	568 रिक्त पद	75
			= 493 कार्यरत

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जयपुर

× दिनांक 31-12-91 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का पदोन्नति में बकाया बैकलॉग में निम्न प्रकार शेष है

क्र. सं. 1	नाम पद 2	अनुसूचित जाति 3	अनु. जनजाति 4
1.	सहायक सचिव	1 (85)	—
2.	अकेक्षणाधिकारी	1 (85)	—
3.	विकास अधिकारी (केन्द्र)	2 (81+85)	—
4.	विकास अधिकारी (सहकार)	2 (81 + 85)	—
5.	विकास अधिकारी (ऊन)	2 (78 + 85)	—
6.	मार्केटिंग आफीसर	1 (85)	
7.	सहायक लेखाधिकारी	1 (89)	—
8.	मुख्य संगठक (खादी, ग्रामोद्योग	2 (78+88)	1 (81)
9.	कार्यालय सहायक	2 (78+85)	—

1	2	3	4
10.	उप निदेशक (खादी)	1 (79)	—
11.	जिला उद्योग अधिकारी	1 (89)	1 (87)
12.	निरीक्षक सहकार	1 (88)	2 (86+88)
13.	लेखाकार	2 (87+88)	2 (88+89)
14.	कनिष्ठ लेखाकार	1 (85)	1 (87)
15.	निरीक्षक सह प्रकेक्षक	—	2 (86+88)
16.	वरिष्ठ लिपिक	—	2 (86+88)
17.	संगठन, जिला उद्योग निरीक्षक	2 (88+89)	1 (89)
18.	मैकेनिक (प्रथम)	2 (78+85)	—
19.	जमादार	1 (88)	—
	योग	25	12

दिनांक 31-12-91 तक अनुसुचित जाति/अनुसूचित जन जाति का सीधी भर्ती में बकाया बैकलांग निम्न प्रकार है—

क्र. सं.	नाम पद	अनु. जाति	अनु. जन जाति
1.	उपनिदेशक	1 (79)	—
2.	कनिष्ठ लिपिक	—	1 (89)
3.	पर्यवेक्षक (द्वितीय)	1 (89)	—
4.	ड्राईवर	1 (85)	—
5.	टेलीफोन (आपरेटर)	(88)	—
6.	मैकेनिक (द्वितीय)	—	1 (82)
7.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	—	1 (89)
8.	कनिष्ठ लेखाकार	2 (81+85)	1 (81)
9.	शीघ्र लिपिक ग्रेड (द्वितीय)	2 (84+85)	1 (79)
	कुल बकाया	8	5

परिशिष्ट–19

अतारांकित प्रश्न संख्या 369 की सूची

राज्य में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना से संबंधित सूचना

क्रम संख्या 1	संस्थान का नाम 2	स्थापना वर्ष 3
1.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर	1942
2.	" " " अजमेर	1942
3.	" " " कोटा	1958
4.	" " " उदयपुर	1958
5.	" " " जोधपुर	1958
6.	" " " बीकानेर	1959
7.	" " " अलवर	1962
8.	" " " भरतपुर	1962
9.	" " " भीलवाड़ा	1962
10.	" " " नागौर	1962
11.	" " " पाली	1962
12.	" " " श्रीगंगानगर	1963
13.	" " " खेतड़ी	1963
14.	" " " रतनगढ़	1963
15.	" " " सीकर	1965
16.	" " " बांसवाड़ा	1976
17.	" " " बाड़मेर	1979
18.	" " " बूंदी	1979
19.	" " " डूंगरपुर	1979
20.	" " " प्रतापगढ़	1979
21.	" " " आबूरोड़	1981
22.	" " " गुलाबपुरा	1981
23.	" " " जयपुर (महिला)	1982
24.	" " " जालौर	1984
25.	" " " टोंक	1984
26.	" " " शाहपुरा (जयपुर)	1984
27.	" " " जैसलमेर	1984
28.	" " " झालावाड़	1984

Page No. 275

275

क्र.सं. 1	संस्थान का नाम 2		स्थापना वर्ष 3
29.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	करौली	1984
30.	,, ,, ,,	धौलपुर	1984
31.	,, ,, ,,	सिरोही	1986
32.	,, ,, ,,	बयाना	1986
33.	,, ,, ,,	कोटपूतली	1986
34.	,, ,, ,,	कपासन	1988
35.	,, ,, ,,	माण्डलगढ़	1988
36.	,, ,, ,,	नाथद्वारा	1988
37.	,, ,, ,,	सागवाड़ा	1988
38.	,, ,, ,,	भिवाड़ी	1988
39.	,, ,, ,,	कोटा (महिला)	1988
40.	,, ,, ,,	भीलवाड़ा (महिला)	1988
41.	,, ,, ,,	अजमेर (महिला)	1988
42.	,, ,, ,,	उदयपुर (महिला)	1988
43.	,, ,, ,,	चिड़ावा	1988
44.	,, ,, ,,	कांमा	1988
45.	,, ,, ,,	दौसा	1989
46.	,, ,, ,,	शाहपुरा (भीलवाड़ा)	1989
47.	,, ,, ,,	गंगापुर (भीलवाड़ा)	1989
48.	,, ,, ,,	शिवगंज	1989
49.	,, ,, ,,	सोजतसिटी	1989
50.	,, ,, ,,	जोधपुर (महिला)	1989
51.	,, ,, ,,	बीकानेर (महिला)	1989
52.	,, ,, ,,	अनूपगढ़	1989
53.	,, ,, ,,	लाखेरी	1989
54.	,, ,, ,,	कुचामनसिटी	1989
55.	,, ,, ,,	अलवर (महिला)	1989
56.	,, ,, ,,	बालोतरा	1990-91

परिशिष्ट–20

अतारांकित प्रश्न संख्या 370 की सूची

क्र.सं.	नाम ग्राम	ट्रेड	महिलाओं की संख्या	चालू या बन्द
1	2	3	4	5
	1. पंचायत समिति तलवाड़ा :			
1.	कूपड़ा (ए)	मसाला	16	चालू
2.	,, (बी)	बास्केट प्लास्टिक	15	बन्द
3.	बोंदला	डेयरी	15	चालू
4.	सुरपुर	,,	30	,,
5.	सालिया	दरी	20	,,
6.	मोरडी	प्लास्टिक बेग	10	बन्द
7.	मलवासा	रेशा	12	,,
8.	गामड़ी	दरी	18	,,
9.	तेजपुर	डेयरी	13	चालू
10.	ठीकरिया	डेयरी	13	,,
11.	धुलकिया	मसाला	12	,,
12.	चिडियावासा	डेयरी	22	,,
13.	सेमलिया	,,	10	,,
14.	देवलिया	,,	17	,,
15.	जानामेड़ी (ए)	,,	16	,,
16.	,, (बी)	,,	16	,,
17.	लोधा	,,	15	,,
18.	वाका	,,	12	,,
19.	सागडोद	,,	11	,,
20.	मसुरपुर (बी)	,,	16	,,
21.	गामड़ी (बी)	,,	14	,,
22.	कोहाला	,,	12	,,
23.	अरनिया	,,	10	,,
24.	ठिकरिया (बी)	,,	20	,,
25.	जायला (ए)	,,	17	,,
26.	सुन्दनपुर	,,	13	,,
27.	बोरखट	,,	10	,,
28.	सामतलाई	,,	15	,,

1 - 2	3	4	5
29. जाकला (बी)	रेशा (सनकताई)	15	चालू
30. तलवाड़ा	स्कूल बैग	16	,,
31. सुरवानिया	मसाला	12	,,
2. पंचायत समिति गढ़ी :			
1. आंजना	मसाला	11	चालू
2. रोहनिया	बकरी पालन	15	,,
3. माढ़ी	मुर्गीपालन	12	बन्द
4. अरथुना	पेपर बेग	15	,,
5. बस्सी	पत्तल दोना	15	चालू
6. गढ़ी	गोटा किनारी	15	बन्द
7. बजवाना	सिलाई	10	चालू
8. आसोडा	झाड़ू व चटाई	11	बन्द
9. डड़का	पापड़	12	चालू
10. सरेड़ी बड़ी	मसाला	11	,,
11. लोहारिया	पापड़	10	,,
12. पालोदा	रंगाई-छपाई	12	बन्द
13. सामागड़ा	डेयरी	11	चालू
14. खोड़न	सिलाई	11	,,
15. रेयाना	—	10	प्रशिक्षण बाकी
16. जौलाना	बीड़ी	10	बन्द
17. डडूका	मसाला	11	चालू
18. चितरोडिया	बीड़ी	14	बन्द
19. परसोलिया	इनामी गुटका	10	,,
20. अरथुना	आलू चिप्स	12	चालू
21. संमलिया	दरी	11	,,
22. परतापुर	मसाला	10	,,
23. मैंतवाला	पत्तल दोना	11	,,
24. सुन्दणी	,,	11	,,
25. आंजना	बांस	10	,,
26. गढ़ी	पापड़	13	,,
27. पाराहेड़ा	पत्तल दोना	10	,,
28. गढ़ी	पापड़	13	,,
29. चौपासान	मसाला	11	,,

1 2	3	4	5
30. खेड़ा	पत्तलदोना	12	बन्द
31. सेमलिया	मसाला	11	चालू
32. गढ़ी	सिलाई	10	बन्द
3. पंचायत समिति घाटोल :			
1. घाटोल	मसाला	21	चालू
2. मुडासेल (ए)	रेशा	21	बन्द
3. रंजिया	,,	21	,,
4. सिल्लिया	,,	21	,,
5. खोरा	पापड़	21	चालू
6. गनोडा	मसाला	11	बन्द
7. नरवाली	पापड़	18	,,
8. देवदा	सिलाई	11	,,
9. रूपजी का खेड़ा	रेशा	10	,,
10. चन्दजी का गढ़ा	तीरकमान	16	,,
11. मुडासेल (बी)	रेशा	12	चालू
12. उदाजी का गढ़ा	सिलाई	12	,,
13. मुवासा	मसाला	16	बन्द
14. मालीखेड़ा	बाँस टोकरी	18	,,
15. डूंगरिया	सिलाई	18	,,
16. घाटोल (बी)	पापड़	11	,,
17. खपेरा (बी)	मसाला	15	,,
18. पड़ोली राठोड़	सनकताई	11	,,
19. कानजी का गढ़ा	,,	12	,,
20. खेरवा	रेशा	10	,,
21. नाथखेड़ी	डेयरी	5	चालू
22. बलोतरा का पाड़ा	,,	3	,,
23. डोकी खेड़ा	,,	13	बन्द
24. टाम्टिया	सिलाई	10	,,
4. पंचायत समिति बागीडोरा :–			
1. छीच (ए)	सिलाई	12	चालू
2. ,, (बी)	मसाला	10	,,
3. ,, (सी)	बुनाई	15	,,

1 2	3	4	5
4. कलिन्जर (ए)	मसाला	10	,,
5. ,, (बी)	दरी	10	बन्द
6. ,, (सी)	घांस	20	चालू
7. ,, (डी)	घांस	20	,,
8. बुडवा (ए)	प्लास्टिक वायर	20	,,
9. ,, (बी)	चॉक	20	बन्द
10. पिण्डारमा (ए)	मसाला	11	चालू
11. ,, (बी)	पापड़	10	बन्द
12. ,, (सी)	सिलाई	15	चालू
13. बांसला	मसाला	12	,,
14. बागीडोरा	दरी	10	बन्द
15. नौगामा (ए)	,,	60	चालू
16. ,, (बी)	,,	60	,,
17. कातरिया	पापड़	14	,,
18. करजी (ए)	—	—	अप्रशिक्षित
19. ,, (बी)	—	—	,,
20. बड़ोदिया	—	—	,,

5. पंचायत समिति सज्जनगढ़ :–

1. सज्जनगढ़	मसाला	10	चालू
2. टाण्डारतना	बांस	20	,,
3. छोटा गूंमरा	मसाला	10	,,
4. डूंगरा बड़ा (ए)	रेशा	15	,,
5. ,, (बी)	बांस	15	,,
6. ,, (सी)	डेयरी	15	बैंक लोन के अभाव में पशु उपलब्ध नहीं हुए
7. ईटाला	बीड़ी	15	चालू
8. खन्दनी	झाड़ू चटाई	15	,,
9. शक्करवाड़ा (ए)	रेशा	10	,,
10. ,, (बी)	मसाला	12	,,
11. ताम्बेसरा	मसाला	15	,,
12. खेड़िया (ए)	पत्तल दौना	10	,,
13. ,, (बी)	वायर बास्केट	13	अप्रशिक्षणरत
14. मीलकुआ	पत्तल दौना	15	चालू

1 2	3	4	5
15. ममरा	बांस	11	बन्द
16. पाली छोटी	हैण्डलूम	19	,,
17. कावडिया	सनकताई	11	चालू
18. बांसलीपाड़ा	झाड़ू कटाई	15	,,
19. बाजवा आम्बा (ए)	नमदा	15	,,
20. ,, (बी)	सिलाई	13	प्रशिक्षणरत
21. चनाला (ए)	बरस्केट वायर	11	,,
22. ,, (बी)	सनकताई	11	,,
6. पंचायत समिति पीपल खूंट :–			
1. दानपुर	पापड़	12	चालू
2. लांबाडाबरा ( )	रेशा	14	,,
3. ,, (बी)	दरी	12	,
4. पावटी	पत्तल दोना	16	,,
5. घंटाली	दरी बुनाई	12	,,
6. कटुम्बी (ए)	रेशा	15	,,
7. ,, (बी)	रेशा	15	बन्द
8. सेमलिया	प्लास्टिक बॉस्केट	10	चालू
9. कल्याणपुरा	सिलाई	15	प्रशिक्षणरत
10. छरी	रेशा	15	चालू
11. घनाक्षरी	डेयरी	13	,,
12. पातीनगरा	बकरीपालन	15	,,
13. जहाजपुरा	सनकताई	15	,,
14. तोलियापाड़ा	रेशा	15	चालू
15. कोटडा	रेशा	15	,,
16. डूंगरीपाड़ा	बांसटोकरी	16	बन्द
7. पंचायत समिति आनन्दपुरी :–			
1. आनन्दपुरी	साबुन	15	चालू
2. कानेला	मसाला	11	,,
3. उबापाड़ा	पत्तल दौना	12	,,
4. कहुवाड़ा	मसाला	13	,,
5. चान्दरवाड़ा	पापड़	12	,,
6. आनन्दपुरी	,,	12	,,
7. सरवाई	प्लास्टिक टोकरी	17	बन्द
8. सेरावाला	पत्तल दौना	10	चालू
9. सुन्दरी	पापड़	13	,,

Page No. 281

281

1	2	3	4	5
10.	बावड़ी	साबुन	10	चालू
11.	छाजा	प्लास्टिक टोकरी	16	,,
12.	खुटा पारगी	झाडू चटाई	9	बन्द
13.	खूटा टिकमा	मसाला	11	चालू
14.	नाना मुखिया	मसाला	15	,,
15.	मुन्दड़ी (ब)	बीड़ी	15	,,
16.	नाना भूखिया (बी)	पत्तल दौना	11	,,
17.	आनन्दपुरी (बी)	साबुन	16	,,
18.	कांगलिया	मसाला	11	,,
19.	खूटा चन्दना	,,	14	,,
20.	डोकर	,,	11	,,
21.	मालीगात रोड	पापड़	11	,,
8.	पंचायत समिति कुशलगढ़ :-			
1.	पाटी	चरखा	9	चालू
2.	चरकनी	बीड़ी	12	,,
3.	सन्दलाई	पत्तलदौना	10	,,
4.	मोहकमपुरा (ए)	कसीदा	10	,,
5.	,, (बी)	सिलाई	9	,,
6.	बगाबचा	बकरी पालन	10	,,
7.	रामगढ़	डेयरी	13	पशु उपलब्ध नहीं करवाये
8.	बड़ीसरवा	मसाला	10	अप्रशिक्षित
9.	कुशलपाड़ा	दरी बुनाई	12	चालू
10.	पोटलीया	मसाला	10	बन्द
11.	टिमड़ा बड़ा	बीड़ी	13	,,
12.	गोपालपुरा	पत्तल दौना	15	चालू
13.	बावड़ी डिडोर	मसाला	18	बन्द (स्टाफ के अभाव में)
14.	खजूरा	दरी	12	बन्द
15.	आमली पाड़ा	,,	15	चालू
				127 चालू (सक्रिय)
				54 बन्द (निष्क्रिय)
		कुल :-		181

परिशिष्ट-21

अतारांकित प्रश्न संख्या 371 का विवरण व प्रति
राजस्थान वाटर रिसोर्स डवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा खोदे गए
नलकूपों की जिलेवार सूची
प्रारम्भ से जनवरी, 92 तक

जिला	नलकूपों की संख्या
जयपुर	10
सवाई माधोपुर	15
टोंक	19
कोटा	10
सीकर	1
अलवर	51
धौलपुर	3
झालावाड़	6
अजमेर	4
भरतपुर	3
चित्तौड़गढ़	1
जोधपुर	1
योग :-	123

राजस्थान वाटर रिसोर्स डवलपमेंट कार्पोरेशन लि. जयपुर द्वारा
बोरिंग द्वारा गहरे किये गये कुओं की जिलेवार सूची
प्रारम्भ से जनवरी, 92 तक

जिला	कुओं की संख्या
जयपुर	426
सवाई माधोपुर	172
टोंक	369
झुन्झुनू	154
कोटा	26
सीकर	44
अलवर	197
धौलपुर	276
झालावाड़	37
अजमेर	3
भरतपुर	4
बून्दी	1
चित्तौडगढ़	1
दौसा	50
योग :–	1760

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
AGRICULTURE (GROUP-6) DEPARTMENT

No. F. 18 (12) Agri./6/89 Jaipur, dated 22 Sept., 1989.

Executive Director,
Raj. Water Resource Dev. Corpn. Ltd.,
16, Devi Bhawan, Parivahan Marg,
C-Scheme, Jaipur.

Sub : **Execution of Community Tubewell Irrigation Scheme.**

Sir,

I am directed to convey sanction of the Governor for the execution of Community Tubewell Irrigation Scheme subject to the fulfilment of following conditions :—

1 This scheme will operate on pilot basis in the white grey areas of Jaipur, Alwar, Bharatpur, Sawaimadhopur, Sikar and Jhunjhunu districts in the first instance.

2. The Community Tubewell comprise minimum five coltivators out of which three will be small/marfinal farmers who will be treated on preferential basis for providing irrigation facilities. Where this is not possible due to low yield of tubewells. a group of three farmers should comprise minimum two small/marginal farmers.

3. The Rajasthan Water Resource Development Corporation, Jaipur will execute this scheme in collaboration with DRDAS and Panchayat Samities and construct tubewells, arrange installation of submersible pumpsets of suitable capcity and electric connections and commission the tubewells orturnkey basis.

4. The tubewells will be commissioned and handed over to the community on proper documentation for their operation and maintenance by the community.

5. The beneficiaries under this scheme will be entitled to subsidy limited to 50% of the cost of irrigation apportionable to their lands in the anicut. The remaining amount will be borne by the cultivators either from their own funds or through bank loans.

6. The RWRDC will select suitable sites for tubewells and submit proposals to banks for arranging loan component for the community.

7. Subsidy will be sanctioned by the RWRDC to the beneficiari as per norms from their own funds and later on will be reimbersed by the Govt. from the following Budget Head by supplimentary demands.

Corporation will submit application with utilisation certificate for the funds utilised for reimbursment of subsidy to the Finance Department through Admn. Deptt. and will maintain separate accounts for this purpose. Additional funds may be obtained by the department through supplementary grant, from the following Budget Head :—

2702—Minor Irrigation
02—Under Ground Water
80—General
800—Other expenditure
(ix)—Community tubewell Irrigation Scheme
1 —Grant in aid to RWRDC (plan)

This issues with the concurrance of
Finance Department Budget vide I.D. No. 1956 dated 11-8-1989.

Sd/-
(S. N. Agarwal)
Dy. Secretary to the Govt.

Copy forwarded to the :—

1. Accountant General Rajasthan, Jaipur.
2. Finance (EXE-I) Department, Raj., Jaipur
3. Finance (Budget) Department, Raj., Jaipur.
4. Chief Engineer. Ground Water Department, Jodhpur.
5. Guard File.

Sd/-
Accounts Officer.

परिशिष्ट-22

अतारांकित प्रश्न संख्या 374 की प्रति

प्रेषक :-

विधि परामर्शी,
राजस्थान, जयपुर ।

प्रेषिति :-

राजकीय अधिवक्ता, जोधपुर ।

क्रमांक :-317151 विधि/सेल-4/91 जयपुर, दिनांक :-19-10-91

विषय :-सरकार बनाम घन्नाराम आदि, केस संख्या 726/91, अन्तर्गत धारा 438

विद्वान् जिला एवं न्यायाधीश, जोधपुर ने दिनांक 16-8-91 को पारित आदेश द्वारा अभियुक्तों की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है, जिसके विरुद्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में जमानत खारिज करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 439 (2) के अधीन राजस्थान राज्य के राज्यपाल की मंजूरी की सूचना देने का मुझे निर्देश हुआ है ।

उक्त प्रकरण में जमानत खारिज करने हेतु आवेदन उच्च न्यायालय में पेश करके उसकी सूचना से इस विभाग को यथाशीघ्र अवगत कराने की व्यवस्था करें । संबंधित केस का मूल अभिलेख संलग्न कर भेजा जा रहा है ।

सहायक विधि परामर्शी

संलग्न भू-मूल अभिलेख

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. जिला दण्डनायक जोधपुर को उनके क्रमांक 409 दिनांक 7-10-91 के क्रम में प्रेषित है ।
2. निबंधक, वादकरण राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि इस मसले में जमानत खारिज करवानें हेतु आवेदन प्रस्तुत करवायें व इसकी सूचना से इस विभाग को भी अवगत कराने का कष्ट करें ।

सहायक विधि परामर्शी

परिशिष्ट 23

अतारांकित प्रश्न संख्या 375 की प्रतियां

कार्यालय पंचायत समिति केशोरायपाटन जिला बून्दी

पीपल्दा विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति केशोरायपाटन में प्राथमिक विद्यालयों की सूची

भवन की स्थिति

क्र. सं.	नाम विद्यालय	पक्के कमरों की संख्या	निर्माणाधीन	भवन रहित वि. वि.
1.	प्रा. वि. सुमेरगंज मंडी (छात्र)	—	2	
2.	,, ,, सुमेरगंज मंडी (छात्रा)	—	2	
3.	,, ,, छत्रपुरा	2	—	
4.	,, ,, नवलपुरा	2	1	....
5.	,, ,, दौलतपुरा	2	—	....
6.	,, ,, गुढ्ढा	2	—	....
7.	,, ,, खेड़ली माकी	2	—	—
8.	,, ,, जय निवास	2	—	—
9.	,, ,, शेरगंज	2	—	—
10.	,, ,, पापड़ा	2	....	....
11.	,, ,, चाणदा खुर्द	2	....	....
12.	,, ,, नया गांव	2	....	....
13.	,, ,, हरदेव गंज	3	1	....
14.	,, ,, हिम्मत पुरा	1	....	....
15.	,, ,, झीड़ा	....	2	....
16.	,, ,, शिवदान पुरा	1	....	....
17.	,, ,, रमजपुरा	....	2	....
18.	,, ,, वेलन गंज	....	2	....
19.	,, ,, केमलिया	....	2	....
20.	,, ,, जयनगर	....	2	....
21.	,, ,, अभयपुरा	....	2	....
22.	,, ,, धाखड़ खेड़ी	....	2	....
23.	,, ,, कंवरपुरा	2	2	....

1	2	3	4	5
24.	प्रा. वि. बालापुरा	1	2	....
25.	,, ,, कैलाशपुरा	....	2	....
26.	,, ,, चाणदा कला	2	....	....
27.	,, ,, नान्ता	2	....	....
28.	,, ,, बोरिया गांव	....	2	....
29.	,, ,, चमन गांव	....	2	....
30.	,, ,, लालपुरा	....	....	1
31.	,, ,, डोबरली	....	2	....
32.	,, ,, लक्ष्मीपुरा	....	....	2
		17	13	3

पंचायत शिक्षा केन्द्र

ह०

विकास अधिकारी पंचायतस मिति पाटन

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां

क्रमांक : पंचायत/92 **दिनांक** :

पीपल्दा विधान सभा, क्षेत्र की पंचायत समिति अन्ता में स्थित विद्यालयों की सूची

क्र.सं.	शाला का नाम
1.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पाड़लियां
2.	,, ,, ,, हिंगोनियाँ
3.	,, ,, ,, बलदेवपुरा
4.	,, ,, ,, श्यामपुरा
5.	,, ,, ,, हरसोली
6.	,, ,, ,, रामपुरा मंगतान
7.	,, ,, ,, बालापुरा
8.	,, ,, ,, रावल जावल
9.	,, ,, ,, शाहपुरा
10.	,, ,, ,, चैनपुरा
11.	,, ,, ,, केकाखेड़ी
12.	,, ,, ,, सीमल्या
13.	,, ,, ,, भोज्या खेड़ी
14.	,, ,, ,, बमोरीकलां (छात्र)
15.	,, ,, ,, बमोरीकलां (छात्रा)

289

पंचायत समिति अन्ता में पीपल्दा विधान सभा के क्षेत्र के अन्तर्गत
आने वाले प्राथमिक विद्यालय के भवनों की सूची

क्र.सं.	शाला का नाम				कमरों की संख्या
1.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय,			पाड़लियाँ	3 पक्के
2.	,,	,,	,,	हिगोनिया	2 पक्के
3.	,,	,,	,,	बलदेवपुरा	3 पक्के
4.	,,	,,	,,	श्यामपुरा	निर्माणाधीन
5.	,,	,,	,,	हरसोली	1 कमरा (पक्के)
6.	,,	,,	,,	रामपुरा भगतान	2................
7.	,,	,,	,,	बालापुरा	1................
8.	,,	,,	,,	रावल जावल	2 कमरे जीर्ण अवस्था
9.	,,	,,	,,	शाहपुरा	3 कमरे पक्के
10.	,,	,,	,,	चैनपुरा	निर्माणाधीन
11.	,,	,,	,,	केकाखेड़ी	भवन नहीं है
12.	,,	,,	,,	सीमल्या	2 पक्के 2 कच्चे
13.	,,	,,	,,	मोज्याहेड़ी	2 पक्के कमरे
14.	,,	,,	,,	बमोरी कलां (छात्र)	5 कमरे
15.	,,	,,	,,	बमोरी कलां (छात्रा)	5 कमरे

भवन रहित विद्यालयों की सूची : केवल एक

1. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, केकाखेड़ी भवन नहीं है।

ह०
जिला कलक्टर (पंचायत)
बारां.

पंचायत समिति इटावा, जिला कोटा

इस पंचायत समिति में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 98 है।

क्र. सं.	नाम विद्यालय (प्राथमिक विद्यालय)	पक्के कमरों की संख्या	स्वीकृत भवनों की योजना का नाम	कमरों की संख्या जिनका निर्माण होना है।
1	2	3	4	5
1.	इटावा I	–	नवें वित्त आयोग	3
2.	इटावा II	2	निबंध राशि योजना	3
3.	इटावा (छात्रा)	7	–	–
4.	डडवाड़ा	3	–	–
5.	डांली	2	–	–
6.	झाड़ोल	2	निबन्ध राशि	1
7.	खेड़ली बोरदा	1	–	निल
8.	किशनपुरा	2	न. वि. आयोग	2
9.	खोड़ावदा	3	–	–
10.	गोपालगंज	–	न. वि. आयोग	3
11.	भवानीपुरा	1	–	–
12.	केशोपुरा	3	–	–
13.	रजोपा	–	जे. आर. वाई.	–
14.	रामपुरा	2	–	–
15.	किशनबास	1	–	–
16.	फतेहपुर (इटावा)	2	–	–
17.	गणेशगंज	–	–	–
18.	मुगेना	3	–	–
19.	मूंडला	2	–	–
20.	नलावता	2	–	–
21.	खेड़ली महाराजा	–	न. वि. आयोग	3
22.	कोलाना	2	–	–
23.	ढोपरी (कालीसिंध)	4	–	–
24.	दुघली	2	–	–

1 2	3	4	5
25. दौलतपुरा	2	–	–
26. जलोदा खातियान	2	ए.जी.ए.के.(नि.रा.यो)	2
27. कांकरा	2	–	–
28. श्रीपुरा (अयाना)	2	–	–
29. डोरली	1	निबन्ध राशि यो. (जे.आर.वाई)	3
30. पीपल्दा खुर्द	4	–	–
31. रोण	4	ए.जी.ए.के. (जे.आर.वाई)	2
32. रथावदा	4	–	–
33. खेडली बेरीसाल	2	–	–
34. सौभागपुरा	2	–	–
35. मोरखदना	2	–	–
36. लक्ष्मीपुरा	2	–	–
37. शहनावाद	–	नवें वित्त आयोग	3
38. देवपुरा	2	–	–
39. फसोद	–	–	–
40. च्यावदा	1	–	–
41. खेरदा	2	नवें वित्त आयोग	2
42. कजलिया	2	–	–
43. करवाड	–	–	–
44. लुआवद (छात्र)	5	–	–
45. लुआवद (छात्रा)	–	नवें वित्त आयोग	3
46. गणेशखोडा	3	–	–
47. गणेशपुरा	2	–	–
48. हरिपुरा	3	जे.आर.वाई.	1
49. नीमोदा	1	–	–
50. खेडा	–	निबन्ध राशि यो.	3
51. बाडोली	2	–	–
52. करजोदा	1	–	–
53. ढिढोरा	1	जे.आर.वाई.	1
54. विजयपुरा	–	–	–
55. छत्रपुरा (अयाना)	2	–	–
56. प्रेमपुरा	2	–	–

1	2	3	4	6
57.	देव खेडली	–	–	–
58.	गुडावद	–	जे.आर.वाई.	2
59.	गता	6	निबन्ध राशि योजना	1
60.	खरवरा	1	नवें वित्त आयोग	3
61.	ओमलदा	–	–	3
62.	राजपुरा	–	–	3
63.	नीमपुरा	3	–	–
64.	सीनोता	2	–	–
65.	शेरपुर	–	नवें वित्त आयोग	3
66.	श्योपुरा	–	–	3
67.	हथोली	3	ए.जी.ए.के.	1
68.	ढीपरी चम्बल	4	निबन्ध राशि योजना	1
69.	गोठडकला	1	–	–
70.	हरिपुरा (ककरावदा)	1	–	–
71.	हरिनगर	1	–	–
72.	बांगरोद	–	–	–
73.	अचलगढ़	–	नवें वित्त आयोग	3
74.	खातोली	10	ए.जी.ए.के.	2
75.	नीमोला	5	–	–
76.	नीमोला (छात्र)	–	नवें वित्त आयोग	3
77.	श्रीपुरा (तालाब)	1	–	–
78.	सुमेरपुरा	1	–	–
79.	लाखनी	2	–	–
80.	गोपालपुरा	2	–	–
81.	रामपुरा धाबाई	2	–	–
82.	छापोल	2	–	–
83.	केदोदा	2	नवें वित्त आयोग	3
84.	ठीकरदा	–	–	3
85.	धनवां	1	–	3
86.	नयागांव	2	–	–
87.	गोठडा खुर्द	–	नवे वित्त आयोग	3
88.	देव नीमडी	–	–	–

1 2	3	4	5
89. गुवाड़ी	–	नवें वित्त आयोग	3
90. उदयपुरा	1	–	निल
91. देलोद	–	नवें वित्त आयोग	3
92. फतेहपुर तालाब	–	–	3
93. बन्जारी	–	–	3
94. छत्रपुरा (तालाब)	–	आपरेशन ब्लैक बोर्ड	3
95. गणेशपुरा (तालाब)	–	–	–
96. फरेरा	2	–	–
97. बैंजपुर	–	–	–
98. तलाब	–	–	–

नोट :–पक्के कमरे वाले स्कूल 67 एवं बिना पक्के कमरों के स्कूल 31 ।

हृ०
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति इटावा (कोटा)

परिशिष्ट–24

अतारांकित प्रश्न संख्या 377 की सूची

कार्यालय जिला परिषद, बांसवाड़ा

बांसवाड़ा जिले की प सं. में वर्ष 90–91 में शिक्षा केन्द्र चल रहे थे एवं बन्द किये गये की पंचायत समितिवार सूची :–

1. पं. सं. कुशलगढ़ के शिक्षा केन्द्र :–

1. भीमपुरा	2. सारेल
3. खाकरिया	4. चूलीपाड़ा
5. कोयाभूस	6. बोरखंडी
7. डूंगरमित	8. पीपलीपाड़ा
9. हिम्मतपुरा	10. बस्सी
11. सन्दलाई	12 जोगड़ीमाल
13. दरा	14. मौंराज
15. खेडली	16. हल्दूपाड़ा
17. पाणदा	18. चोरवड

2. पं. सं. गढ़ी के शिक्षा केन्द्र :–

1. बालिका नवगांव	2. बालिका मोटी बस्सी
3. ,, बिलौदा	4. ,, कोटड़ा
5. बौथडिया	6. पटेलिया
7. पाटिया डूंगर (आमजा)	8. नई आबादी जौलाना
9. केवेडा अडोर	10. लोहारियावाड़ा देवेला
11. बालिका रैयाना	12. कलालिया
13. सरेड़ी बड़ी	14. अरथुना नयागांव
15. फासरामहुड़ा भदार	16. डडूका
17. नई आबादी चौपासाग	

3. पं. सं. आनन्दपुरी के शिक्षा केन्द्र :–

1. खूंटा फारकी	2. गमीरपुरा कालिया
3. केलकुआ	4. छावण (वरेठ)
5. काजलिया निचला	6. बा. नाहरपुरा
7. बरजड़िया निचला	8. मुन्द्री (खूंटा)
9. बा. चान्दरवाड़ा	10. उदयपुरा छोटा
11. दाद	12. आनन्दपुरी
13. खूंटा टिकमा	14. कोवा

15. अर्जुनपुरा
16. पाडोला
17. घोटिया मजरा
18. कड़दा मजरा

4. पं. सं. सज्जनगढ़ के शिक्षा केन्द्र :–

1. बावलीपाड़ा
2. पण्डवाल लुंजा
3. रेगनिया
4. वगावचा
5. वोरकुण्डा कन्या
6. चोरा छोटा
7. ओसारा
8. राणगी
9. वाजवाआम्बा
10. गोयका बारियासाथ
11. बालासिन्दुर
12. घोरवाड़ा
13. ढेबरी
14. अगोरिया
15. सन्दलाई बड़ी
16. घनपुरी
17. आमलीपाड़ा
18. टाण्डामंगला कन्या

5. पं. सं. बांसवाड़ा मु तलवाड़ा के शिक्षा केन्द्र :–

1. भूपेल
2. घोड़ा
3. देवका
4. खरवाली
5. आनन्दपुरा
6. मेदिया डिडोर
7. मेदिया कटारा
8. केसरपुरा
9. शक्करवट
10. नाथपुरा कला
11. नवागांव
12. सुरापाड़ा
13. नई बस्ती वखतपुरा
14. बदरेल कन्या
15. नई बस्ती शिवपुरा
16. भेलियातालाब
17. लक्ष्मीपुरा
18. सुरवानिया (हरि. बस्ती)
19. अमरपुरा नई बस्ती
20. देवगढ़
21. बडलिया खुर्द

6. पंचायत समिति बागीदौरा के शिक्षा केन्द्र :–

1. बन्द्रेली (वोड़ीगामा)
2. रायनपाड़ा (सुवाला)
3. शेरगढ़ कन्या
4. गराड़िया (नौगामा)
5. हरिपुरा

7. पंचायत समिति घाटोल के शिक्षा केन्द्र :–

1. गरनावट
2. महुवाल
3. सज्जनसिंह का गढ़ा
4. कामलिया महुड़ा
5. शंकरपुरा
6. महापुराचा रेल
7. नाडा
8. घोटया
9. काडापाड़ा
10. घनेलापाड़ा

11 नागदला (नवाटापरा)
12. कानजी का गढ़ा
13. टिम्बागामड़ी (डूडापाड़ा)
14. मोजलियाखेड़ी (दूदका)
15. तलाईपाड़ा (डूंगर)
16. छतरीपाड़ा (देवदा)
17. देवदा कन्या
18. घांटोल (संस्कृत)
19. गणेशपुरा (भूंगड़ा)
20. जाम्बुड़ी
21. सादड़ी
22. ओडाभरना
23. उमरलापाड़ा
24. टोपिया डूंगरी
25. नौका
26. लाम्बा काटा

8. **पंचायत समिति पिपलखूंट के शिक्षा केन्द्र :–**

1. फरादपाड़ा
2. बिलाखो
3. वाक
4. वसलापाड़ा

कुल 127 शिक्षा केन्द्र

ह०
मुख्य अधिशासी अधिकारी,
जिला परिषद बांसवाड़ा

297

शुद्धि-पत्र

क्रम सं	स्कम्भ सं	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4	5
1.	5	10	—	1.
2.	59	फोलियो	अनुपस्थित सदस्यों के–9 मार्च, 1992–अतारांकित प्रश्नोत्तर	अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर 9 मार्च, 1992–अतारांकित प्रश्नोत्तर
3.	6	3	(श्री राजपाल सिंह शेखावत)	(नगरीय विकास एवं आवास मन्त्री)
4.	125	1	(श्री नवनीत लाल नीनामा)	(महिला एवं बाल-विकास राज्य मन्त्री)
5.	138	फोलियो	श्रद्धांजली	श्रद्धांजलि
6.	140	फोलियो	श्रद्धांजली	श्रद्धांजलि
7.	142	फोलियो	श्रद्धांतली	श्रद्धांजलि
8.	227	1	(श्री केदारनाथ शर्मा)	(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
9.	13	फोलियो	7	9